(1)

राजस्थान विधान सभा के कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 41 वां दिवस [संख्या : 25

बुधवार,

दिनांक 1 अप्रेल, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11·00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल ।

पी०पी०सी० पोल्स निर्माण हेतु आवंटित सीमेन्ट का कोटा

627. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पी०पी०सी० पोल्स बनाने वाले लघु, मध्यम एवं बड़े उद्योगों को, प्रत्येक को दिनांक 1 अप्रेल, 1980 के बाद दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक कितनी कितनी सीमेन्ट का कोटा आवंटित किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ उद्योगों को सीमेंट का कोटा दिलाने हेतु राज्य के उद्योग विभाग ने डायरेक्टर जनरल आफ टेक्निकल डवलपमेंट दिल्ली को सिफारिश की थी ? यदि हां, तो कृपया उन उद्योगों की सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) उक्त सिफारिश पर किस-किस को कितना-कितना सीमेंट का कोटा आवंटित किया गया ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्न सिंह) : राजस्थान में पी. पी. सी. पोल्स बनाने वाली पंजीकृत इकाइयों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1. लघु उद्योग इकाइयां	49
2. मध्यम श्रेणी	17
3. वृहत उद्योग	शून्य

(2) लघु उद्योगों को दिनांक 1-4-80 से दि. 1-2-81 तक 11794 मैट्रिक टन सीमेन्ट का कोटा राज्य सरकार द्वारा दिया गया है । इकाईवार सूचना की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । मध्यम उद्योगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1980 में 5900 मैट्रिक

Page No 2

(2)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

टन तथा वर्ष 1981 की प्रथम तिमाही में 3300 मैट्रिक टन सीमेन्ट का आवंटन किया गया है ।

(3) जी नहीं । कोई सिफारिश नहीं की गई ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आज जो उत्तर दिये जायेंगे, कहीं फर्स्ट अप्रेल के हिसाब से तो नहीं दिये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्रीमती कमला) : पूछने वाले फर्स्ट अप्रेल के हिसाब से पूछेंगे ?

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, अप्रैल के पहले दिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे पता लगा है कि माननीय पहाड़िया जी ने हाई कमान को त्याग-पत्र दे दिया है, तो, जो यहां मन्त्री बैठे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है । तो आपके उत्तर का क्या मतलब है ।

श्री अध्यक्ष : आज फर्स्ट अप्रेल है. इसलिए सभी माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें बोलने में, कहने में ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल को ब्रीफ किया गया, आपके सचिवालय के द्वारा, सवाल के चार उप-खण्ड थे लेकिन ब्रीफ कर दिया तो क्या अव्यवस्था नहीं की है इन्होंने ? मैं इसी हिसाब से 3 सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न छपा है, उसकी परिधि में ही पूरक प्रश्न पूछें ।

श्री कैलाश मेघवाल : आपने तो उत्तर चारों खण्डों का दिया है इसलिए मैंने कहा कि ब्रीफ्ड क्वेश्चन आपकी सूची में छपा है उसकी दृष्टि से उत्तर नहीं आया, बल्कि जो ओरिजिनल दिया है, उसका आया है उत्तर । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे तीन पूरक प्रश्न हैं. माननीय मन्त्री जी पहला तो यह कि क्या यह सही है डायरेक्टर जनरल आफ टेक्निकल डवलपमेंट ने मध्यम श्रेणियों की इकाइयों को सीमेण्ट मिल जाय, इसलिये कुछ लघु इकाइयों को मध्यम इकाई बताते हुए आपके उद्योग विभाग की ओर से दिल्ली में सिफारिश की गयी थी ? क्या यह सही है कि राजस्थान पोल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की ओर से माननीय चानना साहब को एक तार दिया गया कि उद्योग विभाग ने गड़बड़ी की है, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये मध्यम इकाइयां नहीं हैं, इनको स्वीकृत न किया जाय ? क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार के उद्योग मन्त्रालय से उसकी जाँच कराने के लिए तार की प्रति आपके पास आयी है ? अगर नहीं आयी है तो मैं पढ़कर बता दूं, फोटो स्टेट कापी मेरे पास है ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, आपसे मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का भाग देखने का कष्ट करें । क्या यह सही है कि कुछ उद्योगों को सीमेण्ट का कोटा

Page No 3

(3)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दिलाने हेतु राज्य के उद्योग विभाग ने डायरेक्टर जनरल आफ टेक्निकल डवलपमेंट दिल्ली को सिफारिश की थी ? यदि हां, तो कृपया उन उद्योगों की सूची सदन के पटल पर रखी जाय।

मेरा, श्रीमन्, निवेदन यह है कि इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज को सीमेण्ट कोटा आवंटित करने की कोई सिफारिश नहीं की गयी थी।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा सवाल और था, माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल मैंने स्पष्ट पूछा है कि कुछ लघु इकाइयों को मध्यम इकाई बताते हुए सिफारिश की गई थी ताकि उनको सीमेण्ट मिल जाय वे पंजीकृत लघु इकाइयां हैं। और लघु इकाई पंजीकृत होते हुए मध्यम इकाइयों के रूप में उनकी सिफारिश की गयी है, उसकी जांच के आदेश दिल्ली से पूरे हुए हैं ? इनका जवाब दीजिए ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मुझसे पूछा नहीं है, मैंने आपसे निवेदन किया कि उन मध्यम श्रेणी की इकाइयों के लिये राजस्थान सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज जो पोल्स बनाती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन डी.जी.टी.डी. में होता है। इसका राजस्थान सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप कह रहे हैं कि डी. जी. टी. डी. ने कोई तार सरकार को भेजा है, तो ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : फिर कन्फ्यूज कर रहे हैं, आप सवाल को सुनिये। कुछ लघु इकाइयों को सीमेण्ट मिल जाय इसलिए उद्योग विभाग ने मध्यम इकाई के रूप में उनकी सिफारिश की। जब राजस्थान पोल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने तार दिया कि ये मध्यम इकाइयां नहीं हैं तब चानना साहब ने रोका है और आपसे जवाब तलब किया है कि यह गलत सिफारिश क्यों की, लघु इकाइयों को मध्यम इकाई बताकर ? जो सवाल है, उसका जबाब दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: निवेदन करूंगा, प्रश्न का अवलोकन करने का कष्ट करें। इन्होंने पूछा है कि सीमेण्ट दिलाने के लिए क्या राज्य सरकार ने रिकमण्डेशन की है ? उसका स्पष्ट उत्तर है कि कोई नहीं की है। अब प्रश्न पूछ रहे हैं उसके लिये निवेदन कर दिया कि वे इकाइयां मध्यम श्रेणी की थीं इसलिए रजिस्ट्रेशन के लिए रिकमण्डेशन नहीं ...

श्री कैलाश मेघवाल : You are foging to confuse। आपने कन्फ्यूज कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या कन्फ्यूज कर दिया। आप खुद कन्फ्यूज हो रहे हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरा साफ सवाल है। देखिये, माननीय मन्त्री महोदय कन्फ्यूज मत करिये। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैंने लिखा है कि डायरेक्टर जनरल आफ टेक्निकल डवलपमेंट को कुछ इकाइयों की सिफारिश की है। साफ लिखा है और मैंने कहा है, अब मेरा दूसरा सवाल है कि कुछ

Page No 4

(4)

(श्री कैलाश मेघवाल)

लघु इकाइयों को यहां से सीमेण्ट आवंटित हो जाता है, लेकिन डायरेक्टर जनरल आफ टेक्निकल डवलपमेंट से मध्यम इकाइयों को मिलता है। तो मेरा साफ क्वेश्चन है, कुछ लघु इकाइयों की सिफारिश की गयी कि मध्यम इकाइयां हैं और इनको दे दें। यह जब मालूम पड़ा, राजस्थान पोल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन को तो उन्होंने चानना साहब को तार दिया और उन्होंने पूछा है ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, किसी लघु इकाई को मध्यम इकाई नहीं बनाया है राज्य सरकार ने। अध्यक्ष महोदय, ये खुद कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सदन में माननीय सदस्यों को आपके द्वारा। आप प्रश्नों को खुद उठाकर देख लीजिए, जो प्रश्न पूछा है, उसका स्पेसिफिक उत्तर दिया है। इनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहां नहीं होता, इनका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार में होता है। राजस्थान सरकार के आपूर्ति विभाग के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इनको किसी प्रकार के सीमेण्ट का आवंटन नहीं किया गया है। जो भी किया गया है वह रीजनल कन्ट्रोलर आफ सीमेण्ट ने किया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु उद्योगों को मध्यम उद्योग ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : अगला प्रश्न तो आप ले लें लेकिन इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैं निवेदन करता हूं कि कुछ लघु उद्योग इकाइयों को मध्यम लघु उद्योग इकाइयों में पंजीकृत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई है। केन्द्रीय सरकार को आपने लिखा है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : हमारे द्वारा किसी मध्यम इकाई को सीमेंट देने की सिफारिश नहीं की गई है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न रह जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी बताया गया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। यदि माननीय सदस्य इस समय किसी प्रश्न के उत्तर संतुष्ट नहीं हों तो अपने नियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्य किसी तरीके से इस प्रश्न को उठाया जा सकता है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं चार लाइन पढ़ देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

राज्य सरकार लघु उद्योगों को मध्यम उद्योग की इकाई में पंजीकृत करने के लिए बराबर चिट्ठी लिख रही है....

Page No 5

(5)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, अगला प्रश्न ! आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : इस चिट्ठी में बिलकुल साफ लिखा हुआ है । आप मुझे इस पत्र को पढ़ने की इजाजत दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । बहुत अधिक समय हो गया है ।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं इसको पढ़ देता हूं Telegram "Fourth Quarter cement allotted to some Rajasthan Pole Manufacturers under DGTD allotment improper and illegal. These units even no complying DGTD Registration condition and so many not even in existence like Mewar Prestress.

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : इसी पोल की पोल में हमारे प्रश्न रह जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए ।

श्री कैलाश मेघवाल :....and Allied Industries Udaipur and allotted forty thousand bags vide Authorisation no. 75 dated 10th Nov.80. Genuine SSI Pole Manufacturing Units facing acute cement shortage and forty units already closed for last two three months.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न 628 ।

कोटा थर्मल प्लान्ट

628. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) एवं **श्री बाऊ दयाल जोशी** (दीगोद) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980–81 में कोटा थर्मल प्लान्ट के निर्माण हेतु क्या क्या और कितना कितना कार्य प्रस्तावित था और कितना कार्य सम्पन्न हुआ है ?

(2) इस प्लांट के लिए इस वर्ष कितनी धनराशि का प्रावधान रखा गया था और अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(3) इस प्लांट के निर्माण की किस किस संस्था या व्यक्ति की विद्युत मंडल में कितनी कितनी बकाया है और उसका समय पर भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

(4) इस प्लान्ट से विद्युत उत्पादन कब से आरम्भ होगा ? प्रथम इकाई को चालू करने का क्या लक्ष्य रखा गया है ? क्या निर्धारित समय तक इकाई चालू हो जायगी ? यदि नहीं, तो कितना समय और लगेगा ?

(सुश्री पुष्पा जैन)

(5) इस प्लान्ट के सम्बन्ध में किन किन संस्थान को किस किस माल के क्रय के लिए विद्युत मण्डल द्वारा दिये गये सप्लाई आर्डर के अनुसार किस किस कम्पनी द्वारा निर्धारित अवधि में माल दिया गया और कितना कितना माल अभी आना शेष है ?

(6) प्लान्ट की द्वितीय इकाई के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है और आवश्यक मशीनरी के क्रय की क्या व्यवस्था की गई है ?

(7) प्लान्ट की दूसरी इकाई पर कार्य कब प्रारम्भ किया जायगा और वह इकाई कब तक क्रियाशील हो जायगी ?

(8) क्या प्लान्ट पर न्यूनतम वेतन कानून लागू नहीं है ? यदि है, तो न्यूनतम वेतन का श्रमिकों को भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

राज्य मंत्री, विद्युत (श्री प्रद्युम्न सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको आज स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ...

श्री अध्यक्ष : इस पर बहस नहीं होगी। अध्यक्षीय व्यवस्था के विरुद्ध बहस नहीं होगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन आज प्रदेश में बिजली की सबसे बड़ी कमी है। 15 दिन पहले हमने यह प्रश्न दिया था....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं होगा। अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : आज ही लोक सभा में बताया गया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको स्थगित किया गया है।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्थगित करने से क्या होगा, तीन दिन बाद विधान सभा स्थगित हो जाएगी ..

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी : 80–81 में यह प्लाण्ट हुआ था ...

श्री अध्य अंकित नहीं हो।.... अगला प्रश्न....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : + + +

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, अगला प्रश्न ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : केवल इतनी सी जानकारी करना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया है, इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : एक बात तो सुन लें, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : समय का अभाव है । मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप आधे मिनिट में मेरी बात तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष : विद्युत पर आज चर्चा हो रही है । उस समय कह दें ।

सुश्री पुष्पा जैन : विद्युत पर चर्चा का सवाल नहीं है, जब जवाब ही नहीं आया तो चर्चा क्या करेंगे ...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो ।....

सुश्री पुष्पा जैन : + + +

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या । श्री चेतराम ।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : आप × × × को ।

(व्यवधान)

आप सत्ता पक्ष को × × ×

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसको एक्सपंज किया जावे । यह आसन पर एस्पर्शन है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है । कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्या ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्या ने आसन के प्रति आक्षेप लगाया है उन शब्दों को एक्सपज करने की कार्यवाही करूंगा ।

सुश्री पुष्पा जैन : अगर हम अपनी बात नहीं कह सकते तो हम यहां क्या करने आते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । मुझे बहुत खेद है कि इस प्रश्न पर करीब दस मिनट का समय ले लिया है जबकि प्रश्न को स्थगित किया गया है ।

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

Page No 8

(8)

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर आर्डर....यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)

मुझे विवश होकर और कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी नियमों के अन्तर्गत ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य दाऊदयाल जोशी । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री दाऊदयाल जोशी : हम तो हमेशा ही आदेशों की पालना करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से जिद्दोजहद के आधार पर क्या प्रश्नों के उत्तर दिलाए जाते हैं ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमारी आवाज को आप दबा नहीं सकते । हमको अपनी बात कहने का मौका तक नहीं मिलता ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए ।

सुश्री पुष्पा जैन : यह तो कोई तरीका नहीं है । सवाल का जवाब नहीं मिलता है और हम कुछ कह भी नहीं सकते....

श्री अध्यक्ष : आप सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित कर रही हैं, माननीय सदस्या ।....

(व्यवधान)

मैं आपको नाम से सम्बोधित करता हूं ।

सुश्री पुष्पा जैन : आप कर दीजिए जो आपकी इच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष : यह कोई प्रश्न पूछने का तरीका हुआ ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री दाऊदयाल ।

श्री चेतराम ! 629 ।

ग्राम पंचायत हस्वा (टोडाभीम) के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

629. **श्री चेतराम मीणा** (टोडाभीम) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत महस्वा, पंचायत समिति टोडाभीम (सवाई माधोपुर) में पिछले 3 सालों में (1978-79, 1979-80 तथा 1-4-1980 से 31-8-1980 तक) काम के बदले अनाज योजना एवं अकाल राहत योजना के अन्तर्गत कौन कौन से कार्य किये गये हैं ? उनमें कितनी कितनी धनराशि (अन्न एवं नगद) व्यय की गई ? कार्यों पर अनुमानित व्यय क्या होना था तथा खर्चा कितना किया गया है ? क्या प्रत्येक कार्य का सक्षम अधिकारी से सत्यापन करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सभी कार्यों पर किया गया व्यय सही पाया गया है ? यदि नहीं, तो गबन के आरोप में क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री चेतराम मीणा)

(2) क्या यह सही है की सभी कार्यों के झूठे बिल पेश किये गये हैं तथा जांच अधिकारी द्वारा जांच में ये सभी तथ्य लाये गये हैं परन्तु सरपंच के विरुद्ध कोई उचित कार्यवाही यथा निलम्बन, नोटिस आदि की नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक की जावेगी ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री हनुमान प्रभाकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न मे 1978-79, 79-80 और 1980 के चार महीनों की जानकारी चाही गई है। और योजना के अन्तर्गत कौन कौन से कार्य किये गये हैं इसकी जानकारी चाही गई है। इसके अलावा भी जो जानकारी चाही है उसके लिए तीन सालों के बिलों को एग्जामिन करना पड़ेगा, इसलिए इसको स्थगित किया जावे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करके कार्यवाही तो करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर....माननीय सदस्य। हमारे नियमों के अनुसार कोई भी प्रश्न 25 शर्तें पूरी करें, उस प्रश्न की इजाजत दी जाती है। इस बार हमने बहुत कोशिश की जो प्रश्न बहुत ही विस्तृत जानकारी के लिये पूछे गये थे उनको हमने आडिट किया, संशोधित किया। फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न थे, जो इस तरह के आ जाते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से कुछ लिमिटेड सूचना मंगाई जा सकती है। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा. प्रश्न जो पूछें, उसके मुद्दे ऐसे होने चाहिये ताकि अल्पकाल में जवाब दिया जा सके और प्रश्न पर निश्चित पूरक प्रश्न पूछे जा सकें। आर्डर, इस बीच में कोई चर्चा नहीं होगी। कृपया बैठ जाइये माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : एक बार प्रश्न आपने स्वीकार कर लिया उसके पश्चात्....

श्री अध्यक्ष : उसके पश्चात् आसन को अधिकार है कहने का।

श्री. नाथूसिंह : अगर आपने स्वीकार कर लिया तो जवाब देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। अगला प्रश्न। श्री शिवराम।

श्रमिक क्वाटर्स का श्रमिकों को मालिकाना हक देना

630. **श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क)** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—
(1) क्या सरकार औद्योगिक गृह निर्माण योजना शांति नगर, हसनपुरा में बने श्रमिक क्वाटर्स का मालिकाना हक देने का विचार रखती है।

(2) यदि हां, तो कब तक इन्हें मालिकाना हक दे दिया जायगा ?

(3) यदि नहीं तो, क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

Page No 10

(10)

राज्य मंत्री श्रम (श्री दिनेश डांगी) : (1) राज्य सरकार औद्योगिक आवास योजना के तहत बने भवनों पर श्रमिकों को मालिकाना हक देने के प्रश्न पर विचार कर रही है, जिसमें शांति नगर में बने श्रमिक क्वार्टर्स का मामला भी शामिल है।

(2) राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही इस विषय पर विचार कर निर्णय लेने की सम्भावना है।

(3) सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : विचार कब तक पूरा हो जायगा ? वर्षों से विचाराधीन है। कोई एक डेट फर्म दीजिये, ज्यादा ठीक रहेगा ?

श्री शिवराम शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1973 में यह निर्णय लिया कि जो श्रमिक श्रमिक क्वार्टर्स में रहते हैं, वह उनको अलाट किये जायेंगे। उसके बाद जून, 73 में राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि वह मकान श्रमिकों को दिये जायेंगे। लेकिन आज तक मकान नहीं दिये गये, इसका क्या कारण है ?

दूसरा, मैं निवेदन करूं, अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा। मजदूरों को मकान देने का निर्णय भारत सरकार और राजस्थान सरकार में हो चुका है। मुझे ऐसा मालूम पड़ा है कि यह मामला आवासन मण्डल के पास भेजा हुआ है, लेकिन वहां न मालूम क्यों देरी हो रही है। क्योंकि उन क्वार्टर्स में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं, इस वजह से, या मजदूर लोग रहते हैं उनकी वजह से यह सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? 1973 में राज्य सरकार निर्णय ले चुकी है। कब तक फैसला होगा ? बार बार यह कहा जाता है कि राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी निर्णय लेगी। लेकिन राजस्थान सरकार तो पूर्व में निर्णय ले चुकी है कि इन क्वार्टर्स को श्रमिकों को अलाट करेंगे।

श्री दिनेश डांगी : मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, बात सही है कि भारत सरकार ने मालिकाना हक देने की सब बातें कहीं, हमारे यहां से भी हमने शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन को लिखा है कि जल्दी से जल्दी किसी तरीके से अलाट करें। मैंने बात की है। वहां से कुछ देरी हुई है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी ही मालिकाना हक देंगे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इन्दौर में मालिकाना हक दिया गया है।'

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूर्व में मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में इस तरह के आदेश दिये गये हैं कि मजदूरों को मालिकाना हक दिया जाय ?

श्री दिनेश डांगी : यह मेरे पास

(श्री दिनेश डांगी)

जानकारी नहीं है । मध्य प्रदेश से सम्बन्धित है, उससे पता कर लेंगे । लेकिन राजस्थान में अपन बहुत जल्दी ही मालिकाना हक दे देंगे ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जल्दी की तारीख आ जाय ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ।

श्री शिवराम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि 1980 में श्रमिक क्वाटर्स बना कर देने की जो पुरानी योजना लागू थी, उसे भारत सरकार ने बन्द कर दिया, क्या राजस्थान सरकार दुबारा चालू करने की कोशिश करेगी ? मजदूर जो अनुसूचित जाति के ज्यादातर काम करते हैं, उन गरीबों को क्वाटर्स की सुविधाएं उपलब्ध थी, वह बन्द की गई है, उसे राज्य सरकार दुबारा चालू करेगी, जिससे राजस्थान के आवासन की समस्या है उसका भी निराकरण हो सके ?

श्री दिनेश डांगी : यह बात सही है कि भारत सरकार ने 80-81 में इस योजना को बन्द कर दिया है । यह भी सही है कि उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं । मैंने कहा, भारत सरकार से इस बात की कोशिश करेंगे कि इस योजना को लागू करें ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भारत सरकार ने तो कह दिया....

श्री दिनेश डांगी : भारत सरकार ने बन्द कर दी है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : भारत सरकार ने चालू करने का निर्णय लिया है । आप इसे पढ़ें, 1973 में मामला आया था, जिसमें कहा था कि जो श्रमिक रह रहे हैं उनको मालिकाना हक दे दिया जाय ।

श्री दिनेश डांगी : भारत सरकार ने 80-81 में इस योजना को बन्द कर दिया था ।

श्री अध्यक्ष : श्री विष्णु बजारी ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह जयपुर में मालिकाना हक देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है क्या ब्यावर में भी श्रमिकों को मालिकाना हक देने का विचार रखते हैं ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, करीब 2592 क्वाटर्स बने हैं, उन सारे मकानों के बारे में निर्णय करके इनको देने की योजना है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री शिवराम शर्मा : क्या सरकार ने आवासन मण्डल को यह भवन अर्जी लेकर श्रमिकों को अलाट करने के लिये लिखा है ? आपने उस पर कार्यवाही नहीं की । क्या सरकार इसके लिये तिथि निश्चित करेगी, ताकि श्रमिकों को क्वाटर्स मिल जाय ?

श्री दिनेश डांगी : हमने, सरकार ने लिखा है । इस प्रकार की अर्जी देंगे, किस को, कितना क्या देना है, यह सारी बातें

(श्री दिनेश डांगी)

तय कर ली हैं। बहुत जल्दी ही निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामधन चौधरी (लाडनू) : जब 73 में भारत सरकार ने आदेश दिया उसके बाद राज्य सरकार ने यह योजना लागू कर दी तो राज्य सरकार के सामने कौन सी समस्या थी? हमेशा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

कृषि उपज मंडी समिति

जैतारण के सचिव का निलम्बन

631. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रतेन्द्र सिंह चौधरी, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति जैतारण पाली को रिश्वत देने के प्रयास में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार करने के आरोप में निलम्बित किया गया था? यदि हां, तो निलम्बन आदेश किस तिथि को जारी किये गये?

(2) क्या उक्त कर्मचारी आज भी उक्त आरोप में निलम्बित है?

कृषि मन्त्री (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। निलम्बन आदेश दिनांक 8-12-80 को जारी किये गये थे।

(2) जी हां।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा, जिस सचिव के खिलाफ चालान की कार्यवाही मुकम्मिल हो गई, उसको सरकार बहाल करना चाहती है?

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी निलम्बित है, उसको बहाल नहीं किया है।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : आप अधिकारी का क्यों गला घोटना चाहते हो?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : मेरा निवेदन कि है जब चालान की कार्यवाही मुकम्मिल हो चुकी है, तो उसको सरकार बहाल करने का कोई इरादा रखती है?

श्रीमती कमला : मामला अन्वेषणाधीन है। सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर।

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : जब चालान हो गया उसका....

(व्यवधान)

कब तक होगा?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती कमला : अन्वेषण कार्यवाही चालू है । कार्यवाही पूरी होने के बाद ही पता लगायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं, माननीय सदस्य । श्री रामेश्वर का नाम पुकारा है ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : तीन पूरक प्रश्नों की इजाजत दे दी । अन्य माननीय सदस्य जानना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अन्वेषणाधीन है, उसके बाद ही कार्यवाही होगी । सरकार के मन्त्री थोड़े ही चालान कर देंगे ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मेरे पास सूचना आई है, पूरी कम्पलीट कार्यवाही कर दी गई है ।

श्रीमती कमला : आप पुलिस से, इर्द गिर्द से पूछते होंगे क्या कुछ हुआ है । मुझे मालूम नहीं है । वह अपनी कार्यवाही कर रहे हैं जो उनको करना होगा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वर ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज ।

श्री रामेश्वरलाल चौदरी (नावां) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे, ए. सी. डी. ने वह रुपये किस आदमी से बरामद किये ? जिस आदमी से रुपये बरामद किये, उसके सम्बन्ध में कौन कौन गवाह थे ? क्या सैक्रेटरी का इसके पश्चात् स्थानान्तरण हुआ था ? अगर हुआ है, तो किस के कहने से, किसकी रिकमण्डेशन से स्थानान्तरण वापस कैंसिल किया ?

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न का जवाब यह है, ए. सी. डी. ने वह पैसे माननीय एक विधायक महोदय से बरामद किये....

अनेक माननीय सदस्य : शेम, शेम ।

श्रीमती कमला : दूसरे सवाल का जवाब यह है, इसके बाद दो बयान हुए हैं । उन बयानों में यह कहा गया कि हमने देखा तो नहीं, लेकिन वार्तालाप सुना ।

तीसरा, आपने पूछा पूर्व में इसका स्थानान्तरण हुआ था....

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : यह किसने कहा हमने वार्तालाप सुना ?

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं पढ़ कर सुना दूंगी । आप ज्यादा न बोलें यही आपके हक में है ।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : मेरे को न्याय कराना है । आप इस मुगालते में मत पड़िये ...

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मेरे को सुन लें पहले।

श्री शिवदानसिंह राठोड़ : मैं सदन में मन्त्री जी को चैलेंज करता हूं। आप इसमें न्याय कीजिये। मेरी गलती हो तो मुझे सजा दी जाय।

(व्यवधान)

नहीं तो मैं कहूँगा, आप बदमाशों का पक्ष ले रही हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय सदस्य जो नहीं जानते तथ्यों को वे गलत बात कह सकते हैं लेकिन माननीय सदस्य, जिन्होंने सवाल पूछा है, सारी बातें पूर्णतया जानते हैं इसके बावजूद भी मिनिस्टर को मेलाइन करना चाहते हैं ...

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह (गुढा) : मैं यह आरोप लगाता हूं कि मन्त्री महोदया ने मुन्नालाल गोयल को टेलीफोन किया....

(व्यवधान)

यह कह दीजिये कि टेलीफोन नहीं किया ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप सुनने की कोशिश कीजिये, झूठ मत बोलिये।

श्री शिवदान सिंह राठोड़ : झूठ आप बोल रही हैं।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : हम यह आरोप लगाते हैं कि आप गलती छिपाने की कोशिश कर रही हैं।

श्रीमती कमला : इसका मतलब है कि आप लोग जान बूझ कर मेरा बयान नहीं सुनना चाहते, नहीं तो शांति से सुनिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस नियम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य, जिसकी किसी विषय में रुचि हो, उस सम्बन्ध में स्वयं कोई प्रश्न इस सदन में नहीं उठायेगा। आज प्रश्न आ गया, माननीय सदस्य, किसी तरह से इस घटना से सम्बन्धित है, अच्छा यह होता कि वह इस प्रश्न को यहां नहीं उठाते।

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। नाराज होने की बात नहीं है, शांति से सुनिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा आसन से अनुरोध है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मसले इन्वाल्वड हैं और एक माननीय सदस्य डायरेक्ट इन्वाल्व्ड हैं इसलिये आप फाइल स्वयं मंगा कर देख लें।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप पहले सुनिये, किसकी गलती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं ..

श्री अध्यक्ष : बीच में न बोलिये, माननीय सदस्य। श्रीमती कमला।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन के माननीय सदस्यों को जो बिलकुल तथ्यात्मक विवरण है उससे अवगत कराती हूं। माननीय सदस्य भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि मंत्री महोदय ने किसी कारणवश इसको दूसरा रूप देने की चेष्टा की। अध्यक्ष महोदय, इस सचिव का स्थानान्तरण कुछ समय पहले उस स्थान से हो गया। माननीय विधायक महोदय, जो उस क्षेत्र के विधायक है, ने लिख कर दिया....

श्री शिवदान सिंह राठौड़ : इसमें और किस किस के नाम हैं, वे भी बतावें ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्रीमती कमला : आपको सुनना नहीं है क्या ? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लिखा है, उनकी चिट्ठी मौजूद है, आप कहें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस चिट्ठी पर माननीय सदस्य के दस्तखत मौजूद हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय जो उत्तर दें उसे आप पूरा सुन लें फिर प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, इस चिट्ठी में लिखा है कि रतेन्द्रसिंह चौधरी ने कृषि उपज मण्डी समिति, जैतारण में जून, 79 में सचिव का कार्य संभाला। उनका अब सांचौर स्थानान्तरण किया जा रहा है। इन्होंने अपनी कार्यकुशलता से मण्डी समिति की आय 79–80 में 3.34 लाख की वसूली कर रिकार्ड स्थापित किया है। उसके अलावा 552 अनुज्ञा पत्र जारी किये हैं और मण्डी यार्ड के निर्माण हेतु 6.62 लाख रु० स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर से स्वीकृत करा कर 16 दुकानों का निर्माण कराया है। इनका बहुत अच्छा व्यवहार होने के कारण मण्डी क्षेत्र के सभी लोग इन्हें रखना चाहते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि श्री चौधरी का स्थानान्तरण मण्डी क्षेत्र के व्यापारी, कृषक वर्ग तथा समिति के विकास के हित में निरस्त कराने का श्रम करावें। हस्ताक्षर एम.एल.ए. महोदय उस इलाके के।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : नाम बोलिये।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : दूसरे सदस्य का नाम भी बतावें।

Page No 16

(16)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय ने सचिव को दो चिट्ठियां लिखी हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(व्यवधान)

यह पत्र कौनसी तारीख का है ?

श्रीमती कमला : दिनांक 18·9·1980

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । उत्तर आने दीजिये ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मंत्री महोदया, सदन को गुमराह कर रही हैं । इस पर दूसरे सदस्य के भी हस्ताक्षर हैं । सुखलाल सैंणचा के हस्ताक्षर है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

मैं इस पर चर्चा समाप्त करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : आप इसके तथ्य सामने आने दीजिये ।

श्रीमती कमला : सारा विवरण लिखित में मौजूद है ।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सैंणचा (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो

श्री सुखलाल सैंणचा : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी देर से व्यवस्था चल रही है । अगर माननीय सदस्य नियमों का उल्लंघन करेंगे तो मैं उनके विरुद्ध नियमों के अनुसार कार्यवाही करूंगा ।

(व्यवधान)

प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा ।

अगला प्रश्न ।

माननीय सदस्यगण प्रश्नकर्ता प्रश्न के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो इस प्रश्न को अन्य रीति से उठा सकते हैं । अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

अगला प्रश्न । माननीय सदस्य

(व्यवधान)

अब नियमों के अनुसार कार्यवाही करूंगा । आप माननीय सदस्य । हमारे नियम काफी कठोर हैं अनुशासन के ...

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल में पाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया जा सकता है।

माननीय सदस्य काफी समय हो गया है।....

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइंट आफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न सामने आया है इसमें आरोप मंत्री महोदया की ओर से लगाये गये हैं। इसलिये कम से कम स्पष्टीकरण का मौका तो माननीय सदस्य को दें। एक तरफा बात सारी हो गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, जो आरोप लगाये हैं, प्रश्न काल के अन्दर कोई स्पष्टीकरण का मौका नहीं दिया जायगा। इसके लिये अलग से व्यवस्था की जा सकती है। अब मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि....

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, only for a minute.

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमारे प्रश्न का उत्तर आने दीजिये। बहुत जरूरी है अनावश्यक समय ले रहे हैं।

प्रश्न संख्या 632.

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

श्री भगवान दास।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री सूर्यकुमार। प्रश्न संख्या 633.

आर्डर प्लीज।

जिला बून्दी के ब्लाक्स के ग्रामों को टी. ए. डी. में सम्मिलित करना

633. **श्री सूर्य कुमार** (नैनवा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के ब्लाक नैनवा के 20 गांव, ब्लाक हिंडोली के 10 गांव, ब्लाक केशोरायपाटन के 18 गांव, और ब्लाक बूंदी के 22 गांव जन जाति के निवासियों की आबादी जन गणना के आधार पर कुल आबादी 50% से अधिक होने के बावजूद ट्राइबल एरिया डवलपमेन्ट गांवों के रूप में स्वीकृत नहीं किये गये हैं?

(2) लघु कृषक अभिकरण, बूंदी से उक्त गांवों को टी.ए.डी. गांवों के रूप में

(श्री सूर्य कुमार)

स्वीकृत करने हेतु पत्र सरकार को कौनसी तारीख को प्रथम बार प्राप्त हो गया था ?

(3) सरकार द्वारा उक्त पत्र पर कब व क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त गांवों को टी. ए. डी. गांवों के रूप में स्वीकृत करने की कार्यवाही कब तक कर दी जायगी ?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री हर-सहाय मीणा) : (1) यह सही है।

(2) उपरोक्त ग्रामों में से दो गांवों को जनजाति लघु खण्डों में सम्मिलित करने के प्रस्ताव 23·12·80 को राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं।

(3) यह प्रसंग राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) मौजूदा लघु खण्डों में अतिरिक्त ग्राम जोड़ने के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जायेंगे क्योंकि जनजाति लघु खण्डों का अनुमोदन अथवा उनमें रद्दोबदल भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

श्री सूर्यकुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि बूंदी से जिला कृषि अभिकरण द्वारा जो प्रस्ताव प्राप्त हुये क्या वह पूरे 60 गांवों के संबंध में नहीं थे ? दूसरा यह कि क्या जुलाई में जो सुझाव वहां से भेजे गये थे उनको यहां जयपुर तक पहुंचने के अन्दर पांच महीने लग गये ? वे यहां पर दिसम्बर, 80 में पहुंचे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रश्न एक एक करके पूछें तो ठीक है मैं उनका जवाब दे पाऊंगा ठीक तरह से।

श्री अध्यक्ष : एक एक करके प्रश्न पूछें।

श्री सूर्यकुमार : मेरा पहला प्रश्न यह है, क्या यह सही है कि बूंदी जिले से जो प्रस्ताव आये हैं वे पूरे 60 गांवों के संबंध में आये हैं ?

श्री हरसहाय मीणा : जी हां।

श्री सूर्यकुमार : 60 गांवों के संबंध में जो प्रस्ताव आये हैं वे वहां से जुलाई, 80 में भेजे गये थे और यहां पर दिसम्बर में प्राप्त हुये ?

श्री हरसहाय मीणा : यहां पर वे 23/12/80 को प्राप्त हुये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। प्रश्न कर्त्ता।

श्री सूर्यकुमार : मेरा सवाल यह है कि खण्ड दो में आपने कहा है कि वे बूंदी से

(श्री सूर्यकुमार)

आपको दिसम्बर, 80 में मिले। मेरी जानकारी के अनुसार वे वहां से जुलाई, 80 में भेजे गये थे। मेरा प्रश्न यह है कि जब वे जुलाई, 80 में पास करने के तुरन्त बाद भेज दिये गये थे तो फिर वे यहां पर पांच महीने बाद कैसे पहुंचे ?

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये हमें 23/12/80 को प्राप्त हुए हैं। इसके पहले वाली सूचना उपलब्ध नहीं है इसकी जानकारी करके पता कर लूंगा।

श्री सूर्यकुमार : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब ये दिसम्बर, 80 में राज्य सरकार को प्राप्त हो गये तो क्या अभी तक राज्य सरकार की फाइलों में ही विश्राम कर रहे हैं या केन्द्रीय सरकार को भेज दिये गये हैं या नहीं भेजे गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : अभी वे कहां विश्राम कर रहे हैं, यह बता दें।

श्री हरसहाय मीणा : मैंने निवेदन किया कि इनकी जल्दी ही सैंक्शन हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल बहुत संक्षेप में प्रश्न हो पूछें।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि ये प्रस्ताव बूंदी से सरकार को दिसम्बर, 80 में प्राप्त हुये जो कि जुलाई, 1980 में वहां से भेजे गये थे तो आपको जो जुलाई में प्रस्ताव भेजा गया था वह मिला या नहीं ? जो दिसम्बर, 80 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है उसके वहां से भेजने की तारीख क्या है ?

श्री हरसहाय मीणा : मैंने निवेदन किया कि जो 23/12/80 को प्राप्त हुआ है वह हमने भारत सरकार को भेज दिया है। इसके अलावा दूसरे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा एक ही प्रश्न है। एक ही लाइन का है।

मंत्री महोदय उसका ना में ही जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

स्लम क्लियरेन्स बोर्ड का गठन

634. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशन पोल जयपुर) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार स्लम क्लियरेन्स बोर्ड के गठन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा क्या

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को स्लम क्लियरेन्स बोर्ड बनाने के लिये लिखा था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री महोदय काफी बुजुर्ग हैं फिर भी इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जो ये जवाब दे रहे हैं यह गलत है। मैं एक बात आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि भारत सरकार की तरफ से सारे राज्यों को स्लम क्लियरेन्स बोर्ड का गठन करने के लिये लिखा गया था और कहा गया था कि एक बोर्ड का गठन कर जो कच्ची बस्तियां है उनमें जो हजारों लाखों की संख्या में रहने वाले हैं उनके लिये व्यवस्था करें। क्या यह बात मंत्री महोदय की जानकारी में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कह दिया कि अभी इस तरह का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है फिर भी आप कहते हैं कि इस तरह का सुझाव आया है। इस तरह का कोई सुझाव नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का पत्र आया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। आपस में बात न करें। आसन के माध्यम से बात करें।

श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : मेरा एक भी प्रश्न नहीं आया है सत्र में इसलिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। स्थगित प्रश्न। श्री रतनलाल ताम्बी।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 12 मार्च, 1981)

जिला भीलवाड़ा का बिजोलिया खनन क्षेत्र

216. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा के बिजोलिया खनन क्षेत्र में कितनी नाजायज भूमि पर खनन कार्य हो रहा है और किस पार्टी द्वारा कब से यह अनधिकृत खनन कार्य किया जा रहा है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में राजस्व भूमि को खनिज बाउण्ड्री के अन्तर्गत लेने की कोई कार्यवाही जारी है ? यदि हां, तो किस-किस गांव की कौन कौन सी ? आराजी नम्बर एवं रकबा सहित भूमि की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कई लोगों को राजस्व विभाग द्वारा खनिज क्षेत्र योग्य जमीन खेती के लिए आंवटित की गई थी, और उस जमीन में खेती के बजाय लाखों रुपये की खनिज सम्पदा खनन की जा रही है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(4) क्या यह सही है कि कृषि भूमि में खनिज खनन के कार्य से डेड रेन्ट एवं रॉयल्टी का सरकार को नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसे गम्भीर मामले की जांच विषयक कार्यवाही की है? यदि नहीं तो क्यों?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री नानालाल) : (1) भीलवाड़ा जिला के बिजोलिया क्षेत्र में अनधिकृत खनन वर्तमान पट्टाधारियों द्वारा उनको स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य से संबंधित है, जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण के पश्चात् ही क्षेत्रफल का ज्ञान हो पायेगा। पूर्व में जिन पार्टियों द्वारा अनधिकृत खनन किया गया और उन पर विभाग द्वारा जो कार्यवाही की गई उनकी सूची संलग्न है।

(2) इस क्षेत्र में राजस्व भूमि को खनिज बाउण्ड्री के अन्तर्गत लेने की कार्यवाही की जा रही है। ग्राम चम्पापुर, रातकुण्डिया तेन्दुआ तलाई, पापड़वड, कांस्या एवं जलेरी नं० 2 में राजस्व भूमि में खनिज क्षेत्र खोलने हेतु स्थानीय अधिकारियों ने राजस्व विभाग से खनिज विभाग के नाम दर्ज करने के लिये निवेदन किया गया है। आराजी की सूची संलग्न है।

(3) इस प्रकार का कोई मामला राजस्व विभाग द्वारा खनिज विभाग को सूचित नही नहीं किया गया है। विभाग को 22 प्रार्थना पत्र ऐसे काश्तकारों की ओर से प्राप्त हुए हैं जो अपनी खातेदारी की जमीन में खनन कार्य करने हेतु अनुमति चाहते हैं। यह मामला नीति संबंधी होने के कारण शासन के विचाराधीन है। खेती की जमीन में खनिज सम्पदा के अनधिकृत खनन का कोई मामला राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है।

(4) क्योंकि कृषि भूमि में खनिज खनन का कोई मामला राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है इसलिये यह सही नहीं है कि कृषि भूमि मे खनिज खनन के कार्य से डेड रेंट एवं रायल्टी का सरकार को नुकसान हो रहा है। अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि आपने इस प्रश्न के नम्बर (2) के उत्तर में विवरण तो पूरा नहीं दिया है न सूची ही मिली है किन्तु यह बात आपने बताई कि कृषि भूमि पर खनन कार्य नहीं हो रहा है। क्या यह सही है कि आपके यहां पर कई लोगों की दरख्वास्त प्राप्त हुई हैं, कृषि भूमि में खनन कार्य की इजाजत देने की उनमें से कितनों को इजाजत देने का मामला विचाराधीन है?

श्री नानालाल : मैंने भाग संख्या 3 में बता दिया है कि कृषि भूमि पर खनन कार्य करने की स्वीकृति के लिये 22 लोगों ने प्रार्थना पत्र दिये हैं। यह नीति संबंधी मामला होने से अभी सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा आशय यह कि जो लोग अपनी निजी जमीन पर खनन कार्य

(श्री रतनलाल ताम्बी)

करना चाहते हैं उनके अलावा जो लोग अभी खनन कार्य कर रहे हैं उनके बारे में बतायें ?

श्री नानालाल : इसका भी जवाब दे चुका हूं कि कृषि भूमि पर अभी कोई खनन कार्य करने का मामला सरकार के सामने नहीं आया है। कुछ लोगों ने अपने क्षेत्र से बढ़ कर कार्य किया है उनके जितने मामले सामने आये हैं उनकी वर्षवार सूची, जिन जिन ने अनधिकृत खनन किया उनकी सूची आपको भेज दी है, माननीय सदस्य उसमें से देख लें।

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सूची दी है खनिज खनन अनधिकृत रूप से जो कर रहे हैं उनकी। मैं यह कहता हूं कि जिन लोगों को खेती के नाम पर जमीन अलाट की गयी है उनको अभी खातेदारी अधिकार भी नहीं मिले हैं कुछ ऐसे भी हैं जिनकी भूमि दर्ज है वे उसमें खनन कार्य कर रहे हैं।

श्री नानालाल : ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के सामने नहीं आया है। यदि आपको इस प्रकार की जानकारी है तो आप जानकारी दें उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा

श्री रतनलाल ताम्बी : आपने जो सूची दी है उसमें मई, 80 में कम से कम 900 से 1300 बकाया है और छोटी छोटी बकाया 10, 5 हजार की है। कुल मई, 80 में 2, 33, 680/ रु० बकाया नाजायज तरीके से निकाल रखी है और पार्टियों को नोटिस दिये गये हैं। नोटिस दिये जाने के बाद राजनैतिक प्रभाव से निहित स्वार्थ के लोग उनके साथ लगा दिये और वे रकम छुड़वाने की कार्यवाही कर रहे हैं। आपने कुछ आश्वासन दिया ?

श्री नानालाल : आपने आश्वासन की बात नहीं कही। मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया है ऐसी गलत कार्यवाही के प्रति सरकार सजग है, और कोई कार्यवाही गलत नहीं होने देगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राहत कार्य

632. **श्री भगवानदास डोसी** (चौहटन) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहां जहां फेमिन के कार्य कराये जाते हैं उनकी स्वीकृति केवल उन्हीं कार्यों के लिये होती है, जो प्लान या एडवांस प्लान में आये हुये हैं ?

(2) यदि हां, तो उन जिलों में, जिनमें कि इस वर्ष भारी अकाल है, लेकिन प्लान और एडवांस प्लान के कार्य बकाया नहीं हैं, क्या वहां राहत कार्य नहीं कराये जायेंगे ?

(श्री भगवानदास डोमी)

(3) क्या सरकार उक्त प्रकार के इलाकों के लिये कोई विशेष योजना बना रही है ? यदि हां, तो कृपया उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इसके अतिरिक्त गत वर्षों के अधूरे कार्य एवं जहां जिलाधीश राहत कार्य चलाना आवश्यक समझते हैं उस हेतु भी जिलाधीशों को 2.50 लाख की लागत के राहत कार्य स्वीकृत कर चलाने हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

(2) जिन जिलों में प्लान व एडवांस प्लान के कार्य नहीं हैं ऐसे जिलों में गत वर्षों के अधूरे कार्य व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के कार्य कराये जायेंगे एवं जहां जिलाधीश राहत कार्य चलाना आवश्यक समझते हैं उस हेतु भी जिलाधीशों को 2·50 लाख की लागत के राहत कार्य स्वीकृत कर चलाने हेतु अधिकृत कर दिया गया है।

(3) जहां तक विशेष योजना बनाने का प्रश्न है इसमें दो राय नहीं है कि इस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिये जिससे अकाल की स्थिति बनने की सम्भावना कम हो। जहां तक सहायता विभाग का प्रश्न है इस विभाग का दायित्व तो यह है कि जब भी राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आवे तो उससे प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान की जावे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बीकानेर में आंत्रशोथ से हुई मृत्यु

632. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माह दिसम्बर, 1980 में पी. बी. एम. अस्पताल, बीकानेर में आंत्रशोथ से मरने वालों की कुल संख्या कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर में आंत्रशोथ का रोग जलदाय विभाग के जल वितरण नलों में जल प्रदूषण (नालियों का गंदा पानी मिलने से) होने से कमला कालोनी फड़ बाजार, हैड पोस्ट आफिस के पीछे गजनेर रोड, रोशनी घर के पास, फैला ?

(3) क्या इतने बड़े मृत्यु काण्ड की अब तक जांच के आदेश दिये गये ?

(4) क्या किसी संबंधित अधिकारी को जांच से पूर्व निलम्बित या दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अब जांच के आदेश देगी ?

(5) क्या सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी ?

(6) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 1980 में बीकानेर में 'पर्यावरण पखवाड़ा' मनाया गया व इसी दौरान आंत्रशोथ फैला व मौतें हुई ?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बीकानेर से प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर, 80 में पी०बी०एम० अस्पताल, बीकानेर में आंत्रशोथ से 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

Page No 24

(24)

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

(2) जी नहीं। विभाग के रसायनिक द्वारा पानी के नमूनों की जांच के फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था द्वारा रोग के फैलने की पुष्टि नहीं होती है।

(3) जांच की आवश्यकता नहीं है।

(4) आवश्यकता नहीं है।

(5) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(6) विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

बीकानेर-लूणकरणसर दुग्ध समितियों की बकाया

633. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 24/25 मई, 1980 को बीकानेर/लूणकरणसर की समितियों से पूर्व सूचना दिये बिना दुग्ध संकलन बन्द रखा जिससे समितियों द्वारा खरीदा गया 14978 किलो दूध तीन दिन तक समितियों के केन्द्रों पर सड़ता रहा, जिससे समितियों को लगभग रुपये 21460/– का नुकसान हुआ व जिसका भुगतान आज तक समितियों को नहीं किया गया ? क्या यह सही है कि उपरोक्त होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार परियोजना अधिकारी, श्री एम. एम. मेहता हैं ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि माह नवम्बर, 1979 में दीपावली के अवसर पर महाप्रबन्धक द्वारा अनधिकृत पनीर बना कर सभी अधिकारियों में बांटी गयी व जिसका प्राप्त भुगतान महाप्रबन्धक द्वारा आज तक डेयरी में जमा नहीं करवाया गया है ?

(3) यदि उपरोक्त घटनाओं के लिये एक ही व्यक्ति (महाप्रबन्धक) दोषी है, तो उनको अविलम्ब निलम्बित कर क्या जांच करवाई जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। इसका कारण चुनाव में अकस्मात अस्थाई तौर पर दुग्ध परिवहन हेतु लगाई गई गाडियों का अधिग्रहण करना था एवं दुग्ध परिवहन ठेकेदारों द्वारा हड़ताल किया जाना था। किन्तु सभी समितियों को 21,460/–रुपये का भुगतान कर दिया गया है। अतः समितियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(2) जी नहीं। उरमूल डेयरी में आज तक कभी पनीर बनाया ही नहीं गया।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरपंच कोलायत के विरुद्ध विचाराधीन जांच

634. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1980 के सत्र में पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं. 640 दिनांक 21 अगस्त, 1980 को कोलायत सरपंच पूर्णाराम के खिलाफ चल रही जांच सम्बन्धी

(श्री देवीसिंह भाटी)

प्रश्न के जवाब में जांच तहसीलदार कोलायत (बीकानेर) के यहां विचाराधीन चल रही है–लिखित उत्तर दिया गया था ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक जांच पूर्ण नहीं होने का कारण क्या है ?

(2) यदि जांच पूर्ण हो गई है, तो कब हुई व अब तक सरपंच कोलायत के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या जांच आरोप सही पाये गये ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री पूर्णराम सरपंच कोलायत के विरुद्ध तहसीलदार कोलायत द्वारा जांच की जाकर जांच प्रतिवेदन जिलाधीश, बीकानेर को दिनांक 3–9–79 को प्राप्त हुआ था किन्तु यह जांच अधूरी होने पर जिलाधीश द्वारा पुनः विस्तृत जांच करने हेतु दिनांक 23–7–80 को लिखा गया। तहसीलदार ने शिकायती पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर प्रकाश डालने व रिकार्ड मंगवाने हेतु नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी। नायब तहसीलदार ने इस विषय में जांच कर तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा मूल पत्रावली दि० 6-1-81 को जिलाधीश को प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट जिलाधीश बीकानेर द्वारा 2–3–81 को राज्य सरकार को भेजी गई है।

(2) जी हां। जांच पूर्ण की जाकर दिनांक 2–3–81 को राज्य सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्रारम्भिक जांच से जो आरोप प्रमाणित पाये हैं उस पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखा जाना जनहित में उपयुक्त नहीं है।

पलाना थर्मल प्लांट हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

635. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पलाना थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियन्ता (सी.ई.) का मुख्यालय जयपुर में रखा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले सत्र में पलाना प्लांट को शीघ्र चालू करने का आश्वासन देने के बावजूद मौके पर आज तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है ? यदि इसमें देरी हो रही है, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश बीकानेर ने सरकार को जमीन अवाप्त करने हेतु सूचना प्रस्ताव भेज दिये हैं ? अब तक गजट में छापा नहीं होने के क्या कारण हैं ?

(5) जिनकी भूमि अवाप्त की गई उन भू-पतियों व ग्रामवासियों को सरकार कहां बसाने का विचार रखती है अथवा कितनी जमीन या मुआवजा देगी ? क्या इनके लिये अब तक स्थान तय नहीं किया गया है ?

(5) पलाना थर्मल पावर प्लांट कब तक उत्पादन शुरू कर देगा ?

Page No 26

(26)

विद्युत मंत्री)

उत्तर

(1) बोर्ड के आदेश दिनांक 26.9.80 के द्वारा मुख्य अभियन्ता (पलाना थर्मल पावर प्लांट) का मुख्यालय, बीकानेर में ही रखा गया है परन्तु जब तक वित्तीय स्वीकृति तथा धनराशि उपलब्ध न हो जाय तब तक मुख्य अभियन्ता (पलाना थर्मल प्रोजेक्ट) का मुख्यालय जयपुर में अस्थाई रूप से है।

(2) योजना आयोग द्वारा पलाना लिग्नाइट परियोजना हेतु विनियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं करने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(3) जिलाधीश बीकानेर ने राज्य सरकार को जमीन अवाप्त करने हेतु प्रस्ताव क्रमांक एफ. 12/12/3/राज/80/62 दिनांक 9.1.81 द्वारा भेज दिये हैं। आगे की कार्यवाही हो रही है।

(4) इस परियोजना हेतु अभी तक किसी की भी भूमि अवाप्त नहीं की गई है। अतः मुआवजा देने या बसाने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार पलाना लिग्नाइट पावर प्लान्ट की प्रथम इकाई से उत्पादन, परियोजना का कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से 54 माह के पश्चात् प्रारम्भ होने का अनुमान है।

देवास योजना से उदयपुर नगर को जलप्रदाय

636. **श्री भैरू लाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उदयपुर नगर के लिये वर्तमान में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है ?

(2) क्या इस शहर के लिये पीने के पानी की समस्या के हल के लिये बन रही देवास योजना के कार्य की प्रगति धीमी है। यदि नहीं, तो यह योजना कब तक पूर्ण हो जावेगी तथा उदयपुर नगर को इससे कब तक जल मिलना प्रारम्भ हो सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। नगर की वर्तमान आबादी को लगभग 75 लाख गैलन पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(2) देवास योजना का प्रथम चरण पूर्व में ही पूर्ण हो चुका है व द्वितीय चरण का प्रारूप तैयार किया जा रहा है व धन उपलब्धि के अनुसार इसे क्रियान्वित करना सम्भव हो सकेगा।

भांग व पोश्त के डोडे के ठेके

637. **श्री भैरू लाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आबकारी विभाग की यह घोषित नीति थी कि वर्ष 1980–81 में भांग व पोश्त के डोडे के ठेके वर्ष 1979–80 की राशि से कम पर नहीं दिये जावें ?

(2) यदि हां, तो क्या तत्कालीन आबकारी आयुक्त ने राज्य में किन्हीं स्थानों पर

(श्री भैरूलाल)

1979-80 की प्राप्त राशि से कम पर ठेके दिये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(3) क्या यह भी सही है कि कई स्थानों पर तत्कालीन आयुक्त ने उक्त ठेकों पर नीलामी में दी गई उच्चतम बोली भी अस्वीकार कर दी ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ?

(4) इस तरह के दोहरे मापदण्ड से सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) साधारणतः पिछले वर्ष के मुकाबले बराबर या अधिक राशि की आरक्षित राशि निर्धारित की जाती है। परन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है।

(2) जिला सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर व जिला गंगानगर में संगरिया व सादुलशहर में स्थित थोक व रिटेल डोडा पोश्त की दुकानें वर्ष 1980-81 में वर्ष 1979-80 के मुकाबले कम राशि पर दिये गये।

(3) जिला जालौर, बाड़मेर व जैसलमेर में स्थित थोक व रिटेल डोडा पोश्त के दुकानों के लिये प्राप्त उच्चतम बोली तत्कालीन आयुक्त द्वारा स्वीकार नहीं की गयी। राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 61 (9) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त को नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के पूर्ण अधिकार हैं। अतः सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जानी है।

(4) आबकारी नियमों के अन्तर्गत कोई भी बोली अस्वीकार अथवा स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार हैं इसमें किसी प्रकार के दोहरे व्यवहार का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, है एवं राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई।

जिला सिरोही में प्राप्त खनिज

638. **श्री छोगाराम बकोलिया** (रेवदर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला सिरोही में कौन कौन से खनिज प्राप्त हो रहे हैं तथा सिरोही में उन पर आधारित कितनी औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में मुख्यतः चूना पत्थर, मार्बल, केलसाइट, वोलोस्टनाइट, क्वार्टज, केलसपार, कोपर, लैड व जिंक अयस्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में डी० डी० टी० ग्रेड सोप स्टोन एवं निम्न कोटी का एसबस्टस भी उपलब्ध है एवं टंगस्टन खनिज के संकेत भी मिले हैं। तथा इन खनिजों के आधार पर 36 औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं।

नगरपालिका बगरू की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

श्री रूपलाल परमार (खेखाड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 28

(28)

(श्री रूपलाल परमार)

(1) क्या यह सही है कि नारायण पुत्र श्री बीज्या तथा किसना पुत्र श्री बीज्या जाति रेगर निवासी बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर ने नगर पालिका की भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो उक्त भूमि क्या पट्टा शुदा है? यदि हां, तो कृपया पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिशासी अधिकारी नगरपालिका बगरू ने स्वयं मौके पर मुआयना करके उक्त व्यक्तियों को नोटिस दिया था?

(3) अब उक्त भूमि पर से अनधिकृत कब्जा हटा दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं हटाया गया?

(4) क्या अब उक्त भूमि को तुरन्त खाली करा कर सार्वजनिक नीलामी कराने का नगरपालिका मण्डल, बगरू का विचार है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अनधिकृत कब्जा करने की जानकारी नगरपालिका को दिनांक 10-11-80 को हुई थी।

(2) जी हां। नोटिस की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए मामला नगरपालिका बोर्ड की आगामी बैठक में रखा गया है। बोर्ड के निर्णय के बाद आगामी कार्यवाही हो सकेगी।

(4) प्रश्न के भाग 3 में उत्तर सम्मिलित है।

प्राप्ति के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

ग्राम पंचायत रूपनगर में गबन एवं अनियमिततायें

640. श्री कैलाश मेघवाल : (अजमेर-पूर्व) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुरुषोत्तम लाल शर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत रूपनगर, पंचायत समिति सिलोरा, जिला अजमेर के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें सरकार को प्रस्तुत की गयी थीं?

(2) क्या यह सही है कि इन शिकायतों पर जांच करायी गयी और जांच से गबन एवं अनियमितताओं के आरोप सरपंच के विरुद्ध सही पाये गये? यदि हां, तो कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस ग्राम पंचायत का आडिट हुआ है और उन आडिट रिपोर्ट्स में भी गबन एवं अनियमिततायें सामने आयी हैं?

(4) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) जी, हाँ। श्री पुरुषोत्तम लाल

Page No 29

(29)

(पंचायत मंत्री)

सरपंच ग्राम पंचायत सिलोरा के विरुद्ध ऐसी शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई थीं।

(2) जी हां। जांच से गबन एवं अनियमितताओं के आरोप सरपंच के विरुद्ध सही पाये गये हैं। जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखा जाना जनहित में उपयुक्त नहीं है।

(3) जी हां। सहायक परीक्षक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, अजमेर के द्वारा इस ग्राम पंचायत का आडिट किया गया और उसमें गबन के मामले एवं अनियमितताये सामने आई हैं।

(4) राज्य सरकार द्वारा सरपंच को आरोप पत्र दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। सरपंच द्वारा रिकार्ड का निरीक्षण कराने हेतु निवेदन किया गया। सरपंच ने रिकार्ड का निरीक्षण नहीं किया। आरोपों का स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अब विस्तृत जांच संबंधित एस० डी० ओ० द्वारा कराने की कार्यवाही की जा रही है।

सरपंच, ग्राम पंचायत महस्वा के विरुद्ध जांच

641. श्री चेतराम मीणा: (टोडाभीम): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच, ग्राम पंचायत, महस्वा, पंचायत समिति टोडाभीम (सवाई माधोपुर) के विरुद्ध काम के बदले अनाज योजना एवं अकाल राहत कार्यक्रम में झूठे बिल बनाने, झूठे मस्टर रोल एवं मेजरमेंट बुक भरने, रिकार्ड पर झूठे कार्यों के नाम पर धन का दुरुपयोग करने, लागत से अधिक के झूठे खर्च दिखलाने एवं भुगतान उठा लेने और फर्जी रिकार्ड तैयार करने आदि शिकायतें सरकार, जिला प्रशासन एवं विकास अधिकारी को की गई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन पर जांच करने पर सरपंच दोषी करार दिया गया है ? यदि हां, तो उन पर कार्यवाही क्या-क्या की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरपंच ने 5 हजार से अधिक के कार्य भी बिना स्वीकृति के कराये हैं और धन का गबन किया है ? क्या सरकार ने इन कार्यों को मान्यता दे दी है ? किस अधिकारी द्वारा अनियमित स्वीकृति दी है ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरपंच ने जांच अधिकारी को बहुत से कार्यों का रिकार्ड बावजूद लिखित आदेशों के भी नहीं दिया है ? सरकार आदेश अनुपालना नहीं करने के आरोप में क्या कार्यवाही कर रही है या की है ?

(5) क्या सरकार निष्पक्ष जांच हेतु सरपंच को निलम्बित कर अग्रेतर जांच पूर्ण कराने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक जांच पूर्ण करा ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जिलाधीश द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार काम के बदले अनाज

(पंचायत मंत्री)

योजना के अन्तर्गत सरपंच ग्राम पंचायत महस्वा, पं० स० टोडाभीम के विरुद्ध जिलाधीश को दिनांक 3 मार्च, 1980, 11 एवं 20 नवम्बर, 1980 एवं दिसम्बर 31, 1980 को राशि के दुरुपयोग एवं फर्जी रिकार्ड संधारण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(2) जी हां। जिलाधीश द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार सरपंच महस्वा के विरुद्ध शिकायत की प्रारम्भिक जांच विकास अधिकारी एवं पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा कराई जा चुकी है जिसमें कार्य संचालन में अनियमिततायें, फर्जी रिकार्ड संधारण करने एवं राशि के दुरुपयोग के आरोप पाये गये हैं। जांच प्रतिवेदन अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है अतः सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जांच पूर्ण करा जांच प्रतिवेदन शीघ्र राज्य सरकार को भेजने हेतु तार दिया जा चुका है।

(3) जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार सरपंच द्वारा 5,000) रु० तक के स्वीकृत कार्य ही करवाए गए किन्तु खर्चा अधिक हो जाने के कारण पंचायत समिति, टोडाभीम से तखमीने स्वीकृति के लिये प्राप्त होने पर उनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधीश द्वारा दी जा चुकी है। किसी अधिकारी द्वारा अनियमित स्वीकृति नहीं दी गई है सक्षम अधिकारी द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की गई है।

(4) जी हां। जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार जांच अधिकारी को सरपंच द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं किये जाने का हवाला दिया है। यह नहीं बताया है कि सरपंच ने आदेश के बावजूद जांच के लिए रिकार्ड पेश नहीं किया। इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता है कि सरपंच द्वारा आदेश के बाद भी रिकार्ड जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि सरपंच के विरुद्ध शिकायतें जिला स्तर पर ही प्राप्त हुई हैं अतः सरकारी आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(5) अभी राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट जिला स्तर से प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट के प्राप्त होने एवं आरोप प्रमाणित पाये जाने पर सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने तक सरपंच को निलम्बित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

सरपंच, ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा द्वारा सुरक्षा कोष की राशि में गबन

642. **श्री चेतराम मीणा** (टोडाभीम) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा पंचायत समिति टोडाभीम (सवाई माधोपुर) के वर्ष 1969-70 से 1976-77 आडिट पैरा नम्बर 22 द्वारा यह पाया गया है कि सरपंच ग्राम पंचायत ने सुरक्षा कोष के नाम से रुपया 3964 पांच रसीद बुकों द्वारा इकट्ठा किया है और उसे सुरक्षा कोष में जमा नहीं कराया गया है और न ही पंचायत के लेखों में लिया गया है ?

(2) क्या यह सुरक्षा कोष के नाम

(श्री चेतराम मीणा)

पर जनता के साथ धोखाधड़ी और सरकारी धन के गबन की श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या सरकार सुरक्षा कोष के धन का गबन तथा जनता के साथ धोखाधड़ी का मामला पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज करा कर इसकी तुरन्त जांच कर सरपंच एवं दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलाने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत सांकरवाड़ा पंचायत समिति, टोडाभीम के वर्ष 1969-70 से 1976-77 के आडिट पैरा 22 के अनुसार सरपंच द्वारा सुरक्षा कोष की राशि वसूल करना पाया गया है। राशि कितनी वसूल हुई है आडिट पैरा में अंकित नहीं है। पंचायत में उपलब्ध रसीदों के आधार पर 3522) रु. सरपच द्वारा इकट्ठा करना पाया गया जिसका पंचायत रिकार्ड में जमा होना नहीं पाया गया। जिलाधीश से प्राप्त सूचना के अनुसार मामला यह पाया गया कि उक्त राशि पटवारी द्वारा वसूल होकर उसके द्वारा ही बैंक में जमा कराई।

(2) जी हां। यदि जांच में राशि का गबन होना पाया गया तो दोषी सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। जांच जिलाधीश द्वारा विकास अधिकारी पं. स. टोडाभीम द्वारा कराई जा रही है। जांच पूर्ण होकर अभी तक जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सरपंच ने सरकारी धन का गबन किया है।

(3) जी हां। जांच प्रतिवेदन के अनुसार यदि सरपंच गबन करने का दोषी पाया गया तो सरपंच के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

उरमूल डेयरी बीकानेर के दुग्ध ट्रकर दुर्घटनाग्रस्त

643. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उरमूल डेयरी बीकानेर का दूध से भरा ट्रकर का एक्सीडेंट दिनांक 16 जुलाई, 1980 को तारा नगर के पास हुआ था ? इस घटना में कितना नुकसान हुआ व किसकी गलती से हुआ ?

(2) क्या जिस ट्रकर का एक्सीडेंट हुआ वह वास्तव में ट्रकर नम्बर आर जे. एफ. 3949 था या दूसरा ट्रकर जी. टी. के. 3126 के ऊपर ट्रकर नम्बर आर. जे. एफ, 3949 की नम्बर प्लेट व इन्जन एव चेसिस नम्बर बदल कर लगाया हुआ था ?

(3) क्या यह सही है कि जिस ट्रकर का एक्सीडेंट हुआ था उस पर नम्बर प्लेट जाली लगी हुई थी व दुर्घटनाग्रस्त ट्रकर का हास व ट्राली दोनों भिन्न-भिन्न ट्रकर की थीं ?

(4) क्या यह सही है कि जिस दिन ट्रकर का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन ट्रकर नम्बर जी.टी. के. 3126 सड़क पर चलने के लिये यातायात विभाग की तरफ

(श्री देवीसिंह भाटी)

से अयोग्य था फिर भी उस टैंकर को टैंकर नं. आर. जे. एफ. 3949 की नम्बर प्लेट व इंजन का चेसिस नम्बर की प्लेट लगाकर चलाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। डेयरी विभाग बीकानेर द्वारा नुकसान बाबत सर्वे किया जा रहा है। दुर्घटना संयोगवश हुई। किसी की गलती नहीं पाई गई।

(2) जिस टैंकर का एक्सीडेंट हुआ उसका वास्तविक नं. आर. जे. एफ. 3949 ही था। यह सही नहीं है कि टैंकर न. जी. टी. के. 3126 की बाड़ी पर नं. प्लेट आर. जे. एफ. 3949 लगाई हुई थी।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही है कि दुर्घटना के दिन टैंकर नं. जी. टी. के. 3126 सड़क पर चलने के योग्य नहीं था। परन्तु यह सही नहीं है कि उक्त टैंकर जी. टी. के. 3126 पर आर. जे. एफ. 3949 की नम्बर प्लेट इन्जन व चेसिस नम्बर की प्लेट लगाकर चलाया गया।

ग्राम शिवतलाव (पाली) में हुई हत्या

644. श्री असलम खां (बाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तीन माह पूर्व ग्राम शिवतलाव जिला पाली में कुछ व्यक्तियों द्वारा हरिसिंह व उसके साथी की निर्मम हत्या की गई ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा हत्यारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई व कितने मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया ?

(2) क्या यह भी सही कि ग्राम बिजोवा जिला पाली में कुछ लोगों द्वारा पहले एक जैन महिला की भी निर्मम हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई व किन मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मामले में अभियोग संख्या 60/80 धारा 147, 148, 149, 302 ता०हि० थाना सादडी में पजीबद्ध किया जाकर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में चालान पेश किया गया है। शेष 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी न हो सकने के कारण धारा 299 जा.फौ. के अन्तर्गत चालान प्रस्तुत कर वारंट गिरफ्तारी व कुर्की निकलवाये जा चुके हैं।

(2) इस मामले में अभियोग संख्या 7/81 धारा 302, 460 ता० हि० पुलिस थाना रानी जिला पाली में पंजीबद्ध किया जाकर मुल्जिमान को पतारसी के काफी प्रयत्न किये गये लेकिन मुल्जिमान का पता नहीं चल सका है प्रयास जारी है।

ग्राम पंचायत केशरदेशर जाटान के सरपंच के विरुद्ध जांच

645. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री देवीसिंह भाटी)

(1) क्या ग्राम पंचायत केशर देशर जाटान पंचायत समिति बीकानेर के सरपंच पूरबाराम के खिलाफ राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत जाँच चल रही है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या आरोप है तथा शिकायत किस तिथि को सरकार व जिलाधीश, बीकानेर को पेश की गई है ?

(2) क्या श्री पूरबाराम सरपंच के खिलाफ गबन व फर्जी कार्यवाही करने के गम्भीर आरोप हैं ? यदि हां, तो इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक जांच करा कर उनको निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। सरपंच केशर देशर जाटान के विरुद्ध एक शिकायत पत्र दिनांक 21-6-80 को राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (2) की कार्यवाही हेतु जिला स्तर पर प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई हैं।

सरपंच के विरुद्ध गबन करने पद का दुरुपयोग करने एवं पंचायत की बैठक नियमानुसार नहीं बुलाने के आरोप हैं। शिकायत पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सरपंच के विरुद्ध जांच जिला स्तर पर चल रही है। जब तक जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो जाता एवं सरपंच दोषी नहीं पाए जाते तब तक सरपंच को निलम्बित करने प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(पत्र प्राप्ति के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

मंगल नरसिंह होम बारां

648. श्री मालाराम (खेतड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मंगल नरसिंह होम बारां जिला कोटा में एक्स-रे क्लिनिक है जिसके लिये एक्स-रे प्लेट्स लायी जाती हैं ?

(2) क्लिनिक द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी एक्स-रे प्लेट्स की चुंगी चुकाई गई ?

(3) क्या नगरपालिका बारां में एक्स-रे प्लेट्स की चुंगी न चुकायी जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) क्लिनिक द्वारा गत तीन वर्षों में एक्स-रे प्लेट्स की चुंगी नहीं चुकाई गई।

(3) जी हां। नगरपालिका द्वारा अभी जांच कार्यवाही जारी है।

अन्य राज्यों से आने वाले भार वाहनों को अस्थायी परमिट देना

649. श्री नारायण सिंह (दांता-रामगढ) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में

(श्री नारायण सिंह)

बाहर से आने वाले अन्य राज्यों के भार वाहनों को 7 दिन का टैक्स भरने पर अस्थाई परमिट मिलता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य में निरन्तर बढ़ते हुये भार वाहनों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए अन्य राज्यों के वाहनों से कम से कम एक माह का टैक्स लेकर अस्थायी परमिट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचार कर उचित निर्णय लिया जावेगा।

जिला सीकर में दुग्ध मार्गों को मुख्य सड़कों से जोड़ना

650. **श्री नारायण सिंह** (दांता रामगढ़) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सीकर में डेयरी योजना के विकास के लिये कितने दुग्ध मार्ग मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिये स्वीकृत किये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार माण्डोता से जीण माताजी व कदमा का बास से बिड़ोली तक दुग्ध मार्ग बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में डेयरी विकास योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई दुग्ध मार्ग स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

(2) माण्डोता से जीण माताजी व कदमा का बास से बिड़ोली तक दुग्ध मार्ग बनाने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

मण्डा खूड (सीकर) सड़क निर्माण

651. **श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मण्डा खूड (जिला सीकर) सड़क प्लान में है ? यदि हां, तो इसका कितने किलो मीटर निर्माण हो चुका है तथा बाकी का निर्माण कार्य कब तक पूरा कराया जायगा ?

उत्तर

जी हां।

सड़क की कुल लम्बाई 39 कि. मी. है व वर्तमान स्थिति में 7 कि. मी. डामर (5 कि. मी. खूड की तरफ से व 2 कि. मी. मण्डा की तरफ से), एक किलोमीटर ग्रेवल सड़क बाकी 30 कि.मी. मौसमी (फेयरवेदर) सड़क है व इस बची हुई सड़क का निर्माण अभी धनाभाव के कारण निकट भविष्य में संभव नहीं है।

चित्तौड़गढ़ नगरपालिका की सीमा का विस्तार

652. **श्री शोभराज मल** (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शोभराजमल)

(1) क्या चित्तौड़गढ़ नगरपालिका की सीमा में वृद्धि का प्रकरण काफी समय से विचाराधीन है ?

(2) क्या प्रस्ताव में चंदेरिया तथा सेंती ग्राम का विलीनीकरण सम्मिलित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक सम्पन्न होने की सम्भावना है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जनगणना के कारण सीमा परिवर्तन पर 31.6.81 तक रोक लगी हुई है। तत्पश्चात् आगे की कार्यवाही की जायगी।

ग्राम यूणिधिराजपुरा (लालसोट) में प्याऊ की कोठी का निर्माण

653. **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा) एवं **श्री अनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम पंचायत सेवोसा पंचायत समिति लालसोट के ग्राम यूणिधिराजपुरा (सुकलाव में) अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्याऊ की कोठी बनाने की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो कितने रुपये की स्वीकृति दी गई थी और किसके जिम्मे काम दिया गया था ?

(2) क्या यह कार्य पूर्ण हो गया है ? क्या इस कार्य का भुगतान कर दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कारीगरों एवं मजदूरों को अभी तक पारिश्रमिक नहीं मिला है ? यदि हां, तो कब तक भुगतान की व्यवस्था कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत प्रस्ताव द्वारा प्याऊ की कोठी बनाने हेतु 7000/-रुपये की स्वीकृति दी गई थी तथा यह कार्य पंचायत द्वारा श्री रामेश्वर शर्मा मेट (सुकल व) एवं श्री शिवराम सरपंच संवासा के जिम्मे दिया गया था।

(2) जी नहीं। अपूर्ण है। कराये गये कार्य का भुगतान कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। पंचायत समिति द्वारा किये गये कार्य का पूर्ण भुगतान श्रमिकों को कर दिया गया है।

तहसील सोजत के राहत कार्यों पर लगे मजदूर

654. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत); **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा), **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील सोजत जिला पाली में भयंकर अकाल की स्थिति है ? यदि हां, तो दिनांक 15 फरवरी, 1981 को वहां पर कितने राहत कार्य चालू थे तथा प्रत्येक कार्य पर कितने कितने मजदूर कार्यरत थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 36

(36)

(श्री माधवसिंह दीवान)

(2) क्या यह सही है कि कानावास बांध पर भी कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो कितने मजदूर कार्यरत हैं ? इतने कम मजदूरों को ही राहत कार्य पर लगाने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां पर 500 मजदूर कार्य करने को तैयार है ? यदि हां,तो कब तक लगा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि तहसील सोजत जिला पाली में अकाल की स्थिति है । तहसील सोजत में दिनांक 15 फरवरी, 81 को चल रहे राहत कार्य एवं उन पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां । यह सही हैं कि कानावास बांध पर कार्य चल रहे हैं । वर्तमान में 126 मजदूर कार्यरत हैं । मजदूरों के उपस्थित होने पर कार्य पर लगा दिया जाता है ।

(3) जी नहीं । जितने मजदूर कार्य करने को उपस्थित हुए उन्हें कार्य पर लगा दिया गया है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, छत्तरगढ़

655. **श्री मालू राम लेघा** (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत छत्तरगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, छत्तरगढ़, जिला बीकानेर का प्रस्ताव सहकारी विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु सरकार को भेजा हुआ है ? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

उत्तर

यह सही है कि ग्रामीण उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत छत्तरगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति लि., छत्तरगढ़, जिला बीकानेर का प्रस्ताव सहकारी विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को दिनांक 14-12-80 को भेजा गया था । इसकी स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

नगर परिषद्, अजमेर में निर्माणाधीन कार्यों के विचाराधीन आवेदन-पत्र

656. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद् अजमेर में वर्तमान में यानी दिनांक 11 फरवरी, 1981 को नागरिकों की ओर से कुल कितने प्रार्थना-पत्र निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत आदि की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कब-कब से विचाराधीन है ?

(2) प्रत्येक प्रार्थना-पत्र किस-किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था और उसका निस्तारण दिनांक 11 फरवरी,

(श्री कैलाश मेघवाल)

1981 तक नहीं होने के क्या कारण हैं? कृपया प्रार्थना पत्रानुसार विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) न्यास की किसी योजना में मानचित्र स्वीकृति हेतु दि. 11. 2. 81 तक कोई प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

(2) चूंकि कोई मानचित्र स्वीकृत होना विचाराधीन नहीं है, अत: निस्तारण न होने के कारण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

नगरपालिका, उदयपुर द्वारा विभिन्न मद में किया गया व्यय

657. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगरपालिका ने वर्ष 1977-78, 78-79, 79-80 एवं 80-81 में सड़क निर्माण पर यथा रिकार्पेटिंग, नई सड़कें, पैच वर्क, सीमेंट सड़कों आदि पर कितना व्यय किया तथा कितनी लम्बी चौड़ी सड़क बनायी? प्रत्येक का कितना खर्चा आया? कृपया विवरण प्रस्तुत करें।

(2) वर्ष 1977-78, 78-79, 79-80, 80-81 में कितने रुपये का डामर व सीमेंट क्रय किया गया? कृपया वर्षवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण संलग्न है।

(2) वर्षवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

नगर परिषद्, अजमेर द्वारा किराये पर लिए गए वाहन

658. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, अजमेर में दिनांक 1 अप्रेल 1980 से दिनांक 28 फरवरी, 1981 में नगरपरिषद् के वाहनों के अलावा सफाई करने हेतु कब-कब कितने-कितने वाहन, किस किस रेट पर किराये पर लिये गये?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपरिषद् के वाहनों द्वारा ही सारी सफाई आदि की गयी और किराये पर लिये गये वाहनों ने न तो पूरे ट्रिप किये और न पूरी सफाई का कचरा डाला और उन्हें बोगस पेमेंट किया गया?

(3) इन वाहनों को किराये पर लेने के लिये क्या प्रक्रिया अपनायी गयी? क्या इसके लिये कोई विज्ञापन निकाल कर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये? यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वाहन किराये पर लेने के संबंध में घोटाले की शिकायत

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्राप्त हुई ? यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, तो कब तक करा दी जावेगी ?

(5) क्या नगर परिषद् के स्वास्थ्य अधिकारी ने श्री सीताराम ब्राह्मण को एवं श्री जैन को हरिजन सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्ति दी है ? यदि हां, तो यह नियुक्ति कब से दी गयी और इनसे अभी तक कहां-कहां और किस-किस रूप में कार्य लिया जाता रहा है ?

उत्तर

(1) नगरपरिषद के वाहनों के अलावा एक ट्रक दि० 13–4–80 से 12–5–80 तक प्रति चक्कर 80/–रु. तथा दि० 12–5–80 से 30–6–80 तक एक ट्रक 75/–रु० प्रति चक्कर की रेट पर किराये पर लिये गए। इसमें पैट्रोल मजदूरी भी सम्मिलित थी।

(2) जी नहीं।

(3) वाहनों को लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) श्री सीताराम एवं माणकचन्द जैन को हरिजन कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया परन्तु इनका कार्य हरिजन कर्मचारियों के ऊपर सुपरविजन का था। इन्हें दैनिक वेतन पर नियुक्ति दी गई। श्री सीताराम माह अक्टूबर, 79 से 26–12–80 तक दैनिक वेतन पर कार्यरत रहे व श्री जैन मई, 80 से दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

नगर परिषद्, अजमेर की अधूरी सड़कें

659. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर की सीमा में भारत पैट्रोलियम डिपो के पीछे से चूने के भट्टों की तरफ जाने वाली सड़क का करीब 700-800 गज टुकड़ा कच्चा है ?

(2) क्या यह सही है कि यह सड़क पूर्व में डामर की ही पक्की थी और सन् 1977 में इसकी सतह ऊंची करने हेतु मिट्टी और कंक्रीट डाली गयी थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि मिट्टी व कंक्रीट डालने के बाद इसका निर्माण कार्य अचानक बंद कर दिया और तभी से वह अधूरी पड़ी है ?

(4) अब यह अधूरा कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सड़क कच्ची नहीं है। केवल डामर का कार्य ही बकाया है।

(2) जी हां।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) समय पर डामर उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य बन्द कर दिया गया था।

(4) वांछित डामर उपलब्ध होने पर डामर डलवा दी जावेगी।

नगर परिषद, अजमेर की भूमि पर अतिक्रमण

660. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर, पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर क्षेत्र में मेयो लिंक रोड तथा धोला-भाटा रोड के बीच भूमि खसरा नं. 7256 से 7261 तक स्थित है और इस जमीन पर आने जाने का रास्ता ईसाई मिशन कम्पाउण्ड के पास से गुजरता है जो कि नगर परिषद् द्वारा ही 30 फीट का स्वीकृत है ?

(2) क्या यह भी सही कि इस रास्ते का अतिक्रमण सरदार श्री रंजीतसिंह ने किया था और शिकायतें होने पर उस अतिक्रमण को नगर परिषद् अजमेर के कर्मचारियों ने हटा दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि अब पुनः उस रास्ते पर सरदार श्री रंजीत सिंह ने अतिक्रमण कर अपनी भैंसें बांधना शुरू कर दिया है और शिकायतें करने के बावजूद भी नगर परिषद इस अतिक्रमण को समाप्त करने में असमर्थ है ? इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या सरकार यह अतिक्रमण हटवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, लेकिन ईसाई मिशन कम्पाउण्ड से गुजरता हुआ मार्ग 30 फीट का स्वीकृत नहीं है।

(2) श्री सरदार रंजीत सिंह ने भूमि पर कब्जा किया था जो यहां के निवासियों की शिकायत आने पर हटा दिया गया था।

(3) यह सही है कि पुनः सरदार रंजीतसिंह ने कब्जा कर लिया है। इस संदर्भ में जमीन के मालिक ने परिषद को नोटिस दिया है कि भूमि प्राईवेट है, उस पर सुनवाई की जा रही हैं।

(4) इस संदर्भ में सुनवाई के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

नगर परिषद्, अजमेर की अंगीरा सड़क

661. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् के क्षेत्राधिकार में बिहारी गंज मोहल्ले के पैट्रोल पम्प से जो सड़क अंगीरा नगर जाती है उसकी सामान्य सतह नीची होने से सदैव पानी भरा रहता है ?

(2) क्या इस सड़क को ऊंची करने

Page No 40

(40)

(श्री कैलाश मेघवाल)

की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो इस सड़क का लेवल कब तक ऊंचा कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। इसके लिए सिंचाई विभाग ने बाढ़ नियंत्रण योजना बनाई हैं जो अभी राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

जिला झालावाड़ की पेयजल योजनायें

662. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग), **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) गत वर्ष जिला झालावाड़ में कितनी नई पेयजल योजनायें कौन कौन से स्थानों के लिये मंजूर की गई तथा उनमें कितनी राशि स्वीकृत की गई ?

(2) उन योजनाओं में से कितनी योजनायें चालू हो चुकी हैं और कितनी अभी तक चालू नहीं हुई ? इन योजनाओं को प्रारम्भ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या डग विधान सभा क्षेत्र के पच पहाड़ कस्बे में पेयजल योजना मंजूर हुई है ? यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई है और यह योजना कब तक चालू हो जावेगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में झालावाड़ में 184 योजनाएं स्वीकृत की गई जिन पर 18.50 लाख रु० आवंटित किये/गये सूची संलग्न है।

(2) स्वीकृत योजनाओं में से 97 योजनायें पूर्ण कर दी गई हैं। बोरिंग हेतु रिग्स उपलब्ध न होना, पूर्ण राशि उपलब्ध न होना इत्यादि योजनाओं के अपूर्ण होने के मुख्य कारण हैं। कुछ परम्परागत स्रोत योजनाओं को सरपंचों द्वारा मना कर दिये जाने के कारण नहीं किया जा सका है।

(3) पच पहाड़ कस्बे में पेयजल व्यवस्था भवानीमण्डी नगर में पहले से ही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

ग्राम मून्दड़ा में पेयजल व्यवस्था

663. **श्री रामधन** (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ तहसील के ग्राम मून्दड़ा के सार्वजनिक कुएं की विद्युत मोटर एक माह से यांत्रिक खराबी के कारण बन्द है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम मून्दड़ा की आबादी लगभग 3000 है और वहां पर पेयजल का कोई प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो सरकार पेयजल की क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) ग्राम में पेयजल मात्रा में वृद्धि हेतु एक और सार्वजनिक कुए पर पम्प सेट लगाया गया था जिसमें टेस्टिंग करते समय समय खराबी हो गई थी। मगर दूसरे कुएं से जल वितरण किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। पेयजल व्यवस्था वर्ष 78— 9 से ही एक खुले कुएं से की जा रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार ग्राम मून्दडा की जनसंख्या 1120 है। ग्राम की पेयजल व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से एक और खुला कुआ निकट भविष्य में चालू किया जा रहा है।

तहसील जैतारण की पेयजल योजनाएं

664. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील जैतारण जिला पाली के किन ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील जैतारण के किन किन ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) तहसील जैतारण के जिन गांवों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है, उनमें से कौन कौन से गांवों में सन् 1981-82 में किस किस प्रकार से पेयजल व्यवस्था किये जाने की योजना है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) तहसील जैतारण के शेष गांवों में पेयजल की व्यवस्था कब तक करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) अपेक्षित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अपेक्षित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1981-82 में ली जाने वाली सम्भावित जल प्रदाय योजनाओं की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) राज्य सरकार के घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल व्यवस्था छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तथा प्रत्येक ग्राम में वर्तमान दशक के अन्त तक करने का प्रस्ताव है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

उदयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के विकास कार्य

665. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या नगर विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) उदयपुर नगर की विभिन्न कच्ची बस्तियों के विकास हेतु वर्ष 1977-78,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

78-79, 80-81 में कितनी धनराशि सरकार ने उदयपुर नगर विकास न्यास को दी है ?

(2) उक्त राशि में से अब तक कितनी व्यय हो चुकी है एवं कितनी बाकी है ?

(3) क्या सरकार उक्त रकम को तुरन्त व्यय कर पूर्ण उपयोग कर पायेगी ?

उत्तर

(1) 38, 89, 633. 00

(2) 17, 04, 198.81

(3) 9 लाख रुपये के निर्माण कार्य चल रहे हैं। 1,95,000.00 रु. जलदाय विभाग को कच्ची बस्तियों में हैन्ड पम्प लगाने हेतु दिए जा रहे हैं और बाकी के प्रावधान यथाशीघ्र उपयोग किए जावेंगे।

ग्राम नवलगढ़ ढाणियां (झुन्झुनूं) में पेयजल व्यवस्था

666. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनूं के ग्राम नवलगढ़ ढाणियां में जल प्रदाय योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब से तथा उसके लिये कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है तथा दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक उस पर कितनी राशि किन किन कार्यों पर व्यय की जा चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि जिस कुएं पर जल प्रदाय योजना का काम चालू है वह सार्वजनिक कुआं है ?

(3) जिस कुएं पर जल प्रदाय योजना का कार्य चल रहा है उस पर पंचायत समिति नवलगढ़ द्वारा कब कब कितनी कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गयी है ?

(4) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा इस कुएं का सार्वजनिक होना सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय अधिकारियों से जानकारी चाही गयी है ? यदि हां, तो इन अधिकारियों द्वारा किस किस प्रकार की क्या क्या जानकारी दी गई ? कृपया उन अधिकारियों द्वारा प्रदत्त सूचना की प्रतियां सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या सरकार इस कुएं पर विभाग व पंचायत समिति की इतनी राशि व्यय करने के बाद भी अन्य कुएं पर इस योजना को प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। योजना पर कार्य वर्ष 1979–80 से प्रगतिरत है व अब तक कुल 1.75 लाख रुपये का प्रावंटन किया जा चुका है। दिनांक 1–2–81 तक विभिन्न कार्यों पर किया व्यय निम्न प्रकार है :—

(जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1. उच्च जलाशय	95,725.00 रु.
2. पाइप लाइन	74,000.00 रु.
3. बोरिंग कार्य	6,000.00 रु.
	1,75,000,00 रु.

(2) ग्रामवासी इसे सार्वजनिक कुआ बताते हैं व कुएं पर मलकियत बाबत मामला अदालत में विचाराधीन है।

(3) पंचायत समिति द्वारा 2900/— रु. व्यय किये जाने का अप्रमाणित तथ्य प्रस्तुत किया गया है।

(4) जी हां। सम्बन्धित उप जिलाधीश ने नवोड़ा वाले कुए को सार्वजनिक बताया है। आदेश की प्रति संलग्न है।

(5) जी हां। चूंकि मलकियत बाबत मामला अदालत में चल रहा है अत: योजना को चालू करने की दृष्टि से अन्य सार्वजनिक कुएं में बोरिंग कार्य करवा कर योजना को चालू करने का प्रस्ताव है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

हाउसिंग बोर्ड द्वारा जनता कॉलोनी अजमेर में निर्मित भवन

667. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल द्वारा अजमेर में आनासागर सक्यूंलर रोड कॉलोनी (जनता कॉलोनी) का निर्माण अभी हाल ही में हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कालोनी के मकानों की छतें अभी से टपकने लगी हैं और गटर लाइन भी टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या उनकी मरम्मत शीघ्र कराने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आवासन बोर्ड द्वारा अजमेर में आनासागर सक्यूंलर रोड कालोनी का निर्माण कुछ मकानों 3 साल पहले हुआ था, तथा उनका आवंटन भी कर दिया गया है, तथा अभी कुछ मकान निर्माणाधीन हैं।

(2) विभाग में इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसमें जांच की जा रही है, और जांच की जा रही है, और जांच के फलस्वरूप आवश्यक व्यवस्था की जावेगी।

सीकर में बीजों पर चुंगी

668. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में बीजों पर चुंगी है ? यदि है, तो किस दर से ?

(2) राज्य के कौन-कौन से जिलों में बीजों पर चुंगी माफ है ?

(3) क्या जिला सीकर में बीजों पर चुंगी ली जाती है ?

(श्री धनश्याम तिवाड़ी)

(4) यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में राज्य बीज निगम द्वारा आयातीत बीज जो केवल बीज के काम में आते हैं, पर कोई चुंगी कर नहीं है।

(2) प्रश्न के भाग एक में उत्तर दे दिया गया है।

(5) जी नहीं। मद सं. 1 में वर्णित बीजों पर चुंगी नहीं ली जाती।

(4) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

खनिज आधारित उद्योग के विकास का कार्यक्रम

669. **श्री माधय सिंह दीवान** (सोजत) **श्री मान सिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) एवं **श्री राम सिंह विश्नोई** (लूणी : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूना प्रधान खनिज है या अप्रधान खनिज ?

(2) क्या चूना दोनों ही प्रकार की खनिज सम्पदा में दर्ज है ? यदि हां, तो कौन-कौनसा चूना प्रधान खनिज में शामिल है तथा कौन सा चूना अप्रधान खनिज में सम्मिलित किया गया है ?

(3) खनिज आधारित उद्योग के विकास के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

(4) यदि खनिज आधारित उद्योग लगाया जाय और यदि उसे पट्टाधारी कच्चा माल नहीं देता है तो सरकार ऐसे उद्योगों को किस तरह संरक्षण प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) चूना कोई खनिज नहीं है. किन्तु चूने का पत्थर गुणानुसार प्रधान एवं अप्रधान दोनों खनिज श्रेणियों में आता है।

(2) जी हां। सीमेन्ट बनाने के उपयुक्त चूने का पत्थर प्रधान खनिज की श्रेणी में आता है और इसके अतिरिक्त अन्य चूने का पत्थर अप्रधान खनिज की श्रेणी में आता है जो इमारती पत्थर, चूना बनाने, चिप्स बनाने, चुनाई पत्थर, मिट्टी एवं खण्डा बनाने आदि कार्यों में उपयोग में लाया जाता है।

(3) खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिये सरकार सभी संभव उपाय करती है। जिन खनिज भंडारों पर आधारित उद्योग की स्थापना की सम्भावना होती है, उनका खनन पट्टा देते समय यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि खनिज आधारित उद्योग की स्थापना राज्य में हो सके तथा आवश्यक होता है तो इस प्रकार की विशेष शर्त खनन पट्टे में लगा दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति खनिज आधारित उद्योग लगाने के लिये खनन पट्टा प्राप्त करना चाहता है तो उसे अन्य आवेदकों की

(खनिज मंत्री)

तुलना में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। राज्य में खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिये राज्य खनिज विकास निगम का गठन भी किया गया है। इस निगम द्वारा कई खनिजों पर उद्योगों की स्थापना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक अध्ययन कराया गया है। खनिज विभाग निजी पट्टाधारियों को उनके क्षेत्र में उपलब्ध खनिज भंडार का मूल्यांकन करने के लिये अपनी तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है, जिससे उस क्षेत्र में उद्योग के विकास में सहायता मिलती है। खनिज उद्यमियों को प्रयोगशाला की सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध की जाती है।

इस प्रकार की स्थिति साधारणत: उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि खनिज आधारित उद्योग लगाने वाले स्वयं खनन पट्टा प्राप्त करके ही उद्योग लगाते हैं। इसके अतिरिक्त एक ही प्रकार के खनिज के लिये कई पट्टाधारी होते हैं जिनसे उद्यमी अपनी सुविधा एवं आपसी तालमेल के अनुसार कच्चा माल क्रय कर सकता है। इसके अलावा यदि कोई क्षेत्र उस खनिज का उपलब्ध हो तो उसके लिये नियमानुसार खनन पट्टा प्राप्त कर सकता है।

चुंगी की दरों में एकरूपता

670. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के प्रमुख नगर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर एवं अजमेर में नगर परिषद् द्वारा ली जाने वाली चुंगी की किस किस वस्तु पर क्या दरें किस किस रूप में ली जाती हैं ? कृपया प्रत्येक नगर पालिका की वस्तुवार तालिका सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या सरकार चुंगी की दरों में असमानता को मिटा कर चुंगी वसूल करने का सामान्य फार्मूला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपरिषदों द्वारा चुंगी कर की दरों का विवरण, जो प्राप्त हुआ है, सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। यह अभी परीक्षणाधीन है।

(दरों का विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ से नई बसें चलाना

671. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रतापगढ़ से कहां-कहां नयी बसें चलाने का सरकार विचार रखती है ? वर्तमान में कहां-कहां की बसें प्रतापगढ़ होकर गुजरती हैं ?

(श्री नन्द लाल मीणा)

(2) सड़क मार्गों के राष्ट्रीयकरण के लम्बित विचाराधीन मामले सरकार द्वारा कब तक निर्णित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ से जिन मार्गों पर नयी बसें चलाने का विचार है वे निम्नलिखित हैं :—

1. प्रतापगढ़ से कोटा वाया छोटी सादड़ी, नीमच, रामपुरा, चम्बल डेम, रावतभाटा

2. प्रतापगढ़ से कोटा वाया मन्दसौर श्यामगढ़, भानपुरा,

3. प्रतापगढ़ से पीपलिया रेलवे स्टेशन, वाया अम्बा माता, धमोतर, अमलावदा, लाल पुर, कगेटी, खोखला

4. प्रतापगढ़ से पीपलिया वाया गोरधन पुरा, टोड़ारसी, वर मडल, डावला, गादोला, पान मोड़, रठड़ना, लालपुरा

5. प्रतापगढ़ से मन्दसौर वाया वसाड, वर मंडल, डावना, धरधोडी, मंलतानपुरा

6. प्रतापगढ़ से इन्दौर वाया अरनोद, दलोट, नीनोर, पीपलोदा, सेलाना, रतलाम

7. प्रतापगढ़ से उमरिया, वाया अमलावदा, साकरिया, गादोला, पीलू

राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में बीच जिन मार्गों पर बसें चलाने का विचार है उन पर पारस्परिक समझौते के आधार पर निर्णय लिया जावेगा। पारस्परिक समझौते हेतु मध्य प्रदेश सरकार के यातायात अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श आगामी बैठक में किया जावेगा।

वर्तमान में प्रतापगढ़ होकर जिन जिन स्थानों की बसें गुजरती हैं वे निम्नलिखित हैं :—

1. चित्तौड़गढ़ से अरनोद वाया निम्बाहेड़ा, नीमच, प्रतापगढ़।

2. चित्तौड़गढ़ से बांसवाड़ा वाया निम्बाहेड़ा प्रतापगढ़

3. चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ वाया निम्बाहेड़ा

4. बड़ी सादडी से अरनोद वाया देवगढ़, प्रतापगढ़

5. प्रतापगढ़ से सागवाड़ा वाया देवगढ़ धरियावद

6. प्रतापगढ़ से मन्दसौर वाया राजपुरिया

7. प्रतापगढ़ से दलोट वाया खारोट, अरनोद

8. प्रतापगढ़ से नीमच वाया पानमोडीजीरन

9. प्रतापगढ़ से बड़िया वाया गादोला रठजना

10. प्रतापगढ़ से पीपलोदा वाया अरनोद, दलोट

(यातायात मंत्री)

11. प्रतापगढ़ से बोरदिया, वाया गन्देर, दलोट ।

12. प्रतापगढ़ से बड़ी सादड़ी, अरनोद दलोट, सालमगढ़

13. प्रतापगढ़ से नीनोर वाया खेरोट, नौगावां, दलोट

14. प्रतापगढ़ से रतलाम वाया अरनोद दलोट, सालमगढ़

15. प्रतापगढ़ से दानपुर वाया खरोट, अरनोदा, सालमगढ़

16. दलोट से बडिया वाया बरखेड़ी, मोहेडा, चूपना, मोगामा, अरनोद, प्रतापगढ़, धामीना, पानमोडी, रठजना, बडिया ।

17. जयपुर बांसवाड़ा वाया प्रतापगढ़ ।

18. चित्तौड़गढ़ से रतलाम वाया प्रतापगढ़ ।

(2) यह सड़क मार्गों के राष्ट्रीयकरण हेतु निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में लगने वाले समय पर निर्भर करता है ।

जिला सीकर में जल प्रदाय योजनाओं के तहत चयनित ग्राम

672. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1982-83 में जिला सीकर के कितने ग्रामों को जलदाय योजनाओं के लिये चयनित किया गया है ?

(2) श्री माधोपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने ग्रामों को चयनित किया गया है ?

(3) चालू पंचवर्षीय योजना में श्री माधोपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के कितने ग्रामों को जलदाय योजना में स्वीकृत कर सुविधायें प्रदान करदी जायेंगी ?

उत्तर

(1) प्रश्न सम्भवत स्वीकृति हेतु प्रस्तावित ग्रामों से सम्बन्धित है । वर्तमान में 82-83 के ग्रामों का कोई चयन नहीं किया है ।

(2) उपरोक्तानुसार ।

(3) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्री माधोपुर तहसील के सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य राज्य सरकार रखती है ।

जिला चित्तौड़गढ़ के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

673. श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में कितने गांव ऐसे हैं जहां पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है ? वर्तमान में किस-किस तहसील में कितने ऐसे गांव हैं जो नदी नालों का पानी

(श्री नन्दलाल मीणा)

पीते हैं ? कृपया तहसीलवार गांवों की सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) सरकार इन गांवों मे से वर्ष 1980-81 में कितने गांवों को शुद्ध पानी की व्यवस्था करने की स्थिति में है ?

(3) सरकार की नीति के अनुसार जिले के समस्याग्रस्त समस्त गांवों को कब तक पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के कुल 2123 ग्रामों में से राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 1981 तक 209 ग्रामों में समुचित पेयजल व्यवस्था करा दी गई है । ग्राम जहां ग्रामवासी नदी नालों का पानी पीते है के सम्बन्ध में विभाग के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, परन्तु जिले में 631 कुल समस्याग्रस्त ग्राम हैं ।

(2) वर्ष 1980-81 में 70 ग्रामों को पेयजल योजनाओं से लाभान्वित करने का लक्ष्य है ।

(3) विभागीय सर्वेक्षण के अनुसार 631 समस्याग्रस्त ग्राम हैं व सभी समस्या ग्रस्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य छठी पंचवर्षीय योजनाकाल में है ।

तहसील रामगंजमंडी में कानून व व्यवस्था की असामान्य स्थिति

674. श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की रामगंज मण्डी तहसील में फरवरी के अंतिम सप्ताह में जनगणना करते हुए एक प्रगणक को चेचट के पास लूट लिया गया व उससे कपड़े तक उतरवा लिये ?

(2) क्या समस्त प्रगणकों ने अपनी सुरक्षा और इस पर उचित कार्यवाही करने के लिये जिलाधीश को ज्ञापन दिया है ?

(3) सरकार ने इस पर क्या ठोस कार्यवाही की ?

(4) क्या चेचट क्षेत्र में इस प्रकार की घटनायें, हत्यायें, डकैतियां होती आई हैं ?

(5) शान्ति व्यवस्था के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) घटना के सम्बन्ध में अभियोग संख्या 11/81 धारा 382 ता. हि. थाना चेचट पर पंजीबद्ध कर अभियुक्तों का पता लगाया जा रहा है ।

(4) जी नहीं ।

(5) पुलिस द्वारा इन क्षेत्रों में निरन्तर गश्त जारी है ।

लघु उद्योग इकाइयों के पंजीकरण का लक्ष्य

675. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्या) एवं

श्री बाल चन्द आर्य वीर (डग) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1980-81 में 11,000 लघु उद्योग इकाइयां पंजीकरण करने का लक्ष्य था ? यदि हां, तो कितनी इकाइयां पंजीकृत की जा चुकी हैं ?

(2) क्या सरकार ने अपना लक्ष्य पूर्ण कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में 11600 लघु उद्योग इकाइयों को स्थाई पंजीकृत करने का लक्ष्य है। फरवरी, 81 तक कुल 6445 इकाइयों का स्थाई पंजीयन किया गया है। तथा 18404 इकाइयों का अस्थाइ पंजीयन।

(2) लक्ष्य पूर्ण करने की सूचना वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 81 को समाप्त होने के पश्चात् सूचनायें एकत्रित किये जाने के बाद ही दिया जाना संभव हो सकेगा।

ग्राम बनास (सिरोही) में सीमेन्ट फैक्ट्री हेतु अवाप्त भूमि

676. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा),

श्री बालचन्द आर्य वीर (डग) एवं

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम बनास जिला सिरोही में सीमेंट फैक्ट्री हेतु जे. के. ग्रुपवालों के लिये आवासीय भूमि अवाप्त की जा रही है ? यदि हां, तो क्या पक्के मकानात भी अवाप्त किये जा रहे हैं ?

(2) भूमि अवाप्ति के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं और मुआवजा किस आधार पर निर्धारित किया जा रहा है ?

(3) क्या सरकार कम्पनी से मकानों के बदले मकान दिलवाने की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) कम्पनी द्वारा सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना के लिये भूमि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अवाप्ति हेतु राज्य सरकार और कम्पनी के मध्य, राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 41 के अनुसरण में अनुबन्ध निष्पादित किया गया, जिसके मुख्य तत्वों के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। मुआवजा राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

(3) राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि एवं मकानों के लिये केवल मुआवजा देय है। मकान बना कर देने का अधिनियम में प्रावधान नहीं होने के कारण मकान के बदले मकान बनवा कर देने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पुलिस स्टेशन नाथद्वारा

677. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है। कि नाथद्वारा पुलिस स्टेशन में सन् 1979-80, 1980-81 में रजिस्टर्ड केसेज में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई ?

(2) यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) व (2) जी नहीं। पुलिस स्टेशन नाथद्वारामें वर्ष 1979–80 में 140 पंजीबद्ध अभियोगों में से 87 अभियोगो में अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं। तथा वर्ष 1980–81 में 160 पंजीबद्ध अभियोगों में से 108 मामलों मे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

बीड़ी विक्रय से प्राप्त बिक्री कर

678. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीड़ी के विक्रय पर बिक्री कर की वसूली होती है ? यदि हां, तो किस दर पर ?

(2) दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक अजमेर नगर परिषद् सीमा में कारखानों के मालिकों एवं उनके एजेन्टों एवं उनके थोक एवं फुटकर बेचने वाले एजेन्टों से बीड़ी विक्रय से कितनी-कितनी बिक्रीकर की राशि किस किस कारखानेदार से प्राप्त हुई है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

पुलिस कर्मचारियों को परिवहन भत्ता

679. श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पुलिस विभाग के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता दिये जाने की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो किस किस श्रेणी के कर्मचारियों को कितनी कितनी राशि देय है ?

(2) क्या परिवहन भत्ता गुप्तचर शाखा (अपराध एवं विशेष) एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कर्मचारियों को भी दिये जाने की व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो यह भेद क्यों रखा गया है ?

(3) क्या इस परिवहन भत्ते की वर्तमान राशि पर्याप्त है ?

(4) यह राशि कब से चालू की गई और क्या उसके पश्चात् इसमें कमी वृद्धि भी की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस विभाग के थाने एवं चौकियों में कार्यरत कांस्टेबल स्तर

(गृह मंत्री)

से निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता दिये जाने की व्यवस्था है। पूर्ण विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। परिवहन भत्ता गुप्तचर शाखा (अपराध एवं विशेष) एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के कर्मचारियों को दिये जाने की व्यवस्था नहीं की गई है। यह भेद विभिन्न शाखाओं में कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी को ध्यान में रख कर किया गया है।

(3) जी हां।

(4) पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जिला सीकर में विद्युतीकृत नये ग्राम

680. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1980 से अब तक राज्य में कितने नये गांवों का विद्युतीकरण किया गया ?

(2) प्रत्येक जिले में इनकी संख्या कितनी-कितनी है ?

(3) सीकर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने नये गांवों को विद्युतीकृत किया गया तथा कितने कुओं पर कनेक्शन दिये गये ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1980 से माह जनवरी 1981 के अन्त तक राज्य में 775 नये गांवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(2) वर्ष 1980-81 में माह जनवरी 1981 के अन्त तक विद्युतीकृत ग्रामों का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०सं०	जिले का नाम	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	14
2.	अलवर	22
3.	बांसवाड़ा	—
4.	बाड़मेर	—
5.	बीकानेर	32
6.	भरतपुर	90
7.	भीलवाड़ा	126
8.	बून्दी	140
9.	चूरू	140
10.	चित्तौड़गढ़	11
11.	डूंगरपुर	8
12.	जैसलमेर	4
13.	जयपुर	96

बसों में प्राथमिक उपचार हेतु प्रावधानित राशि का उपयोग

681. **श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No 52

(52)

(श्रीमती विद्या पाठक)

क्या यह सही है कि बसों में प्राथमिक उपचार के निमित्त निश्चित धनराशि का प्रावधान बजट में किया जाता है ? यदि हां, तो क्या वर्ष 1980-81 में यह धनराशि रखी गयी थी ? क्या उस धनराशि का समुचित उपयोग किया जा चुका है ?

उत्तर

जी हां । परिवहन निगम द्वारा वर्ष 1980-81 में प्राथमिक उपचार हेतु 33,000.00 रुपये का प्रावधान बजट में किया गया था ।

बजट के आधार पर प्राथमिक उपचार मंजूषा एवं रिफिल्स खरीदने हेतु निविदा प्रसारित कर दिये गये हैं और निकट भविष्य में खरीद के आदेश जारी किये जावेंगे ।

नाथद्वारा के विकास की योजना

682. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या कृषि (विशिष्ठ योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत नाथद्वारा के विकास की योजना को सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो कृपया योजना की रूपरेखा सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) एकीकृत शहरी विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नाथद्वारा शहर को योजना स्वीकृत की गई । इस योजना का विवरण संलग्न है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 मार्च, 1981)

जिला बांसवाड़ा के कुओं के लिए प्रदत्त ऋण व अनुदान

413. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बांसवाड़ा में कितने कुएं सिंचाई योग्य हैं और कितने कुए ऐसे है जिनसे सिंचाई नहीं होती है ? अधूरे कुओं को पूरा करने की सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि जन जाति विकास विभाग द्वारा कुओं के लिये अनुदान व ऋण उपलब्ध कराया जाता है ? यदि हां, तो जिला बांसवाड़ा में कितने काश्तकारों को सुविधा दी गयी और जो वंचित हैं उनके लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में 8895 कुएं सिंचाई योग्य हैं जिनसे सिंचाई हो रही है । 6370 कुएं पड़त हैं । अधूरे कुओं को, जिनमें ब्लास्टिंग सम्भव है, गहरा कराये जाने की योजना है ।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा नये कुएं के लिये ऋण नहीं दिया जाता है परन्तु पुराने कुओं को ब्लास्टिंग द्वारा गहरा करने हेतु 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 1979-80 में 50000 और 80-81 में 67000 राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 75000 भूजल विभाग को हस्तानान्तरित की गई। भूजल विभाग द्वारा 161 आदिवासियों के कुओं को गहरा कराया गया है। जिसमें 54000 राशि व्यय की गई। ब्लास्टिंग का कार्य अब भी चालू है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25 मार्च, 1981)

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर की गई पदोन्नतियां

480. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28 फरवरी, 1981 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में अधिशासी अभियन्ताओं के सिविल श्रेणी में 13 रिक्त पदों के विरुद्ध 11, एवं यान्त्रिक श्रेणी में 4 रिक्त पदों के विरुद्ध 6 पदोन्नतियां की गई ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कितने कितने रिक्त पदों के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ताओं की कितनी कितनी पदोन्नतियां की गई ? कृपया श्रेणी-वार (सिविल एवं यान्त्रिक) विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यान्त्रिक श्रेणी से सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची का कोई विवाद है ? यदि हां, तो क्या एवं किस किस के बीच ? क्या यांत्रिक के सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची सही करने के हेतु जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को विधि विभाग अथवा कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो क्या एवं कब ? कृपया निर्देशों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यांत्रिक सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता के विवाद के कारण विभाग को किन्हीं यांत्रिक सहायक अभियन्ता की वरिष्ठता/पदोन्नति के विषय में स्थगन आदेश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कृपया स्थगन आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें। क्या यह भी सही है कि यांत्रिक सहायक अभियन्ताओं में वरिष्ठता सम्बन्धी विवाद होने एवं विभाग को स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के बावजूद भी विभाग द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 1981 को यांत्रिक श्रेणी में अधिशासी अभियन्ता के 4 उपलब्ध रिक्त पदों के स्थान पर 6 पदोन्नतियां यांत्रिक के दोनों विवादग्रस्त सहायक अभियन्ताओं को शामिल करते हुए की गई हैं ताकि विभाग द्वारा यांत्रिक सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूची सही करने के बजाय वरिष्ठता के कथित विवाद को रफा दफा किया जा सके ?

(4) क्या जन स्वास्थ्य विभाग में दिनांक 28 फरवरी, 1981 को अधिशासी अभियन्ताओं के पदों पर की गई पदोन्नति का मामला सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग (डी० ओ० पी०) द्वारा पुनर्विचार/

(श्री यदुनाथ सिंह)
वैधिक सम्मति हेतु मंगाया गया ? यदि हां, तो कब एवं किसके निदेश से ? क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की रिवाइज्ड सहमति जनस्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुई है एवं विभाग द्वारा उक्त सहमति को क्रियान्वित कर दिनांक 28 फरवरी, 1981 को जारी पदोन्नति आदेशों में संशोधन करने का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ।

उत्तर

(1) जी नहीं । पिछली पदोन्नतियों के बाद से विभाग में सिविल अधिशासी अभियन्ताओं के 11 रिक्त पद एवं यांत्रिक अधिशासी अभियन्ताओं में 6 रिक्त पदों के विरुद्ध 11 सहायक अभियन्ता सिविल एवं 6 सहायक अभियन्ता यांत्रिक की पदोन्नति अधिशासी अभियन्ता के पद पर की गई है । सूची संलग्न है ।

(2) जी हां । सहायक अभियन्ता यांत्रिक की वरिष्ठता सूची के विरुद्ध निम्न विवाद चल रहे हैं :

सर्व श्री	बनाम सर्व श्री
एच० रहमान	एस० सी० मित्तल
गोकुलसिंह	एस० के० कालरा
एच० के० धनकानी	टी० आर० सिंघल
	वी० पी० आचार्य
	एस० के० धवन
	के० डी० खीची
	एस० एस० लोढ़िया
	आर० पी० भटनागर
	एन० एम० मंगलानी
श्री एन० एम० मंगलानी	श्री एस० सी० मित्तल के अतिरिक्त उपर्युक्त सभी एव आर. सी. गोयल, एच. रहमान, गोकुल सिंह एवं एच० के० धनकानी ।
श्री ए० एन० तनेजा	श्री आर० सी० गोयल श्री एच० रहमान श्री गोकुलसिंह श्री एच० के० धनकानी
श्री अर्जुन देव	श्री ए० एन० तनेजा

जी नहीं । जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा अथवा विधि विभाग द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं ।

(3) जी हां । स्थगन आदेश जो प्राप्त हुए हैं उनकी प्रति संलग्न है । जी नहीं । विभाग द्वारा पिछली पदोन्नतियों के बाद से अधिशासी अभियन्ता के 6 उपलब्ध रिक्त पदों के स्थान पर 6 पदोन्नतियों की गई हैं तथा यह भी ध्यान रखा गया है कि माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेशों की पूर्ति हो सके इसलिये किया है न कि मामला रफादफा करने की दृष्टि से ।

(4) जी हां । माननीय राज्य मंत्री महोदय के निर्देशों से दिनांक 2.3.81 द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के सचिव को पुनर्विचार एवं सम्मति देने का निर्देश हुआ है । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपनी राय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रशासनिक विभाग को भेज दी है जो विचाराधीन है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

श्रद्धांजलि

भूतपूर्व सदस्य श्री भोगीलाल पण्ड्या को श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। श्री भोगीलाल पण्ड्या के निधन पर शोकाभिव्यक्ति।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण कर, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा (मंत्री संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, राजस्थान के वयोवृद्ध नेता, स्वर्गीय श्री भोगीलाल जी पण्ड्या का परसों निधन हो गया।

भोगीलाल जी पण्ड्या स्वतन्त्रता संग्राम से बराबर सार्वजनिक क्षेत्र में अपने क्षेत्र का ही नहीं, सारे राजस्थान का नेतृत्व करते रहे। पण्ड्याजी का डूंगरपुर-बांसवाड़ा से तो सम्बन्ध रहा ही, आदिवासी क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेवायें दीं। प्रजामण्डल के वक्त से देशी रियासतों के समय आजादी का संग्राम, राजस्थान में प्रारम्भ करने वालों में से वह एक प्रमुख व्यक्ति थे। आज वे हमारे बीच नहीं रहे।

पण्ड्याजी ने अपनी सेवायें जहां स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के रूप में दीं, वहीं आजादी के बाद भी इस देश के अन्दर एक मन्त्री के रूप में, संयुक्त राजस्थान बना था वहां पर मंत्री के रूप में और राजस्थान बनने के बाद राजस्थान के भी एक मन्त्री के रूप में, विधान सभा के अन्दर सदस्य के रूप में अविस्मरणीय रहेंगी, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते, पण्ड्याजी का अभाव हमें खटकता है।

राजस्थान के लोगों की सेवा तो उन्होंने की ही, खास तौर से आदिवासी क्षेत्र में, आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना कर अपने जीवन के अन्तिम समय तक आदिवासियों की सेवा में लगे रहे। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के वे अध्यक्ष रहे। वे वास्तव में ऐसे नेता थे जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें लेनी है, वास्तव में पण्ड्या जी को श्रद्धान्जलि वही होगी कि परमात्मा हमें यह शक्ति दे कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और उन्होंने जिस रूप में गांधीवादी नेता के रूप में, राजनीतिक नेता के रूप में, प्रान्त की सेवा की है, हम सेवा को, उन कार्यों को करने के अन्दर सफल हों सकें।

मैं अपनी ओर से और अपने दल कांग्रेस की ओर से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि शोक सन्तप्त परिवार को वे इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और स्वर्गीय आत्मा को शांति दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भोगीलालजी पण्ड्या परसों इस असार संसार से विदा हो गये।

माणिक्यलाल वर्मा के निधन के पश्चात् आदिवासी क्षेत्रों में उस समाज के प्रति रुचि रख कर उसकी सेवा का बीड़ा जिन्होंने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

उठाया था, माणिक्यलाल वर्मा के समकक्ष भोगीलाल पण्ड्या थे। अपने सारे जीवन में जहां राजनीतिक रूप में वे कार्य करते रहे, सन् 1952 से 57 तक विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री हीरालाल देवपुरा : 62 तक।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 62 तक।

वहीं उस राजनीतिक जीवन के साथ संरचना और आदिम जाति सेवा संघ की स्थापना के वनवासी लोगों की समस्याओं के लिये जूझना, जब तक उन की शक्ति रही, मनसा-वाचा-कर्मणा: इन तीनों दृष्टियों से राजस्थान की विशेषकर जनजाति के लोगों की सेवा की, उस कारण से एक ऐसा प्रदीप सारे राजस्थान से उठ गया है कि जिसकी कमी की पूर्ति करने के लिये शायद बहुत बड़ा समय आगे लगेगा।

मैं स्वयं की ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि दिवगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री भोगीलाल पण्ड्या हमारे राजस्थान के स्वतन्त्रता सेनानियों में अग्रिम पंक्ति में थे। उनका जीवन कई मायनों में आदर्श जीवन कहा जा सकता है। उनका जीवन समर्पित जीवन था। समर्पित था समाज के उन पिछड़े हुए वर्गों को उठाने में उन उपेक्षित शोषित, पीड़ित वर्गों को थोड़ा सा प्रकाश दिलाने में थोड़ी सी राहत दिलाने में कि जो सदियों से शोषण और अनगिनत पीड़ाओं के शिकार रहे।

सबसे पहली बात तो मेरे विचार में इस समय आती है वह यह है कि पण्ड्याजी की कथनी और करनी में अन्तर बहुत कम था अगर था तो, दूसरी बात जो उभर कर आती है वह है, जैसा कि जार्ज बर्नार्ड शा ने एक दफा कहा था कि हम जेन्टिलमेन की परिभाषा क्या करें, हम सज्जन किसे कहें, जार्ज बर्नार्ड शा के अनुसार जो समाज को अधिक देता है और उससे कम लेता है। जितना समाज से पाता है, उससे अधिक समाज को देता है। बर्नार्ड शा के शब्दों में वे जेन्टिलमेन या सज्जन कहलाये जाते हैं। इस अर्थ में पण्ड्या जी सच्चे मायने में एक सज्जन थे, एक समाज सेवी थे। उनका जीवन एक ओर जहां पद दलित लोगों को उठाने में लगा, दूसरी ओर सामन्तवाद से, शोषण से जूझने में भी हम नहीं भूल सकते कितनी यातनायें उन्होंने सहीं। इसलिये आज हम जहां एक ओर यह प्रार्थना करते हैं उनके, यह असार संसार है, अन्त में सिधारने पर, वैसे तो सबको आगे पीछे जाना है किन्तु यह निश्चित बात है कि जहां हम एक ओर प्रार्थना करते हैं कि पण्ड्याजी की दिवंगत आत्मा को चिर-शान्ति मिले, उनके कुटम्ब और परिवार के, प्रियजनों को, मित्रों को, ईश्वर धैर्य प्रदान करे, इस बिछोह को सहन करने की क्षमता दे इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, वहीं सबसे बड़ी प्रार्थना यह भी कर सकते हैं ईश्वर से वह यह है, जो चरित्र पण्ड्याजी का था, उनके चरित्र से हम पर्याप्त प्रेरणा लें।

(श्री राजबहादुर)

केवल बड़े लोगों का अच्छे लोगों को श्रद्धाजली देना पर्याप्त नहीं, आवश्यकता इस बात की है आज की पीढ़ी को, उस पीढ़ी के जिसके चरित्र से जिस बलिदान से हमें आजादी दिलायी, सैंकड़ों वर्षों की खोई हुई आजादी, किस प्रकार से मिली ! जब हमारा चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र ऊंचा हुआ और हममें त्याग की बलिदान की भावना आई, जब समाज और देश की बात हमारे स्व की बात से ऊंची हो गई तब हमारा देश आजाद हो गया। आज उसी की आवश्यकता है। यदि वह हमारे पास नहीं है चरित्र नहीं रहेगा, ईमानदारी नहीं रहेगी हमारी कथनी और करनी का भेद मिट जायगा अगर हममें इण्टेलेक्चुअल बौद्धिक आनेस्टी और ईमानदारी नहीं होगी, हम देश को बचा नहीं पायेंगे आगे नहीं ले जा पायेंगे। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पण्ड्याजी की जीवनी से उनकी जीवन कथा से, गाथा से जो हमेशा गायी जायगी। हम यह भी सीखें कि हम किस प्रकार से अपने चरित्र को ऊंचा रख सकें, प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं हार्दिक श्रद्धांजलि श्री पण्ड्या की स्मृति में अर्पित करता हूं।

श्री हजारीलाल शर्मा (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री भोगीलाल पण्ड्या से मेरा परिचय खेतड़ी ठिकाना के जगार्त आंदोलन के अवसर पर हुआ। यद्यपि जयपुर स्टेट प्रजा मन्डल से अलग था लेकिन श्री भोगी लाल पण्ड्या सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं थे : वह दूर दूर तक राजस्थान यद्यपि उस समय नहीं बना था लेकिन हमारी जो स्टेट्स थीं उन सबमें देखभाल करने के लिए, जागरण के लिए बहुत बहुत कोशिश करते थे और अवसर निकाल कर वहां जाने का प्रयास करते थे। हमारे ठिकाना खेतड़ी में जगार्त आन्दोलन शुरू हुआ और ऐसी स्थिति बनी कि झगड़ा बढ़ेगा तो उनको जब पता लगा तो फौरन वहां से खेतड़ी आये और सब लोगों को दोनो पक्षों को सुनकर एक नतीजे पर पहुंचे।

वे वस्तुत: बहुत सरल, सीधे सादे और इतने भले आदमी थे कि उनको देखते ही पता लगता था कि उनमें कहीं छल, कपट, दुराव नहीं है। इस तरह के सरल प्रकृति के व्यक्ति का निधन राजस्थान का एक बहुत बड़ा घाटा है।

मैं अपनी ओर से व अपने दल की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, श्री पण्ड्याजी को यद्यपि मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं जानता हूं लेकिन उनके स्वर्ग सिधारने का समाचार मिलने के बाद जो मुझे जानकारी मिली उससे मालूम होता है कि उन्होंने काफी समाज सेवा की। विशेष तौर से आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में उन जातियों के उत्थान के लिये।

मैं अपने आपको और अपने दल को इस शोक में सम्मिलित करते हुए उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, यह प्रार्थना करता हूं।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष जी, आज एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रजा मंडल के जमाने से लेकर पहाड़ी इलाके और जो पिछड़े वर्ग हैं उनका सही मायने में नेतृत्व करने वाले, उनमें जाग्रति पैदा करने वाले स्वर्गीय श्री भोगीलाल पण्ड्या अंतिम दम तक समाज का काम करते रहे। वह केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं बहुत अच्छे समाज सेवी भी थे। अभी भी जब असेम्बली चल रही थी लास्ट टाइम तब भी वहां की समस्याओं को लेकर यहां के विधायकों को साथ लेकर उनको रास्ता बताते हुए यह कहते थे कि काम किस तरह से किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक समाज के ही नहीं, राजस्थान के वयोवृद्ध नेता, जिनसे समाज को बहुत कुछ मिला है और आगे भी कुछ मिल सकता था, ऐसी महान् आत्मा का उठ जाना हमारे लिये बहुत बड़ा घाटा है।

मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के आदिवासी इलाके, जिसको विशेष रूप से बागड़ कहा जाता है, के गांधी के रूप में स्वर्गीय मोतीलाल तेजावत माणिक्यलाल वर्मा, एम. सी. भोगीलाल पण्ड्या इन लोगों ने रियासती युग में वहां की राजशाही से, आदिवासी भील जाति पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष का बीड़ा उठाया और साथ साथ में रचनात्मक कार्य और शिक्षा का क्षेत्र भी जोड़कर आज जो कुछ वह क्षेत्र नजर आता है या आदिवासियों में जागरण नजर आता है, उसका श्रेय उनको जाता है।

सन् 1952 में विशेष तौर से 1954 में लोक सभा के उप चुनाव में चूंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र में भी लगता था, पहली बार पण्ड्या साहब के दर्शन हुए, उनके साथ रहने का मौका मिला, उस व्यक्ति में जो सादगी, सरलता और काम करने की तमन्ना थी उससे निश्चय ही जीवन में प्रेरणा मिली है।

आदिवासी समाज में उस व्यक्ति को बागड़ के गांधी के नाम से पुकारा जाता था। उन्होंने कई आश्रम, स्कूल, कई छात्रावास, कई विद्यालय स्थापित करके जो काम किया है निश्चय ही राजनैतिक पद लिप्सा और राजनैतिक उतार चढ़ाव से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते थे। और इसी आधार पर उन्होंने अपने जीवन भर रचनात्मक काम किया। खादी संस्थाओं की स्थापना की और उनके जरिये आदिवासियों की बेरोजगारी दूर हो, यह प्रयत्न किया था।

पण्ड्या साहब का जीवन सार्वजनिक जीवन में एक अपने आप में प्रेणादायक और अमिट छाप रखने वाला जीवन है। उससे राजनीति में काम करने वाले लोगों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी।

एक महीना पहले एस. एम. एस. अस्पताल में कार्टेज वार्ड में मैं उनसे मिला था। उन्होंने अपने जीवन के कई संस्मरण और कई बातें बताईं, ऐसे व्यक्ति से मैं काफी प्रभावित हुआ।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं परम पिता परमात्मा से मेरे दल की ओर से और अपनी ओर से यह प्रार्थना करता हूं कि दिवगंत आत्मा को स्वर्ग में शांति प्रदान करे और उनके परिवार को, उनमें निष्ठा व श्रद्धा रखने वालों को इतना वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करे, यही मेरी श्रद्धांजलि है।

श्री अध्यक्ष : श्री भोगीलालजी के निधन पर सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जो शोकाभिव्यक्ति की है मैं उसमें अपने आप को सम्मलित करता हूं।

जैसा कि आपको विदित है परसों रात ही एक महान् स्वतन्त्रता सेनानी श्री भोगी लाल पण्ड्या का निधन हो गया, कुछ अर्से से वे बीमार थे और दो तीन दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था।

श्री पण्ड्या प्रथम विधान सभा के लिये सागवाड़ा से निर्वाचित हुए थे और द्वितीय विधान सभा में उन्होंने आसपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

स्वर्गीय श्री पण्ड्या का सम्पूर्ण जीवन एक निरन्तर संघर्ष का जीवन रहा है। डूंगरपुर राज्य प्रजा मंडल की स्थापना से आपने अपना राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन प्रारंभ किया था और तत्कालीन शासन द्वारा दी जाने वाली यातनाओं और जेल की सजाओं को सहर्ष भुगतते रहे। प्रजा मण्डल के संस्थापक के नाते जन साधारण में राजनैतिक चेतना जाग्रत करने का बीड़ा उन्होंने उठाया था और स्वतन्त्रता संगाम में भी एक वीर सेनानी की भूमिका वे निभाते रहे।

विदेशी शासन से भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात् भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और गरीब आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक शोषण को समाप्त करने के लिए जूझते रहे और इसके लिये वे आदिम जाति सेवा संघ का संचालन करते रहे। आप गांधी स्मारक निधि की राजस्थान शाखा के संचालक भी रहे। आदिवासियों का उत्थान और कल्याण उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य बन गया और इसे प्राप्त करने के लिए वे जी जान से प्रयास करते रहे। इसके अतिरिक्त राजस्थान खादी बोर्ड, हरिजन सेवा संघ, राजस्थान भील संघ के कार्यों का संचालन भी उन्होंने किया।

इस सदन के सदस्य और भूतपूर्व मंत्री के रूप में राजस्थान के विकास में उनका महान् योगदान रहा। उन्होंने जो भी पद धारण किये उनका एक मात्र उद्देश्य यही था कि वे अपने प्रदेश और देश की जनता की सेवा करते रहें। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वह गरीबों, दलितों और सुदूर पहाड़ों में बसने वाले उन आदिवासियों के लिये किया जो अपने अधिकारों से पूर्णतया अपरिचित और अनभिज्ञ थे।

श्री पण्ड्या को एक महान् देश भक्त, एक राजनेता, प्रशासक समाज सुधारक और स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। आज वे हमारे बीच में नहीं, परन्तु उनके जीवन का व्रत हमारा मार्ग प्रदर्शन करता रहेगा।

मैं अपनी ओर से, सदन की ओर से, दिवंगत नेता को श्रद्धान्जलि अर्पित् करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा

(श्री अध्यक्ष)

शान्ति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को यह शोक सहने की शक्ति प्रदान करे।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धान्जलि अर्पित करें।

(तनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धान्जलि अर्पित की।)

अब कृपया स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

व्यवस्था का प्रश्न

सत्रावधि में नीति सम्बन्धी निर्णय की सदन से बाहर घोषणा

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आन एक पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: पहले पाइन्ट आफ आर्डर श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने उठाया है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय पद से महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये उस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 186 पर 11 वां देखें, जब सदन चल रहा हो तो नीति सम्बबन्धी निर्णय की सूचना सर्वप्रथम सदन में दी जानी चाहिए। इस पर निर्णय दिया हुआ है। "इस प्रकार सदन के बाहर वक्तव्य दिया जाना विशेषाधिकार के हनन की गणना में तो नहीं आता पर यहां पर मैं इतना अवश्य बतलाना चाहूंगा कि जब कभी सरकार द्वारा इस तरह का नीति संबंधी कोई निर्णय लिया जाय और उस समय सदन की बैठकें चालू हों तो उस निर्णय की सूचना सदन को सर्वप्रथम दी जानी चाहिये। मेरी समझ में यह एक स्वस्थ परम्परा होगी।" अध्यक्ष महोदय, सदन में अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने शराब की नीति के संबंध में चर्चा की थी। उसके बाद में यहां पर माननीय मंत्री महोदय का उत्तर भी हो गया। उन्होने, अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न केटेगोरिकल यहां पर रखे थे लेकिन मन्त्री महोदय उन दो प्रश्नों को लगातार टालते गये। उन दोनों प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने यह प्रश्न किया था एक तो कि राजस्थान सरकार की शराब बन्दी की नीति है और 31 मार्च तक है। और कल 1 अप्रेल शुरू हो जायगा, कल सदन आठ बजे तक सात बजे तक चला था यहां पर हम बैठे हैं लेकिन क्या रात के अन्धेरे में वह कोई निर्णय करेंगे। उस निर्णय की जानकारी सदन में सर्वप्रथम देना आवश्यक है पर, अध्यक्ष महोदय, वह निर्णय यहां नहीं लिया गया। आज सम्पूर्ण राजस्थान में चर्चा है कल रात को अन्धेरे में राजस्थान सरकार ने आदेश प्रसारित कर दिये, रात को 12 बजे या शायद रात को 11 बजे जो पुराने लाइसेंसधारी थे उनको आगे जारी कर दिया। यह, अध्यक्ष महोदय, वह लाइसेंस धारी हैं जिनको कि राष्ट्रपति शासन में एक ही महीने के लिये लगाया गया था और राष्ट्रपति शासन में यह

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

तय किया गया था कि जब चुनी हुई सरकार आयेगी तब वह नीति तय करेगी और उसके ही अनुसार आगे व्यवस्था चलेगी। राष्ट्रपति शासन के बाद चुनी हुई सरकार बनी उसने उसी शराबबन्दी नीति को जारी रखा। उसके अनुसार जो व्यवस्था थी वही चलती रही। अध्यक्ष महोदय, उस नीति में कोई फेर-बदल नहीं किया गया, वही चलते रही। मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहूंगा उन विषयों पर यहां पर चर्चा नहीं करूंगा लेकिन कल जब केटेगोरिकली माननीय सदस्य ने प्रश्न किया उसके बाद में रात को आदेश प्रसारित कर दिये गये कि वही लाइसेंसधारी जो पहले चले आ रहे थे उन्हीं की समयावधि बढ़ायी जाती है। यह बात तो सच है कि राज्य सरकार ने उनकी लाइसेंस फी को बढ़ाया है उसकी प्रक्रिया तो है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस फी बढ़ाने से क्या होगा? राजस्थान सरकार को एक करोड़ रुपये का फायदा हो सकता है। मेरी धारणा है कि इससे कम से कम दस करोड़ रुपये का लाभ राज्य सरकार को हो सकता था अगर राज्य सरकार नीति निर्धारित करके उसको करती। सदन में स्पष्ट रूप से, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, उन्होंने कहा कि आप अपनी नीति बतायें। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अकेले जयपुर का जो लाइसेंस धारी है वह ही एक करोड़ रुपया देने को तैयार थे। हमने कहा, आप नीति बनाइये। विज्ञापन दीजिये। पर सरकार वह देने को तैयार नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, जयपुर की देशी मदिरा की दुकानों के लाइसेंस वाले, दस दुकानों के लाइसेंस वाले ही यह कह रहे थे कि हम एक करोड़ रुपया देने को तैयार हैं। पर वह बात नहीं की गयी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे वह दस्तावेज, वह आदेश दिये जायं जो आदेश रात के अन्धेरे में सरकार द्वारा निकाले गये और जिसकी जानकारी सदन में नहीं दी गयी। आप राज्य सरकार को आदेश दें कि वह दस्तावेजों को सदन की मेज पर रखें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों का उल्लेख सदन मे हमारे विरोधी दल के नेता महोदय ने किया था। आप को शायद स्मरण होगा उन्होंने कहा था स्पष्ट रूप से कि दो थैलियां हैं जिनको लिये हुए लाइसेंसीज खड़े हैं। एक तरफ तो वह लाइसेंसीज हैं जो पुराने चले आ रहे हैं दूसरी तरफ वह लोग हैं जो लाइसेंस लेना चाहते हैं उसी व्यवस्था को कन्टीन्यू करने दिया जायगा या बाहर वालों को लिया जायगा। यह उन्होंने कहा कि पता नहीं, कौनसी थैली खुलेगी। मैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार पर स्पष्ट रूप से आरोप लगाना चाहता हूं कि दिल्ली की किसान रैली में जाने वाली बसों का राजस्थान परिवहन निगम का 43 लाख रुपये का बिल आया हुआ पड़ा है। मुझे इसकी अच्छी तरह से जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 15 लाख रुपया ही देना चाहती है और बाकी सारे पैसे इसी में से दिये जायेंगे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से उन लोगों का समय बढ़ाया गया है मैं यह स्पष्ट आरोप सरकार पर लगाना चाहता हूं कि it is the biggest scandal of the last thirty five years.

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

इन्होने पानरवा काण्ड को मात कर दिया, इन्होने नाथद्वारा काण्ड को भी मात कर दिया। इस प्रकार की कार्यवाही करके राजस्थान सरकार के सामने जो राजस्थान परिवहन निगम का बिल है उसका चुकारा कर दिया गया है। लोग हमें शहर में कह रहे थे कि हम एक करोड़ रुपया देने को तैयार हैं, यहां के पुराने लाइसेन्सी कह रहे हैं, मैं ज्यादा चर्चा में नहीं जाना चाहता हूं.

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, साहब। संक्षेप में मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपसे कि आप उन दस्तावेजों को सदन की मेज पर रखवाने की व्यवस्था करवायें ताकि हम भी देख सकेंगे और आप भी उनको देखें। उन आदेशों को देखने के बाद ही जो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है उसके इम्पार्टेन्ट इश्यूज होंगे उसकी हम यहां पर चर्चा कर सकेंगे। किस तरह राजस्थान सरकार ने डाक में रखा है माननीय सदस्यों को, यह तो कल के अखबार की खबरों में छप गया था। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से एलीगेशंस यहां पर लगाये थे कि कहीं सरकार शराब की नीति में कुछ तब्दीली नहीं कर दे। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि सरकार का कर्त्तव्य है वह इसको पुख्ता करे। मैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विनम्र शब्दों में अपील करना चाहता हूं कि आप सारे कागजातों को सदन की मेज पर रखवायें उन्हें आप देखें और हम देखें, चर्चा करें तब सारी बात स्पष्ट हो जायेगी और जनता के सामने सारी बातें आयेंगी स्पष्ट रूप से। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है और मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आगे कोई कार्यवाही नहीं लें क्योंकि यह जन जीवन का सवाल है और बड़ा ही इम्पार्टेन्ट सवाल है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस तरह के तरीके लगातार सरकार अपना कर शराबबन्दी की नीति को स्क्रेप कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारी निषेध की नीति है उसको स्क्रेप किया जा रहा है। दूसरी तरफ चोर दरवाजे से घुसने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस तरह से घोटाले किये जा रहे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी सदन में बैठे हुए हैं किन्तु, अध्यक्ष महोदय, पता नहीं राजस्थान सरकार को जब इस बारे में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। बाकी सारे प्रश्नों का जवाब मन्त्री महोदय ने दे दिया पर इस पर चर्चा नहीं की।

मैं आपसे अपील करना चाहता हूं सारे कागजात सदन की मेज पर रख जायं। आप देखें और हम देखें और फिर इस पर चर्चा की जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइन्ट और जोड़ दें कि कल जब यह सदन बैठने वाला था और जब यह विषय आया, जैसा कि आपने अभी इसका उद्धरण दिया है तो यह सरकार की नीति या घोषणा से पहले ही बता देना, यह क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, आबकारी): अध्यक्ष महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री अध्यक्ष : इस संबंध में आपकी अभी तैयारी नहीं हो तो कुछ समय बाद में अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो मुद्दा इन्होंने यहां उठाया है नीति संबंधी प्रश्न का कि इस सदन के समक्ष आना चाहिए तो यह कोई नीति संबंधी प्रश्न नहीं था, एक प्रशासनिक कदम था जो हमने उठाया। यही मेरा निवेदन है।

श्री भंवरलाल शर्मा : Let the Chair decide.

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझसे पूछा है अध्यक्ष महोदय ने तब मैंने कहा है। यह निर्णय तो अभी होना है। उनकी अथॉरिटी को तो मैं चेलेन्ज नहीं करता हूं आप लोग ही चेलेन्ज करते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट सत्र चल रहा है। फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स हैं, मुझे फिर याद आती है विरोधी दल के नेता की बात कि यह सरकार चोर दरवाजे से परिवहन के टिकट बढ़ायेगी, किराया बढ़ायेगी, मद्य निषेध की नीति को स्क्रेप करेगी। इस प्रकार की धारणा बनायेगी कि एक करोड़ रुपया प्राप्त कर ले। मैं विनम्र अपील करना चाहता हूं कि जहां तक नीति का प्रश्न है, जैसा मंत्री महोदय ने हल्के रूप से कह दिया, नीति के सवाल के साथ ही साथ फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स इसमें हैं। कल ही तो एप्रोप्रियेशन बिल पास किया है हमने। अभी तो उसकी स्याही सूखी भी नहीं है। कितने फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स इसके हैं उसको इतने आसान तरीके से मंत्री महोदय ने कह दिया कि आने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या दिक्कत थी, कौनसी परेशानी थी, किस बात से बचना चाहते थे। मुझे लगता है विरोधी दल के नेता ने जो बातें कही वह धीरे धीरे सत्य होती चली जा रही है। आखिर मुझे बतायें आपने बजट में कोई प्रावधान किया हैं इस नाते से ? नीति का प्रश्न है। क्योंकि चर्चा चल पड़ी है। फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स इसमें हैं और दूसरे नीति का प्रश्न है। मैं चाहता हूं जिससे सारा राजस्थान संबंधित है, मद्यनिषेध नीति से संबंधित विषय है जिससे चोर दरवाजे से एक करोड़ डेढ़ करोड़ खाते चले जायं और धीरे धीरे करके स्क्रेप कर दें।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : आपके पास कोई प्रमाण हैं क्या ?

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह प्रशासनिक कदम था नीति का कोई संबंध नहीं था आप इस पर व्यवस्था कोई दें उसके पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने लाइसेन्स को रिन्यू किया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, 31 मार्च समाप्त हो गया था और लाइसेन्स को रिन्यू करना आवश्यक था।

श्री राजबहादुर : आपके लाइसेन्स रिन्यू करने और नहीं करने में नीति का प्रश्न नहीं आता है तो फिर क्या आता है ? रिन्यू लाइसेन्स का करना नीति में आता है।

श्री माणकमल मेहता : यह प्रासिजरल मैटर है।

श्री राजबहादुर : माननीय सदस्य को अपने विचार रखने का अधिकार है और मुझे भी है। मैं रख रहा हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब आपने निर्णय लिया कि हम लाइसेन्स को रिन्यू करते हैं तो उस उस समय आपने एक नीतिगत निर्णय लिया कि हमारी मद्य निषेध नीति क्या है वह नीति का प्रश्न क्या इसमें नहीं आता ? मैं पूछना चाहता हूं कि इस निर्णय को केवल प्रशासनिक कैसे मान लेंगे इसको ? हम इस राज्य में टोटल प्राहिबिशन से कमिटेड है। अभी तो मानी हुई टोटल पालिसी प्राहिबिशन की है फिर इन लाइसेन्स को रिन्यू करना और उसका इन्क्रीजड कमीशन पर करना तो यह बिलकुल नीति की बात यह है कि जो डिक्लेयर्ड पालिसी है उसके खिलाफ जाकर एक नयी पालिसी आप लागू कर रहे हैं। तो इस नयी पालिसी के बारे में जो आपति उठाई गई है वह सही है साफ साफ कहने में क्यों शर्माते हैं आप ? और मद्यनिषेध आपको तोड़ना है तो आइये बहादुरी के साथ और कहिये बी आनेस्ट, बी फ्रेंक। यह कहना कुछ और करना कुछ, अभी हम कथनी और करनी की बात कर रहे थे वही भेद आ जाता है फिर। कहते हैं हम मद्य निषेध कर रहे हैं और कर रहे हैं उसके बिलकुल विपरीत। नीति का पूरा प्रश्न है, यहां सरकार ने उल्लंघन किया है मर्यादा का और आप कहें कि प्रशासनिक कदम है। नीति का प्रश्न है इसमें इसलिए आप इस पर निर्णय दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकारी वकील

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : मेरे खयाल से, अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी बात कहूं उसके पूर्व मुझे काफी अफसोस है हवामहल जयपुर क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य, विधायक जो काफी पुराने हैं उनको यह याद होना चाहिए कि मैं भी विधायक हूं और वह भी विधायक हैं। मैं सरकारी वकील नहीं हूं। वकालात, मैं जिस दिन से विधायक बना हूं, छोड़ दी है। इसलिए इस प्रकार की बात करके वह मुझे निरुत्साहित करने की कोशिश नहीं करें। मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझने की कोशिश करें।

अध्यक्ष महोदय, दो बातें हैं। एक तो यह कि किसी नीति का निर्माण करना और नीति के निर्माण करने के बाद उसके अनुसार कोई कार्यवाही करना, कोई एक्शन लेना और एक बात यह होती है कि नीति का निर्माण पहले से ही होता है और जो आलरेडी नीति होती है उसके अनुसार कोई प्रशासनिक कदम उठाना। कोटा से आने वाले माननीय विधायक महोदय श्री चतुर्वेदी जी ने यह तो कहा कि रातों रात आबकारी नीति के संबंध में कोई एक्शन सरकार ने लिया। यह आपने कहा लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि जो सरकार की नीति पहले से चली आ रही थी लाइसेन्स देने के मामले में क्या उसमें किसी किस्म का परिवर्तन किया ? जो आदेश हुए उसमें परिवर्तन नहीं किया गया और सरकार की नीति यह पहले से ही चली आ रही है, नशाबन्दी लागू है उसके पहले से ही नीति चली आ रही है उसके अनुसरण में ही प्रशासनिक आदेश जारी हुए हैं तो कहां नयी नीति का निर्माण हुआ है ? और कोई नयी नीति नहीं बनी है, तो नीति

(श्री सूर्यकुमार)

संबंधी सदन में वक्तव्य लाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है मेरे खयाल से यह गैर-वाजिब है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई है कि कल जब विनियोग विधेयक पारित हो रहा था उस वक्त विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मद्य निषेध के संबंध में कुछ जानकारी चाही थी। उस संबंध में उनका कहना है कि मंत्री जी ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया और रात को, देर रात को राज्य सरकार ने मद्य निषेध के संबंध में लाइसेंस शराब के दिये जाने के संबंध में कुछ नीति संबंधी निर्णय लिये हैं, क्योंकि विधान-सभा का सत्र चल रहा है इसलिए सरकार का विधान सभा के बाहर ऐसा किया जाना सदन के विशेषाधिकारों का, शुद्ध परम्पराओं का और मान्यताओं का अपमान है। इसलिए उन्होंने यह चाहा है कि इस संबंध में मैं कोई निर्णय दूं।

सरकार की ओर से और सत्तारूढ़ दल दल की ओर से यह बात कही गयी है कि देर रात को निर्णय लिया गया वह कोई नीति संबंधी निर्णय नहीं था बल्कि कुछ प्रशासनिक निर्णय था जो वित्तीय दृष्टि से लेना जरूरी था। कल वित्तीय वर्ष 1980-81 का अन्त हो रहा था इसलिए वह लेना जरूरी था इसलिए उस तरह का निर्णय लिया गया। मैं तत्काल इस स्थिति में नहीं हूं कि सदन के विशेषाधिकारों का, मान्यताओं का अथवा परम्पराओं का कितना उल्लंघन हुआ है, यह बता सकूं इसलिए इस विषय पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं। मैं इस प्रश्न के क्या तथ्य हैं उनकी जानकारी लूंगा और आवश्यक समझूंगा तो दोनों पक्षों को सुनने का अवसर दूंगा अतः इस पर जो आपत्ति है उसको निरस्त करता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लाइसेन्स वाले कागज रखे जायं।

श्री अध्यक्ष : जब मंगवाऊंगा तो सभी कागज हमारे सामने आ जायेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

कल क्या विवाद या चर्चा हुई है, मंत्री ने क्या वक्तव्य दिया है, देर रात को किस तरह के आदेश सरकार ने प्रसारित किये हैं—यह सभी मसले आ जायेंगे। कल कौन से प्रश्न पूछे गये थे, कौन कौन से मामले ऐसे होते हैं जो नीति संबंधी माने जाते हैं और सदन का सत्र चल रहा हो तो उनको सदन के बाहर पहले बता देना और उससे सदन की परम्पराओं को, मान्यताओं को, विशेषाधिकारों को तोड़ना माना जाता है आदि सभी प्रश्नों पर विचार होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पहले आसन का अधिकार है। अभी मेरे समक्ष कोई विचारणीय विषय नहीं है किसी विचारणीय विषय के ऊपर ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा

Page No 66

(66)

(श्री अध्यक्ष)

सकता है। इसलिये कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

वे प्रस्ताव जिन पर राज्य सरकार से जानकरी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा :

(1) **श्री रतनलाल ताम्बी :** सुजावतों का गुड़ा जिला उदयपुर की गत 5 दिन पूर्व दो आदिवासी बालिकाओं के अपहरण के विषय में।

(2) **सर्व श्री मेघराज तावड, त्रिलोकसिंह व यदुनाथ सिंह :** राजस्थान सरकार द्वारा गत 3 जनवरी के राजपत्र में 9 राष्ट्रीयकृत मार्गों के घोषित हो जाने के बावजूद उन पर निगम की बसें नहीं चलाये जाने के विषय में।

(3) **श्री दाऊदयाल जोशी :** राज्य में बिजली की कमी के बावजूद राणा प्रताप सागर पन बिजली घर की 4 इकाइयों में से 3 को बंद कर देने से उत्पन्न स्थिति के के विषय में।

(4) **श्रीमती विद्या पाठक :** सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में बस सर्विस की उचित व्यवस्था न होने के विषय में।

(5) **सर्व श्री बालचन्द्र आर्यवीर, हीरालाल आर्य, अनंगकुमार जैन, उजला अरोड़ा, नंदलाल मीणा, छीतरलाल आर्य व भंवरलाल शर्मा :** राज्य सरकार द्वारा आगमी 14 अप्रेल को डा० अम्बेडकर के जन्म दिन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित नहीं करने के विषय में।

(6) **श्री बंशीलाल पटवा :** भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों के लिये खोले गये सब डिवीजनों में अपेक्षित संख्या में अभियन्ता न होने के विषय में।

(7) **श्री हंसराज शर्मा :** सवाई माधोपुर में टाइगर प्रोजेक्ट बनाने के कारण ग्राम वासियों को होने वाली परेशानी के विषय में।

(8) **सर्व श्री देवीसिंह भाटी, चन्द्रवीरसिंह, जीतमल जैन, भूपालसिह, और उम्मेदसिंह :** उदयपुर विश्वविद्यालय के दो दलों में हुए झगड़े में निर्दोष छात्रों को गिरफ्तारी के विषय में।

(9) **श्री गुलाबचन्द कटारिया व श्री नाथूसिंह :** लिग्नाइट खनन परियोजना के लिये राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधान न करने से उक्त थर्मल विद्युत एरियोजना के खटाई में पड़ जाने के विषय में।

(10) **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी :** शराब की बिक्री के लिये गत वर्ष दिये गये लाइसेन्सों की अवधि बढ़ाने से राज्य सरकार को होने वाली हानि के विषय में।

वह प्रस्ताव जो राज्य सरकार को सूचनार्थ को भेजा जा रहा है और जिसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है :

(श्री अध्यक्ष)

(11) **श्री कैलाश मेघवाल** : अजमेर नगर में पेयजल की कमी व गंदा पानी वितरित करने के विषय में।

वह प्रस्ताव जो स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और उस पर कोई चर्चा नहीं की जावेगी :

(12) **श्री महाराम चौधरी** : श्री बुलाराम पुत्र नीम्माराम ग्राम पोटालिया तहसील मांगरा जिला नागौर के गत 14 जनवरी को हरिद्वार के लिये रवाने होने के बाद लापता होने के विषय में।

माननीय सदस्य श्री कैलाश मेघवाल जिनके स्थगन प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार कर दिया है वे दो मिनट में अपनी बात कहें।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्तावों पर कार्यवाही

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है....

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : एक एक करके माननीय सदस्य। श्री देवीसिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, नियम 51 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन कि प्रस्ताव करने का विचार हो, निम्न में से प्रत्येक को दी जायगी, अध्यक्ष, सम्बन्धित मंत्री, और सचिव।

अध्यक्ष महोदय, जो आपने व्यवस्था दे रखी है उसके अनुसार हम 9½ बजे से पहले आकर देते हैं उनमें तो मंत्री महोदय रुचि नहीं रखते हैं या सचिवालय रुचि नहीं रखता है। आसन की ओर से व्यवस्था है कि माननीय मंत्री, जिससे सम्बन्धित विभाग है, उसको सूचना जानी चाहिये। हालांकि अभी तक जैसे 40 दिन हो गये सदन चलते, पर्सेन्टेज निकाल लीजिये मुश्किल से 2 पर्सेन्ट स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण विषय, जैसे मैंने एक प्रश्न उठाया था राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि अवाप्ति के संबंध में....

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं माननीय सदस्य। अपने व्यवस्था के प्रश्न पर बोलें। उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उसी पर बोल रहा हूं क्योंकि आपने व्यवस्था दे दी हमें माननी पड़ेगी। मंत्री महोदय को जो स्थगन प्रस्ताव हम समय पर देते हैं उन पर तो ध्यान दें, जानकारी मंगाकर यहां पर चर्चा करें जिसके लिये आप कृपापूर्वक दो मिनट बोलने का मौका देते हैं। किन्तु समय पर सूचना नहीं मिलती! 11 बजे सदन स्टार्ट होता है उससे पहले जब 9½ बजे जब मंत्री महोदय को सूचना मिल जाती है तो कृपया उस पर कार्यवाही करें अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी जानकारी देनी चाहिये। आपने अविलम्बनीय लोक महत्व

(श्री देवीसिंह भाटी)

का विषय न समझकर स्थगन प्रस्ताव राजस्थान केनाल का रिजेक्ट कर दिया....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। उदाहरण नहीं देंगे। इस माध्यम से किसी विषय पर चर्चा नहीं उठाई जायगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उसके अन्दर आपने बताया था कुल 3 काश्तकारों की जमीनें आई हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम चाहते हैं इस प्रकार से लोक महत्व के प्रश्न उठायें उसमें कम से कम संबंधित विभाग के मंत्री रुचि तो लें, इसके लिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों की सेवा में जो कोई भी स्थगन प्रस्ताव आते हैं उन पर अविलम्ब कार्यवाही की जाती है। सरकार को सूचित किया जाता है। सरकार से जानकारी मंगवाई जाती है और जानकारी प्राप्त होने के बाद में यदि हम यह समझते हैं कि इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे तो वक्तव्य दिलाये जाते हैं। लेकिन यह सम्भव नहीं है कि रोज के 15, 20 स्थगन प्रस्ताव सदन के समक्ष आयें और उन पर तत्काल सरकार की ओर से उत्तर दिलाया जाय। यथा संभव जो विषय महत्वपूर्ण होते हैं उनका सरकार की ओर से उत्तर आये और माननीय सदस्यों की तकलीफ है, समस्या है वह दूर हो यह सदैव आसन का प्रयत्न रहता है। इसलिये जहां तक इस व्यवस्था के प्रश्न का प्रश्न है व्यवस्था का माननीय सदस्य यह प्रश्न नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी सदैव यह कोशिश रही है कि जन हित के जो विषय हैं उन पर सरकार कार्यवाही करे। यदि हम आवश्यक समझते हैं तो उस पर सरकार से वक्तव्य दिलाये जाते हैं और माननीय सदस्यों को, यदि वे सन्तुष्ट नहीं होते हैं तो कुछ प्रश्न पूछने के लिये अवसर दिया जाता है। यह जो हमारी कार्य प्रणाली है यह काफी लम्बे अनुभव के बाद हमने निकाली है। इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है और इस माध्यम से जितना संतोष हम माननीय सदस्यों को दिला सकते हैं दिलाते रहेंगे यह हमारी कोशिश रहेगी।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने 28 तारीख को....

श्री अध्यक्ष : इस पर दुबारा चर्चा नहीं होगी। श्री मोहन मोदी।

श्री देवीसिंह भाटी : आप चाहते हैं कि हमको सूचना मिले यह हम मानते हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है।

श्री अध्यक्ष : सरकार ध्यान देती है। यथासम्भव पूरा ध्यान देती है, माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहन मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने 28 तारीख को कपिल

(श्री मोहनलाल मोदी)

अस्पताल, नीम का थाना के डाक्टर कैलाश चन्द गुप्ता के रोगियों के साथ दुर्व्यवहार और अव्यवस्था के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था और आपने यह निर्णय लिया था कि सरकार से जानकारी चाही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा 3 तारीख को यह सत्र समाप्त हो जायगा। इसलिये आप ऐसा प्रयत्न करें कि इसका जवाब कल तक आ जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं जैसा पूर्व में निवेदन कर चुका हूं माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों की क्या स्थिति है, मुझे तत्काल प्रश्न पूछना चाहें तो मेरे लिये यह सम्भव नहीं है कि उत्तर दे सकूं लेकिन जो कोई विषय है और महत्वपूर्ण है तो उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि सत्रावसान होने जा रहा है अतः प्रयत्न यही है कि शीघ्रातिशीघ्र उनके उत्तर आ जायं।

अब चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

प्रश्न काल नहीं होगा। प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे।

यदि माननीय सदस्यों को कोई जानकारी लेनी है तो सर्वमान्य मेरी जो व्यवस्था है उसके अनुसार चलने का कष्ट करें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, आपने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, 23 तारीख को अमर शहीद भगतसिंह को श्रद्धांजलि के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : उस सम्बन्ध में मुझे यहां पूछने की आवश्यकता नहीं है। जानकारी जो चाहिये, वह दे दूंगा।

(व्यवधान)

प्रश्न काल नहीं होगा, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर....

(व्यवधान)

मुझे कुछ जबानी याद नहीं रह सकता है, किस दिन मैंने क्या कहा था।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है राणा प्रताप सागर अणु बिजली घर....

श्री अध्यक्ष : पहले जिन माननीय सदस्यों को मैंने अनुमति दी है, बोलने की उनके नाम पुकारे हैं, वे अपनी बात कह दें। जिन माननीय सदस्यों को यह हो कि अपने विषय को आज ही निपटाना है, उनको भी समय दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी थी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, ... आर्डर, आर्डर ....कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने निर्णय लिया था....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : निर्णय कौनसा देना है, कौनसा नहीं देना है, कार्यालय में बता सकता हूं। श्री कैलाश मेघवाल।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था....

श्री अध्यक्ष : मुझे कोई ध्यान नहीं है।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन सदन के शेष रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि सदन के समक्ष निर्णय दूं मुझे स्वतन्त्र अधिकार है। उस विशेषाधिकार प्रश्न को ठीक मानता हूं तो विशेषाधिकार समिति को सौंप सकता हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस पर अब चर्चा नहीं होगी। आर्डर, आर्डर....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : कब तक दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह मैं नहीं बता सकता हूं कब तक दे दूंगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर के बारे में मेरा एक स्थगत प्रस्ताव है। बहुत महत्वपूर्ण है ...

श्री अध्यक्ष : बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिये मैंने सरकार से जानकारी चाही है।

श्री चन्द्रवीर सिंह : यह समस्या है कि उदयपुर में आज की स्थिति बड़ी तनाव पूर्ण बनी हुई है। दो-दो मिनट का अवसर दे दें।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण मसला है, मैं चाहता हूं सरकार जानकारी दे।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर। जानकारी जल्दी मंगाऊंगा। अब चर्चा न करें।

(व्यवधान)

आपको अवसर दे दूंगा, अगर आदमी गायब हो गया है तो....

श्री कैलाश मेघवाल।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहती हूँ परसों मेरे स्थगन प्रस्ताव का जवाब आया, आपने नाम

(श्रीमती विद्या पाठक)

भी पुकारा और कल आपने यह कहा था कि आज अवसर दे दूंगा। कृपया आज निर्धारण कर समय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : मैं पहले व्यवस्थित कार्यवाही चालू करवा दूं, ठीक व्यवस्था हो जाय, ढंग से काम चलने लग जाय उसके बाद मैं आपको भी अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उदयपुर वाला बहुत महत्वपूर्ण मसला है। दो-दो मिनट का अवसर दे दें तो कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके आशय को समझ गया।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर नगर की जनसंख्या इस समय 3 लाख 75 हजार है 25 हजार की फ्लोटिंग पापूलेशन रहती है जो प्रति दिन गांवों से आती है और चली जाती है। इस तरह चार लाख की जन संख्या है। उस चार लाख की जनसंख्या के हिसाब से स्टैण्डर्ड जो फार्मूला है वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट का और कन्सर्न डिपार्टमेंट्स का उसके हिसाब से 30 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 करोड़ 30 लाख गैलन पानी हमेशा वितरण करना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है केवल 7 लाख गैलन पानी सप्लाई कर रहे हैं आधा और मैं निवेदन करना चाहता हूं उसकी भी समय सारिणी नहीं है। जिस तरह चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र का इन्तजार करके एक एक बूंद ग्रहण करता है इसी तरह अजमेर का प्रत्येक नागरिक रात को कभी दो बजे, कभी चार बजे और कभी सवेरे 6 बजे कब नल आ जाय इस तरह की प्रतीक्षा करता रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार तो 7–7 घण्टे तक नलों में पानी नहीं आया है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि पानी का वितरण वहां पापूलेशन के आधार पर नहीं है। 7-7 घंटों तक नलों में पानी नहीं आने की स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं कि वहां के नागरिकों की क्या स्थिति बनती होगी। सारे नगर की वितरण व्यवस्था खराब है। आप तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में कई बार पधारे हैं लेकिन आपने वे मौके नहीं देखें जहां गलियों में और निचली बस्ती के लोग, गरीब लोग नीचे की सतह से नलों से एक एक कटोरे से पानी भरते हैं।

मैंने इस बारे में अधिकारियों को भी लिखा है, मंत्रालय को लिखा है कि उन बस्तियों में पानी वितरण व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न करें लेकिन अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव द्वारा मेरा यही उद्देश्य है, मैं निवेदन करूंगा आप अजमेर नगर की जल वितरण व्यवस्था को ठीक कीजिये, आपका जलदाय विभाग इस ओर काफी उदासीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अप्रैल चल रहा है और मई व जून में विकट समस्या आने वाली है उस समय विस्फोटक स्थिति बनेगी और लॉ एण्ड आर्डर

(श्री कैलाश मेघवाल)

की स्थिति सामने आयेगी। एक मेरा यह भी निवेदन है कि अभी जो पानी आ रहा है वह काफी गन्दा पानी सप्लाई हो रहा है। शुद्ध पानी मिले, वर्तमान में पानी की कमी है लेकिन आनासागर और फाई सागर का गन्दा सड़ा हुआ पानी जो दे रहे हैं वह न दें उससे बीमारियां फैलने की आशंका हो गई है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पर ध्यान दें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक। सांगानेर में भूमि के सम्बन्ध में।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर में दो भूमियां हैं जो सरकारी भूमि हैं, कृषि भूमि नहीं हैं। उन भूमियों पर सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ से किस तरह अतिक्रमण हो रहा है। इसके विषय में मैंने पहले भी सदन में प्रश्न उठाया था और अब जब प्रश्न का जवाब आया है, यद्यपि जवाब की प्रति मैं सोचती हूं अच्छा हो कि यह व्यवस्था हो और हमको दे दी जाय ताकि आगे की कार्यवाही हम उसके आधार पर कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इस पर विचार करें इस व्यवस्था के विषय में। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों कृषि भूमियां नहीं हैं सरकारी भूमियां है– एक तो खसरा न० 552 से 557 तक और दूसरी 550 से 548 तक माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों भूमियां मन्दिरों के नीचे हैं– एक तो गोविन्द देव जी के मन्दिर के नीचे और दूसरी सांगा बाबा के मन्दिर के नीचे उनकी सेवाओं में दी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है, इसकी नट सैल में छोटी सी हिस्टरी है कि कृषि भूमि, जो मन्दिर के नीचे थी, कस्टोडियन, पुजारियों ने कालान्तर में धीरे धीरे मिल करके अनआफिसियली रिकार्ड चेन्ज करवा दिया, खसरा नम्बर चेन्ज करवा दिया। उसके बाद भूमि की किस्म बदलती रही। आज जिसकी कीमत ज्यादा है वह भूमि सहकारी समितियों, जो गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, के हाथ में पहुंच गई है। यद्यपि रिकार्ड में आज भी उन्हीं लोगों के नाम हैं जो कस्टोडियन थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे की बात है वह यह है कि इन दोनों भूमियों के सैटलमेंट के बारे में जो जवाब आपके पास आया है, खसरा न० 550 और 548 सैटलमेंट के रिकार्ड के अनुसार सं० 1987 में ये दोनों भूमियां उसी कस्टोडियन के नाम पर पाई गई और कस्टोडियन के नाम पर मन्दिर सांगा बाबा के खाते में, इस नाम से पाई गई है। उसके बाद जैसा जवाब आया है कि सं० 2015 और 2034 के बीच जो सैटलमेंट हुआ है उसमें पुजारी के नाम स्थानान्तरित हो गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लोजीकल बात है, सम्वत् 1987 में अगर यह भूमि सांगा बाबा के नाम पर कस्टोडियन के पास थी, 2015 में यह भूमि अगर आ गयी है तो इसका मतलब बीच में कहीं गड़बड़ हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षित मैं इस ओर करना चाहती हूं कि बम्बई, मद्रास हाईकोर्ट, जयपुर राजस्व मण्डल, यह सब निर्णय 1970 के हैं कि जो मन्दिरों के अन्दर भूमि है वह न बेची जाय, न हस्तान्तरित की जाय। मगर बदलती भूमियां ये कई जगह पहुंच गयीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मन्त्री महोदय को अगर

(श्रीमति विद्या पाठक ।)

इसकी जरा सी भी जानकारी नहीं है तो सम्भवत: उनको ये आशंका हुई है कि ये भूमि कृषि भूमि है और उस पर सोसायटीज ने कब्जा किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसी एक इर्रेगूलर चीज है जिसको सरकार को देखना चाहिए, पर यह तो और भी ज्यादा इर्रेगूलर है कि सरकारी भूमि हो और उस पर दूसरे लोग कब्जा कर लें। यह तो सरकार की सीधी जिम्मेदारी है और अगर उस पर सरकार सो रही है जो जवाब उनको विभाग सौंप देता है, अगर वही लोजिकल जवाब है जिसका कहीं कोई रिलेशन है, वही जवाब हमको दे दिये जाते हैं, जिसकी व्यवस्था के लिये मैंने आपसे निवेदन किया कि आपने कहा कि व्यवस्था देने का कष्ट करेंगे तो यह एक सवाल में विचारणीय विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों भूमिया सैटलमेंट में मन्दिर के अन्तर्गत हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि सहकारी गृह निर्माण समितियां इस पर आज भी कब्जे कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे सीरियस बात, गम्भीर बात यह है कि जिन भूमियों पर कब्जे हो रहे हैं और निर्माण चल रहे हैं, इन सब में एस. डी. एम. कोर्ट से स्टे आर्डर ले लिये गये हैं, कहीं भूतपूर्व तहसीलदार ने स्टे दिये हैं, कहीं एस. डी. एम. ने स्टे दिये हैं। पर यही तहसीलदार उन भूमियों पर खड़े होकर एन्क्रोचमेंट करवा रहे हैं, यह सबसे गम्भीर मामला है और एडमिनिस्ट्रेटिव पालिसी है, जिसको माननीय मन्त्री महोदय को देखने की सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इसका जवाब अगर 20 दिन बाद आया, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो वे निर्माण काफी हो चुके होंगे। मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना यह है कि इन भूमियों के बेचान और खरीद दोनों अवैध हुए हैं, अंडर हैण्ड ट्रान्जेक्शन हुए हैं। नियमानुसार यहां सोसायटी सांगानेर में बननी ही नहीं चाहिए क्योंकि जयपुर से 10 मील, 12 मील के अन्तर्गत जयपुर के अन्दर कोई सोसायटीज या कोई निर्माण कार्य करने की कोई इजाजत नहीं है। यह सही है, माननीय सभापति महोदया,

(1.5 म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

एन्क्रोचमेंट के जो मामले हैं, ये हाउसिंग फैसिलिटी न देने की वजह से हैं। यह सरकार की अंतरंग नीति का मामला है, फिर भी सरकारी भूमि पर सरकारी अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण करवाने की व्यवस्था की जा रही है सिस्टेमेटिकली। मैं कहना चाहती हूं कि यह आपकी मोस्ट इनइफेक्टिव पालिसी है और आपकी एक्टिवनेस को इंगित करती है। इस विषय में मन्त्री महोदय विचार करें। इसका अगर कोई वायलेशन करे, अगर सरकारी कर्मचारी कराते हैं तो यह गम्भीर आरोप है, जिस पर सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए। माननीय सभापति महोदया, मुझे आश्चर्य है इस बात का कि यह सिलसिला, यह छठा सिलसिला मैंने आज अर्ज किया एन्क्रोचमेंट का, सरकारी भूमि पर कृषि भूमि का बेचान हो तो यह दूसरी बात है, सरकारी भूमि पर स्टे होने के बावजूद सरकारी अधिकारियों के नजर के नीचे, उनकी देख रेख में अगर एन्क्रोचमेंट

(श्रीमती विद्या पाठक)

हो रहे हैं तो इस पर सरकार मौन क्यों है, यह मेरी समझ में नहीं आता ? अच्छा तो यह होता कि सरकार स्वयं इस पर वक्तव्य देती, छः मामले एक साथ, 6 मन्थ में एक के बाद एक आये हैं। सरकार इसमें स्वयं वक्तव्य देती तो अच्छा होता। अगर सरकार वक्तव्य नहीं देती तो यह स्पष्ट है कि सरकार का इसमें इन्वाल्वमेंट है। माननीय सभापति महोदया, हिन्दी में कहूंगी नहीं, वरना कोई रूलिंग आप मेरे पर लगा देंगी :

He does not speak, but when he speaks, he puts his foot into his mouth, तो सरकार वैसे बोले जैसे उसे जवाब बना कर देते हैं, पर कुछ बोले तो सही। उससे पता तो लगे कि सरकार कुछ क्षमता और इच्छा रखती है या नहीं। माननीय सभापति महोदया, आप भी रोज सड़क पर जाती होंगी। विधान सभा के बाहर सड़क पर, उस पर लिखा है, शान्त रहें, सरकार सो रही है। यह व्यवस्था सड़क पर लिखी हुई है, कम से कम इस व्यवस्था के निराकरण के लिए कुछ बोलें। अगर यह मौन सहमति है, माननीय सभापति महोदया, तो सरकार का डाइजेशन बहुत अच्छा हो सकता है पर जनता का डाइजेशन इतना बढ़िया नहीं है कि वह इस अन्याय को टालरेट कर ले।

माननीय सभापति महोदया, मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार उस पर विचार करके एक्शन लेगी। अगर नहीं लेती है तो जैसा कल माननीय सदस्यों ने कहा कि अन्धों के बाजार में आइने बेचता हूं, वही स्थिति पूर्णतया साबित होती है।

माननीय सभापति महोदया, मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव, जिस पर सरकार की ओर से व्यवस्था आयी है, एक्सीडेंटल इमर्जेंसी एस. एम. एस. में अव्यवस्था के विषय में था। माननीय सभापति महोदया, यह एक मौके की बात थी कि 7 तारीख को, 7–3–81 को, जिसके दूसरे दिन मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया, जयपुर एस. एम. एस. हॉस्पिटल जो यहां से बहुत दूर नहीं, के बारे में जो व्यवस्था परसों दी गयी है अगर वह सही है तो वह सरकार की कार्य-प्रणाली पर बहुत बड़ा आक्षेप है। एक बहुत बड़ा चार्ज है। माननीय सभापति महोदया, 7 तारीख की रात 10 बजे मेरे एक रिश्तेदार को हार्ट अटेक हो गया। उस सिलसिले में मुझे अस्पताल जाना पड़ा, वहां से जब मैं निकल रही थी तो मुझे कुछ व्यक्तियों ने अनुरोध किया कि वह अपने साथ एक 18 साल का लड़का हरिनारायण, जो सिरोली जिला जयपुर का रहने वाला है, लेकर आये हैं और उसे यहां लाने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। माननीय सभापति महोदया, उसकी लाश एक्सीडेंटल इमर्जेंसी के बाहर पड़ी हुई थी, उस इमर्जेंसी के कमरे में पड़ी हुई थी, यह साढ़े 10 की बात है, जिस वक्त मैं वहां थी, मैंने जब जानना चाहा तो बताया गया कि क्योंकि इलेक्ट्रिक करण्ट से मर गया, यहां आये थे यह कन्फर्म करने के लिए कि इसमें जान तो बाकी नहीं है। रिश्तेदार अपने जवान बच्चों को, बूढ़ों को इस उम्मीद में ले आते हैं कि

(श्रीमती विद्या पाठक)

शायद कुछ जान बाकी हो, पर उन अभागों को क्या मालूम कि यहां लाकर उनको यह समस्या और हो जायेगी कि उनके परिवार को डैड बोडी भी नहीं दी जा सकती। माननीय सभापति महोदया, मैं नियमों की बहुत कायल हूं और नियमों के वायलेशन में मेरा कतई विश्वास नहीं, परन्तु माननीय सभापति महोदया, वे सब आये, मैंने वहां कोशिश की, मैंने मालूम किया, मैंने सोचा, डाक्टरों से बात करके देखें कि अगर व्यक्ति मरा हुआ ही आया था तो इसको रोकने की, यहां मुर्दा घर में डालने की क्या जरूरत थी पर, माननीय सभापति महोदया, आपको आश्चर्य होगा, मुझको यह बताया गया, वहां के कम्पाउण्डर द्वारा, एक्सीडेंटल इमर्जेंसी स्टाफ था, उनको नहीं मालूम था कि ड्यूटी पर जूरिस्ट कौन है। किसी ने बताया डाक्टर सिमाणी है, किसी ने कहा डाक्टर मुकेश हैं। उस विभाग में कम्पाउण्डर को यह नहीं मालूम। जब मैंने कहा कि फोन पर मुझे बात करवा दो तो उन्होंने कहा कि 3–3 जगह फोन हैं, हम कहां कहां कोशिश करेंगे। माननीय सभापति महोदया, यह बहुत विचारणीय है। माननीय सभापति महोदया, इन्टरनेशनल नियम में भी बीमार और मुर्दे के लिए रेस्पेक्ट है, अगर किसी सड़क पर से मुर्दा पास होता है तो पहले पुलिस डैड बोडी को ले जाने वाली भीड़ को प्रिसीडेंस देती है और एम्बुलेंस जा रही हो तो उसको प्रिसीडेंस देती है। यह स्टाफ एक्सीडेंटल इमर्जेंसी के लिए बैठता है, मैं नहीं कहती कि नियमों का वायलेशन होना चाहिए। माननीय सभापति महोदया, मैंने स्वयं देखा, जूरिस्ट के रजिस्टर में 8–40 के बाद किसी की एन्ट्री नहीं है। हॉस्पिटल एक्सीडेंटल इमर्जेंसी में सिर्फ डाक्टर आन ड्यूटी, जो ड्यूटी छोड़कर गया, ने एक कोने में उसका नाम लिख रखा था, न पुलिस में रिपोर्ट की गयी थी, न जूरिस्ट को इन्फार्म किया गया था। यह एक मानवीय बात थी कि डाक्टर से पूछ लिया जाता, जूरिस्ट ड्यूटी पर नहीं था। अगर पूछ लिया जाता और डैड बोडी को भेज दिया जाता तो यह अच्छा रहता। फिर भी, माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर रूल्स ऐसे हैं भी तो इनको ह्यूमेनिटेरियन ग्राउण्ड्स पर सारी व्यवस्था को देखते हुए ज्यादा रेशनेलाइज करने की जरूरत है। इसको व्यू करने की जरूरत है जिससे लोगों को हरेसमेन्ट न हो, परेशानी न हो।

माननीय सभापति महोदया, पुलिस मिलती नहीं और अगर जूरिस्ट और पुलिस को इन्फार्म नहीं किया गया तो मैं सोचती हूं कि डैड बोडी देने में रूल्स का कोई वायलेशन नहीं होता। वायलेशन यह है कि जिस कम्पाउण्डर या डाक्टर को सूचित किया गया, जूरिस्ट ने रजिस्टर में एण्टर नहीं किया साढ़े दस बजे तक। यह वायलेशन है। उस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? वायलेशन यह है कि सरकार ने लिख कर भेजा है कि डैड बोडी को मोरचुअरी में भेज दिया गया, शव गृह में भेज दिया गया। फिर साढ़े दस बजे, माननीय सभापति महोदया, मैंने स्वयं ने डैड बोडी को वहां पड़े देखा है। वायलेशन यह है कि अधिकारी इन झूठी बातों को लिख दें और मन्त्री महोदय ऐसे के ऐसे

(श्रीमती विद्या पाठक)

जवाब दे दें। क्या मन्त्री महोदय या सरकार इन वायलेशन्स को रोकने के लिए एक्शन लेने की हिमाकत कर सकती है ? माननीय सभापति महोदया, यह बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इसको मानवीय दृष्टिकोण से लोजिकली रेशनल करना ही पड़ेगा।

इन दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। विभाग इन बातों पर विचार करे कि पुलिस थाना पास में हो, कम से कम अपनी कमी रह गई तो स्ट्रेच करने में बुराई नहीं है, आगे इम्प्रूव करने का चांस है। मगर डेरोगेटरी एक्शन तो यह है कि एक्शन भी ठीक नहीं हो, जवाब भी गलत दिया जावे यह असहनीय बात है और इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना ही चाहिए। धन्यवाद।

श्री सभापति : उदयपुर विश्वविद्यालय के दो दलों में हुए झगड़ों में निर्दोष छात्रों की गिरफ्तारी के विषय में। श्री देवीसिह।

श्री देवीसिह भाटी : माननीय सभापति महोदया, मेरा स्थगन प्रस्ताव देने का विशेष कारण यह है कि उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 13 मार्च को....

श्री सभापति : शिक्षा मन्त्री जी नहीं हैं क्या ?

श्री देवीसिह भाटी : उनको बुला दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : मंत्रीजी तो रेवेन्यू के भी नहीं हैं और ये छः मामले उन तक पहुंचे भी हैं या नहीं, इसका भी पता नहीं होगा तो एक्शन क्या होगा, यह विचारणीय बात है, हम लोग स्वयं समझ सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप जारी रखें बोलना।

श्री देवीसिह भाटी : सभापति महोदया, आसन की आज्ञा के अनुसार ...

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री देवीसिह भाटी : सभापति महोदया, मेरा स्थगन प्रस्ताव आज रखने का विशेष कारण यह है कि महज एक छोटा सी मामूली मारपीट की घटना 13 मार्च को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में हुई जिसके अन्दर अजीतसिह शक्तावत नाम के छात्र के साथ दो छात्र रतन लाल सांसी और रामेश्वर सांसी ने मारपीट की। मामूली आपस में लड़कों में झगड़े, ऐसे हाथापाई होती रहती है, उसी को लेकर डीन को शिकायत की और डीन ने उसी 14 तारीख को मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुला कर उन्होंने एक कम्पलेंट लॉज करा दी एफ. आई. आर. थाने में। सूरजपोल थाने में एफ आई. आर. दर्ज हुई। सभापति महोदया, यह एक मामूली बात को ध्यान में रख कर इसकी ओर किसी ने गौर नहीं किया। सभापति महोदया, पुलिस को यह ध्यान था कि यूनिवर्सिटी कैम्पस में ऐसे छात्रों के दो गुट बने

(श्री देवीसिंह भाटी)

हुए हैं जिनका कभी भी आपस में झगड़ा बढ़ कर मारपीट होकर किसी का मर्डर हो सकता है, यह डीन की रिपोर्ट है। सभापति महोदया, 14 तारीख को जैसा कि बोस होटल में एक मीटिंग बुलाई गई उसमें उत्तेजनात्मक भाषण दिये गये और मरने-मारने का चेलेंज देकर वे वहां से निकले। छः स्टूडेंट होस्टल कैम्पस में खुले घूमते रहे और इस बीच के दौरान पुलिस को सूचित कर दिया गया। ऐसी हालत यूनिवर्सिटी कैम्पस में हो रही है। यह झगड़ा कभी भी हो सकता है, गोलियां चल सकती हैं, लड़के हथियार लिए घूम रहे हैं। सभापति महोदया, मेरा आज स्थगन प्रस्ताव लेने का विशेष कारण यह है कि दुबारा यह घटना होती है। 14 तारीख के बाद में 16 तारीख को फिर एक वहां के छात्र को बस स्टैंड पर चाकू मार दिया जाता है यह समझ करके कि यह उसी दल का छात्र होगा। वह छात्र भी मरते-मरते बचा। यह हमें दुख है कि मुकुटबिहारी भटनागर नाम के छात्र का देहान्त हो गया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारा यह विषय उठाने का कारण यह है कि इसके अन्दर राजनैतिक दबाव डालकर, सभापति महोदया, इस मामले को बिगाड़ा जा रहा है। आज हालात ऐसे हो गये हैं, माननीय सभापति महोदया, उदयपुर में भी वही हालात हैं जो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रोजाना होते हैं। बनारस यूनिवर्सिटी में रोज हुआ करते हैं और विश्वविद्यालय बन्द रहते हैं, रोजाना खून खच्चर होंगे और उसके अन्दर रोजाना मर्डर होंगे। इसके लिए राज्य सरकार के मंत्री महोदय विशेष रुचि रख कर के उसके अन्दर पॉलिटिकली प्रेशर डालकर छात्रों में ऐसा तनावपूर्ण वातावरण बना दिया है कि मैं कहता हूं, सभापति महोदया, या तो वे लड़के पुलिस की परेशानियों से चम्बल की घाटियों में चले जायेंगे या आत्म हत्या करेंगे। सभापति महोदया, इसलिए मैं विशेष तौर पर सरकार का और गृह विभाग का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अगर इस जांच को, जो अभी तक एक डी वाई. एस. पी. कर रहा था, चेंज करवा कर दूसरे को, जो पहले भी काफी बदनाम रह चुका है, वह जांच दी गई है। मेरा, सभापति महोदया, निवेदन है सरकार से कि इस जांच को, अगर वह निष्पक्ष जांच करवाना चाहती है तो, सी. आई. डी. को दे वरना वातावरण, सभापति महोदया, ऐसा खराब होगा कि यह सरकार और पुलिस नहीं सम्भाल सकेगी। उदयपुर में आग लग जायगी जगह जगह पर। बच्चों का कोई दोष नहीं है। बच्चों के अन्दर जो भी भावना डाली जाती है, वह हमारे सारे राजनैतिक लीडर्स का दोष है। हम एक गुट का पक्ष लेते हैं कोई दूसरे गुट का पक्ष लेता है। उनका काम है पढ़ाई करने का। हमारा काम यह नहीं है कि हम उनको भड़कावें कि उसको मारो और इसको मारो। सभापति महोदया, मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि सरकार ने अगर इस जांच को सी. आई. डी. में नहीं बदला तो यह घटना साधारण घटना मत समझिये। इसमें डाकू पैदा होंगे और वे करवाये जायेंगे सरकार के द्वारा क्योंकि उनको मजबूर किया जा रहा है उनके

Page No 78

78

(श्री देवीसिंह भाटी)

परिवार को, उनको। पुलिस की ज्यादतियां सहन नहीं हो रही है। उनके परिवार वाले और वे दर दर घूमते फिर रहे हैं उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आज हमें आवाज उठानी पड़ी। सभापति महोदया, इसलिए मैं वह जो मंत्री विशेष हैं उनको भी आगाह कर दूं कि राज्य सरकार के मंत्री विशेष हैं वे रुचि रखते हैं, बराबर प्रेशराइज करते हैं, वे सावधान हो जावें वरना जैसी हालत....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौन हैं वे मंत्री ?

श्री देवीसिंह भाटी : जो हैं वे समझ जायेंगे।

श्री सभापति : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया, तो दुबारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने अगर इस जांच को सी. आई. डी. में नहीं बदला और फिर दुबारा घटना घटित होगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, यही मैं आपको आगाह करा देता हूं।

श्री सभापति : श्री चन्द्रवीर सिंह।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदया, 14 मार्च को जो उदयपुर में घटना घटी यह घटनायें बड़ी दुखद और अप्रिय घटना है। इस घटना के घटने का कारण कई दिनों से चलता आ रहा है और यह घटनाचक्र चलते चलते यह परिस्थिति पैदा हो गई और उत्पन्न हो गई कि एक छात्र की दो गुटों के झगड़े में मृत्यु हो गई। माननीय सभापति महोदया, छः मार्च, 1981 को उदयपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय ने श्री जे. पी. सिंह, आई. ए. एस. कलेक्टर एण्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उदयपुर, डी. आई. जी. एण्ड एस. पी. को यह सूचित किया था, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं यह आपको पढ़ कर सुना दूं:

Whatever be the reasons and the past instances, I am now more worried about the future. I am afraid that the events may take a more serious turn which may prove dangerous and may result in loss of life and property.

छः मार्च को, माननीय सभापति महोदया, वाइस चांसलर महोदय ने वहां के जिला प्रशासन को सूचित कर दिया था कि यूनिवर्सिटी में इस तरह का घटनाक्रम चल रहा है जिससे कि आपस में दो छात्रों के गुटों में झगड़ा होने की सम्भावना है और यह झगड़ा एक भारी रूप ले सकता है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, माननीय सभापति महोदया, जिला प्रशासन ने इसके ऊपर कोई तवज्जोह नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि 13 मार्च, 81 को एक विद्यार्थी को क्लास में से बाहर निकाल कर पीटा गया। यह दो गुटों का झगड़ा है। इसको मैं राजनैतिक रंग

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

नहीं देना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदया, आपसे भी और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मानवीय समस्या है । यह समस्या छात्रों की समस्या है, इसको राजनैतिक रंग नहीं देकर उच्च स्तर पर सुलझाने और निपटाने की कोशिश करें। माननीय सभापति महोदया, 13 मार्च को जिस छात्र को क्लास से बाहर निकाल कर पीटा गया, मारा गया तो उसकी एफ. आई. आर. सूरजपोल थाने में दर्ज कराई गई । डीन ने भी पुलिस को सूचना दी लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । सभापति महोदया, 14 मार्च को एक गुट के छात्रों ने जे. सी. वोस होस्टल के रूम में यह तय किया कि दूसरे गुट के छात्रों को सबक सिखाया जाय। इन तथ्यों से पुलिस अवगत थी । पुलिस को जानकारी दी, इस तरह से झगड़ा हो रहा है । पुलिस अगर सतर्कता से कार्य करती तो यह झगड़ा रुक सकता था । इस झगड़े के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे छात्रों को बचाया जा सकता था । 14 मार्च को यूनिवर्सिटी में 11 बजे एक गुट के लड़कों ने हथियारों से लैस होकर कालेज में प्रवेश किया । उन्होंने हवाई फायर किया । हवाई फायर करके वहां पर जो लेक्चरर थे, यूनिवर्सिटी का स्टाफ था, उसको भयभीत किया । उसके उपरांत इन लड़कों ने वहां खुले आम हथियारों का प्रदर्शन किया । इससे, सभापति महोदया, दो गुटों में झगड़ा हुआ, झगड़े के कारण एक छात्र की मृत्यु हुई । सभापति महोदया, यह तथ्य इसलिये पेश करना चाहता हूं, उदयपुर के यूनिवर्सिटी कैम्पस की स्थिति तनावपूर्ण बनती जा रही है । आज राज्य सरकार नहीं चेती तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को चेताना चाहता हूं, अगर आपने समय रहते कोई कार्य नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया तो फिर झगड़ा होगा और हो सकता है खून खच्चर हो । माननीय सभापति महोदया, उदयपुर शहर और यूनिवर्सिटी कैम्पस में यह आम भावना बनती जा रही है कि एक मंत्री महोदय एक गुट को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं । अगर मंत्री महोदय, किसी एक गुट को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं तो छात्रों में झगड़ा होगा । इसलिये राजनैतिक रंग नहीं दिया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह छात्रों का झगड़ा है । इसे राजनैतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिये । मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं न्याय की दृष्टि से यह उचित होगा, माननीय सभापति महोदया, इस इन्क्वायरी को सी. बी. आई. को सौंप देना चाहिये । सभापति महोदया, अगर आज राज्य सरकार ने इसे सी. बी. आई. को नहीं दिया तो जनता में आम भावना फैलती जा रही है कि मंत्री महोदय एक विशेष छात्र गुट को संरक्षण दे रहे हैं, इस भावना को खतम करने के लिये, और उचित न्याय की दृष्टि से निवेदन करना चाहूंगा इस इन्क्वायरी को सी. बी. आई. के सुपुर्द कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : क्षमा करें । श्री जीतमल जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : मैं केवल आधा मिनट लूंगा। इस घटना के कारण मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं, उनको बोलने दीजिये।

श्री भूपालसिंह।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : यह इनके क्षेत्र उदयपुर का झगड़ा है और यह ज्यादा विवरण देंगे, मेरी बजाय इनको समय दे दें।

श्री सभापति : श्री उम्मेद सिंह।

(अनुपस्थित)

आप बोलिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह घटना जिस ढंग से घटी है, उसकी जानकारी तो सदन में मैंने और माननीय सदस्यों ने दे दी थी लेकिन इससे यह झगड़ा और पूर्व में आगे बढ़ा। मैंने जिस बात को रखा था, दो गुटों का झगड़ा है और एक गुट आक्रमण के लिये गया था, दूसरा गुट अपना प्रोटेक्शन लेकर लड़ा। उसमें एक छात्र की मृत्यु हुई। दोषी दोनों हैं। दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिये। एक तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। इस बात को लेकर एक गुट विशेष मुझे स्वयं को विधान सभा के पोर्च में धमका गया कि आपको हम देख लेंगे, आपने कैसे बोला, यह बयान कैसे दिया। मैंने इसका ब्रीच आफ प्रिविलेज भी मूव कर रखा है। श्रीमान्, यह इतनी जो हिमाकत हो रही है, उनके लिये, उसके पीछे निश्चित रूप से मंत्री विशेष के प्रोटेक्शन के कारण यह हिम्मत होती है। एक माननीय सदस्य ने जो जायज मांग उठायी है, जो लड़कों के साथ अन्याय हुआ, उसके कारण मुझे धमकी दी जाय, मुझे मारने का डर बताया जाय ताकि मैं अपने अधिकार का प्रयोग न कर सकूं यह इस बात को बिलकुल साबित करता है कि निश्चित रूप से प्रोटेक्शन मिल रहा है। हमें झगड़े को शांत करना चाहिए, वह तो हो गया, हमें उनको बैठाकर समझाना चाहिये। यदि लड़के भावुकता में कोई गलती कर डालें तो क्या हम सुलझा नहीं सकते हैं? क्या हम उनके खिलाफ जो लोग आक्रमण कर रहे हैं, खुले हथियार डेढ़ किलोमीटर दूर से लेकर आये, पुलिस के सामने चौराहे से निकले, कालेज के अन्दर फायर किया, उसकी सूचना टेलीफोन से दी, वहां के डीन ने कंट्रोल रूम को। कंट्रोल रूम को सूचना देने के बाद आपको सुनकर ताज्जुब होगा, जो कार गई थी, वह एन. डी. कालेज चली गई, क्या वह एग्रीकल्चर कालेज नहीं जानती थी। सारी लापरवाही के कारण यह हुआ और उसके कारण उस बालक की मृत्यु हुई। उसके बारे में है, बल्कि इस कारण से, हमारी सहानुभूति के कारण से पिछले लम्बे समय से प्रवोकेशन हो रहा है, हम रोज यहां जूत खा आते हैं, कभी कुछ लेकर आओ मैं सारा निबट लूंगा। इस प्रकार का कृत्य किया। मैं चाहूंगा कि दोनों विद्यार्थी गुटों में से कोई भी दोषी है, उनके साथ सख्त कार्यवाही करें। इस झगड़े को सुलझाने की कार्यवाही करें। जो छात्र लड़ने भिड़ने वाले थे वह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तो भाग गये होस्टल खाली करके। और जो मुकदमा दर्ज कराने गये उनको पकड़ कर अंदर बैठाकर यह ढोल पीट दिया कि 302 के मुजरिम को पकड़ लिया, यह सरासर झूठ है। कोई दुनियां भर की लिस्ट दिखा दे तो वह सारे अपराधी नहीं हो जाते हैं। यह झगड़ा जिस ढंग से भागते हुए लड़कों पर वार हुआ उसके कारण 13–14 लड़कों के नाम लिखे वह दोषी नहीं हैं। दोनों दोषी हैं। जो आक्रमण करने के लिये गये थे, और जिन्होंने आक्रमण करने से भागते समय मार खाई। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि, मैंने पुलिस डिमाण्ड पर भी मांग की थी, इसकी न्यायिक जांच कराई जाय। इसको सी. बी. आई. को सौंपा जाय, सी. आई. डी. ब्रांच को सौंपा जाय। जो कल्परिट्स हैं, इसमें, उन लोगों के साथ सख्ती से निबटा जाय।

श्री सभापति : आपका नाम नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदया, उन्होंने कहा था कि अलग से बोलने के लिये समय दिया जायगा। मैं दो मिनट में समाप्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, यह प्रमाणित हो चुका है कि हिन्दुस्तान में सबसे अधिक सस्ती बिजली किसी से मिल सकती है तो वह पन बिजली घर है। चार मार्च को लोक सभा के अन्दर विक्रम महाजन, जो सिंचाई और विद्युत मंत्री हैं, ने कहा है कि विद्युत सबसे सस्ती 12 से लेकर 15 पैसे प्रति इकाई पन बिजली घर से पड़ती है। जब कि तारापुर और अणु विद्युत संयंत्र इकाई से पैदा होने वाली बिजली 16-17 पैसे प्रति यूनिट पड़ती है। और वर्तमान में अणु विद्युत संयंत्र की यह लागत 30 से 33 पैसे प्रति यूनिट आती है। मेरा निवेदन करना यह है कि राजस्थान में दो पन बिजली घर हैं, एक राणा प्रताप सागर और दूसरा जवाहर सागर। इसमें 3,185 लाख रुपये की लागत हमारी लगी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि जो दो पन बिजली घर हैं, इन दोनों पन बिजली घरों से 271. मेगावाट बिजली हमको मिलनी चाहिये अर्थात राणा प्रताप सागर से बिजली मिलनी चाहिये वह 172 मेघावाट मिलनी चाहिये। दुर्भाग्य से चार यूनिट में से एक यूनिट वहां काम कर रही है और 14 मेगावाट बिजली मिल रही है। इस प्रकार यही दुर्दशा हमारे जवाहर सागर पन बिजली घर की है। जिसके अन्दर तीन यूनिट हैं और तीन यूनिट में से केवल एक यूनिट काम कर रही है। और बिजली मिल रही है, वह 10 मेगावाट मिल रही है। अर्थात 271 मेगावाट बिजली में से 24 मेगावाट बिजली हमारी राजस्थान की भोली भाली जनता को, 3,185 लाख रुपये खर्च होने के बाद मिल रही है। मेरा निवेदन करना यह है कि जो हमें आय-व्ययक का अनुमान पत्र दिया है, इसमें लिखा है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं पन बिजली घर पर बोल रहा है।

श्री सभापति : पन बिजली घर पर नहीं दिया है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : मैंने दिया हुआ है।

श्री सभापति : आपने दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ नहीं है।

एक माननीय सदस्य : जानकारी के लिये भेजा गया।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्थगन प्रस्ताव दिया है, जानकारी के लिये दिया है।

मैं यह निवेदन कर रहा था, 81-82 वर्ष में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आय व्ययक अनुमान पत्र में लिखा गया है, जवाहर सागर के लिये, वर्ष 81-82 में वार्षिक योजना के लिये आवंटित राशि हमारी आवश्यकता से बहुत कम थी। इसलिये वर्ष 81-82 और 80-81 के पूंजीगत व्यय में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया था एवं किया जा रहा है। मेरा निवेदन करना यह है कि चार यूनिट में से तीन यूनिट राणा प्रताप सागर की और जवाहर सागर की तीन यूनिट में से एक यूनिट बंद पड़ी हुई हैं। उसके बावजूद, इस आय व्ययक पत्र में दोनों डिपार्टमेंट के लिये जो कह रहे हैं, 80-81, 81-82 में कोई पैसा धनराशि इसके लिये नहीं रखी गई, इस कारण से यह पन बिजली घर बंद होने की स्थिति में आ रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

10 पैसे प्रति यूनिट मिलने वाली बिजली हम आज पैदा नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन करना यह है आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी बिराज नहीं रहे हैं, उनसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि पन बिजली घर से सस्ती बिजली मिलने के लिये पूरा पूरा ध्यान दिया जाय, बजट की राशि बढ़ायी जाय। आज शराब से करोड़ों की धनराशि लाइसेंस से प्राप्त कर ली है। इसलिये शराब की आय से ही सही, जो नापाक आय है, उस नापाक आय से ही सही लेकिन पन बिजली घर को ठीक प्रकार से चलाने की कृपा करें।

श्री सभापति : अजमेर नगर में पेय जल की कमी, श्री कैलाश मेघवाल

(अनुपस्थित)

श्री चन्द्रवीरसिंह : माननीय सभापति महोदया, जो मैंने विचार प्रगट किये हैं, मैं आपके माध्यम से उन पर व्यवस्था चाहूंगा।

श्री सभापति : इसकी जानकारी की जा रही है। जानकारी आने पर ...

श्री देवीसिंह भाटी : अगर आज के दिन स्थिति को नहीं संभाला गया, अगर सी. आई. डी और सी. बी. आई. से जांच नहीं करवाई गई तो पुलिस के द्वारा ज्यादती की जा रही हैं किसी की जान चली गई तो सरकार की जिम्मेदारी होगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदया, भोले भाले बच्चे मार दिये गये इसलिये हम चाहते हैं कि इसकी सी.आई.डी. से जांच करावाई जावे।

(व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है....

श्री देवीसिंह भाटी : जानकारी की जा रही है यह बात तो सही है लेकिन आसन से आप व्यवस्था दीजिये....

श्री चन्द्रवीर सिंह : मंत्री महोदय, जवाब नहीं दे रहे हैं, सभापति महोदया, समझ में नहीं आता ...

श्री देवीसिंह भाटी : बच्चों के परिवारों के ऊपर इस प्रकार से ज्यादती करते रहेंगे तो तनाव ज्यादा बढ़ता रहेगा। जो निर्दोष हैं

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह : इज्जतदार बच्चों की खानाखराबी की जा रही है

सभापति महोदया, यह चिन्ता का विषय है, इसमें विस्फोटक स्थिति है और कभी भी आग भड़क सकती है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदया निर्दोष बालक मारा गया....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : सभापति महोदया, मुझे अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया था कि आपके स्थगन प्रस्ताव के संबंध में आपको दो मिनट मौका दिया जायगा। मेरे क्षेत्र का एक आदमी 10-1-81 का हरिद्वार के लिये रवाना हुआ था उसका आज तक कोई पता नहीं लगा। अगर यही आदमी कोई बड़ा सेठ, जागीरदार या नेता होता तो दुनियां में तहलका मच जाता लेकिन एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला काश्तकार जो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदया, मुझे आदेश दिया गया था स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था के समय....

(व्यवधान)

श्री सभापति : श्री महाराम जी, आप बोलिये।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदया, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदया, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव के जरिये ...

आपने आदेश दिया है कि मैं बोलूं लेकिन बोलने दें तब....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं आपकी आज्ञा का हमेशा पालन करता हूं।

श्री सभापति : इस बारे में सरकार जानकारी प्राप्त कर रही है।

श्री नाथूसिंह : नहीं, ऐसा नहीं है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि सुन लीजिये, आपके नहीं जंचे तो मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय का जो विषय उठाया गया, यह सदन में पहले आ चुका है और मंत्री महोदय भी इस बारे में बोल चुके हैं। माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं लेकिन उसके पश्चात् सरकार को पूरी जानकारी है और प्रभारी मंत्री जी, खुशी की बात है कि वहां से आने वाले मंत्री महोदय जो यहां बैठे हुए हैं उनको जानकारी है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा वहां पहले से बहुत ज्यादा विस्फोटक स्थिति हो गई है इसलिये मैं निवेदन करता हूं इस सदन का समय खराब करने के लिये नहीं बल्कि....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं कह चुकी हूं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं, इसलिये माननीय मंत्री महोदय ...

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करती हूं माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। इसके बारे में क्षमा करें, मैं आपकी भावनाएं अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगी, निर्णय देना उनके हाथ में है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उदयपुर यूनिवर्सिटी में झगड़ा जिस प्रकार होता गया और उसको आगे नहीं....

(व्यवधान)

इसलिए हम चाहते हैं कि पुलिस द्वारा जांच न की जाकर सी. आई. डी. या सी. बी. आई. से करवाई जाय। दो गुटों में झगड़ा है वह आगे नहीं बढ़े इसलिये हम चाहते हैं कि जांच पुलिस द्वारा न होकर सी. आई. डी. द्वारा निष्पक्ष जांच हो और दोषी को सजा दें।

(व्यवधान)

इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सी. आई. डी. से जांच करवायें और आज या कल ही इसमें आदेश दें क्योंकि पुलिस वहां लड़कों में ऐसा वातावरण पैदा कर रही है जिससे वे हथियार लेकर घूम रहे हैं। पहले भी एक निर्दोष बालक मारा गया और फिर दुबारा कोई बालक मारा जायगा इसलिये आज ही सरकार सी. आई. डी. को आदेश दिलवावे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने प्रतिवेदन दे दिया और सरकार को स्थिति बता दी, अब सरकार विचार कर रही है ...

श्री चन्द्रवीरसिंह : सभापति महोदया, निर्दोष आदमियों के मुकदमे दर्ज किये गये हैं उनके घरों में जाकर, इज्जतदार आदमियों के घरों में घुस कर खाना तलाशी ले रहे हैं, क्या यह उचित है ? आप स्वयं उस क्षेत्र में विराजती हैं इसलिये आज उन लोगों में फिर झगड़ा हो सकता है इसलिये बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं ...

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : पाइन्ट आफ आर्डर।

(श्री चतुर्भुज)

(व्यवधान)

पाइन्ट आफ आर्डर, सभापति महोदया, मेरे समझ में नहीं आता ...

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : पहले रूल कोट कीजिये।

एक माननीय सदस्य : पहले रूल तो बताइये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कोई एक बोले तो समझ में आये। माननीय सदस्य, पहले उनकी बात सुनने दें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मैं बार बार निवेदन कर रही हूं, स्थान ग्रहण करें और सदन की आगे की कार्यवाही चलने दें।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय सभापति जी प्रश्न यह है कि....

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तेजपाल यादव : अव्यवस्था का वातावरण फैला रहे हैं।....

श्री सभापति : अब आप स्थान ग्रहण करें। आपकी बात सुन ली है।

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसी परम्परा नहीं होनी चाहिये....

श्री तेजपाल यादव : आवश्यकता है कि इनको कन्ट्रोल किया जाय।....

श्री सभापति : आप लोग स्थान ग्रहण करें। काफी देर से शोर हो रहा है मैं बारबार निवेदन कर रही हूं। इस प्रकार क्या सदन की कार्यवाही चल सकती है? एक माननीय सदस्य बोलें तो उसका जवाब दिया जा सकता है। श्री महाराम चौधरी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री सभापति : आप बोल चुके हैं। आपकी बात सुन ली गई है। इसमें हस्तक्षेप करने का तो नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : मैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये आपका और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दुलाराम पुत्र भीमाराम ग्राम पोटलिया तहसील भागरा, जिला नागौर उसके पिताजी के स्वर्गवास हो जाने से गंगाजी को फूल लेकर रवाना हुआ था और अपने गांव से रवाना होने के बाद में उसका आज तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस वाले यह जानकारी करते हैं कि कौन से गांव में कौन सा बूढ़ा आदमी स्वर्गवास हो गया है और बारहवां करने जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर पुलिस अधिकारी अपनी वसूली करने के लिये, जानकारी करने के लिये पहुँच गये कि हमारी क्या वसूली होगी लेकिन वहां जाने के बाद मालूम हुआ कि गंगाजी जो आदमी गया था वह आदमी वापस नहीं लौटा है लेकिन पुलिस द्वारा उसको ढूंढने की, उसका पता लगाने की इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गई। यह

(श्री महाराम चौधरी)

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला साधारण आदमी था, जो अनपढ़ था। अभी तक उसका पता नहीं चला है। यदि कोई सेठ साहूकार, राजनेता या शहर में रहने वाला गुम हो जाता तो शायद तूफान मच जाता उसको ढूंढने के लिये सब जगह शोर होता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के जान माल की सुरक्षा और उनका पता लगाने के लिये यह सरकार चिन्तित प्रतीत नहीं होती है। जणीम, मौसर की वसूली के लिये तो पुलिस पहुंच गई लेकिन उसका पता लगाने की कार्यवाही नहीं की यह मैं आपके जरिये सरकार को सूचना देना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री नाथूसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : मुझे क्षमा करें। श्री प्रद्युम्न सिंह।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

प्रतिवेदन

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, विद्युत) : सभापति महोदया, मैं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवचरण माथुर।

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री शिवचरण माथुर (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : सभापति महोदया, मैं, राजकीय उपक्रम समिति, 1980-81 का राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1973-74, से सम्बन्धित समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

राजकीय उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। माननीय सदस्य। आप कौनसे नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं। पहले रूल बताइये।

श्री नाथूसिंह : अण्डर रूल 294, माननीय सभापति महोदया, जो अनुपूरक कार्यसूची हम को मिली है उसमें आइटम नं. 2 में सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र, उसमें माननीय मुख्य मंत्री की ओर से विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन 1979–80 को सदन की मेज पर रखा जायगा। सभापति महोदया, इसमें मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह 1981-82 का वित्तीय वर्ष चल रहा है और उसमें, सभापति महोदया, 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन आज सदन की मेज पर रखा जा रहा है। 1980-81 का प्रतिवेदन गायब है 1981-82 चल रहा है और 1979-80 का प्रतिवेदन अब रखा जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि यह सरकार कितना पीछे जा रही है, सो रही है....

श्री सभापति : आपने पाइंट आफ आर्डर रख दिया....

श्री नाथूसिंह : यह सरकार सजग नहीं, है। सरकार को 1980-81 की रिपोर्ट तैयार करवा कर सदन की मेज पर रखनी चाहिए थी और 1979-80 की रिपोर्ट इतनी लेट रख रही है सदन के पटल पर....

श्री सभापति : यह पाइंट आफ आर्डर में नहीं आता है। इस पर भाषण नहीं होगा। आपने पाइंट आफ आर्डर रेज कर दिया।

कृपया भाषण न दें।

श्री राजबहादुर : सभापति महोदया मुझे यह बिन्दु रखना है कि आज आर.एस.इ.बी. की रिपोर्ट्स के ऊपर चर्चा होगी। इसके लिये सारा दिन रखा गया है। अगर आज के दिन 1979-80 की रिपोर्ट सदन के पटल रखी जाती है, 1980-81 की रिपोर्ट भी नहीं रखी गई है, तो मान जाते लेकिन हमारे पास 1978-79 की रिपोर्ट आज आ रही है, तो हम किस प्रकार से तैयारी करके बहस में भाग ले सकते हैं। 1981-82 का बजट भी आज ही सर्कूलेट किया गया है। इसलिये इस पर चर्चा करने के लिये उचित समय तो मिलना चाहिये। एक साथ आज सवेरे ही यह दी जाय तो यह कैसे संभव होगा कि हम अपटूडेट तरीके से बहस में भाग ले सकें। क्या ये सरकारी पक्ष ताड़ना के योग्य नहीं है ? इतनी लापरवाही बरती गयी है।

They are the House for a right without caring for the legitimate right of the House.

श्री सभापति : मंत्री महोदय आपको कहना है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, यह कोई नयी बात नहीं है। यह परम्परा इस प्रकार से होती रही है मैंने आज सुबह ही अर्ज किया था माननीय अध्यक्ष महोदय के यहां पर मिले थे, आपसे निवेदन किया था पास्ट में ऐसा हुआ है। कौनसी नई बात है ?

श्री राजबहादुर : यह गलत परम्परा है। कोई इस पर ईमानदारी के साथ कह सकता है That he has applied his mind to the budget or to the report. No body can say.

उन्होंने खुद ने ही इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है फिर उस पर सदन में कैसे विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : अपटूडेट रिपोर्ट के अभाव में हम कैसे विचार व्यक्त करेंगे ? आज चर्चा होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसके पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह आपने डेफर कर दिया है।

श्री सभापति : पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय आपके पाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था देंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री नाथूसिंह : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव

Page No 88

(88)

(श्री नाथूसिंह)

दिया था उस पर विचार प्रकट नहीं किये हैं। वह सरकार को सूचना भिजवाने के लिये भेजा गया है। माननीय अध्यक्ष की यह व्यवस्था है कि माननीय सदस्य विचार प्रकट करना चाहें तो दो मिनट बोल सकते हैं। इसलिये आप मुझे इजाजत दें।

श्री सभापति : वह समाप्त हो गया। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लिया जा रहा है इस पर जिनको बोलना है वे बोलेंगे।

श्री नाथूसिंह : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था वह सरकार की जानकारी के लिये भेजा गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मुझे क्षमा करें।

श्री नाथूसिंह : पलाना परियोजना पर लोक सभा में भी चर्चा हुई है। इसके लिये दो मिनट का समय दें।

श्री सभापति : आज की कार्यवाही की सूची में नहीं है इसलिये मैं आपको समय नहीं दे सकती।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव श्री उम्मेदसिंह

श्री नाथूसिंह : स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट देने का कष्ट करें।

श्री सभापति : आज समय नहीं दे सकती। मेरे अधिकार के बाहर की बात है। सूची में नहीं है। मैं आपको समय नहीं दे सकती।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य सरकार द्वारा नमक उत्पादन बन्द करने के फ़लस्वरुप डीडवाना के श्रमिकों की बेरोजगारी

श्री उम्मेद सिंह : राज्य सरकार द्वारा नमक उत्पादन बन्द करने से डीडवाना के हजारों श्रमिक बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना) : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नमक उत्पादन बन्द करने से डीडवाना के हजारों श्रमिक बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, उद्योग) : डीडवाना....

श्री उम्मेदसिंह : मैं कुछ कह दूं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : पहले मैं कह दूं फिर आप प्रश्न पूछ लेना। डीडवाना नमक स्रोत पर इस समय कुल 1200 क्यारे नमक बनाने हेतु विभिन्न लोगों द्वारा चलाये हैं। वर्तमान में करीब 1030 क्यारे उत्पादन कार्य कर रहे हैं। इन 1030 क्यारों में से 640 क्यारे लीज पर कार्यरत हैं तथा शेष पुश्तैनी अधिकारों के अन्तर्गत कार्यरत हैं तथा पुश्तैनी 390 क्यारे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अन्तर्गत प्रति वर्ष 10 जून तक नमक का उत्पादन करने के लिये अधिकृत हैं।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

दिनांक 1–4–80 को 7, 57, 523 क्वि० नमक स्टाक में उपलब्ध था जो दिनांक 28–2–81 को 16, 64, 875 क्वि० हो गया है। नमक उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हो जाने से नमक का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है। इस वर्ष 11 लाख क्वि. नमक उत्पादन लक्ष्य के अन्तर्गत 16,89,808 क्वि. नमकका उत्पादन फरवरी माह तक हो चुका है तथा यह सम्भव है कि इस वर्ष में उत्पादन 18 लाख क्वि. से भी अधिक हो। उक्त अप्रत्याशित उत्पादन वृद्धि के कारण विभाग के पास उत्पादित नमक को रखने के लिए उचित भण्डारन की व्यवस्था नहीं है। विभाग ने आशा से अधिक का स्टोर कर लिया है। जहां तक विक्रय संबंध है इस वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 1·50 लाख क्वि. नमक अधिक विक्रय होने की सम्भावना है जिससे स्पष्ट है कि विक्रय को उत्पादन के साथ ही बढ़ाया गया है। पूर्व वर्ष में विक्रय 7·50 क्वि. के करीब था तथा इस वर्ष फरवरी के अन्त तक 7,83,000 क्वि. हो चुका है।

डीडवाना नमक स्त्रोतों पर खाने योग्य एवं न खाने योग्य दो प्रकार का नमक प्राकृतिक रूप में बनता है। माह नवम्बर से 31 मार्च तक पैदा होने वाला नमक अधिकतर खाने योग्य बनता है जो कुल उत्पादन की मात्रा का 20 से 25 प्रतिशत होता है। अप्रैल से जून माह तक बनने वाला 75 से 80 प्रतिशत नमक न खाने योग्य होता है। पिछले वर्ष के अन्त तक खाने योग्य नमक 93·5 प्रतिशत शुद्धता का होता था परन्तु इस वर्ष भारत सरकार के खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाने योग्य नमक का मापदण्ड 95 प्रतिशत शुद्धता कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में स्त्रोत पर उत्पादन होने वाले नमक में न खाने योग्य नमक की मात्रा और बढ़ गई है। न खाने योग्य नमक केवल चमड़ा व कारखाने जैसे उद्योगों में ही कार्य में आता है। कास्टिक सोडा जैसे उद्योग खाने योग्य नमक से भी अधिक शुद्ध नमक को काम में लेते हैं। ऐसी स्थिति में न खाने योग्य नमक का बाजार बहुत सीमित है। वर्तमान में विभाग के पास प्राप्त भंडार में 15·54 लाख क्वि. नमक न खाने योग्य है जब कि खाने योग्य नमक का भंडारन केवल 1·10 लाख क्वि. के करीब है।

स्त्रोत पर इस समय 640 क्यारे लीज एग्रीमेंट पर चल रहे हैं जिसमें 640 ही परिवार कार्यरत हैं। ये परिवार एक विशेष अनुबन्ध के अन्तर्गत नमक पैदा करते हैं। इस अनुबन्ध के अनुसार केवल स्टेण्डर्ड क्वालिटी का नमक ही बनाया जाना होता है फिर भी विक्रय को देखते हुए अभी तक अनुबन्ध के क्यारों से भी नमक पुश्तैनी क्यारों के अनुसार 10 जून तक बनवाया जा रहा है। इस वर्ष भारी स्टाक को देखते हुए राज्य सरकार ने इन 640 क्यारों में दिनांक 1–4–81 से नमक उत्पादन बन्द करने के आदेश जारी किये हैं। आदेश जारी करने के प्रमुख कारण निम्न हैं :—

(1) न खाने योग्य नमक का सीमित बाजार होना

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(2) भंडारन के लिए उपयुक्त भंडारों का उपलब्ध नहीं होना।

(3) खाने योग्य नमक के मानदण्डों में बढ़ोतरी किया जाना।

(4) भंडारन की मात्रा में वृद्धि के कारण राज्य सरकार की धनराशि का ब्लाक होना।

जैसा कि ऊपर बताया गया है इस कार्यवाही से केवल 640 परिवारों को रोजगार का नुकसान होगा। ये परिवार केवल 2 माह एवं 10 दिन के लिए रोजगार से वंचित होंगे क्योंकि नमक उत्पादन 10 जून को हर स्थिति में बंद कर दिया जाता है। इन 640 परिवारों में 200 अन्त्योदय परिवार भी सम्मिलित हैं।

राज्य सरकार के उक्त निर्णय से इन परिवारों को इस वर्ष अस्थाई रूप से ही केवल 210 दिन के रोजगार से वंचित होना पड़ रहा है। साधारण स्थिति में अगले वर्ष वापस से पूर्ण समय के लिये रोजगार मिलता रहेगा।

श्री उम्मेदसिंह : जो 390 परिवार चल रहे हैं जो नमक का उत्पादन कर रहे हैं उनका तो नमक गवर्नमेन्ट खरीद लेगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उनसे नमक खरीदना लाजिमी है।

श्री उम्मेदसिंह : वह तो ठीक है लेकिन ये 640 परिवार तो बिलकुल गरीब हैं उनमें से 200 परिवार अन्त्योदय परिवार में से हैं जो कि नमक का उत्पादन कर रहे हैं। आज तक इन 10 वर्षों में, पिछले दस वर्षों में कभी भी 31 जून से पहले नमक बन्द नहीं हुआ है. सभापति महोदया, इस साल ही 31 मार्च को बन्द किया गया है। अकाल की स्थिति है तो क्या उनके रोजगार की कोई दूसरी व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया, जो मुख्य कारण हैं उनके बारे में मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि हमारे पास स्टाक नहीं है पुराना स्टाक बहुत चल रहा है, हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है भंडारन की व्यवस्था नहीं है, उनकी मार्केट में खपत नहीं है और यह सिर्फ 31 मार्च तक ही किया है। 31 जून तक तो वैसे भी हर हालत में बद हो जाता है अब यह खाने वाला नमक नहीं बन रहा है ...

(व्यवधान)

श्री उम्मेदसिंह : जो बेकार हो गये उनके लिए क्या व्यवस्था करेंगे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : एक एक करके बोलें।

श्री उम्मेदसिंह : ज्यादा उत्पादन नहीं होगा इससे सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा ? 120 क्यारे तो जो लीज पर दिये हुए हैं वह तो नमक का उत्पादन करेंगे।

Page No 91

(91)

श्री प्रद्युम्नसिंह : उसका इससे सम्बन्ध नहीं है। आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसका जरा मुलाहिजा फर्मायें। मैंने निवेदन किया कि 640 क्यारे बन्द किये जा रहे हैं उनका नमक लेने के लिये हम बाध्य नहीं हैं इकरार के तहत, गवर्नमेंट बाध्य नहीं है।

श्री उम्मेदसिंह : अकाल की स्थिति है और वह लोग बेकार हो गये हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल है उसके लिए क्या प्रबन्ध कर रहे हैं?

श्री महाराम चौधरी : 210 दिन के लिये जिन मजदूरों को आपने मजदूरी से महरूम कर दिया है क्या उनके लिये व्यवस्था की है? जिस तरह से किसी अधिकारी को कहीं से हटा देते हैं तो उसको दूसरी जगह नौकरी देते हैं। उनके पास खाने पीने का साधन नहीं है, उत्पादन बन्द कर दिया है तो क्या उनके लिये दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं या घर बैठे बैठे उनको मुआवजा देंगे? मेरा यही निवेदन करना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि 210 दिन नहीं है 70 दिन का ही नुकसान होगा। आपको सुनने में गलती हो गयी है या फिर मेरी ही गलती हो गयी है गला ठीक नहीं है। 70 दिन के लिये ही होगा। जून तक तो हर हालत में बन्द हो जाता है मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि हम इनसे 51 लाख क्वि. नमक खरीद चुके हैं और एवरेज 8 हजार रुपये एक आदमी को दिया है। मेरा आपसे कहना यह है कि कानूनन जो इकरार है उसके तहत सरकार बाध्य नहीं है। इन क्यारियों वालों से बाध्य है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हैं इसलिये हम बाध्य हैं। उनके लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ चुके हैं।

श्री उम्मेदसिंह : तो मेरा आपसे निवेदन करना यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट से नहीं आ सके इसलिये इनका बन्द कर दिया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ना, ऐसी बात नहीं है।

श्री उम्मेदसिंह : गरीब आदमी की रोजी रोटी का स्त्रोत नहीं है दूसरा कोई धन्धा नहीं है।

श्री महाराम चौधरी : मानवीय दृष्टिकोण से कोई व्यवस्था करने की आप सोच रहे हैं क्या? अगर यह व्यवस्था नहीं कर रहे हैं तो कोई दूसरी व्यवस्था करें जिससे कि वे अपना पेट पाल सकें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचंद कटारिया : ये सुप्रीम कोर्ट में चले गये इसलिये उनकी तो सुरक्षा हो गयी लेकिन जो अन्त्योदयी परिवार हैं गरीब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तो क्या लोअर कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं उनके लिये आप बन्द कर रहे हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक मिनट आप सुन लीजिये।

श्रीमान, सुप्रीम कोर्ट में कोई इस साल

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आठ दस साल पहले हुआ था। एक झगड़ा था उनका कि पुश्तैनी हक है, उस साल गये थे, इस साल गये या पिछले साल गये, यह बात गलत है। वहां पर हम अकाल राहत के कार्य खोलेंगे।

श्री सभापति : समाज कल्याण मंत्रीजी!

(व्यवधान)

श्री उम्मेदसिंह : उनकी रोजी रोटी छीन ली....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, एक प्रश्न मेरा भी है मेरे पड़ोस का मामला है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, जितने आदमी फ्लड से प्रभावित हुए क्या उन सबको अलाटमेन्ट कर दिया गया है, या उनमें से कोई बाकी रह गये हैं, अगर बाकी हैं तो उनको कब तक अलाटमेन्ट कर दिया जायगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह प्रश्न का घण्टा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, इस प्रश्न की जानकारी मुझे नहीं है, माननीय सदस्य मुझे लिखकर देंगे तो मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री सभापति : समाज कल्याण मन्त्रीजी अपना वक्तव्य देंगे!

(व्यवधान)

यह प्रश्न का घण्टा नहीं है माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि दो हजार अन्त्योदयी परिवार थे, आप कृपया जिनको अलाटमेन्ट हुआ है, उनकी एक सूची बनाकर, उनकी फाइनेन्शियल पोलिशन क्या है, क्या स्थिति है, क्या राज्य सरकार जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनकी चिन्ता नहीं करना चाहती है, उनके जीवन को भट्टी में झोंक देना चाहती है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी, नहीं। यह आरोप मिथ्या और निराधार है।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या निराधार है, कुछ कहो तो सही,

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री महोदय ने कह दिया दो महीने बेरोजगार रहेंगे, फिर बरसात आ जायगी, उसके बाद क्या होगा?

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : रोजगार की बात करते हैं, रोजगार जो दिया हुआ है उसको छीनने को तैयार बैठी है सरकार।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री महोदय ने कहा है दो महीने बेकार रहेंगे, जून में बरसात आ जायगी, जून जुलाई अगस्त सितम्बर तक बेकार रहेंगे....

(व्यवधान)

6 महीने तक बेकार रहेंगे

(व्यवधान)

क्या सरकार उनके रोजगार की व्यवस्था करेगी ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, अब इस पर चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि

(व्यवधान)

एक एक क्यारे वाले को औसतन आठ-आठ हजार सरकार दे चुकी है, जिनका नमक गला है

(व्यवधान)

अब आप नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मजदूरी की है, इन्वेस्टमेन्ट किया है, उनका कितना पैसा बना, आपने कोई एहसान थोड़े ही किया, उनका खर्चा हुआ होगा।

(व्यवधान)

श्री त्रिलोकसिंह : जो सबसे गरीब लोग हैं उनका गला दबा रहे हो....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें....

(व्यवधान)

आप वक्तव्य दीजिये, मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह कोई तरीका है, आप इनको ताड़ना दीजिये, किस प्रकार माननीय मन्त्री महोदय का व्यवहार है, एक तो माननीय दुलारामजी का और प्रद्युम्न सिंहजी का, इन दोनों का....

(व्यवधान)

ऐसे नाराज मत करो मन्त्री महोदय,

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, हमें जितनी जानकारी थी, उत्तर दे चुका

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हूं मैं एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा जब से विरोधी पक्ष के नेता महोदय की तबीयत खराब हुई, दाऊदयालजी का जोश बढ़ गया है।

(व्यवधान)

शासकीय वक्तव्य

महिला सदन, जयपुर में अव्यवस्था एवं आवासनियों की पुलिस द्वारा पिटाई

श्री हरसहाय मीणा (समाज कल्याण मन्त्री) : माननीय सभानेत्री महोदया, महिला सदन जयपुर में अधीक्षिका के पद पर एक लम्बे समय तक श्रीमती रूपा गुलवानी कार्यरत रहीं और उनका स्थानान्तरण इस पद से अन्यत्र किया गया। उनके स्थानान्तरण पर प्रस्थान करने के पश्चात् वहां की आवासनियां ने नई अधीक्षिका की नियुक्ति (पदस्थापन) के कारण सर्वदा हंगामा करने का प्रयास किया है।

इस सन्दर्भ में श्रीमती रूपा गुलवानी एवं श्रीमती सावित्री हरजानी व अन्य अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध भी समय समय पर विभागीय जांच की कार्यवाही की गई है।

माह नवम्बर, 1980 में एक लम्बे अर्से से कार्यरत अधीक्षिका श्रीमती रूपा गुलवानी का स्थानान्तरण पिण्डवाड़ा (जिला सिरोही) होकर प्रस्थान करने के दिन पुनः महिला सदन की आवासनियों ने उत्पात मचाया, हंगामा किया और महिला सदन की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया।

सायंकाल उसी रात्रि को इन आवासनियों ने महिला सदन में काफी देर तक तोड़फोड़ की और दूसरे दिन पुनः महिला सदन से बिना अनुमति प्रस्थान कर पास की पहाड़ी पर स्थित मन्दिर के आस पास डूंगरी पर चली गई और पुलिस से मुकाबला किया और काफी देर समझाने बुझाने के बाद पथराव की स्थिति को नियन्त्रण में लेने के पश्चात् ये आवासनियां वापस महिला सदन लौट आईं।

दूसरे दिन उन्होंने महिला सदन से पुनः प्रस्थान कर निदेशालय समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में आकर हंगामा किया और महिला सदन की खाद्य सामग्री विशेषकर "लाल मिर्ची" को लेकर निदेशालय में घुसकर उन्होंने काफी देर तक हंगामा किया।

दिनांक 10-11-1980 को श्रीमती रूपा गुलवानी से महिला सदन का सम्पूर्ण चार्ज श्रीमती तीजादेवी, वर्तमान अधीक्षिका द्वारा लिया गया। सायंकाल सात बजे 10 आवासनियां बिना आज्ञा लिये हुए चली गईं जिसमें से तीन आवासनियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर महिला आश्रयगृह, भरतपुर में भर्ती करा दी। दिनांक 13-11-1980 को जाने वाली 8 आवासनियों में से पांच पुलिस ने अन्यत्र पकड़ीं। तत्पश्चात् दिनांक 8-12-80 को सदन की आवासनियों में से 19 आवासनियों ने कार्यालय में आकर अधीक्षिका पर हमला किया। दिनांक 9-12-80 को उक्त आवासनियों के विरुद्ध

(श्री हरसहाय मीणा)

मुकदमा 357/80 बनाया गया और आवासनियों को सदन से गान्धीनगर शिशुगृह में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् विभाग ने दिनांक 6-2-81 को उत्तर रक्षा गृह, अजमेर में स्थानान्तरित किया। दिनांक 13-2-81 को न्यायालय द्वारा आवासनियों को जयपुर में ही रखने के आदेश दिये तथा दिनांक 28-2-81 को न्यायालय ने अपने आदेश संशोधित कर आदेश दिये कि विभाग इन आवासनियों को कहीं भी किसी भी सदन में बदलने में सक्षम है।

उक्त आवासनियों के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं० 1 के यहाँ चल रहे मुकदमे में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जयपुर में ही रखे जाने के आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन प्रस्तुत किया गया तथा सेशन कोर्ट ने दिनांक 9-3-81 को उक्त कोर्ट नं. 1 का आदेश गैर कानूनी करार देकर निरस्त कर दिया तथा व्यवस्था दी कि "होम्स एण्ड सेल्टर्स" के नियम 15 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग होम्स एण्ड सेल्टर्स में प्रवेश, प्रबन्ध, पुनर्स्थापन एक गृह से दूसरे गृह में स्थानान्तरित हेतु अधिकृत है। इससे पूर्व दिनांक 6–2–81 को 18 आवासनियों ने उत्तर रक्षा गृह, अजमेर में स्थानान्तरित करने पर दिनांक 12–2–81 को उत्तर रक्षा गृह अजमेर में तोड़ फोड़ की व दीवारों को कूद गईं। स्टेशन पहुंच कर उन्हें समझा बुझा कर लौटाया गया तथा दिनांक 13–2–81 को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं. 1, जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके आगृह पर इन्हें जयपुर में रहने का उपरोक्त वर्णित निर्णय दिया जिसे बाद में जिला सेशन जज द्वारा निरस्त कर दिया गया। चूंकि इन आवासनियों द्वारा पुनः तोड़ फोड़ करने का अन्देशा था अतः इन्हें शिशु गृह भवन गांधी नगर, जयपुर में रखा गया है। आवासनियों की उक्त अनुशासनहीनता एवं उद्दण्डता के कारण विभाग में इनके विरुद्ध जांच विचाराधीन है।

उक्त आवासनियों द्वारा तोड़ फोड़ करने, मारपीट करने व अनुशासनहीनता तथा उद्दण्डता दर्शाने के उपरान्त भी इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक समझा बुझा कर इनके पुर्नसंस्थापन के प्रयास किये जा रहे हैं।

सदन से जाने के बाद उक्त सब आवासनियां सदन में वापस आ गई थीं किन्तु सेसन कोर्ट के उक्त निर्णय के बाद दो आवासनियां महिला सदन से और दो उक्त शिशु गृह भवन से चली गई हैं। उनमें से दो आवासनियां कोटा में पकड़ी गईं।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि महिला सदन में उक्त आवासनियों की अनुशासनहीनता के उपरान्त भी उन्हें नियमानुसार सदन से निष्कासित नहीं किया एवं उनके साथ मानवीय व्यवहार व सहानुभूति का रुख रखा जा रहा है। इनके पुर्नसंस्थापन के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सदन में कोई दमन चक्र नहीं चलाया जा रहा है और सदन में स्थिति शांतिपूर्ण है। इनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

श्रीमति विद्या पाठक (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को तो बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि नवम्बर की वारदात के बाद आज एक अप्रैल को आपने स्टेटमेंट दिया। विधान सभा को चलते भी बहुत समय हो गया मगर आज इतने स्थगन प्रस्ताव देने के बाद आपने स्टेटमेंट दिया उसके लिये तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि प्रसीडेंट अच्छा कायम कर रहे हैं आप। ये जन प्रश्न आपके पास पहुंचे और स्थगन प्रस्ताव पहुंचे तभी आपने नहीं दिया, बात कोई नई नहीं, विभाग जयपुर में ही है, दिया जा सकता था फिर भी मैं धन्यवाद देती हूं और यह अच्छी प्रणाली है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि आपका विभाग समाज कल्याण विभाग है या पुलिस विभाग है। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है, आप अपने विभाग को ठीक करें, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका मामला है मगर समाज की समस्याओं को आप पुलिस के संरक्षण में पुलिस द्वारा हल कराना चाहते हैं या उनको सुधार गृह में रखकर उनके लिये कोई सुधार की कार्यवाही करना चाहते हैं? ये जो आवासनियां हैं वे खुद ही समाज का बीमार पार्ट है और उसके लिये एडमिनिस्ट्रेशन में, विभाग में सुधार जरूरी है। उन महिलाओं में जो आवासनियां हैं उनमें अनुशासन देने की जरूरत नहीं होती तो वे यहां पहुंचती क्यों? समस्या को विभाग ने मानवीय दृष्टिकोण से देखा ही नहीं और उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखने के बगैर कोशिश की जाती रही है। यह वारदात है नवम्बर के पहले सप्ताह की। पुलिस सदन में गई, मार पिटाई हुई, आवासनियों ने मारा, मैं उनका डिफेंस नहीं करती फिर भी यह पनिशेबल नहीं कहा जा सकता। मगर फिर भी बात जरूरी है। इसमें जो कैलस एटीट्यूड अपनाया गया है विभाग द्वारा वह विभाग के नाम के अनुरूप शोभनीय नहीं है। अच्छा होता, थोड़ी रपट रखकर जैसा मैंने पिछली बार कहा एक बोर्ड है आपके विभाग का, वह बोर्ड जनता पार्टी ने बनाया था, मंत्री महोदय, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं आप स्वयं मंगवाकर देखें, उन महिलाओं का किसी विभाग से संबंध नहीं है, बल्कि ये एकडेमीशियन हैं, होम साइंस की है या एम्पलायमेंट एक्सचेंज से ली हुई हैं। आवासनियों को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक्सपर्ट ओपीनियन की जरूरत है। इस तरह की महिलायें उनमें हैं, वयोवृद्ध हैं, वे आपको सुझाव देने में, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। रिपिटेडली मेरे कहने के बावजूद उनको नहीं बुलाया गया। आपके विभाग को आशंका इतनी रही कि यह जनता पार्टी का है लोग क्या कहेंगे। अगर आपने यह उचित समझा तो भी आप कन्सल्टेटिव कमेटीज में पर्टीक्यूलर प्राबलम्स को रख सकते थे, पुलिस गृह में गई और वहां जो सीन रहा मार पिटाई का, मैं भी बाद में उसे देखने गई थी। अधीक्षिका और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के सामने महिलायें और लड़कियां वहां थीं, उन्होंने कहा, हमारी सारी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, काम करें तो क्या करें? फार्चूनेटली या अनफार्चूनेटली जनता पार्टी ने एसी व्यवस्था कर दी थी कि जो रिवाइज्ड स्केल्स जनता पार्टी के समय डिसाइड किये गये थे उन रिवाइज्ड स्केल्स

(श्रीमती विद्या पाठक)

के अनुसार जो सामान मिलना चाहिए वह नहीं मिला। उनको पता था, नतीजा यह हुआ कि उनको डिस्सेटिसफेक्शन इस बात से हुआ कि उस तरह का सामान खाने के लिये नहीं दिया जाता था। मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही है कि पिछले नवम्बर से अब तक एक क्लास फोर की पिटाई हुई जिसका नाम कमला है जिसने वक्तव्य दिया अखबारों में भी कि उसकी पिटाई इसलिए की गई कि उसने अधीक्षिका के घर पर काम करने से मना कर दिया। क्या यह सही है कि एक लड़की आवासनी अचरती जो कोर्ट में वान्टेड थी, यहां आप कह सकते हैं कि यह होम है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समाप्त करती हूं, महिलाओं के मामले मुश्किल से आते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, एक महिला आवासनी, जो कलकत्ता की है, यहां है जयपुर आवासनी गृह में, उसको यहां से फार्सीबिली डिमोट किया जा रहा था हालांकि उसमें लिखवाया गया बाई फोर्स। इस विषय में वह रोती भी रही। जब मैंने आग्रह किया, उसके बाद स्टेशन से उतार कर लाया गया, उसका टिकट लौटाया गया। ध्यान देने की बात इसलिए है कि वह आवासनी कोर्ट में वान्टेड थी, 15 तारीख को कलकत्ता नहीं जा रही थी, 6 व 7 तारीख दोनों में से एक तारीख है। अगर कोर्ट में वह वान्टेड थी तो विभाग उसको भेजने में सक्षम था। मैं उस अधीक्षका के न फेवर में कहना चाहती हूं न अगेन्स्ट में। 1967-68 में वह यहां पर रह चुकी है, आप उनका रेकार्ड मंगवाकर देखें। फिर यह एडमिनिस्ट्रेटिव प्राबलम है, इसको आप स्वयं डील करेंगे, मुझे इस विषय पर कुछ नहीं कहना। मगर उस लड़की को डिपोर्ट किया जा रहा था। अगर उसके बाद अव्यवस्था फैली है उसको आप अदालत और पुलिस से सुधरवाना चाहें तो विभाग की यह एप्रोच उचित नहीं है। मंत्री महोदय आप इस विषय में जरा सोच विचार करें।

दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहती हूं इस आवासनी गृह में नवम्बर, 1980 में कितनी आवासनियां थीं और 17 फरवरी के दिन कितनी थीं ? यह नम्बर देखें। विभाग से यह पूछें कि क्या उनको रिहेबिलिटेट कर दिया गया या अपने आप छोड़ कर चली गईं ? अगर गईं तो क्यों गईं और कहां कहां गईं ? इसकी व्यवस्था हो सकती है। विभाग यही आपको कहेगा कि ये हमारे कलप्रिट्स नहीं हैं जिनको बन्द करके रख सकते हैं। फिर भी मानवीय बात है If they are forced to leave the home तो विभाग और सरकार पर लांछन की बात हो जायगी इसलिए मैं निवेदन करना चाहती हूं, इस आवासनी गृह को जो विभाग द्वारा क्लोज्ड डोर बनाने का प्रयास रहता है, इसको ऐसा क्लोज्ड डोर न बनायें कि कोई एन्ट्री नहीं कर सके। इसको ओपन फार आल रखें, बहुत से सुझाव आयेंगे और इनको रिहेबिलिटेट करने की प्रक्रिया में आपको सहूलियत होगी।

मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहती हूं कि कोर्ट से जो आदेश हुये, महिलाओं को यहां

(श्रीमती विद्या पाठक)

रखें या वहां रखें, विचारणीय बात यह है कि क्या सारी आवासनियां जो राजस्थान भर की हैं, एक जगह क्यों नहीं रख सकते ? आपके विभाग में इस तरह की रिपोर्ट पेश की हुई है कि महिला सदन में या महिलाओं की संस्था से संबद्ध क्या क्या सुधार हो सकते हैं, आप मंगवा कर देखें। तो, सभापति महोदय, नट शैल में सारी बात यही कहना चाहती हूं कि विभागीय दृष्टिकोण यह है कि इतने समय तक स्टेटमेंट दिया नहीं सरकार ने और यहां पर इतने समय तक जवाब नहीं दिया और मानवीय समस्या को एडमिनिस्ट्रेटिव प्राबलम समझ कर स्पेशल वेलफेअर डिपार्टमेंट ने इसका पुलिस से सोल्यूशन करवाया। अगर ऐसा ही करना है तो फिर बेहतर है कि यह विभाग और सदन सभी को बन्द किया जाय। वरना उनको रिहेबिलिटेट करने की प्रक्रिया को आप वहां जाकर देखिये तो सही, सारी मशीन खराब पड़ी हुई है, टीचर्स का क्या हाल है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कितने टीचर्स को आपने ट्रान्सफर किया है। जहां तक मुझे मालूम है मेरी जानकारी के अनुसार आपने कम से कम 70 पर्सेन्ट टीचर्स का ट्रान्सफर कर दिया है इन दो महीनों में। मैं इस सिलसिले में यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि यह महिलायें हैं इनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जावे। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर सारी मशीनें खराब पड़ी हैं। टीचर्स और नर्सेज को आपने रात की ड्यूटी लगाई है, टीचर्स और नर्सेज का रात को क्या काम है। अगर रात की ड्यूटी लगाई जावे तो काम्यूनिकेशन अधीक्षिका और महिलाओं के बीच में हो। यह स्वभाविक है कि वह मिर्चें लेकर गई हों डाइरेक्टोरेट। पर मैं नहीं सोचती कि इससे डाइरेक्टोरेट का कोई चिन्ता करने की बात हो। उसमें डाइरेक्टोरेट को डरने की क्या बात है। यह समस्या क्या है। इस समस्या की रूट में आप जावें। उसमें आपको जाने की जरूरत है इसलिए मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहती हूं कि आप व्यवस्था करिये। इसके लिये एक कमेटी बनाइये जो इस प्रकार के सुझाव दे और इस तरह व्यवस्था करे कि वह रिहेबिलिटेट हो सकें। एडमिनिस्ट्रेटिवली आप इसमें क्या कर सकते हैं। सिर्फ आप एक दो व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिये अगर इस तरह का स्टेटमेन्ट देते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके स्टेटमेन्ट को आपने कन्सन्ट्रेट कर दिया है उस पर जो हो रहा है। फिर हमारा कन्सर्न नहीं है। वह विभागीय मामला हो जाता है। वहां पर आप किसको भेजना चाहते हैं, कहां भेजना चाहते हैं और फिर वहां पर कौन आता है; वह हमारे सोचने की बात नहीं है। हमारा परीक्षण विभाग से रहता है। एक व्यवस्था आप बनाकर चले तो, सभापति महोदय, मैंने कुछ प्रश्न मन्त्री महोदय को बताये हैं अगर वह उचित समझें, उनको जानकारी हो, मेरे सुझाव पर कुछ सोचते हों तो वह इस बात पर विचार करें।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय।

श्री हरसहाय मीणा (समाज कल्याण मन्त्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य,

(श्री हरसहाय मीणा)
खुद पहले समाज कल्याण विभाग की मन्त्री रह चुकी हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या मन्त्री महोदय इस घटना के होने के बाद कभी भी उस स्थान पर गये हैं ? अगर नहीं पधारे हैं तो क्यों ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : माननीय सदस्य दाऊदयाल जोशी को लेकर आप जावें।

श्री दाऊदयाल जोशी : हां, मैं तैयार हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मन्त्रीजी को वक्तव्य देने दें।

श्री हरसहाय मीणा : माननीय सदस्या ने जो सुझाव दिये हैं वह बहुत ही सम्मानजनक है। एक कमेटी बनाने का आपने फर्माया उसका जनसंघ से कोई लेना देना नहीं है, न उसका कोई कांग्रेस से लेना देना है। समिति तो एक समिति होती है उसका किसी पार्टी पोलिटिक्स से लेना देना नहीं होता है। उसके जो बोर्ड का गठन किया गया था....

एक माननीय सदस्य : जनसंघ अभी है क्या ? जनसंघ से क्या मतलब ?

श्री हरसहाय मीणा : जनसंघ से मतलब है अब जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी।

(व्यवधान)

इसमें एकाध जो बाकी रह गये हैं उन्हें आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। खैर मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं।

(2·25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक बोर्ड का गठन किया गया था। जो कमेटी बनी हुई थी उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने से मीटिंग नहीं बुलायी जा सकी। अब कमेटी का गठन करने के बारे में दुबारा प्रयास किया जा रहा है ताकि इस तरह की प्राब्लम कोई कभी आवे तो उसे वहीं हल कर दिया जाय। मैं मान कर चलता हूं कि कुछ ऐसी समिति हो तो ऐसी समस्याओं का निपटारा हो सके और राज्य सरकार को भी प्रशासनिक दिक्कत नहीं आवे। यह एक बहुत अच्छा सुझाव माननीय सदस्या ने दिया। इसी तरह माननीय सदस्या ने जो स्थानान्तरण का फर्माया, बहुत ही लम्बे समय से अधीक्षिका वहां पर जमी हुई थीं उनका स्थानान्तरण करना बहुत जरूरी था। एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से जरूरी था इसलिये उनको बाहर कर दिया। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, समय समय पर अधीक्षिका का स्थानान्तरण होता है। साथ ही वहां पर इस प्रकार की घटनायें हुई हैं। यह जो लड़कियां हैं जो कि अजमेर भेजी गई थीं उनको वापस जयपुर में बुला लिया गया है और उनको यहां पर गान्धी नगर में गर्ल्स होस्टल में रखा हुआ है। बहरहाल उनके साथ कोई भी अमानवीय बर्ताव नहीं किया जा रहा है। उनको बिलकुल सेफ रखा हुआ है। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत हो तो आप पर्स-

Page No 100

(100)

(श्री हरसहाय मीणा)

नली मुझे लिख सकती हैं। मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इस पर अब कोई वादविवाद नहीं होगा। आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुई।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता को एक दो प्रश्न तो आप मन्त्री महोदय से पूछ लेने दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर। मैंने कह दिया, वाद विवाद इस पर नहीं होगा। चर्चा समाप्त हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। प्रश्न आपको जो पूछना था वह आपने पूछ लिया। अब इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी। आपने जो पूछा, सरकार ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। आज की कार्य सूची काफी लम्बी है। हमेशा ही कार्य सूची वैसे लम्बी रहती है किन्तु आज का विचारणीय विषय इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, फिर माननीय सदस्य जब चर्चा समाप्त नहीं करेंगे तो फिर कहेंगे कि समय बढ़ाया जाय। माननीय सदस्य, इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जावे। यह अल्प अवधि की चर्चा होती है। आपने सरकार के सामने प्रश्न रखा उसका सरकार ने उत्तर दिया। अब इस चर्चा को आप आगे चाहे जितनी बढ़ा सकते हैं, इसका कोई अन्त नहीं होगा। यहां पर प्रश्न उठते ही रहेंगे। यह तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि अल्पकाल में प्रश्न को समाप्त किया जाना चाहिये। मेरा माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि आप इस चर्चा को समाप्त करें। अब अगला विषय मैं लेता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, मैंने पहले ही कह दिया है कि इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी। आर्डर आर्डर। श्री दिनेश राय डांगी।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। आर्डर आर्डर। चर्चा समाप्त हुई। अब अगर माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो मैं माननीय मन्त्री जी श्री दिनेशराय डांगी का वक्तव्य दिला दूं वरना याचिकाओं का उपस्थापन करवाता हूं। माननीय सदस्य। कोई भी विषय सदन में आता है तो, माननीय सदस्य, आप प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह

आर्डर आर्डर। मन्त्री जी, आप उत्तर दीजिये। यह सुनने को तैयार नहीं हैं। अगला विषय श्री दिनेशराय डांगी का वक्तव्य।

(व्यवधान अश्रव्य)

आर्डर आर्डर। विनम्रतम शब्दों में माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आप सभी लोगों के लिये सहानुभूति रखता हूं और चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक विषयों पर सदन में बोलें। मेरा सदैव यही उद्देश्य रहता है किन्तु माननीय सदस्य चर्चा का तो फिर कोई अन्त ही नहीं होगा चाहे आप कितनी ही लम्बी चर्चा कर लें। आप चाहे जितना लम्बा कर लें। आपने सरकार के सामने स्थिति रखी, सरकार उसका जवाब दे दे फिर आप कहें कि सरकार इसमें क्या कर रही है, सरकार इसको कैसे करेगी। यह कब हुआ। यह आवासनिया कब आई, कब यहां से गई कब वहां पर भर्ती की गई, नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। तो इस प्रकार के सवाल माननीय सदस्य कर सकते हैं। अब आपने सरकार से प्रश्न पूछा। इन्होंने अपना दृष्टिकोण आपके सामने रख दिया। आपके सामने यह बात आ गई कि सरकार की क्या कमजोरी है और कहां पर क्या और कितनी कमी है। माननीय सदस्य, सरकार का मार्गदर्शन कर देते हैं फिर मन्त्रिमण्डल का काम होता है कि वह उस पर विचार करे। माननीय सदस्य, शासन तो एक माध्यम है। आप यहां पर उसके माध्यम से अपनी बात कह देते हैं सरकार के सामने। आप चाहे जितनी लम्बी चर्चा करें उसका कोई अन्त नहीं है। सदन में महत्वपूर्ण विषय आज है। अब यहां कोई प्रश्नोत्तर करके आप मन्त्री महोदय का कोई इम्तिहान तो ले नहीं रहे हैं। यह कोई मन्त्री महोदय का इम्तिहान है नहीं। जितनी है उतनी आपको दे दी जानकारी। असन्तुष्ट हैं तो अन्य किसी माध्यम से माननीय सदस्य प्रश्न फिर उठा सकते हैं, ऐसी कोई बाधा नहीं है इसलिये विनम्र हाथ जोड़कर करबद्ध मेरी प्रार्थना है क्योंकि आज बिजली बोर्ड का विषय अपने सामने आने वाला है....

श्री राजबहादुर : माननीय अध्यक्ष, एक ही अनुरोध है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विषय समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

विषय समाप्त हुआ। आर्डर, आर्डर।

श्री दिनेशराय डांगी।

राज्य में समाचार पत्रों के कर्मचारियों को पालेकर रिपोर्ट के अनुसार सुविधायें

श्री दिनेशराय डांगी (राज्य मंत्री, श्रम): राजस्थान से प्रकाशित राजस्थान पत्रिका (जयपुर तथा जोधपुर दोनों स्थानों से) व राष्ट्रदूत (जयपुर बीकानेर तथा कोटा से प्रकाशित) तथा दैनिक नवज्योति (जयपुर

(श्री दिनेश राय डांगी)

तथा अजमेर से प्रकाशित) इन तीनों ही दैनिक पत्रों ने पालेकर रिपोर्ट को स्वीकार कर अवार्ड की अनुपालना कर दी है।

अजमेर से प्रकाशित दैनिक न्याय ने भी पालेकर रिपोर्ट को स्वीकार कर अवार्ड की अनुपालना कर दी है।

राज्य में कोई भी दैनिक अंग्रेजी पत्र प्रकाशित नहीं होता है। जयपुर से प्रकाशित दैनिक पत्र अणिमा, अधिकार, यंग लीडर तथा अमर राजस्थान में पालेकर अवार्ड को स्वीकार कर लिया है, परन्तु इसकी क्रियान्विति करना शेष है।

जलते दीप, तरुण राजस्थान, जनगण, दैनिक प्रतिनिधि जो जोधपुर से प्रकाशित होते है एवं जय राजस्थान, उदयपुर एक्सप्रेस प्रात: काल तथा नव जीवन जो उदयपुर से प्रकाशित होते है, एक सिंधी दैनिक जो अजमेर से प्रकाशित होता है तथा अन्य पांच दैनिक पत्र जो कोटा से प्रकाशित होते हैं ने अभी तक पालेकर अवार्ड को स्वीकार नहीं किया है।

आधुनिक राजस्थान जो अजमेर से प्रकाशित होता है तथा समाचार जगत जो जयपुर से प्रकाशित होता है, अभी हाल ही में प्रकाशित होने लगे हैं और वे अवार्ड के तहत में नहीं आते हैं।

पालेकर रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को सुविधायें दिलाने हेतु श्रम विभाग पूर्णत: सजग है। राज्य के प्रमुख दैनिक अखबारों ने पालेकर रिपोर्ट के अनुसार अपने कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करा दी हैं तथा जिन समाचार पत्रों ने अभी अवार्ड की पालना नहीं की है उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं और उन समाचार पत्रों के कर्मचारियों को पालेकर अवार्ड के अनुसार सुविधायें उपलब्ध कराने के प्रयास विभाग द्वारा जारी हैं। सभी संबंधित समाचारों के प्रबंधकों को पत्र भेजे जा रहे हैं। श्रम जीवी पत्रकारों के फेडरेशन से भी इस अवार्ड की अनुपालना पर काफी विस्तृत चर्चा की जा चुकी है तथा वे विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय, जो भी पूछना चाहें पूछ लीजिए फिर चर्चा समाप्त हो गी।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मूड आपका बहुत खराब है...

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : तो आप क्या फर्स्ट अप्रैल मना कर आये हैं ?

श्री नाथूसिंह : पूरे साल ही सरकार ने फर्स्ट अप्रैल मनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले एक वेज बोर्ड बना था उसमें मालिक, समाचार पत्रों के कर्मचारी और पत्रकारों के प्रतिनिधि थे लेकिन उसमें मालिकों ने इस तरह के प्रश्न रखे उसके पश्चात जनता सरकार आई तो उन्होंने पालेकर ट्रिब्यूनल कायम किया पत्रकारों की सुविधा के लिए। उसके पश्चात उसकी रिपोर्ट आ गयी। रिपोर्ट आने के पश्चात केन्द्रीय सरकार ने उसको नोटीफाइड किया और राज्य सरकारों को पत्र भेजे कि अपने अपने प्रदेशों में इसे लागू करवाइये। उसके

(श्री नाथूसिंह)

पश्चात्, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में केवल एक सरक्यूलर भेजा है समाचार पत्रों के मालिकों को कि इसे लागू करो। अब कुछ ने लागू कर दिया जैसा अभी कहा है लेकिन मैं आपको निवेदन करूं कि कुछ ने ही लागू किया है बाकी किसी ने लागू नहीं किया तो उन्होंने लागू नहीं किया जब कि दूसरे जितने भी राज्य हैं यू. पी., मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और दिल्ली, और दिल्ली में तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जगमोहन जी ने एक मीटिंग बुलाई....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य। यहां जो गलती रही है विभाग की उसकी ओर ध्यान आकर्षित कीजिए।

श्री नाथूसिंह : वही कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। तो यू. पी.

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं। यू. पी. से कोई मतलब नहीं है।

श्री नाथूसिंह : वहां पर एक त्रिपक्षीय समिति बनाई उसमें सरकार के प्रतिनिधि, समाचार पत्रों के मालिक और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को लिया।

श्री अध्यक्ष : तो यही पूछ लीजिए कि त्रिपक्षीय समिति यहां भी बनाने का सरकार का इरादा है क्या ?

श्री नाथूसिंह : वही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने एक मिनट में ही पूछ लिया।

श्री नाथूसिंह : वही पूछ रहा हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या राजस्थान में भी इसी तरह की समिति बनायेंगे जो कि समय समय पर देखें कि किन समाचार पत्रों ने इसको लागू कर दिया है। अब आपने कहा कि कुछ समाचार पत्रों ने इसको लागू कर दिया।

श्री अध्यक्ष : फिर भाषण कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : भाषण नहीं कर रहा हूं। एक लाइन में कैसे विचार व्यक्त कर सकता हूं।

मैंने, अध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। आप भी पत्रकारों के प्रति सहानुभूति रखते होंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि उनकी सुविधाओं के लिए जो पालेकर ने रिपोर्ट दी है और जो उसकी रिकमन्डेशन है उनको ठीक ढग से क्या आप लागू करवायेंगे ? आप बतायें और लागू की है तो कितनों ने की है ? इस मामले में क्या त्रिपक्षीय एक समिति बनायेंगे जो कि जांच करे और लागू ठीक ढंग से किया गया है या नहीं किया गया है इसके बारे में पता लगाये। यह मेरा नम्बर एक सवाल है।

नम्बर दो सवाल यह है कि हम विज्ञापन देते हैं समाचार पत्रों में और विज्ञापन के लिए अपने सरकुलेशन को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं। यदि समाचार पत्र संगठन में हे तो पालेकर अवार्ड लागू किया जाना चाहिए जैसा कि इसकी रिकमन्डेशन में है पेज 2 के ऊपर।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आप कोई पेपर नहीं पढ़ेंगे । प्रश्न पूछ लीजिए । त्रिपक्षीय समिति स्थापित करने का सरकार का विचार है । दूसरे आपका प्रश्न नहीं बन रहा है । जल्दी बनाइये ।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : केवल प्रश्न के रूप में । इतना ही माध्यम है बहुत अल्पकालीन ।

श्री नाथूसिंह : हां, प्रश्न ही पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लें । किताब ही बन जाये तो फिर क्या प्रश्न हुआ ।

श्री नाथूसिंह : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो समाचार पत्र हैं, जगह जगह से निकलते है जयपुर से जोधपुर से निकलते है, कोटा से निकलता है

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, फिर सीधा सवाल पूछिये ।

श्री नाथूसिंह : इस समय जो अवार्ड लागू किया है उसमें कुछ समाचार पत्र यह कर रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप भाषण कर रहे हैं । प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : एक तो यह बतायें कि ग्रास रेवेन्यू वह दिखाते हैं उसके हिसाब से क्या सरकार लागू करायेगी ? दूसरा सवाल यह है कि जो विज्ञापन नीति है तो जैसे मद्यनिषेध का आपने विवेकीकरण करने की बात कही, क्या विज्ञापन नीति का भी विवेकीकरण करेंगे ? और मेरा प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : विज्ञापन नीति से इसका क्या संबंध है ?

श्री नाथूसिंह : नीति से इसका यह संबंध है कि सरकार चाहे तो अपने कुछ समाचार पत्रों को भारी विज्ञापन देती है और उन्हीं में कर्मचारियों का सबसे ज्यादा शोषण होता है । इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।....आर्डर, आर्डर । आप इस पर चर्चा उठा रहे हैं । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए । .. आर्डर प्लीज । यह कोई तरीका नहीं है डिबेट का आर्डर प्लीज, बैठ जाइये ।

श्री नाथूसिंह : मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है....

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण क्या, इसमें वक्तव्य है मंत्री का । ...आर्डर, आर्डर । बैठ जाइये । .. कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री नाथूसिंह : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । क्या पत्रकारों की सुविधा, आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है ? ...

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्य, अंकित नहीं करने को कहूंगा।....आर्डर आर्डर। अंकित नहीं करने का आदेश दूंगा मैं। इस पर मैं डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री नाथूसिंह : प्रश्न ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का यह मतलब नहीं है कि किताब ही बन जाये। आर्डर प्लीज। सीधा प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री नाथूसिंह : जिन समाचार पत्रों में यह अवार्ड लागू नहीं किया गया है इसकी रिकमन्डेशन को उनमें कब तक सरकार कैसे लागू करवायेगी ? जो लागू नहीं करेंगे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नाथूसिंह : पत्रकारों के ऊपर पिछले समय में जो अत्याचार हुए हैं उनको रोकने के लिए क्या कदम उठायेगी ? यह प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पचेना में पिटाई करवाई कांग्रेस (आई) के लोगों द्वारा....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : Playing to the gallery.

श्री दिनेशराय डांगी (राज्य मंत्री, श्रम) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रश्न पूछा है त्रिपक्षीय कमेटी के लिए। किस राज्य में यह बनी है यह मुझे जानकारी नहीं है लेकिन इस अवार्ड को लागू करने के लिए जरूरी भी नहीं है कि इस प्रकार की समिति बनाई जाये। राज्य सरकार के पास कानूनों में काफी शक्ति है और उनके तहत अवार्ड को लागू करवाने में बहुत सक्षम है....

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए कि सरकार कब तक इसकी व्यवस्था करवा देगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, यह अभी 20-12-80 को सरकार के पास पहुंचा है इसको लागू कराने के लिये प्रयत्न करेंगे। सभी पत्रकारों को चिट्ठियां भिजवा दी हैं, उनसे सम्पर्क किया है। इन्होंने एसोसियेशन बना रखी उसको भी रेफर किया है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पत्रकारों को सुविधा मिले। जितनी अधिक से अधिक सुविधा मिले सरकार इसके लिये कोशिश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, आपका भी पूरा साथ है। आपके ऊपर शायद थोड़ा इनको शक था, ऐसा नहीं है....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : जहां तक विज्ञापन का सवाल है इससे संबंधित नहीं है।

श्री नाथूसिंह : जो लागू नहीं कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री महोदय स्थान ग्रहण करें।

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री दिनेशराय डांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि Journalists & other News Papers Employees (conditions of service) Miscellaneous Provision Act, 1958. के तहत विभाग समक्ष है और नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री बुलाकी दास कल्ला।

याचिका का उपस्थापन

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पांच पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नांकित याचिकायें उपस्थापित करता हूं :

(1) बीकानेर शहर में पेय जल समस्या को ध्यान में रखते हुए 10 नये कुएं एवं 10 नई स्टोर टंकिया निर्मित करवाये जाने से सम्बन्धित,

(2) बीकानेर शहर के मध्य 4 रेलवे फाटकों से उत्पन्न गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने से सम्बन्धित, एवं

(3) बीकानेर शहर की सड़कों एवं नालियों के निर्माण कार्य गत 10 वर्षों से न होने व बीकानेर की सड़कों का निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाये जाने से सम्बन्धित।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान 1980–81 व 1981–82 पर विचार

श्री अध्यक्ष : राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान 1980–81 व 1981–82 पर चर्चा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, राजकीय उपक्रम) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान 1980–81 व 81–82 पर विचार किया जाये।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान 1980–81 व 1981–82 सदस्यों को वितरित करने में विलम्ब

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि 1981–82 के बजट एस्टीमेट्स की कापी आज प्रातः काल मिली और इसका प्रतिवेदन 79–80 का भी अभी मिला है दो बजे मिला है। यह भावना कि हम लोग पढ़ते नहीं है या बिना पढ़े बोल जायें, यह ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि

(श्री राज बहादुर)

राज्य सरकार के जब ऐसे महत्त्वपूर्ण निर्णय इस तरह बनते हैं तो इसी प्रकार से उनका परिणाम होता है। जो प्रदेश को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने के बजाय प्रदेश को पीछे ढकेलते हैं। दूसरी बात यह है कि पिछले वर्ष थोड़ी सी ईमानदारी बर्ती गई थी इस बजट प्रजेन्टेशन में। इसमें साफ साफ उल्लेख था—

"In terms of Sec. 61 of the Electricity (Supply) Act, 1948 and rule 29 of the Rajasthan Electricity (Supply) Rules, 1963 the Board is required to submit to the State Government the annual financial statements for the ensuing year in February each year."

अब की बार पहली अप्रैल को यह बजट पत्र पेश हो रहा है किन्तु पहली अप्रैल को यह भी नहीं लिख सकते कि पिछले वर्ष फरवरी में पेश न हो सकी अब की बार कब पेश हुआ। यह जवाब आया था यह छप गया था और एक सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने रूल 29 और सैक्शन जो रेलेवेंट हैं उनके तहत में देरी हो गई। फरवरी में हमने टाइम मांगा है लेकिन अब की बार यह कानूनी आवश्यकता भी पूरी नहीं हुई। मैं बिनती करूंगा कि the House is being treated very lightly.

यह मेरी बिनती है इस रिपोर्ट को पेश करने के सम्बन्ध में। जो डाक्यूमेन्ट आज मिले हैं It is useless and it is wastage of paper on this. बरबादी है पेपर की जो इतना कीमती है या फिर यह मान लीजिये कि सदन चर्चा करे इस विषय पर without necessary information and knowledge and without study of relevant documents.

यह मानकर चला जाये। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत बड़ा सवाल था, पलाना का। पलाना के लिगनाइट से थरमल प्लान्ट स्थापित करने का सिक्स्थ प्लान में नहीं है, बजट में नहीं है किन्तु अब यह नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के उत्तर में कहा था कि आर. एस. ई. बी. कुछ प्रोविजन करेगी। मैंने बजट देखा है 81–82 का उस में पलाना के नाम पर जीरो है। यह चीजें ऐसी हैं जिन के बारे में अनदेखी नहीं कर सकते। आपसे आशा करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप राज्य सरकार अथवा शासन में बैठे हुए जो मित्र हैं उनको जरूरी ही तम्बीह करेंगे, यह लफ्ज उर्दू का याद आता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप ताड़ना दे सकते हैं।

श्री राजबहादुर : अगर आपको ताड़ना पसन्द है आप ताड़ना कहते हैं तो राज्य सरकार को ताड़ना देंगे ?

श्री अध्यक्ष : कुछ समय पूर्व एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आय व्ययक एवं

(श्री अध्यक्ष)

प्रतिवेदन उनको आज ही मिला है। उसके बाद जब यह आया एवं सदन के समक्ष रखा गया तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को उठाया। यह बात सही है...

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : आप व्यवस्था दें उससे पहले मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था...

श्री अध्यक्ष : कोई एक आध मिनट में उठाते हों तो....

श्री नाथूसिंह : नहीं। मैंने पहले उठाया था। जब प्रतिवेदन रखा गया था, अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस व्यवस्था के प्रश्न पर सभापति जो उस वक्त बिराजे थे उन्होंने फर्माया था कि अध्यक्ष महोदय इस पर व्यवस्था देंगे।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये तो मैंने उस चीज का जिक्र किया था शुरू में कि एक माननीय सदस्य ने इस बारे में पूर्व में प्रश्न उठाया था। मुझे मालूम था। अन्दर कार्यवाही सुनता भी तो हूं।

यह आपत्ति जो दोनों माननीय सदस्य ने उठाई है, बिल्कुल सही है। सरकार के हर विभाग को चाहिये जिस दिन चर्चा उस विषय पर सदन के समक्ष आने वाली हो, उससे काफी पूर्व इस तरह की पत्रावलियां सदन के माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दे ताकि वे उनका अध्ययन कर सकें और उसके बाद अपने सुझाव सदन के समक्ष रख सकें। मैं समझता हूं सरकार इस बात का भविष्य में सदैव ध्यान रखेगी। लेकिन जहां तक इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्रतिवेदन और आय व्ययक आज ही सदन के माननीय सदस्यों को मिलने का प्रश्न है, आपको याद होगा कि इस विषय में आज से पांच छ: दिन पूर्व ही आज के दिन चर्चा हेतु रखने का निर्णय लिया था। मैं सोचता हूं उसके पश्चात् ही विभाग ने सब तैयारी शुरू की होगी यह कारण या कोई अन्य कारण होगा...

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इलैक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। जो मुद्दे की बात थी वह इस सदन के नोटिस में ला दी। एक क्वालिफाइंग पैरा और है..

श्री अध्यक्ष : आपको याद ही आ गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अधूरी बात कही गई, मुझे शिकायत यही है। जो बात उन्होंने कही वह सही है—

'In February of each yeai the Board shall submit to the State

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

Government a statement in the prescribed form of their estimated capital and revenue receipts for the ensuing year.'

यह तो सही बात है। आगे लिखा है, श्रीमान,

'The state Government as soon as may be after the receipt of the said statement, cause it to be laid down on the table of the House or as the case may be'.

इसमें 'राज्य सरकार' वर्ड यूज किया है। श्रीमान, मैं भी आपसे निवेदन करने वाला था। कई दफा ऐसा सोचते हैं, श्रीमान, लास्ट टाइम इलैक्ट्रिसिटी बजट पर डिस्कशन भी नहीं हो पाया जैसे ही जानकारी मिली इसकी तैयारी करके यहां पर ले कर दिया गया। लेकिन भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि Electricity report is discussed or not. जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट प्राप्त हो जाय। मैं इस बात को मानता हूं कि स्वस्थ परम्परा रहेगी, इसके बारे में माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करेंगे। श्रीमान, बात कोई छुपी हुई नहीं है। राज्य सरकार छुपाना भी नहीं चाहती चाहे हम इधर बैठे हैं, चाहे आप उधर बैठे हैं, कोई बात छिपी नहीं है। इसलिए मैं आगे से इस बात के लिए कहूंगा अधिकारियों से जितना जल्दी ले कर सकें उतना जल्दी ले करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की चर्चा के लिये कार्य सलाहकार समिति में निर्णय होने के बाद यह सारी तैयारी हुई, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की चर्चा जब हम पिछले सदन में मिले थे तो अन्तिम दिन रखी गई और अन्तिम दिन रखी गई और अन्तिम वक्ता मैं था। उस समय यह निर्णय लिया था कि इस चर्चा को यथावत् आगे के लिये जारी रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं थे। मेरे पास सूची है...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ने यह कहा था कि इस चर्चा को अगले सत्र में लिया जायगा....

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मंत्री महोदय ने जिस एक्ट का हवाला दिया है उसमें दो प्रोविजन्स बताये है कि सरकार के पास फरवरी माह में आना चाहिये। जब सदन शुरू होता है तो इमीजियेटली आफ्टर देट सदन की मेज पर रखना चाहिये....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : The Government shall lay as soon as may be.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन कर रहा हूं फरवरी–मार्च में प्राप्त हो जाती है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसका मतलब यह नहीं है कि 1 अप्रेल को रखा जाय।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन कर रहा हूं फरवरी-मार्च में ...

(व्यवधान)

मैं बताता हूं फरवरी-मार्च में प्राप्त हो जाती है या नहीं होती है मन्त्री महोदय, इसका स्पष्ट उत्तर देंगे। विद्युत मण्डल है, राज्य सरकार है प्रश्न इस बात का है कि जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, वह तो 80-81 का बजट था, 81-82 के आय-व्ययक का सवाल आज आकर पड़ गया है। यह वार्षिक प्रतिवेदन 79-80 का आ गया। आज किस पर विचार कर रहे है ? जैसा भरतपुर से आने माननीय सदस्य ने कहा जानकारी के बिना खास तौर से जो पिछला आय-व्ययक है उसके अनुसार कितना पैसा लग गया, कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, फिजिकल टार्गेट क्या पूरे हो गये, फाइनेन्शियल टार्गेट क्या पूरे हो गये ! ये ऐसे मुद्दे है जो माननीय सदस्यों की जानकारी में आना आवश्यक है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं अगर फरवरी में राज्य सरकार को यह प्राप्त हो गया है तो राज्य सरकार को as soon as may be जो कहा है ले करना चाहिये। आज जब इसकी चर्चा होने वाली है तब प्रस्तुत कर रहे हैं तो राज्य सरकार को आप ताड़ना दें और अगर फरवरी में नहीं आकर मार्च में आया है तो विद्युत मण्डल को ताडना दें। कहीं न कहीं तो बात तय हो जाय। यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : तो, इसमें आखिर में बात वही सही निकली कि क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में काफी देर से तय हुआ था इसलिये यदि आय-व्ययक सरकार को समयावधि में प्राप्त हो गया था तो भी भी उसको छपवा करके प्रतिवेदन के साथ सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये मैं समझता हूं कि समय कम रहा है। इसके विषय में आगे क्या निर्माण लिया जाना चाहिये, यह मैंने पूर्व में निवेदन कर दिया। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया है, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एक प्रश्न उठाया है कि इस पर हम चर्चा कैसे कर सकते हैं। सदन है, इसमे 200 माननीय सदस्य हैं। कई तरह की उनकी जानकारी है, बहुत तो पढ़ कर

(श्री अध्यक्ष)

सुझाव देते हैं और कइयों का इतना लम्बा अनुभव है उस पक्ष को छोड़ करके....

(व्यवधान)

इसलिए कई कठिनाइयां उनको पेश होती हैं। मैं समझता हूं आज इसको पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है। पांच बजे डिबेट खतम हो जायगी, साढ़े चार बजे सरकार की ओर से उत्तर देना प्रारम्भ होगा। डेढ़-दो घण्टे का जो समय बचता है उसमें माननीय सदस्य बिना पढ़े भी दे सकते हैं अथवा 80-81 का जो बजट है वह भी तो आज विचाराधीन है उसके सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों का और खास तौर से जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में माननीय सदस्य बैठते थे उनका आग्रह था कि बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा होनी चाहिये ताकि आपके अमूल्य सुझावों से बिजली बोर्ड को, उसके इंजीनियरों को लाभ हो। इस लाभ से मैं उनको वंचित नहीं रखना चाहता हूं। यह उनके साथ अन्याय होगा और वे नाराज होंगे कि हमें कोई सुझाव नहीं दिये। इसलिये इस पर आज चर्चा होगी और जैसा मैंने निवेदन किया सरकार की ओर से साढ़े चार बजे अथवा पौने पांच बजे उत्तर शुरू होगा....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आगे के लिये तो निवेदन कर दें....।

श्री अध्यक्ष : आगे के लिये निवेदन कर दिया है—बिजली बोर्ड के लिये ही नहीं सभी विभागों के लिये यह बात आपकी वाजिब है। काफी समय पहले प्रतिवेदन आ जाना चाहिये जिससे माननीय सदस्य पढ़कर अपना भाषण दे सकें, उनकी सुविधा के लिये खास तौर से पहले प्रस्तुत कर देना चाहिये।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक अनुमान 1980-81 व 1981-82 पर विचार

माननीय महाराम जी काफी आग्रह कर रहे थे और बोलना चाहते थे लेकिन माननीय सदस्य हैं नहीं इसलिये मैं अब माननीय सदस्यों के नाम पुकारूंगा। उसमें श्री छोगाराम बकोलिया।

(अनुपस्थित)

श्री नानूराम : इसके पश्चात....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है जब भी बहस प्रारम्भ होती है....

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी भावना समझ गया।

श्री नाथूसिंह : विरोध पक्ष से प्रारम्भ होती है और सत्ता पक्ष से एण्ड होती है....

श्री अध्यक्ष : आपका फर्माना दुरुस्त है। मैंने विपक्ष से ही शुरू करने का

(श्री अध्यक्ष)

विचार किया था किन्तु एक माननीय सदस्य चाहते थे और उनकी काफी शिकायत रहती है कि उनको और उनके दल को अवसर नहीं दिया गया, उनको देना चाहता था लेकिन वे सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिये माननीय नानूराम जी, जो बहुत ही कम सदन में बोलते हैं और अपने विचार रखते हैं, को समय दिया है। उसके पश्चात जनता पार्टी को।

श्री नानूराम कुमावत (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, आज बिजली पर चर्चा के लिये जो विषय रखा गया है, इसमें दो-चार बातें निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज राज्य में बिजली की भारी कमी है और यह कमी क्यों आई, इसमें सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विरोधी दलों के माननीय सदस्यों, जितने भी यहां बैठे हैं, को याद दिलाना चाहता हूं....

(2.57 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभानेत्री महोदया, राजस्थान में गान्धी सागर, जवाहर सागर, राणाप्रताप सागर, पन बिजली घर ये जो बिजली के साधन हैं – इनके बारे में मैं आपके माध्यम से विरोध दल में बैठने वाले माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्य में बिजली की कमी क्यों आई। गान्धी सागर पर जो हमारा बान्ध बना हुआ है, जहां से बिजली का उत्पादन होता है उसके ऊपर मध्य प्रदेश ने कई एक बड़े बड़े तालाब और बान्ध बना लिये और वह तालाब और बान्ध बनाने की वजह से हमारे बान्धों में पानी नहीं आया। इस वजह से हमको बिजली का संकट है उसका राजस्थान को सामना करना पड़ रहा है। सभापति महोदया, आपके माध्यम से जैसा कि पहले निवेदन किया विरोध में बैठने वाले माननीय सदस्य विरोध तो बहुत करते हैं, लेकिन जो जनता पार्टी का राज आया सन् 77 में उसके बाद इन्होंने दोनों हाथों से वाह वाही लूटने के लिये उन्होंने जो बड़े-बड़े तालाब और बान्ध बनाये उसमें हमारा जो सारा पानी आता था, उसको रूकवा दिया। इसलिये सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी ऊपर जो तालाब और बान्ध बने हैं और जो हमारा कैचमेंट एरिया पड़ता है उसकी वेस्टवेयर ऊंची कर दी उसको नीचे करवाई जाय और उन बान्धों से हमारा जो पानी आता है उसको बराबर मात्रा में लाया जाय ताकि किसानों को और जितनी भी हमारी इण्डस्ट्रीज हैं उनको बिजली मिल सके नम्बर एक।

दूसरी चीज एक और निवेदन करना चाहता हूं, सभानेत्री जी, बिजली के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे माननीय बिजली मन्त्री महोदय नौजवान भी हैं, काफी अनुभवी भी हैं और जागरुक भी हैं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को जो बिजली दी जाती है, वह बहुत कम है और इण्डस्ट्रीज को जो बिजली दी जाती है, वह ज्यादा है।

(श्री नानूराम कुमावत)

इसलिए मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बात कहना चाहता हूं, आज किसानों को सबसे ज्यादा बिजली दी जानी चाहिए ताकि हमारे देश में आज अनाज की कमी है, उसको हम पूरा कर सकें। जनता पार्टी के राज में इस देश में जितना अनाज था, इन्होंने दोनों हाथ से लुटा दिया, हमारे देश में अनाज की कमी आ गयी है कम से कम हम इस अनाज की कमी को पूरा कर सकें, इसलिए सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों को जो बिजली इस समय दी जा रही है वह बहुत कम मात्रा में है इसलिए ज्यादा बिजली दी जानी चाहिए। सभानेत्री महोदया, आपके माध्यम से एक और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सरकार का कि किसानों को जो बिजली दी जाती है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। जो सन् 76 से पहले की व्यवस्था थी, उसी प्रकार से व्यवस्था वहां पर चालू की जानी चाहिए। सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसमें भी सन् 77 से पहले किसानों को बिजली किस हिसाब से दी जाती थी, किस प्रकार दी जाती थी, एक किसान एक डिपार्टमेन्ट में जाकर फार्म भरता था उसके बाद में एक एग्रीमेन्ट लिखता और अपनी सिक्योरिटी जमा कराता, उसके बाद में डिपार्टमेन्ट की ड्यूटी थी कि प्राइमरी नम्बर पर उस किसान से एग्रीमेंट करवाने के बाद किसान के कुए तक बिजली की लाइन खींचता था। उसके बाद एल. फार्म लेने के बाद प्रायोरिटी के आधार पर उस किसान को बिजली दी जाती थी। सभानेत्री महोदया, जनता पार्टी के इन 3 सालों में इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ दी, आज किसान भटकता फिरता है, इधर उधर। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो साधन पहले सरकार के पास था, वह सारा साधन इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज बिजली बोर्ड के पास कोई साधन नहीं है उदाहरण के तौर पर निवेदन कर रहा हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : जनता पार्टी की सरकार ने तो बहुत कुछ कर दिया था।

श्री नानूराम कुमावत : उदाहरण के तौर पर निवेदन कर रहा हूं कि साधन क्या क्या नहीं था। इनके पास सामान, किसान के खेत तक खम्भे पहुंचाने के लिए जो व्यवस्था थी, वह सारी खराब कर दी अभी तक कोई वापस रिपेयर नहीं हो सकी, नम्बर एक। दूसरी चीज, जो 11 के. वी. लाइन के जो कण्डेक्टर थे, वे न मालूम कहां चले गये कि आज दिन तक सप्लाई नहीं मिल सकी। उसकी दूसरी चीज और थी कि जो इन्सूलेटर और ब्रेकिट मिलते थे, वह आज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे। सभानेत्री जी, इसके अलावा एक और खास चीज है, जो खम्भे किसान के खेत तक डिपार्टमेन्ट गाड़ कर ट्रक से डालते थे, वे किसान आज अपने कन्धों पर ले जाकर गाड़ रहा है उसके बावजूद भी उनको बिजली नहीं मिल रही है। वे कनेक्शन आज भी पूरे नहीं मिल सके। सभानेत्री महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय

(श्री नानूराम कुमावत)

का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो सामान की कमी है, वह सामान की कमी पहले नहीं थी पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी कि यहां से सामान इश्यू होता था ए. ईएन. के नाम पर उसके बाद वह व्यवस्था हटाकर एक्स ईएन. के पास व्यवस्था कर दी और एक्स. ईएन. की व्यवस्था को हटाकर एस. ई. के नाम पर कर दी और एस. ई. के बाद में आज चीफ इंजीनियर के पास व्यवस्था है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सामान की व्यवस्था यहां पर चीफ इंजीनियर के नाम कर दी है, हो व्यवस्था बदलकर फिर ए. ई. एन. के नाम पर होनी चाहिए। सामान ए. ई.एन. के नाम पर इश्यू होना चाहिए ताकि जगह जगह गांव के किसानों की समस्या है वह ए. ई.एन. समझ सकता है, न कि चीफ इंजीनियर। इसलिए जो सामान की व्यवस्था ऊपर से ऊपर कर दी गयी है, वह ए. ई.एन. के नाम पर करने की व्यवस्था करनी चाहिए। सभानेत्री महोदया, एक और बात निवेदन करना चाहता हूं, आज गांव के अन्दर आर. ई. सी. के अन्दर जो काम हुए हैं, वे सन् 76 के पहले कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने स्वीकृत कर दी थी लेकिन जनता पार्टी के राज में बाद में एक भी गांव में बिजली नहीं पहुंची। मैं आपके

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये काम कांग्रेस को ही करना पड़ेगा। इसलिए आप जागरुक हैं, किसानों की समस्या को भी आप समझते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या दूर की जाय। सभानेत्री महोदया, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, हो मेरे क्षेत्र की बात रह जायगी। फिर मेरे क्षेत्र में 38 गांव ऐसे हैं, आसीन्द क्षेत्र में भीलवाड़ा में स्वीकृति शुदा हैं उनमें बिजली नहीं पहुंची। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को ध्यान आकर्षित करता चाहूंगा कि जिन जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची है, वहां पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, वहां पर अप्रोच की कमी है, कन्डेक्टर की कमी है, 11 के.वी. लाइन के ब्रेकिट, इन्सूलेटर की कमी है इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो कमियां हैं, उनको दूर करके वहां लाइन पहुंचायी जाय। इसका ज्यादा से ज्यादा से किसानों को लाभ मिल सके....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभानेत्री महोदया, मेरी दो बातें और रह गयीं, दो बातें और निवेदन करूंगा फिर बात समाप्त करूंगा। इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन कर दिया....

श्री सभापति : संक्षिप्त में। माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री नानूराम कुमावत : सभानेत्री महोदया, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। इसमें मेरा एक सुझाव और है उदाहरण के तौर पर भीलवाड़ा जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भीलवाड़ा जिले में बड़े बड़े कारखाने लग रहे

(श्री नानूराम)

हैं। जैसे मांडलगढ़ में एक सीमेण्ट का प्लान्ट लग रहा है। इसी प्रकार हमारे यहां आबूचा में मांस का कारखाना लगने जा रहा है, वह भी सरकार के विचाराधीन है। इसलिए सभानेत्री महोदया, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो आपकी जो 33 हजार के. वी. की की लाइन है, उसको बदलकर 132 हजार के. वी. की लाइन बनाई जाय। इसके साथ साथ हमारे आसीन्द में जो सब स्टेशन बनाने की योजना थी वह सरकार के विचाराधीन है लेकिन उसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है, वहां पर लोगों को पावर की बड़ी किल्लत आ रही है। किसानों को वोल्टेज पूरी नहीं मिलती, वोल्टेज कम आती है। इसलिए 132 हजार के. वी. की लाइन खींचकर वहां पर पावर को भेजिये। 33 हजार के. वी. और 11 हजार के वी.की है, उसको उसके बाद में प्रायोरिटी दी जाय ताकि किसानों को वोल्टेज ठीक ढंग से मिल सके।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री नानूराम कुमावत : सभानेत्री महोदया, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री सभापति : अब समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नानूराम कुमावत : एक ही बात रह गयी है। सभानेत्री महोदया, किसानों की एक समस्या और है, वह समस्या यह है कि किसान को बिजली जो आप देते हैं, किसान से एग्रीमेण्ट करा लेते हैं कि केवल आपको साढ़े 5 हार्स पावर की मोटर पर 750 रुपये जमा कराने होंगे। लेकिन, सभानेत्री महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसानों से एग्रीमेण्ट तो करा लेते हो लेकिन किसानों को बिजली पूरी नहीं देते हो। इसलिए जो मिनिमम ग्रान्ट आप वसूल करते हैं, वह नहीं की जानी चाहिए अगर 24 घण्टे बिजली दें तो आप लेने के हकदार हैं, बिजली पूरी न देने के बाद नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक दिक्कत और है, डिपार्टमेन्ट का आडिट आबजेक्शन वहां पर चलता है वह इस प्रकार चला रहे हैं कि 4 किसानों ने मिलकर एक कुएं पर एक मोटर लगायी। दो सालों तक वह मोटर चलती रही, किसान अनपढ़ होता है फिर उन चारों किसानों के बीच में आपसी झगड़ा हो जाने के बाद चारों किसानों ने अलग अलग मोटरें लगा लीं। उनके डिपार्टमेन्ट का आडिटर आता है, उन चारों आदमियों ने अलग अलग मोटरें लगाईं उसके बावजूद एक आदमी के नाम से जो कनेक्शन था, उसके ऊपर एक दो सालों के बाद में आडिट आब्जेक्शन निकाल दिया और हजारों रुपयों की पेनल्टी लगा दी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नानूराम कुमावत : मंत्री महोदय के लिए यह खास पाइन्ट है।

(श्री नानूराम कुमावत)

श्री सभापति : यह खास पाइन्ट आपको पहले ही कहना चाहिए था।

श्री नानूराम कुमावत : मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किसानों के साथ यह कुठाराघात जनता पार्टी के राज में किया गया, इस तरह के सभी जगहों के मसले हैं, उनको मंगवा कर देखें, उन किसानों की समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। यही बात कहते हुए मैं अपनी खास बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं लेकिन उधर बैठने वाले विरोधी दल के नेताओं से और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं भी आपसे निवेदन करती हूं ....

श्री नानूराम कुमावत : कि जो हमारे राजस्थान का बंटाधार कर दिया है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नानूराम कुमावत : आज जनता पार्टी के....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कर दें। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदया, मेरा नाम पुकारा गया। इस बार मैं प्यासा हो गया इसलिए पानी पीने के लिए चला गया था और यह मेरी भूल हो गई इसलिए मुझे मौका दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य महोदय, आप अनुपस्थित रहे, अब तो आपको अपनी बारी का इन्तजार करना पड़ेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया, 1981–82 के आय व्ययक अनुमान और 1980–81 के आय व्ययक अनुमानों के बारे में हम सब यहां विचार कर रहे हैं। कुछ बातों की ओर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

शायद कुछ वर्ष पूर्व यह भूमिका बनी थी कि बिजली की व्यवस्था के कारण, ठीक व्यवस्था के कारण प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान के बाहर रहते हैं उनका आकर्षण राजस्थान प्रदेश की ओर हुआ था। अपनी जिससे लगा कि नयी फैक्ट्रीज, नये यूनिट्स राजस्थान में लगाने की प्रक्रिया में बहुत तेजी आयगी। मैं ऐसा नहीं मानता कि ऐसी व्यवस्था के कारण ही यह हुआ हो। प्राकृतिक प्रकोप भी उसमें से एक कारण है। किन्तु ऐसी अवस्था इस वर्ष में बनी है जिसके कारण हमारी यह छवि प्रवासी राजस्थानियों के लिए बिगड़ी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं और इसलिए कहना चाहता हूं कि कल एप्रोप्रियेशन बिल पर उत्तर देते समय उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक प्रकोप का असर अगले वर्ष तक होगा। ये शब्द राजस्थान के बाहर प्रवासी राजस्थानियों में गूंजेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदया, मैंने हमेशा प्राइसेज के संदर्भ में, प्राइस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फैक्टर के बारे में कहा था। मुझे आप गलत कोट मत कीजिए। जिस साल में अकाल होता है उसका असर दूसरे साल तक भी रहता है प्राइस फैक्टर के मामले में। माननीय सभापति महोदया, मैंने प्राइसेज के सम्बन्ध में कहा था ये उसको डाइवर्ट कर रहे हैं पावर प्राब्लम के बारे में। अगर मानसून की अच्छी बारिश हो जाती है तो बिजली की सप्लाई अच्छी हो जायगी, प्रोडक्शन बढ़ जायगा। मेरी बात को गलत कोट नहीं करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदया, मंत्री महोदय ने यह स्पष्टीकरण कर दिया यह बहुत अच्छा रहा। मैंने इसीलिए कल बीच में टोका भी था। शायद आपकी यह बात अगले वर्ष के लिए इतना असर करे कि सभी बातों पर असर पड़ जाय। यह बहुत अच्छा रहा कि केवल प्राइस फ्लेक्चुएशन की चर्चा करके ही आपने छोड़ दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रवासी राजस्थानियों को आकर्षित करने के लिए इस तरह का वातावरण बना था। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान में हम जनरेशन, ट्रांसमिशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन का सहयोग और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के सहारे राजस्थान का कौन सा नक्शा आगे बढ़ाना चाहते हैं इसको स्पष्ट रूप से घोषित करें। मैं इन शब्दों के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि एक मास्टर प्लान बनाया जावे कि हम राजस्थान को इन सब दृष्टियों से युक्त करके फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड इस तारीख तक कर देंगे, ऐसी कुछ इच्छा थी, कुछ भावना थी और शायद 31 मार्च, 85 की योजना भी बनी थी। उसके अनुसार प्रयत्न भी हुआ था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में वह पोटेंशियल है। राजस्थान में वह शक्ति है इसीलिए इन सब बातों को आधार लेकर राजस्थान के फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन का एक मास्टर प्लान आप देश के सामने रख सकें तो इसका राजस्थान प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होगा। जब मैं यह चर्चा कर रहा हूं तो जनरेशन की चर्चा आपके सामने पहले करना चाहूंगा। मुझे इस बात का खेद है कि मार्च, 1981 में, प्रथम यूनिट 110 मेगावाट की, थर्मल प्लाण्ट कोटा की परियोजना थी कि आज के छः महीने बाद चालू हो जाएगा। पिछले वर्ष जब बजट भाषण मुख्य मंत्रीजी का हुआ था उसमें उन्होंने पिछले वर्ष कहा था कि अगले वर्ष में किसी समय यानि अगला वर्ष तो शुरू हो गया है, इसमें प्रथम यूनिट आ जायगी उसके छः महीने बाद दूसरी यूनिट आ जायगी। मार्च और सितम्बर को बदल कर किसी भी समय भी हो गया, मुझे कुछ कहना नहीं है। किन्तु इस साल बजट का जो भाषण आया उस बजट के भाषण में अगला साल की फिर चर्चा कर दी। पिछला साल अगला साल, इस साल भी आ गया, दुबारा अगला साल आयगा। यह दृष्टिकोण हिन्दुस्तान में प्रवासी राजस्थानियों में राजस्थान में बिजली की दृष्टि से, जनरेशन की दृष्टि से इवेड नहीं करें, ऐसी मेरी उनसे अपील है। मैं नहीं चाहता कि कोटा थर्मल योजना को विस्तार में डिस्कस करूं क्योंकि कई बार यहां डिस्कस हो चुका है। विभिन्न पहलू आ चुके हैं। मैं तो केवल ताजा बात आपको

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

बताना चाहता हूं। अभी हाल ही में प्रश्न किया गया था लोक सभा में। केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री, श्री विक्रम महाजन ने बताया उस प्रश्न के उत्तर में कि "कोटा थर्मल विद्युत केन्द्र के लिए उपकरण सप्लाई करने वाली कम्पनियां, विशेष कर भारत इलेक्ट्रिकल कम्पनी तथा इंडियन केबल कम्पनी ने सूचना दी है कि राजस्थान विद्युत मण्डल समय पर बिलों का भुगतान नहीं कर रहा है।" यह प्रश्न का उत्तर है। मैंने पहले भी इस बात का रेफरेंस किया था। माननीय मंत्री महोदय ने रिफ्यूट किया वह तो ठीक है। मैंने कहा कि शायद आर्डर्स केंसिल कर दिये हैं, उन्होंने इस प्रकार के पत्र लिखे थे। सद्भावना के कारण हो गया। ऐसा ही पत्र रेलवे ने लिखा था कि हम नीलाम कर देगें। राज्य सरकार ने रिक्वेस्ट की उस रिक्वेस्ट को उन्होंने मान लिया और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल वाले भी अपना जो सामान भेजना केंसिल करने वाले थे वह नहीं किया। कोटा रेलवे स्टेशन जो नीलामी करने वाला था वह नहीं की।

(3.17 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि दूसरी यूनिट जो आने वाली है। 220 के दो यूनिट उसमें भी एक यूनिट का प्रावधान पाच करोड़ से घटा कर चार करोड़ कर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि फिर से इसको फर्स्ट इम्पार्टेंस देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पलाना परियोजना के बारे में भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ चर्चा की। इसके बारे में भी श्री विक्रम महाजन ने जो प्रश्न का उत्तर दिया लोक सभा में, यह इन दो दिनों में दिया है, उसकी भी चर्चा में आपके सामने करना चाहूंगा। माननीय मूलचन्द डागा के प्रश्न का उत्तर देते समय कहा, "इस परियोजना की तकनीकी और आर्थिक मंजूरी देते समय केन्द्रीय विद्युत अधिकरण ने पलाना विद्युत परियोजना तथा पलाना खान परियोजना को एक साथ मंजूरी देने की सिफारिश की थी ताकि वांछित समयावधि में लिग्नाइट उपलब्धता के लिए आश्वस्त हुआ जा सके। चूंकि राजस्थान सरकार ने अभी तक कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया है जिससे पलाना में लिग्नाइट थर्मल विद्युत परियोजना में पूंजी निवेश में आसानी हो सके।" इसलिए वह मामला खटाई में पड़ रहा है। यह बात ठीक है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट के प्रश्नों का उत्तर देते समय, जो कहा मैं जो कोट कर रहा हूं कि लोक सभा मे केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री महोदय ने कहा है, मैं चाहता हूं कुछ सद्बुद्धि जागृत हो जाय सरकार में इसमें विद्युत मण्डल का कोई दोष नहीं है। विद्युत मण्डल काम्पेक्ट है, तैयार है। जितना पैसा देगे वह करने की स्थिति मे है। इसमें किसी प्रकार का शक और शंका नहीं

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

राज्य सरकार इस जनरेशन के मामले में राजस्थान के साथ किस प्रकार कैसे खिलवाड़ करना चाहती है। माननीय सभापति महोदया, उसी तरह मैं कहना चाहता हूं आबू हाइडल योजना। वो भी ऐसी योजना है जल्दी बन सकती है। कोटा में थर्मल दूसरे किनारे पर आबू, तीसरे किनारे पर आपने 30 लाख का प्रावधान किया है, अनूपगढ़ हाइडल योजना। इन सब के बारे में एक बात कहूं, दूसरी तरफ बिलकुल जनरेशन को फर्स्ट इम्पार्टेन्स देकर इस जनरेशन में धन दे सकें। इस बडी योजना में कोई देरी नहीं हो, इसको करने की अत्यन्त आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं की जनरेशन की बात को प्रथम वरीयता देकर उसके लिये निश्चित बजट उपलब्ध करायें। विद्युत मण्डल पूरा उपयोग करे, सबको करवाने की व्यवस्था करायें। माननीय सभापति महोदया, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से। बडे कष्ट की बात है। एक तरफ हमारे प्रदेश में बिजली की आवश्यकता है, आवश्यकता बहुत रहती है और हम हमारे हिस्से की बिजली नहीं ले पाते। हम टुकुर टुकुर करके....

(व्यवधान)

क्या मैं बैठ जाऊं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : बहुत इम्पार्टेन्ट सजेशन दे रहे हैं, साहब।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य को बताइये, पता नहीं क्या होता है, यह ऐसे लेटे रहते है, जैसे घर पर लेटे रहे हैं। इस रिपोर्ट के पेज 20 पर लिखा है, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के लिये सतपुडा से इसका पूर्ण हिस्सा मिलना संभव नहीं हो पाया है, अतएव राजस्थान के हिस्से को मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा काम में लिया जा रहा है। लुटिया डूब गई, जाओ गंगाजी को दान में। गंगाजी में लुटिया डुब गई, दान दे दिया। हमारे हिस्से की बिजली हमको प्राप्त करनी है। फरवरी मार्च से राजस्थान का किसान टुकुर टुकुर कर देख रहा है। किन्तु वह देते नहीं हमसे ली नहीं जाती। किसान तड़फता है और हम क्या कह देते हैं, चलो क्रय मानलो वैसे इसको पूर्व करने के लिये आगे और शब्द लिखे हैं, इन्होंने कहा है, 4060 मिलियन यूनिट हमको बेचेन थे, 3577 यूनिट बेचे हैं। यह बात ठीक है, बेचने जो हैं जो हमारे उपयोग में नहीं आते जब हमको आवश्यकता नहीं हो, उसका क्लेरिफिकेशन करने के लिये माननीय सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। फरवरी के महीने में जब कि राजस्थान में किसान अपने खेतों की प्यास बुझाने के लिये सब प्रकार से प्रयत्नशील था, 10 फरवरी को हमारा शेयर बनता था, 30 लाख यूनिट। 18 लाख यूनिट टोटल प्राप्त हुआ हमको।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

चम्बल, सतपुड़ा इन सब से मिलाकर।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करिये। अध्यक्ष जी की आज्ञा है कि किसी माननीय

(श्री सभापति)
सदस्य को 10-15 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : हमारे दल से कोई नहीं बोलेगा, आप इनको पूरा समय दीजिये।

श्री तेजपाल यादव : माननीय सदस्य का किसानों से कोई संबंध नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है?

श्री राजबहादुर : किसान पान नहीं खाता है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बोलियेगा। जल्दी समाप्त कर दीजिये। माननीय सदस्य कितने समय बोले, इसके लिये आसन व्यवस्था करेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : 11 फरवरी को 21 लाख यूनिट हमारा शेयर बनता था। चार लाख यूनिट केवल हम प्राप्त कर पाये। चम्बल सतपुड़ा से मिलाकर, 12 फरवरी को 36 लाख यूनिट बनता था 16 लाख यूनिट प्राप्त कर पाये, 13 फरवरी को 34 लाख यूनिट बनता था 18 लाख यूनिट प्राप्त कर पाये, 15 फरवरी को 29 लाख यूनिट बनता था 15 लाख यूनिट प्राप्त कर पाये। 16.2 को 28 लाख यूनिट बनता था 19 लाख यूनिट प्राप्त कर पाये, 17.2 को 28 लाख यूनिट बनता था, 18 लाख यूनिट प्राप्त कर पाये। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, आखिर विचार करना होगा। फरवरी में किसान को अपने खेत के लिये आवश्यकता है। बिजली का उपयोग करके वह कुओं से पानी निकालकर अपनी खेती की प्यास बुझा सके। राज्य सरकार अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकी। सतपुड़ा से जो बिजली प्राप्त करनी चाहिये थी, वह नहीं कर सके। और आप देखें आश्चर्य, पृष्ठ नम्बर एक को देखने की कोशिश करें, यह प्रस्तावना में लिखा है पहले पृष्ठ पर लिखा है. प्राप्तियां राजस्व आय विभाग की हमको 1980-81 में अनुमान था 13580 लाख रुपये का हुई कितनी 12785 लाख, 815 लाख की कमी और व्यय 8106 लाख था, उसके बजाय व्यय हुआ 9345 लाख बड़ी अच्छी सरकार है। बड़ा अच्छा मैनेजमेंट है। प्राप्तियां घटी है 815 लाख से और खर्चा बढ़ गया 1239 लाख से। 2054 लाख इस प्रकार जनरेशन की मिस्ट्री है मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं व्यवस्था को देखकर पिछले बार जब उनका सवाल आकर खड़ा हुआ था, छोटा सा 200 कर्मचारी निकाल दिये बड़ी चर्चा की गई थी, दो सौ कर्मचारी अप्रेन्टेसिज लगाये जा रहे हैं उनको रखना संभव नहीं है। हमारी आर्गनाइजेशन करना चाहते हैं। उनके जीवन से खिलवाड़ करना चाहते हैं, आप लोग 2054 लाख इतना डिफरेंस आपको चिंता नहीं है, इसमें राजस्थान विद्युत बोर्ड राजस्थान सरकार अपना प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारा पैसा बकाया है इरिगेशन और बिजली के संबध में मध्य प्रदेश में पिछले 76-77, 77-78, 78-79 और 79-80

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

का इन सब से केवल 16 लाख 65 हजार बकाया रह गया उन पर। हमारा ड्यू था हम लेते रहे। यहां मुझे कहना पड़ता है बड़े दुख के साथ दो करोड़ 19 हजार रुपये हमारे बकाया हैं। आज से चार दिन तक की सूचना मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई वसूल नहीं कर पाये इरिगेशन की मद में बिजली के मद में जो उन से लेना था कैसे विकास होगा? बिजली बोर्ड को पैसा चाहिये, राजस्थान के विकास के लिये बहुत आवश्यकता है। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन ने एक रिपोर्ट दी आज के दो साल पहले इसका प्रतिवेदन में जिक्र किया है। राजस्थान की बिजली व्यवस्था को सराहा है। राजस्थान स्वस्थ केटेगरी में खड़ा हुआ है हिन्दुस्तान भर में इसकी चर्चा की गई है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन से कभी रिपोर्ट लें, राजस्थान के बारे में। आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य बड़ी चर्चा कर रहे थे, पता नहीं आर्गुमेंट तो दिये नहीं, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी के राज की चर्चा कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं गैस की दृष्टि से....

श्री खेतसिंह राठौड़ : उस वक्त आप योग्य मंत्री थे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से, वह इस बात को देखें। एक बात और कहना चाहता हूं। किसान को हमने जैसा मंत्री महोदय ने कहा 135 घंटे प्रति महीने का एश्योरेंस दिया था, मिनिमम चार्जेज पर। हो सकता है मैं गलती पर हूं, जिस समय मिनिमम चार्जेज बने, मंत्री महोदय मुझे करेक्ट करेंगे तो मैं इसमें कोई बुरा नहीं मानूंगा। मेरी जानकारी में चर्चा होते समय 128 घंटे, 180 घंटे थे, मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं, अगर यह कभी गलती रही हो, इसको 135 घंटे मानलें, क्या मंत्री महोदय 135 घंटे प्रति महीने किसानों को एश्योर बिजली मिली?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह जो मंत्री महोदय ने चार्जेज के लिये तय किया है, उसके अनुसार यह तय करेंगे कि 135 केलकुलेट करवायेंगे, कितने घंटे बिजली उनको इस महीने मिली, साल में मिली, मैं चाहता हूं इसका केलकुलेशन किया जाय। राजस्थान के भोले किसानों की जेब से पैसा लगेगा, 135 घंटे के हिसाब से उस नाते से उसे कितने घंटे बिजली मिली है। और उस नाते से मिनिमम चार्जेज में कमी की जाय यह आवश्यक बात है। हमारा एश्योरेंस है, हमारा कमिटमेंट है, हमारा एक प्रकार से उनसे कांट्रेक्ट है। हमने कांट्रेक्ट के बीच का काम किया है। विद्युत मंडल, राजस्थान सरकार को उसे पूरा करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय, अपना जवाब देते समय बतायें, आर. ई. सी. की स्कीम में प्रत्येक वर्ष में 76 से 80-81 तक कितनी सेंक्शन हुई। इसकी संख्या की चर्चा करें। मैं चाहूंगा कितने लाख रुपये, करोड़ रुपये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने 76-77 से 80 तक दिये। इस वर्ष केवल 21

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

योजनाएं स्वीकार हुई हैं। पिछले वर्षों में कितनी होती रही हैं। इस साल कितना पैसा मिला, पिछले वर्षों में कितना मिलता रहा। एक एक वर्ष ऐसा है, जनता पार्टी के राज में 28-26 सौ गांव और 30-30 हजार कुएं विद्युतीकृत किये गये।

ये कहते हैं इतने गांवों को बिजली दे दी जैसे कहते हैं चीनी खा गये, फूड फार वर्क में गेहूं खा गये, जनता पार्टी का राज क्या आया बिजली इतनी लगा दी कि अब मौका ही नहीं मिलता। कैसे आर्गूमेंट हैं। एक अंतिम बात कह कर समाप्त करूंगा। जोधपुर का क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर भी आता है, सारे जिले आते हैं उन सब में 220 के. वी. की लाइन बहुत आवश्यक है, जैसे जनरेशन के लिये फर्स्ट प्रायोरिटी की बात की उसमें थोड़ी सी ढिलाई हो रही है उन ो 220 के. वी. ब्यावर से जोधपुर जल्दी से जल्दी की जाय और जब इस प्रकार की इमरजेंन्सी, प्राकृतिक प्रकोप के वर्ष आते हैं उनमें जो छोटे छोटे थर्मल यूनिट्स आपने उठाये हैं उनको ठीक स्थान पर रखें, वैल रिपेयर्ड रखें ताकि जब आवश्यकता आये तो बिजली मुहैया कर सकें। आज जैसलमेर की क्या हालत है, वहां बिजली नहीं पहुंची इसलिये पानी नहीं जा रहा है और प्रकृतिक प्रकोप आ जाने से जो बीच में खराबी हो गई है जनरेटिंग यूनिट्स, छोटे छोटे थर्मल यूनिट्स हों तो पीने का पानी उपलब्ध करा सकें। इसकी आवश्यकता वैसे तो पहले छोटे छोटे थर्मल यूनिट्स नहीं थे, हमने हाइडल को जोइन्ट कर दिया किन्तु जोइन्ट करने के बाद खराबी आ गई इसलिये मैं सुझाव रखते हुए एक बात और कहना चाहता था लेकिन आप बार बार मना कर रही में आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं और फिर पिछली बात को दोहरा कर समाप्त करूंगा माननीय मंत्री महोदय, कम से कम प्रवासी राजस्थानियों को बुलाने की जो भूमिका पिछले वर्ष से करी थी उसको कायम रखने के मनसा वाचा कर्मणा प्रयत्न करें, राजस्थान में जो स्थिति बनी थी, राजस्थान का जो नक्शा बना था उसको बनाये रखें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : दीवान माधवसिंह।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : सभापति महोदया, आज जैसे जैसे विकास हो रहा है उसमें बिजली की हालत दैनिक उपयोग में इस तरह की हो गई है जिस तरह से हमारे शरीर में रक्त होता है। आज सारा विकास बिजली पर आधारित हो गया है और उसको बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। बोर्ड की जो हालत बनी हुई है उसमें सुधार नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में राजस्थान की क्या हालत होगी उस पर अभी से तो अनुमान लगाना बहुत कठिन है परन्तु इतना जरूर कहा जा सकता है कि हालत बहुत ही बिगड़ जायगी। जैसा मेरे भूतपूर्व वक्ता ने कहा कि राजस्थान को एक एडवांटेज थी कि राजस्थान में बिजली पर्याप्त थी इसलिये बहुत से उद्योगपति यहां आने में इंट्रेस्टेड थे क्योंकि अन्य राज्यों के मुकाबले में यहां बिजली की उपलब्धता ज्यादा है परन्तु पिछले एक वर्ष से जो हालत बिगड़ी है उससे यह कहा जा सकता है कि

(श्री माधव सिंह दीवान)

अब कोई भी उद्योगपति यहां उद्योग लगाने से पहले 10 बार विचार करेगा कि उसको क्या करना है। बोर्ड की जो हालत है, जहां 60-60 हजार एम्पलाई कर लिये गये हैं एक तरफ बोर्ड बताता है कि इंडिपेंडेंट संस्था है दूसरी तरफ बताता है कि सरकारी दफ्तर है। आज इतना इंडिसिप्लिन बोर्ड में है कि उसको पार ही नहीं है। किसानों को कितनी तकलीफ होती है, कितना यहां का इंडिसिप्लिन ऊपर तक बढ़ता जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके सामने पाली जिले का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरे वहां पर एक्स. ईएन. लगे हुए थे उनके साथ बोर्ड के ही कर्मचारी ने, 25 दिसबर, 79 की बात है, आफिस के अन्दर, हाथापाई की। एक्स. ईएन. ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बोर्ड आफिस को लिख दिया कि जब तक उस एम्प्लाई का ट्रांसफर नहीं हो जाता है मैं आफिस में नहीं जाऊंगा। दो महीने तक घर पर विराजे रहे फाइलें पड़ी रहीं। दो महीने बाद उच्च अधिकारी वहां पहुंचा जांच करने के लिये, दो महीने तक डिवीजन, सब डिवीजन आफिस बन्द रहा उसके दो महीने बाद जांच करके वापस पधार गये। फिर दो महीने बाद आर्डर आये जिनसे बाबू और एक्स. ईएन. दोनों का ही ट्रांसफर किया गया। 4-4 महीने तक एक्स. ईएन. का आफिस बन्द पड़ा रहा और बोर्ड के कान पर जूं तक नहीं रेंगी फिर किस तरह से आप चाहते हैं कि यह बोर्ड जनता की भलाई कर सकेगा, कैसे करेगा और क्या क्या करेगा? इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर विचार करना बहुत ही जरूरी है। जहां तक जनरेशन का सवाल है पश्चिमी राजस्थान के लिये हमको कुछ उम्मीद हुई थी कि पलाना पावर स्टेशन बनेगा तो हम पश्चिमी राजस्थान वालों को कुछ राहत मिलेगी पर आज 2-2, 3-3 साल हो गये इस रिपोर्ट को देखते हुए कि पलाना पावर प्रोजेक्ट के लिए एक भी पैसा नहीं, एलोकेशन के लिये बोर्ड कहता है कि हमने तो एलोकेट किया था पर प्लानिंग बोर्ड ने कह दिया कि ये 400 लाख रुपये दिये जा रहे हैं ये कोटा थर्मल के लिये हैं। इन पर पलाना का हिस्सा नहीं है। पलाना रिपोर्ट में बहुत ही क्लीयर था कि थर्मल पावर स्टेशन और माइनिंग दोनों का ही काम बिजली बोर्ड देखेगा। माइनिंग केलिये भी बहुत क्लीयर था कि इसके अन्दर ऊपर की सरफेस, जो मेट, अर्थ है उसको भी अगर माइन किया जाय तो उसके लिये भी इंडस्ट्रीज लग सकती है। उस मेट को काम में लाया जाकर इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं और नीचे जो लिग्नाइट है उसके लिये जर्मन विशेषज्ञ ने रिपोर्ट दे दी है सारा रिजनेबल और इकानामिकल है परन्तु अभी तक उसके बाबत काम शुरू नहीं किया जा ना, यह गलती बोर्ड की है या सरकार की है, भगवान जाने, परन्तु इस पर फर्स्ट प्रायोरिटी से काम शुरू नहीं किया गया तो पश्चिमी राजस्थान की हालत बहुत खस्ता हो सकती है। बहुत से झगड़े ऐसे हैं जो अनपापूलर भी होते हैं, उनमें जैसे कि ढंग दिख रहा है एक तरफ पिछले साल हड़ताल हुई थी और हड़ताल बिलकुल फेल हो गई थी परन्तु सरकार ने पता नहीं किस दबाव में आकर, जो इंटक के नेता थे उनकी मध्यस्थता स्वीकार कर ली और 5-6 करोड़ का बर्डन, बोर्ड आलरेडी

(श्री माधव सिंह दीवान)

दिवालिये की हालत के अन्दर है, और करोड़ का घाटा लग गया। रिजल्ट क्या होगा? बोर्ड कह देगा कि हमारे पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट से मांग करेगा कि साहब पैसे भरो। उपभोक्ताओं को पहले ही बिजली नहीं मिल रही है इधर आप मांग करेंगे कि पर यूनिट चार्जेज बढ़ाओ, इसका इलाज क्या हो सकता है इस बाबत एक चीज तो सबसे बड़ी यह है कि जो फ्लेट रेट चार्ज जनता सरकार ने लगाये हैं उसके अन्दर सही रूप से, सभापति महोदया, हिसाब लगावें तो 3 हार्स पावर की मोटर के 30 रुपये महीना उन्होंने तय किये हैं यानि 1 रु० प्रति दिन, इसका मतलब अगर मोटर दो घंटे भी रोज चलाई जाती है तो भी फ्लेट रेट से 40 गुना कर लिये जाते हैं फिर ऐसा कौन काश्तकार होगा जो सिर्फ 2 घंटे ही चलाता हो, अगर बिजली मिले तो। तो आप फ्लेट रेट चार्जेज को ठीक करिये और ...

(व्यवधान)

जयपुर में जो दी है उसकी तो जरूरत नहीं है पर उसको कौन वापस ले सकता है परन्तु इस फ्लेट रेट के बाबत 2 घंटे चार्जेज लगाया गया है, एवरेज कोई भी काश्तकार अगर बिजली उपलब्ध हो तो 6-7 घंटे रोज चलाता ही है। इस बाबत जरूर चेंजेज करके विचार करें। दूसरी तरफ जो मिनिमम चार्जेज लगाये हुए हैं जनरली जितने एग्रीकल्चर कंजूमर्स हैं, 50 प्रतिशत एग्रीकल्चर कंजूमर मिनिमम चार्जेज भरते है। इसके दो ही कारण हैं रिमोट में जो काश्तकार आये हुए है, जो एग्रेसिव हैं उन्होंने ज्यादातर मीटर्स खराब कर रखे हैं उनको सही करने में न तो बोर्ड के पास मीटर्स हैं न बोर्ड के कर्मचारी में इतनी हिम्मत है कि वो मीटर्स को सही कर सके। तो 50 प्र० श० एग्रीकल्चर कंजूमर सिर्फ मिनिमम चार्जेज भरते हैं और नतीजा यह होता है कि जिसको 6 हार्स पावर की जरूरत है उसने भी 10 हार्स पावर की मोटर लगाई हुई है ताकि वह 10 हार्स पावर को काम में ले सके और मिनिमम चार्जेज भर सके। अतः मेरा निवेदन है अगर ऐसी हालत हो जाय और बोर्ड को पैसे बढ़ाने की जरूरत हो जाय तो एक स्कीम हो सकती है कि इन चार्जेज को रिवाइज करके बढ़ाइये तब तक या तो मीटर को हटाकर सारे के सारे फ्लेट रेट चार्जेज कर दीजिये ताकि जो स्टाफ बढ़ा हुआ है उसको अन्य उपयोग में ला सकें, फिर इसमें आपको पांच साल तक स्टाफ बढ़ाने की जरूरत नहीं रहेगी यदि इनका ट्रान्सफर नहीं कर सकें तो जैसा कि माननीय रामसिंहजी ने कहा है यह जो मिनिमम चार्जेज हैं उनको आप रिवाइज करने की स्थिति ला सकते हैं, वह नहीं होगी अगर आदमी मीटर खराब कर देता है तो बोर्ड को लास होता है। बोर्ड जो बिजली खरीदता है वह 50% बिजली करीब एक करोड़ 30 लाख यूनिट आर. ए. पी. पी. से खरीदता है। इसके लिये बोर्ड 23 पैसा प्रति यूनिट देता है और एग्रीकल्चर को बिजली 25 पैसा प्रति यूनिट देता है। यदि आप जरूरी समझें तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बात करें कि इतनी महंगी बिजली हम नहीं खरीद सकते हैं आर. ए. पी. पी. की बिजली की रेट कम करिये ताकि बोर्ड की स्थिति में सुधार हो सके। जो मीटर लगे हुए हैं उनके ऊपर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मिनट, दो मिनट और बोल लें। दस मिनट हो चुके हैं।

श्री माधवसिंह दीवान : माउण्ट आबू के ऊपर हाइडल बिजली की स्कीम बनी हुई है। इसको कब शुरू किया जायगा ? अब तक शुरू नहीं हुई है। इस रिपोर्ट में भी कहीं जिक्र नहीं है। माउण्ट आबू में हाइडल पावर की जो स्कीम है उसको कब शुरू किया जायगा इसके बारे में मैं मंत्री महोदय को अर्ज करूंगा कि वे कम से कम इसके बारे में बताने की कृपा करें।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय नहीं हैं।

श्री माधवसिंह दीवान : एक केबिनेट मंत्री महोदय बैठे हैं।

एक आपका इन्स्पेक्शन डिपार्टमेन्ट बना हुआ है। इसके डिवीजनल हैडक्वाटर से हर साल किसानों को एक बिल साढ़े सात हार्स पावर की मोटर का बीस रुपये का बनाकर भेजा जाता है कि वे यह बिल जमा करावें। साल, दो साल में कभी कभी वे पहुंचते हैं। किसानों को तंग करते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस इन्स्पेक्शन डिपार्टमेन्ट को आप कृपया समाप्त कीजिये। इसका कोई उपयोग नहीं है। यह किसानों से 100/- 50/- रुपया खींच लेता है और कोई इन्स्पेक्शन नहीं करता है। जो वहां पर ए. ईएन. स्टेशन्ड हैं उनके साथ इनका कोई तालमेल नहीं है। यह फर्जी डिपार्टमेन्ट है। फालतू सरकार का पैसा लग रहा है।

सभापति महोदया 220 के. वी. लाइन से जोधपुर को जोड़ने की स्कीम काफी दिनों से विचाराधीन है। अब यह सुना जा रहा है कि सिरोही की क्योंकि डिमाण्ड बढ़ रही है इसलिये भीलवाड़ा से यह लाइन जोधपुर न जाकर सिरोही लाइन को प्रायोरिटी दी जाकर शायद यह लाइन केन्सिल करदी जाय, पोस्टपोन कर दी जाय। मंत्री महोदय से मेरा यह निवेदन है कि पिछले पांच साल से हम जोधपुर वाले एरिया के लोगों को यह कहते आ रहे हैं कि 220 के. वी. लाइन आ रही है। अगर इसमें कोई चेन्जेज हुए तो उससे भारी विद्रोह हो सकता है और लोगों में भारी असन्तोष फैल सकता है। इस बाबत ऐसा कोई डिसीजन न हो पावे ताकि जोधपुर की जनता और उसके आगे बाड़मेर, जैसलमेर पड़ते हैं जो कितने ही साल से बिजली की राह देख रहे हैं, उनको यह भुगतना पड़ेगा।

लास्ट में एक बात और कहना चाहूंगा। बिजली बोर्ड ने गुढ़ामालानी में यानि धोरीमन्ना में एक एक्स ईएन. की पोस्ट क्रियेट कर रखी है। हमारे माननीय सदस्य ने बीसों बार कह चुके हैं कि एक्स. ईएन. को वहां पर बिठाया हुआ है, उसके पास न तो कोई स्टाफ है, न कोई बजट है। इस तरह से आप क्यों पैसा बर्बाद करते हो ?

पब्लिक का पैसा बर्बाद करते हो। जिस एक्स. ईएन. को आपने वहां पर बिठाया है, यह वही एक्स. ईएन. है जो पहले पाली में था जिसकी पिटाई हुई थी, उसको आपने वहां धोरीमन्ना में बिठा दिया। इसको आप बाड़मेर के अन्दर बिठाते ताकि बाड़मेर में बिजली उपलब्ध हो सके। इतने बड़े-बड़े आफिसर को इस

(श्री माधवसिंह दीवान)

तरह वेस्ट करेंगे और एक तरफ यह कहेंगे कि पैसा बढ़ाओ तो यह पासिबल नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से विशेषकर सिचाई मंत्री जी से, यहां पर नहीं हैं, यह कहना चाहता हूं कि चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, यह हमको गवर्नमेन्ट सप्लाई करती है। सिचाई के अन्दर जो पानी उपलब्ध कराते हैं उसमें 21/- रुपये पर एकड़ सिचाई की रेट है, जहां कि पश्चिमी राजस्थान में एक एकड़ में सिचाई करते हैं तो हमारे 100/- रुपये का खर्चा आता है। एक तरफ 100/- रुपये का खर्चा आता है उसमें भी आप बढ़ाने का विचार कर रहे हैं और जो सिचाई आप गंगानगर, कोटा जिले में करते हैं उसमें आप 21/- रुपये से 22/- रुपये करने के लिये तैयार नहीं है। आप मेहरबानी करके इन दोनों चीजों को लिंक करेंगे कि सिचाई की रेट चाहे इरिगेशन डिपार्टमेन्ट से हो, चाहे सिचाई बिजली से होती हो, का तालमेल नहीं करेंगे तो हम लोग, आज किसान जागरुक हो गया है और अब वह गवर्नमेन्ट की ढिलाई या अक्षमता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सिचाई की रेट नहीं बढ़ाते हैं और आप बिजली की रेट बढ़ाते हैं तो हम लोगों के ऊपर वजन बढ़ेगा। मैं आपको घंटी बजाने का मौका न देकर स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री महाराम चौधरी : मेरा नाम पहले पुकार लिया गया था....

श्री सभापति : श्री भैरूलाल, मनोहर थाना।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदया, इनके बाद में मुझे मौका दें।

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना) : सभापति महोदया, इस रिपोर्ट को देखने से हम यह महसूस करते हैं कि राजस्थान में बिजली की बड़ी प्रगति हो रही है लेकिन जब हम हमारे जिले और हमारे क्षेत्र की ओर देखते हैं तो हमारे वहां अन्धेरा नजर आता है। महोदया, मैंने अभी कुछ दिन पहले यह प्रश्न पूछा था, उसमें मेरे क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय ने केवल 29 गांव बताये थे पंचायत समिति मनोहरथाने के लेकिन वास्तव में वहां पर 303 गांव हैं क्योंकि मैं कई दिनों तक इस पंचायत समिति का प्रधान रहा हूं।

महोदया, मैं आपसे निवेदन करूं कि वह क्षेत्र, वह जिला झालावाड़ प्रदेश के पिछड़े हुए जिलों में से एक है और उसमें मनोहरथाना क्षेत्र, जो एक आदिवासी गांवों का क्षेत्र है, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके पूर्व में और दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। वहां के काश्तकार मध्य प्रदेश के गांवों में बिजली देखते हैं, उनके कुओं पर बिजली लाइन देखते हैं, उनके मकानों के ऊपर बिजली देखते हैं तो उन्हें बड़ा असन्तोष होता है और वह इसलिये होता है कि वहां उनके पैदावार में बिजली है, नजदीक ही कारखाने लगे हुए हैं। इसलिये वहां के काश्तकारों में बड़ा असन्तोष है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में जो 303 गांवों का क्षेत्र है, केवल 38 गांवों को बिजली देना यह कहां का न्याय है। जबकि उस क्षेत्र में बिजली अकलेरा—मनोहर

(श्री भैरूलाल)

थाना तक गई हुई है लेकिन क्षेत्रीय जनता में और देहाती गांव में एक भी गांव को बिजली नहीं दी गई है, केवल मेन लाइन के किनारे किनारे के गांवों को बिजली देकर वहां और ज्यादा असन्तोष पैदा कर दिया है। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विद्युतीकरण की योजना से उस क्षेत्र में बिजली का विस्तार किया जाय तब जाकर वह आदिवासी गांव का क्षेत्र विकसित हो सकेगा। वह क्षेत्र इसलिये भी विकसित होने का है, श्रीमान्, कि उस क्षेत्र में तीन बड़ी नदियां हैं जिनके नाम परवण नेवज, छापी है इनमें बारह महीने पानी बहता है। इनके ऊपर अगर विद्युत के पम्पिंग सैट लगा दिये जायं तो वहां पर भारी तादाद में असिंचित भूमि सिंचित हो सकेगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि उस क्षेत्र में बिजली का विस्तार योजनाबद्ध ढग से किया जाय।

दूसरा निवेदन यह है श्रीमान्, कि वहां उस क्षेत्र में कुओं में पानी अच्छी तादाद में है और कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं है जिसके पास कुआं न हो करीब करीब 80 प्रतिशत काश्तकारों के पास कुएं हैं लेकिन बिजली के अभाव में वह अपनी मेहनत का पूरा लाभ नहीं पा रहे हैं। मैं इसी उद्देश्य से, श्रीमान्, मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उस क्षेत्र में विद्युतीकरण की योजना के माध्यम से बिजली का विस्तार किया जावे।

श्री महाराम चौधरी : मेरा नाम....

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री महाराम चौधरी : इनके बाद मेरा नाम आ जायगा ?

श्री सभापति : कांग्रेस वालों के बोलने के बाद में....

श्री रतनलाल ताम्बी :

(अनुपस्थित)

श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी : सभापति महोदय, विकास करने के लिये सबसे पहले बिजली की आवश्यकता महसूस होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी का धन्धा करने के लिये किसान बिजली से सब से ज्यादा महरूम रहता है। अगर शहर की तरफ यह बिजली, चमचमाहट आपने बंद नहीं की और गांवों की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया तो आपके विकास की गति धीमी पड़ जायगी। पिछले साल के अन्दर जब मुख्य मंत्री बजट पर भाषण दे रहे थे तो यह बताया था कि 2500 बस्तियों में विद्युतीकरण कर दिया जायगा लेकिन प्रोग्रेस हुयी 775 बस्तियों की यानि 2500 का वायदा किया था उसमें से हुयी 775 और 30 हजार कुओं को लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें से 29 हजार 500 को ही आपने बिजली दी है। यह जो आपने जो आंकड़े दिये हैं वे हैं इसमें भी उपलब्धि कम हुयी है यह जो उपलब्धि है, वह सिर्फ कागजों में है वास्तव में यह काम बिलकुल शुरू ही नहीं हुआ है बहुत सी जगहों में स्वीकृति पहुंच गयी है मगर काम शुरू नहीं हुआ है, कहीं पर मैटीरियल नहीं पहुंचा है अगर

Page No 128

(128)

(श्री महाराम चौधरी)

इसी भांति ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण करते जायेंगे तो विद्युतीकरण यह आपका सफल होगा ही नहीं।

हरिजन, अनुसूचित जाति और जनजाति के गांवों में रहने वालों को विद्युतीकरण की विशेष सुविधा पहुंचाने वाली योजना है यह भी कागजों तक ही सीमित है इसका भी कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है न कोई बस्ती इस योजना के तहत आयी है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विद्युतीकरण करने के लिये उनमें चेतना नहीं वे आकर अधिकारियों के पास अपनी योजना पेश नहीं कर सकते हैं, वे बारबार चक्कर नहीं काट सकते हैं न अधिकारियों को कोई सुविधा पहुंचा सकते हैं। इसलिये चेतना नहीं होने की वजह से काम बिलकुल रुका हुआ है और यह योजना भी आपकी कागजों तक ही सीमित है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत जो लघु विकास योजनाओं के अन्तर्गत गांवों को विद्युतीकरण करने की योजना है इन योजनाओं में भी आपका बिलकुल यही चल रहा है और जिस गांव को बिजली दो साल पहले स्वीकृत हुई थी वहां अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा यह निवेदन करना है कि शहरों की तरफ ध्यान कम देकर आपको ग्रामीण क्षेत्रों की जो विद्युतीकरण की योजनायें हैं उनका काम ज्यादा चालू करना चाहिये जिससे कि शहरों में लोगों का आकर्षण कम होगा और शहरीकरण होने से बचाव होगा। इसलिये ग्रामीण क्षेत्र की अवहेलना नहीं होनी चाहिये।

अब जो आपका कृषि का कार्य है, खेतीबाड़ी के अन्दर आपका जो काम है विद्युतीकरण का, जो पांच हार्स पावर की मोटर और दस हार्स पावर की मोटर लगाने की व्यवस्था है उसमें यह है कि जो एक काश्तकार शुरू शुरू में कुआं खोदता है तो उस समय तो पानी का स्तर ठीक रहता है तब तो वह 10 हार्स पावर की मोटर लगा लेता है और जब पानी का स्तर कम हो जाता है या कोई दूसरा कारण हो जाता है तो काश्तकार उसमें चेंज करवाना चाहता है 10 हार्स पावर के बजाय पांच हार्स पावर की मोटर लगवाना चाहता है। इस काम को करने के लिये अधिकारी लोग बिलकुल तवज्जोह नहीं देते हैं शुरू शुरू में बिजली लगाने के लिये किसान उत्सुक होता है और बराबर चक्कर काटता है उसमें तो खुद में उत्सुकता बिजली के लिये वह अधिकारी के पास अपनी अप्रोच लगाता है या पैसे देकर के यह काम करवा लेता है और उसको करवाना ही पड़ना है अगर बिजली लगवानी है तो, इसलिये मेरा निवेदन है कि गांवों में बिजली लगाने में काश्तकारों से इस तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं। या कनेक्शन देने में विशेष सुविधायें नहीं दी जाती हैं इसलिये सरकारी अधिकारियों पर निगरानी रखनी चाहिये और बिजली देने के अन्दर विशेष सुविधायें देनी चाहिये।

सभापति महोदया, जी, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बिजली का जाल बिछ जाय तो छोटे छोटे उद्योग धंधे वहां पर लग सकते हैं जिससे कि वहां पर ही लोग लग जायेंगे और शहरों की तरफ दौड़ कम होगी। इतनी ही निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री महाराम चौधरी)

ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युतीकृत करने के लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये शहरों की तरफ तो पहले से ही बहुत प्रकाश है यहां पर तो बिजली की आवश्यकता नहीं है।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर चौधरी।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : सभापति महोदया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले साल का मामला तो अभी सूखा भी नहीं था कि इस साल फिर यह मामला हो गया यह उतना बड़ा तो नहीं है उससे कुछ छोटा मामला है। तो श्रीमान्, किस्सा यूं है कि दिनांक 28 तारीख को मेरे पास मेरे इलाके से एक तार आया जिसमें लिखा हुआ था कि किसान पर एवरेज चार्ज लगाकर उनके कनेक्शन डिसकनेक्ट किये जा रहे हैं। सभापति महोदया, मैं उस तार को देखकर गांव गया और वहां बिजली के कुछ अधिकारियों से बात की उन्होंने बताया कि एवरेज चार्ज इस साल हमको यूं लेना पड़ रहा है कि मुख्य मंत्री जी के यहां से एक लैटर निकला है रिकवरी का कि दिसम्बर के महीने में रिकवरी की जाय और प्रोग्रेस दो महीने में दी जाय। सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन करूं कि दो महीने में उस समय वसूली नहीं निकालकर फसल के अन्त के महीने में जिस समय फसल होती है उसको अधिकारियों ने किस तरह वसूल किया डिसकनेक्शन करने के लिये उन्होंने चार गैंग बनायी और हर गैंग में एक जे. ईएन. को लगाया और डिसकनेक्शन करने शुरू कर दिये। शुरू में ए. ईएन. और एक्स. ईएन. से बात हुई और कहा कि डिसकनेक्शन मत करो अभी तो आखिरी टाइम है और इस टाइम में किसी के पास पैसा नहीं होता है आप दो महीने के बाद डिसकनेक्शन कर देना, खम्भे उखाड़ लेना या और कुछ कर लेना पर यह प्रापर टाइम नहीं है डिसकनेक्शन करने का इसलिये आप ऐसा मत करो। मगर वे नहीं माने और इसके बावजूद भी कि पिछले साल यह काण्ड हुआ था और अभी भी 100 आदमी मारे मारे फिर रहे हैं केसों के अन्दर वे लोग चले गये। एक गांव खाटडा में पहुंच गये दो जे. ईएन. और दो तीन लाइन मैन थे उन्होंने चार आदमियों के कनेक्शन काट दिये जिनमें दो अनुसूचित जाति के और एक महाजन तथा एक जाट का था जब वे पांचवां कनेक्शन काटने जा रहे थे तो गांव के छोरे ढाणियों के छोरे थे उन्होंने उनके पीछे भागना शुरू किया तो वे चिल्लाये कि मार रहे हैं मार रहे हैं इस बात को लेकर दो दिन तक पूरी फीडर को 10 गांवों को बिजली से महरूम रखा और फिर बाद के अन्दर पुलिस के डी. एस. पी. थानेदार वहां पहुंचे और उलटा उन पर केस बनाकर आये। मैं भी पहुंच गया था मैंने भी कहा कि क्या बात हुई है ? ऐसी बात हुई है उन्होंने बताया, मैंने कहा कि ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी बिजली और किसान का तो चोली दामन का साथ है अगर यूं केस बनाकर गलत टाइम रिकवरी करेंगे तो उचित बात नहीं है और रिकवरी भी वह कि जो डिस्प्यूटेड है उसके लिये आप पहले किसानों को समझाते कि यह अमाउन्ट इस हिसाब से बनता है वरना कोई

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

तुक नहीं है कि एवरेज चार्ज लगाकर बिल भेज दिया और डिसकनेक्शन कर दिया आप एक तरफ तो मिनिमम चार्ज ले रहे हैं, फ्लेट ले रहे हैं दूसरी तरफ एवरेज चार्ज ले रहे हैं और वह भी तब जबकि इस साल बिजली नहीं दी एवरेज चार्ज किस तरह से ले रहे हैं ? आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाओ कि इसके एवरेज चार्ज लगाने का है वरना तो डिसकनेक्शन करने का सवाल नहीं है। मैं आपके माध्यम मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एवरेज चार्ज लगाये नहीं और डिसकनेक्शन नहीं करें और किसानों को अच्छी तरह समझावें उसके हिसाब से ही डिसकनेक्शन करें। किसानों को फसल टाइम पर छूट दें और बाद में रिकवरी करें। लास्ट टाइम फसल का है इस समय अगर डिस कनेक्शन करते हैं तो मेरी समझ में ऐसा ठीक नहीं है, यह समय वसूली के लिये ठीक नहीं है। बोर्ड का जो पैसा है वह आराम से वसूल हो जाय हम भी यह चाहते हैं कि बोर्ड का पैसा वसूल हो, यह हम नहीं चाहते हैं कि बोर्ड का पैसा वसूल नहीं हो। बोर्ड के पास पैसा नहीं आयेगा तो बोर्ड विस्तार कैसे करेगा। हम इस बात से पूरी तरह हामी है कि बोर्ड की जो रिकवरी है वह रिकवरी पूर्णतः हो लेकिन वह प्रॉपर टाइम पर हो और प्रापर हिसाब से हो, ऐसा नहीं हो कि गलत सलत पैसा लगा दिया उसके हिसाब से ही वसूल कर लिया यह तो गलत है। ऐसा नहीं करें नहीं तो झगड़ा बढ़ेगा और झगड़ा बढ़ेगा तो फिर पिछले साल जो हालत हुई वही होगी। मैं तो इस बात को दबाकर आया था कि अपन को झगड़ा नहीं करना है बिना झगड़े के हिसाब से चलने का है पर न मालूम दो तीन दिन में क्या हुआ होगा, मुझे पता नहीं है। मैं तो यहां आ गया था कि अधिकारियों से बात करूंगा और इसको रुकवा दूंगा। इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि ये डिसकनेक्शन नहीं होने चाहिये। दूसरा, मेरे यहां पर करीब 800 एप्लीकेशन दो साल से पैंडिग हैं बिजली का महकमा टेक्निकल महकमा है तो यह खराबी जो है इसमें कभी कभी नहीं होगी जैसे जैसे विस्तार होगा वैसे वैसे खराबी आती जायगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि 800 एप्लीकेशन पिछले दो साल से बिजली की मांग के लिये दफ्तर में बाकी हैं और 300 एप्लीकेशन किसानों की डेढ़ साल से बिना सामान के पैंडिग हैं। मैंने पहले भी बिजली बोर्ड के अधिकारियों से निवेदन किया पहले जो तत्कालीन चीफ इंजीनियर साहब थे वे बड़े मेहरबान थे उन्होंने सामान दिया उसके लिये हम उनके आभारी हैं। वह फिर प्रमोशन लेकर चले गये। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने हिसाब से पहले सामान दिलाकर जो भी एप्लीकेशन पेन्डिग पड़ी हैं, उनको जल्दी से जल्दी विद्युत उपलब्ध करायेंगे ताकि एप्लीकेशन्स पेन्डिग नहीं रहें और वह लोग उत्पादन कर सकें।

दूसरा, यह जो लोड फैक्टर कम करने की, करीब डेढ़ सौ पेंडिग एप्लीकेशन पड़ी हैं उसके लिए बिजली बोर्ड ने कानून बनाया है कि एस० ई० देखेगा। इसके लिए मेरा निवेदन है कि ए० ईएन० मौके की रिपोर्ट देता है, एक्स. ईएन. आपका वहां मौजूद है। मेरे ख्याल से एस० ई० की वहां जरूरत नहीं है,

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

इसलिए मेरा निवेदन है कि लोड फैक्टर कम करने की पावर जो एस. ई. को दे रखी है वह एक्स. ईएन. को दे दी जाय तो यह बीमारी जल्दी निपट जायगी। जितना भी आउटस्टेण्डिंग किसानों में रहता है वह आराम से वसूल हो इसके लिए मेरा निवेदन है कि एस. ई. की बजाय एक्स. ई.एन. तक पावर सीमित कर दी जायं और लोड फैक्ट कम करने के लिए एक्स. ईएन. आथोराइज्ड़ हो तो बोर्ड में ज्यादा ओवरड्यूज नहीं रहेगा उसके हिसाब से जो भी रिकवरी रह जाती है वह नहीं रहेगी।

तीसरा, यह जो मीटरज लने की बात है, चाहे बिजली की गलती से हो, चाहे अपने किसी हिसाब से जले। दो सौ रुपये पूरी कास्ट जमा कराते हैं जबकि मीटर में खास कोई ज्यादा जलने वाली बात नहीं है, कोई चालीस, पचास रुपये का सामान जलता है। लेकिन जितनी कास्ट लगी, पूरी कीमत लेते हैं और माल थोड़ा देते हैं, यह बात जंची नहीं। माल कम देते हैं और चार पांच गुना वसूल करते हैं। उसकी पूरी कीमत वसूल करते हैं तो मीटर किसानों का होना चाहिये, वरना मीटर आप ले जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि मीटर किसानों का होना चाहिये, ठीक है, दो सौ रुपये लगाते हैं तो यह बात नहीं होनी चाहिए।

[समय-समाप्ति सूचक-घण्टी]

दूसरा, मेरा निवेदन है कि एग्रीकल्चर के अन्दर इतना बड़ा स्कोप है मेरे यहां। उसके लिए दिवेदन है कि 132 के. वी. की लाइन मकराना में आई हुई है, मेरे यहां भी आ जाय तो किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा और किसानों के और सरकार के हिसाब से भी कोई ज्यादा लम्बी लाइन नहीं है, कुचामन वहां से 6 किलो मीटर पर है। वहां 40 मेगावाट लोड एग्रीकल्चर का है, जो वहां से कवर हो जायगा। इसलिए निवेदन है कि 132 का स्टेशन हमारे यहां कुचामन में लगाया जाय ताकि लोगों को

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

बिजली मिल सकेगी। दूसरे, एस. ईएन. आफिस लोड फैक्टर के हिसाब से और डिमाण्ड के हिसाब से हमारे यहां हो तो ठीक रहे।

एक, फसल के टाइम पर इतनी बिजली होनी चाहिए, ये सारी बातें हैं और तीसरा एल. फार्म के हिसाब से कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं उनको विद्युत कनेक्शन भी दिये जायं तो लोगों के 2000 15-1500 रु० पेण्डिग पड़े हैं। वे देखते हैं कि बिजली मिलेगी, वे भी अपने बच्चों का पेट पाल सकेंगे, मंहगाई का जमाना है। यह रिक्वेस्ट करते हुए मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि हमारी जो एप्लीकेशन पेण्डिग पड़ी है उनको कनेक्शन दिये जायं।

श्री त्रिलोकसिंह (फ़तेहपुर) : सभापति महोदया, मैं बोलूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : यह आम अवाम का सवाल है।

श्री सभापति : आपको समय देंगे। श्री रामसिंह विश्नोई।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य विद्युत में सुधार के लिए और राज्य में विद्युत का जो संकट है उसके सम्बन्ध में कई अर्से से अपने विचार प्रकट करते आये हैं। लेकिन जितना, जिस गति से सुधार होना चाहिए वह नजर नहीं आया। सभापति महोदया, जिस बोर्ड के अन्दर जितनी बिजली उपलब्ध है और जिसको हैण्डल करने वाले आदमी इतने ज्यादा हैं जब तक आमदनी और खर्चे के हिसाब से बोर्ड अपने को इस फेवर में नहीं लगायेगा तब तक बिजली किसको मिलती है, काश्तकार को, उपभोक्ता को, उद्योगपति को, तब तक इसका समाधान होना सम्भव नहीं है। जो 60, 70 हजार लेबर अपने राज्य में है उनके पास काम नहीं है और काम नहीं होने के कारण, माननीय सभापति महोदया, उन बेचारों को हड़ताल करनी पड़ती है। वह पैसे के लिए हड़ताल नहीं करते हैं, वह काम करना चाहते हैं, काम उनके पास है नहीं, इसलिए कम से कम राज्य के अन्दर 30 हजार ऐसे लेबर हैं जिनके पास काम नहीं है। केवल चार घंटे उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन रोज की मजदूरी, चेयरमैन साहब, चीफ इन्जीनियर साहब, एस. ई., एक्स. ईएन. उनको निकाल नहीं सकते, एक्शन ले नहीं सकते। काम उनसे ले सकते हो तो काम उनसे हो सकता नहीं। सबसे बड़ा जो संकट है, बिजली जो मिलती है वह नहीं है, लेबर जो है इनको खा रही है, इनसे काम नहीं हो रहा है और काम क्यूं नहीं हो पा रहा है, इनके सामर्थ्य के बाहर की बात है, इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। कोई भी एक्शन आज एक लाइनमैन है, चीफ इन्जीनियर साहब उसको हटा दे, मैं नहीं समझता कि वह हटा दे। यह स्थिति बोर्ड की है, कोई बात रह जाय, यह हो नहीं सकता कर नहीं सकते, चाहे मन्त्री हो, चाहे चेयरमैन साहब हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास काम नहीं है और 24 घण्टे बिजली देनी चाहिये उपभोक्ता को, वह बिजली आप दे नहीं सकते। किसान को जरूरत है बिजली की, 24 घण्टे बिजली देते नहीं। लेकिन हम इतने अभागे आदमी हैं राजस्थान के, 24 घण्टे नहीं देने के बजाय, हमारे बोर्ड के लोग चेयरमैन साहब, मन्त्री महोदय, लोगों के एवरेज चार्ज, मिनिमम चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि संगठन नहीं है, शक्ति नहीं है, एकता नहीं है, योग्यता नहीं है जो अक्ल होनी चाहिये वह नहीं है। एक तरफ तो हमें यों मारते हैं, हमारे को जबर्दस्ती देना पड़ता है क्योंकि हम घेराव नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते इनके सामने, जबर्दस्ती इनके सिर पर ठोला ठोककर पैसा देना पड़ता है। इसका जवाब मन्त्री महोदय दे सकते हैं, आपके पास दो हजार गाड़ियां 60, 70 हजार लेबर, गाड़ियों में लाखों करोड़ों का पैट्रोल जलता है, अपने आफिस के काम के लिए नहीं, अपने सोफासेट लाने के लिए, अपनी फेमिली को छोड़ने के लिए, कुत्ता बिल्ली लाने के लिए, दो हजार गाड़ियां इधर-उधर दौड़ती हैं, काम उनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं मेरे एरिया की बात नहीं कहता हूं, पूरे राजस्थान में कहीं पर भी बिजली दे नहीं सकते, और कहीं पर गलती से दे देते हो तो गांवों के बाहर ट्रान्सफार्मर लगा देते हैं जला हुआ, चाहे दस दस साल से बिजली नहीं आवे। इसलिए बिजली के बारे में, माननीय सभापति महोदया, राज्य में यह व्यवस्था है।

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

मैं पूछता हूं सुधार की आवश्यकता नहीं है ? मैं पूछता हूं, राज चलता कैसे है, यह मेरी समझ में नहीं आया । यह बोर्ड बन्द नहीं हुआ, यह आश्चर्य जनक है, यह ताज्जुब की बात है, इसलिए हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, चीफ इन्जीनियर साहब हैं, उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । इतनी विकट समस्या के बावजूद भी बोर्ड को कायम रखा और बन्द नहीं किया । करोड़ों रुपया एल. आई. सी. से आता है, हजार्ड फण्ड की व्यवस्था है, वहां से ले आते हैं, ओवरड्राफ्ट होता नहीं, करोड़ों देते हैं, व्याज के वसूल होते हैं, नहीं होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जब चाहेंगे एक मिनट में जो हमारी रेट है उसको बढ़ा देंगे, बड़ा आसान काम है, हम मजबूर हैं, आज कोई भी उद्योगपति और कोई भी किसान बिजली के बिना एक मिनट जिन्दा नहीं रह सकता । आज यहां भी एक मिनट बिजली बन्द हो जाय तो यहां छोड़ कर बाहर जाना पड़ सकता है । यह स्थिति जिस राष्ट्र और मानव में हो तो आज बिजली का महत्व है उस महत्व को बनाये रखने के लिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट है उसको खुद को सुझाव रखने चाहिये, अधिकारियों में गट्स होने चाहिये । आपके पास जब बिजली उपलब्ध नहीं है 24 घंटे बिजली दे नहीं सकते तो कम से कम आपकी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये कि राज्य में जो उपभोक्ता है उसको कम से कम तकलीफ और ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो ।

सभानेत्री महोदया, आज 24 घंटों में से केवल 6 घंटे आप बिजली देते हैं, 6 घंटे में जो गरीब आदमी है किसान है उनकी जो मोटरें लगी हुई हैं, कभी वोल्टेज 400 तो कभी 200 आता है, मोटरें जल जाती हैं ।

मोटर जल जाने से नुकसान होता है, कम से कम 4-4 बार मोटर जल जाती है, यह बहुत खराब हालत है इसमें सुधार होना चाहिये इसको संक्षेप में नोट करवाया जाय ।

श्री सभापति : मेरे पास जो सूची आई है उसके अनुसार आप बोल चुके हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आप समाप्त करें । श्री रतन लाल ताम्बी !

श्री रामसिंह बिश्नोई : मैं कहां बोल चुका ?

श्री सभापति : 1980-81 पर बोल चुके, जो सूची आई है उसमें लिखा है ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : चेयर से हुक्म होता है, हो जाने के बाद चेंज होता है क्या ? आपके आदेश हो चुके हैं उसके बाद चेंज नहीं होते । आप भले चेंज हो जायं लेकिन आदेश चेंज नहीं होते । आप सिर्फ 1981-82 पर बोल सकते हैं ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : दो ही तो बातें कहनी हैं । या तो मैं बैठ जाऊं

श्री सभापति : कह दीजिये ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : मेरा सुझाव है संक्षेप में । मैं निवेदन कर रहा था राज्य में जो आप बिजली दे रहे हैं, हम जानते हैं कि आपके पास बिजली उपलब्ध नहीं है आप 24 घंटे नहीं दे सकते, आप 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मुकर्र कर दीजिये और लेबर की छटनी कीजिये, हमें मन्जूर है चाहे 6 घण्टे

(श्री रामसिंह विश्नोई)

दें लेकिन 6 घण्टे तो दें, वोल्टेज 350-400 के बीच में आएगा। अगर ज्यादा आता है तो लट्टू जो आप कम्पनी वालों से मिले हुए हैं, वे लट्टू जल जाते हैं, हमारी मोटरें जल जाती हैं, किसान समझता नहीं। स्टार्टर डिफेक्टिव है, उसकी रिकमेंडेशन आपका विभाग करता है जितनी भी अनियमिततायें हैं, सारे विभाग के लोग जानते हैं इसलिए जो भी व्यवस्था है आप करें। आप एल. फार्म भरवाते हैं। आपका मतलब है एकुरेट रेट लगाते हैं लेकिन किसान इतना अनपढ़ आदमी है कि कोई एल. फार्म की जरूरत नहीं है, इससे उनका पिंड छुड़ा दिया जाय। केवल मात्र असिस्टेंट इन्जीनियर को पैसे देने के लिये मशीनरी है. बीच में अड़चन लगाई है, आपको मालूम है बिजली लगने के बाद मोटर फिटिंग होने के बाद एल. फार्म की जरूरत नहीं होती इसलिये उसको हटा दें।

दूसरे, मिनिमम चार्जेज को बिल्कुल हटा दिया जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आफिसर्स गैलरी की तरफ ध्यान देकर न बोलें। मंत्री की ओर ध्यान दें, जल्दी समाप्त करें।

श्रीरामसिंह विश्नोई : सभापति महोदया मेरे क्षेत्र जोधपुर के अन्दर बिलाड़ा में बनी लेकिन तीन साल के बाद भी एक गांव में भी विद्युतीकरण की स्कीम को नहीं लिया, सामान नहीं था और जो था वह भी बाढ़ के अन्दर नुकसान हुआ। हमारे क्षेत्र में आर० ई० सी० लूणी में बनी लेकिन आज तक किसी अधिकारी को नहीं लिया गया, कोई कर्मचारी भी नहीं, आफिस भी नहीं खोला गया इसलिये आर० ई० सी० की स्कीम का लूणी व बिलाड़ा के लिये आप स्पेशल प्रावधान करके व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर को जब तक 220 के० वी० लाइन से नहीं जोड़ा जायगा तब तक जोधपुर क्या, पूरे पश्चिमी राजस्थान में बिजली का संकट हमेशा बना रहेगा इसलिये लाखों करोड़ों की आमदनी का विभाग को नुकसान तो होगा ही, राज्य को भी भारी नुकसान होगा इसलिए आप पूरी 220 के० वी० लाइन सीधी बिलाड़ा से जोधपुर को भेजने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा नाम नावां से आने वाले सदस्य से पहले है।

श्री सभापति : जैसे मुख्य सचेतक ने सूची दी है उसके क्रमानुसार बराबर नाम पुकार रही हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदया, किसी भी देश का जिले का, गांव का आज के युग में विकास के लिये बिजली का बहुत बड़ा आधार है। राजस्थान में बिजली का उत्पादन और वितरण दोनों की ही समस्यायें रही हैं। दुर्भाग्य से राजस्थान में बिजली का प्रबन्धन जो पूरी तरह से होना चाहिये, आज के दिन पूरा नहीं हो पा रहा है। सतपुड़ा बिजली का प्लांट है, सेन्टर है, वहां पर राजस्थान ने 210 लाख रुपये

(श्री रतन लाल ताम्बी)

लगाये उसके बाद 20 लाख यूनिट राजस्थान को मिलने चाहिये। आज के दिन भी बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। जवाहर सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर से, हमको जो बिजली प्राप्त हो रही है, उसमें 6 लाख यूनिट बिजली हम मध्य प्रदेश को अधिक दे रहे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 14 लाख यूनिट बिजली आज के दिन राजस्थान की मध्य-प्रदेश ले रहा है किन्तु इस दिशा में हमारी सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है, इस कारण राजस्थान में बिजली की विषमता लगातार रही है। हमारे इन्टर-स्टेट मैटर्स हैं, मामले हैं, आज बिजली और सिंचाई के मामले नहीं सुलझते हैं। इसलिये राजस्थान बिजली की दृष्टि से बहुत पिछड़ता जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्फास्ट्रक्चर की बात की जाती है, राज-स्थान में औद्योगिक विकास की बातें होती हैं उसका मूल आधार विद्युत है, बिजली है, इस दिशा में योजनाबद्ध न मास्टर प्लान है न कार्यक्रम है। आश्चर्य इस बात का है कि हर वर्ष पिछड़े वर्ग के नाम से योजना बनती है, गत वर्ष 46 लाख रुपये का प्रोवि-जन किया गया था कि पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में पिछड़े वर्ग की बस्तियों में विद्युतीकरण किया जायगा। आज के दिन 6 लाख रुपये खर्च हुए, इतनी बड़ी उपेक्षा यह सरकार की लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं, मैं इसमें साफ तोर से कहना चाहता हूं कि हमारी दिशा इस बारे में स्पष्ट नहीं है, इसके लिये मैं सुझाव देना चाहूंगा. हमारी बिजली उत्पादन की कितनी क्षमता है, कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, इसके अलावा कितने घंटे बिजली चलनी चाहिये, उसके बाद कितने घंटे बिजली चलती है। राजस्थान में, ये सारे आधार हैं, हमारे विद्युत मंडल में सक्रियता और निष्ठा की भावना होनी चाहिये उसका सर्वथा अभाव है। मैं आपको मोटे तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश का समग्र विकास करना है, आर्थिक विकास करना है तो सबसे पहले सिंचाई और बिजली के कार्य होते हैं, बिजली की दृष्टि से राजस्थान में अभी बहुत सुधार की आव-श्यकता है, कई जल के स्रोत मौजूद हैं, वहां बिजली की लाइन ही नहीं पहुंचती है। आज बिजली की पैदावार बढ़ सकती है। वह नहीं बढ़ रही है। आज बिजली विभाग व्यवसायिक दृष्टि से सोच रहा है, एक गांव में बिजली मौजूद है. रेवेन्यू सर्किल से दूसरा गांव जुड़ा हुआ है, 10 कुए तैयार हैं बिजली की लाइन चाहते हैं लेकिन नहीं देते। शर्म की बात है। दूसरी तरफ लाइन मौजूद है, पोल्स लगने हैं बिजली लगाकर 10 कुओं को बिजली दे सकते हैं जिससे किसान की आर्थिक हालत सुधरेगी, राज-स्थान की समृद्धि बढ़ेगी, वहां विद्युत मंडल की आय बढ़ेगी। इस प्रकार की नीतियों के प्रति मंडल ध्यान दे, यह आवश्यक है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मंडल आज जो काम करता है, उसका गांवों से सीधा संबंध नहीं है, सम्पर्क नहीं है, किसानों की बिजली की क्या समस्या है, वह इस बात को नहीं देखता है। इसलिये जब तक गांवों के लोगों की बिजली का

(श्री रतनलाल ताम्बी)

समाधान मंडल में नहीं होगा तब तक राजस्थान में समृद्धि नहीं आयेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शायद राजस्थान का मास्टर प्लान बने इसके जरिये से योजनाबद्ध ढंग से बिजली का विकास हो तो बात समझ में बैठती है। मैंने कई गांव देखें हैं जहां ट्रांसफार्मर्स लगे हुये हैं, कुओं के कनेक्शन्स के लिए बिजली पहुंच जाती है। दूसरी तरफ ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली पास में है लेकिन बिजली नहीं दी जाती है। जहाजपुर पंचायत समिति अरावली पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। काफी नदी नाले होते हुये भी आज के दिन 142 गांवों में केवल बिजली है और 42 गांवों की योजना के लिये पिछले 4 साल से लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन कोई योजना न बनाकर उन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हो रहा है।

सभापति महोदया, मैं मेरे ही क्षेत्र जहाजपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में 35 गांव ऐसे हैं जहां बिजली की कमी है। वहां पर बनास नदी आयी हुई है। उसके पास बहुत से नदी नाले हैं वहां पर काश्तकार द्वारा बिजली की मांग की जा रही है इसलिये मेरा निवेदन है कि किसी प्रकार की योजना बनानी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह सारे कार्यक्रम हाथ में लें उसके पहले, आपको यह आधार निश्चित कर लेना चाहिये कि हमारी प्राथमिकता क्या है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में आज 4484 आदिवासी गांव हैं जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी क्षेत्र है। दुर्भाग्य की बात है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को बढ़ावा देने की यहां पर बात की जाती है, बार बार उनका विकास करने की बात करते हैं लेकिन दुर्भाग्य से आज तक 13 गांव ही विद्युतीकृत हो सके हैं। 2965 गांव विद्युतीकृत होने बाकी हैं। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इस योजना का आधार बनाया जाना चाहिये। सभापति महोदया, अभी राज्य सरकार ने 44 लाख रुपये का प्रावधान शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के गांवों के विकास के लिये रखा था उसमें से इस साल में 6. 64 लाख रुपये ही खर्च किये गये हैं। आखिर यह क्या तरीका है ? गांवों के लिये बजट पास किया जाता है लेकिन खर्चा उसका किया नहीं जाता है, उसको खर्च करने का तरीका ही आपका दूसरा है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये।

आज आप घाटे की बात करते हैं, विद्युतीकरण की जो पुस्तिका हमे वितरित हुई है 79-80 की उसके पेज 42 पर लिखा है कि विद्युत मण्डल के लोगों में 3344 लाख रुपये बकाया है। यह 3344 लाख रुपये अभी तक विद्युत मण्डल उन लोगों से वसूल नहीं कर पा रहा है। सभापति महोदया, यह पैसा कोई साधारण आदमियों में बकाया नहीं है यह बकाया बड़े बड़े लोगों में, राजा महाराजाओं में और बड़े बड़े उद्योगपतियों में है आप चाहें तो स्टेट की बकाया है उनके प्रिवि पर्सेज में से काट सकते हैं। इसी तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों में जो बकाया है उसके लिये भी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

कदम उठाने चाहिये। सभापति महोदया, अगर किसी साधारण गरीब किसान में पैसे बकाया हो और वह किसान पैसे नहीं देता है, तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है चाहे गरीब किसानों की फसल जल जाय, फसल चाहे नष्ट हो जाय पर इनको गरीब किसानों पर दया नहीं आती है। इसलिये मेरा, सभापति महोदया, आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव है कि टाटा बिड़लाओं जैसे उद्योगपतियों में जो बकाया है, उसको जल्दी वसूल करें। अगर वह वसूलियां नहीं करावें तो उनके बिजली के कनेक्शन्स काटे जावें। यह जो 3344 लाख रुपये की विद्युत मण्डल की बकाया है उसको अगर आप वसूल करके दिखावें तब जानेंगे कि वाकई में आप वसूलियां करना चाहते हैं। इसके साथ साथ, सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से अपेक्षा करता हूं कि आज ही मन्त्री महोदया अपने जवाब में इस बात की घोषणा करेंगे कि 3344 लाख रुपये की बकाया जल्दी से जल्दी वसूल की जायगी। इसके अलावा जो छोटे छोटे किसानों में थोड़ी बहुत बकाया होती है उसके लिये उनके कनेक्शन नहीं काटे जायेंगे। एक तरफ आप समाजवादी समाज की बात करते हैं समाजवादी समाज की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, तो फिर आपको गरीब लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी करामात तो इस बात में है, आपकी प्रतिभा इस बात में है कि विद्युत मण्डल की जो बकाया है जिसके कारण आज विद्युत मण्डल घाटे में चल रहा है। उसको वसूल करा कर दिखावें। मैं इस बात की अपेक्षा करके चलना चाहता हूं। मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदया....

श्री सभापति : आप समय का ध्यान रखें। मैं आपको याद दिला दूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदया, तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने जो जो सुझाव दिये हैं उनकी तरफ राज्य सरकार ध्यान देगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

दूसरी बात, एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज विद्युत विभाग की कोटा उज्जैन के बीच में सतपुड़ा लाइन टूटी हुई पड़ी है। उसमें हमने लाखों रुपया इनवेस्ट किया है उसकी तरफ भी ध्यान मंत्री महोदय देंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। इससे 14 यूनिट जो बिजली मिलती थी वह नहीं मिल रही है इसमें आपने 40 करोड़ रुपये खर्च किये थे। अभी 6 करोड़ रुपये खर्च किये हैं इसलिये उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय।

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार हमारे जो दूसरे इन्टर स्टेट प्रोजेक्ट्स से बिजली हमें मिलनी चाहिये। वह नहीं मिल रही है। उसकी ओर राज्य सरकार विशेष रूप से ध्यान देगी, ऐसा मेरा सुझाव है। हमारे यहां कुल 13,842 गांव कुल विद्युतीकृत हुए हैं और 15000 गांव ऐसे हैं जिनका कि विद्युतीकरण होना है। आज हम पंजाब और हरियाणा का प्रतिशत बिजली का देखें तो पता चलेगा कि कहां हरियाणा है और कहां राजस्थान, कहां पंजाब और कहां

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्थान, इस प्रकार महाराष्ट्र और गुजरात से कम्पेयर करें तो हम कहां जाकर ठहरते हैं यह देखने की बात है।

आज उन प्रदेशों से हम अगर विद्युतीकरण की तुलना करें तो हम उनसे बहुत ही पिछड़े हुए है। यही कारण है कि हमारे यहां पर उद्योग कम लगाये जाते हैं। जितने भी हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं वह राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये आकर्षित नहीं होते हैं। वह लोग बाहर जाकर बम्बई और कलकत्ता में जाकर अपना उद्योग लगा रहे हैं। इसका कारण यह है कि वहां पर उनको बिजली प्रचुर मात्रा में मिल जाती है तथा साथ में इन्फ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाता है। राजस्थान में उद्योगों के लिये जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाने के कारण उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि इस ओर ध्यान दिया जाय। राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान देगी, ऐसा मैं मान कर चलता हूं।

इसके अलावा, कुछ छोटी छोटी समस्यायें हैं जो कि गांवों में मौजूद हैं उनके बारे में विधान सभा में कई बार चर्चायें हो चुकी हैं, जैसे आज विद्युत मण्डल बाहर से अपना माल मंगाता है वह स्टेशन पर पड़ा रहने के कारण, समय पर नहीं छुड़ाने के कारण उसपर विद्युत बोर्ड का लाखों रुपये का डेमरेज लगता है। इस बारे में विद्युत मन्त्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत मन्त्रीजी इस ओर ध्यान दें विद्युत मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि विद्युत मन्त्री जी इसकी जांच करें और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं।

आज गांवों में कई जगह पर कण्डक्टर्स नहीं हैं, तो कहीं सिंगल फेस वायर नहीं हैं जिससे बिजली वहां तक नहीं जा रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें। अगर इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो काम नहीं चल सकता है। आप जो भी काम हाथ में लें उसे समय के अन्दर पूरा करें ऐसी योजनायें क्रियान्वित करें। ऐसा करने से ही आपको लाभ हो सकेगा। नहीं, तो काम अधूरा रह जाता है जिससे पैसे का तो नुकसान होता ही है साथ में बिजली का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिये विद्युत मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि वह इन सभी बातों की गहराइयों में जायेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(4.25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

आज हमारे राजस्थान की अर्थ व्यवस्था खराब है उसको अगर सुधारना है। तो उसमें बिजली का योगदान पूरा चाहिये। बिजली की कमी सुधारने से ही प्रोडक्शन बढ़ेगा और हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसलिये अध्यक्ष महोदय, बिजली को विकसित करने की ओर राज्य सरकार ध्यान देगी, ऐसा मानकर चलता हूं। आज बिजली का उत्पादन 12800 लाख यूनिट का है जब कि हमें चाहिये 22 हजार 98 लाख यूनिट। इसके अलावा 1489 लाख यूनिट गावों में चाहिये। अभी विद्युतीकरण 11 हजार गांवों में होना है इनमें से 4611 गांव आपने इस

(श्री रतनलाल ताम्बी)

साल विद्युतीकृत किये हैं और बाकी गांव में विद्युतीकरण होना है। मैं चाहूंगा कि आज जो विद्युतीकरण हुआ और अब जो होना बाकी है उनका आपको सर्वेक्षण कराना चाहिये और उनके लिये अनुसन्धान किया जाना चाहिये।

इसके अलावा हमारे यहां पर अणु बिजली घर है। दुर्भाग्य से इतना बड़ा बिजली घर होने के बावजूद भी तकनीकी खराबियों के कारण वह अक्सर खराब पड़ा रहता है। अध्यक्ष महोदया, किन कारणों से खराब होता है उसको ठीक करने के लिये द्रुतगति से कार्यवाही होनी चाहिये। आज हम देखें तो एक साल में 8700 घण्टे होते हैं उनमें से यह विद्युत घर कितने घण्टे चला उसकी लम्बी फहरिस्त मेरे पास है। आप चाहें तो मैं आपको पेश कर सकता हूं। सन् 72 से 74 तक यह 4174 घण्टे ही चल सका, इसी प्रकार 74-75 में यह 4195 घण्टे चला, 75-76 में यह 5664 घण्टे चला, 76-77 में यह बिजली घर 3152 घण्टे चला, 77-78 में यह अणु बिजली घर 6056 घण्टे चला और 78-79 में 5472 घण्टे चला, 79-80 में यह 2272 घण्टे चला और दिसम्बर के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार वह 1325 घण्टे चला। तो, अध्यक्ष महोदय, जब एक साल में वह बिजली घर 8700 घन्टे चलना चाहिये था उसके अनुपात में वह इतना कम चला। इस तरह से हमें जनवरी में 972 लाख यूनिट बिजली मिली, फरवरी में 825 लाख यूनिट का उत्पादन हुआ, मार्च में 979 लाख यूनिट बिजली उत्पादित की गई, अप्रेल में 1073 लाख यूनिट, मई में 1200 लाख यूनिट, जून में 883 लाख यूनिट बिजली और जुलाई 218 लाख यूनिट, अगस्त में 1644 लाख सितम्बर में 860 लाख यूनिट अक्टूबर में 360 लाख यूनिट और नवम्बर 1202 लाख यूनिट, दिसम्बर में 871 लाख यूनिट, यह बिजली उत्पादन है। मेरा निवेदन है कि आप कार्यक्रम योजना तरीके से लागू करें जिससे बिजली का सही उत्पादन हो सके। इसके अलावा पंचायत क्षेत्र है जिसमें 20-30 गांव ही इलेक्ट्रिफाइ करने हैं अगर वह हो जाते हैं तो सम्पूर्ण पंचायतें इलेक्ट्रिफाइ हो सकती हैं। मेरा निवेदन है कि आप एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाकर चलें तो काम ठीक हो सकेगा। हमारे यहां पर प्रचार तो अधिक होता है लेकिन उतना काम नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अधिक से अधिक बिजली उत्पादन किया जावे। इसके साथ में जो सतपुड़ा और दूसरे स्टेट से हमें बिजली कम मिल रही हैं, उसकी ओर भी राज्य सरकार ध्यान दे। इसके अलावा जो बिजली के अप्रेन्टिसेज को विद्युत मण्डल से निकाल दिया उनकी वापस नियुक्ति की ओर भी राज्य सरकार ध्यान देने की कृपा करे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा भविष्य बिजली पर निर्भर करता है और आपकी कुशलता भी इसी पर निर्भर करती है कि बिजली की व्यवस्था अधिक से अधिक हो और समुचित वितरण हो लोगों के अन्दर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता से आज यदि जनमत जानें तो 80 प्रतिशत जनता बिजली विभाग की नीति और उसके व्यवहार से परेशान है। कहीं इन्जीनियर्स

(श्री रतनलाल ताम्बी)
नहीं हैं, कहीं जूनियर इन्जीनियर्स नहीं है, कभी बिल समय पर नहीं मिलते हैं, कई बार चुकाने जाते है तो वसूली करने वाले नहीं रहते हैं और इस साल आपने बिजली कम दी और मिनिमम चार्जेज पूरे वसूल करेंगे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थान गृहण करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसी बात को कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से जैसा कि मैंने पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित किया था उत्तर दिलाया जाय....

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। कितने माननीय सदस्य और बोलना चाहेंगे वह अपने हाथ ऊंचा कर दें।

(कई माननीय सदस्यों ने हाथ खड़े किए)

5 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें और इस विषय को भविष्य में ले लें।

श्री तेजपाल यादव : बिजली से जो दुखी हैं उनको समय नहीं दिया गया ... मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं इनकी सुन लीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर सरकार की ओर से मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं उनको सुन तो लीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं जिनके बारे में मैं उत्तर देना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज आसन पैरों पर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह निर्णय आपको लेना है। मैं तैयार हूं उत्तर देने के लिए आसन का जो आदेश होगा मैं उसकी अनुपालना करूंगा। मैं तो उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अब जो निर्णय देंगे मुझे मान्य है, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे रहा हूं....

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। मैं समझता हूं कि अभी डिबेट पूरी पकी नहीं है अपूर्ण है। इसलिए इस पर अभी चर्चा चलेगी और उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जायगी लेकिन यह विषय भविष्य में फिर विचारार्थ लिया जायगा।

श्री चतुर्भुज !

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के विषय में मैं भी कुछ मेरे सुझाव पेश करना चाहता हूं। वह सुझाव इस प्रकार हैं कि बिजली का संकट सामने आया है और इस साल में उससे भारी प्रभाव खेती पर पड़ा है,

(श्री चतुर्भुज)

हजारों एकड़ जमीन में, बिजली के नहीं मिलने की वजह से किसानों ने फसल से हाथ धो लिए। मैं चाहूंगा कि आइन्दा इस बिजली के संकट से कृषि पर प्रभाव नहीं पड़े तो देश के लिए और राजस्थान के भी हित में रहेगा। क्योंकि बिजली ही खेती का आधार है और आम आदमी बिजली की शरण में पहुंचता जा रहा है और बिजली के नहीं मिलने से हमारे मौजूदा साधन समाप्त हो गए हैं। हम बिना बिजली के किसी भी प्रकार के साधन नहीं जुटा सकते। इस सब का प्रभाव अन्य के ऊपर पड़ेगा यह समस्या आपके सामने आ चुकी है।

अब मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की समस्या आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जो इस प्रकार है कि मैं टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं जो जिला टोंक में है। जिला टोंक में 5 निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें केवल एक टोडारायसिंह क्षेत्र ही विद्युतीकरण से वंचित रह रहा है। इसका कारण यह भी दिखाई देता है और अपने आप ही यह बात मानी जाती है। मैं किसान हूं और अनुशासित सिपाही हूं और आप लोगों को जा जाकर परेशान भी नहीं करता हूं, इसका मतलब यह दिखाई देता है। इसके बावजूद मेरे निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह की कथा वर्णन करूं तो समय नहीं है और सदन में इस कारण अर्ज नहीं कर सकता। मैं संक्षेप में ही इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र के बीच में से होकर एक बनास नदी निकली है जो कि 78 किलोमीटर लम्बी मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है। उसी की शाखा छोटी नदी जिसको शोदरा कहते हैं यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में से 38 किलोमीटर में से निकलती है। दूसरी डाई नदी है जो 13 किलोमीटर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में से निकलती है। तीसरी नदी जो खारी है यह 9 किलो मीटर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में से निकलती है। इन सभी नदियों के दोनों किनारों पर काफी पानी है और लाखों की तादाद में कुए बने हुए हैं। इस आधार पर विद्युतीकरण होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। इसके बावजूद राजमहल में एक श्यालसिंह का देह है जिसमें अपार पानी का भण्डार है। पुराना इतिहास यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था और उन्होंने बताया था कि यहां पानी का इतना भण्डार है कि जिसका कोई पार ही नहीं है। सरकार चाहे मैं कहूं उस बात को सही माने तो सर्वे कराकर उसका प्रमाण कर लिया जाय तो शायद श्यालसिंह का देह से आप बड़े बड़े शहरों को पानी दे सकते हैं।

इसके अलावा आज अजमेर, नसीराबाद, केकड़ी आदि को पानी दिया जा रहा है वह भी मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र से ही जा रहा है। इतना सब कुछ होते भी हमको विद्युत नहीं मिल रही है यह दुर्भाग्य की बात है। अतः मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि टोडारायसिंह क्षेत्र में विद्युतीकरण किया जाय। मेरे सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह में केवल 6 गांवों को बिजली मिली हुई है और बाकी सारा क्षेत्र विद्युतीकरण होने के लिए राज्य सरकार की आशा में बैठा हुआ है।

(श्री चतुर्भुज)

इसके बाद तारीख 13 मई, 1975 को माननीय मुख्य मंत्री, श्री हरिदेव जी जोशी, मेरे स्वयं के गांव जो मेरे जन्म का गांव है, वहां पधारे थे और उन्होंने नेहरू पार्क का वहां उद्घाटन किया था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस मांग पर घोषणा की थी कि टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र को आर. ई. सी. से जोड़ दिया जायगा लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उस घोषणा का पता ही नहीं है और हम आम किसान मौके पर कहते हैं और वह घोषणा की प्रतीक्षा में बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप हमारी मदद करेंगे और मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह में विद्युतीकरण लागू किया जाये।

इसके साथ ही राजमहल एक गांव है उसकी विद्युतीकरण की योजना दो साल से स्वीकृत है लेकिन आज तक वहां बिजली नहीं पहुंची है। जो कि पहुंचना जरूरी है राज्य सरकार अपने आदेश की पूर्ति करें, इस संबंध में मैं यह कहूंगा।

दूसरा, एक रामेसरपुरा गांव है उसके चारों ओर विद्युतीकरण है और केवल उसी गांव में बिजली नहीं दी गयी है। इस सम्बन्ध में सिक्योरिटी आदि सब जमा करा दी गयी है और लाइन भी नजदीक है इसके बावजूद भी वहां बिजली नहीं दी जा रही है। पूरा यह गांव हरिजनों का है। अतः मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि राजमहल, रामेसरपुरा को तत्काल बिजली दी जाय मुख्य मन्त्री की घोषणा और आम जनता की आशा पूरी करके जल्दी ही विद्युतीकरण करेंगे, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, राजकीय उपक्रम) : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात अर्ज करनी थी। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि जितने रेस्ट्रिक्शन्स लगाये हुए थे वे सब रेस्ट्रिक्शन हमने 31 मार्च से विदड्रा कर लिये हैं, अब बिजली चालू रहेगी.......

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : किसान क्या करेंगे उसका ?

एक माननीय सदस्य : सरकार ने बड़ी मेहरबानी की हैं .....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सरकार ने अच्छी बात की है.......

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह कहेंगे कि भविष्य में 24 घंटे बिजली चालू रहेगी, लगातार देंगे। यह कह दीजिये कि हम 24 घंटे बिजली देंगे ...

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर बिजली उपलब्ध रहेगी हमारे पास.......

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : मसीहा बने फिरते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर.......

श्री देवीसिंह भाटी : 31 मार्च तक बिजली की कटौती रही उससे किसानों को

(श्री देवीसिंह भाटी)

जो नुकसान हुआ क्या वह आप पूरा कर देंगे ?....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बिजली विभाग का गठन ही किसान विरोधी है बिजली बोर्ड किसानों के साथ, रबी की फसल के साथ खिलवाड़ करता है। जब किसानों की जरूरत पूरी हो जाती है तो मंत्रियों के द्वारा यह एलान किया जाता है कि कटौती नहीं की जा रही है....

(व्यवधान)

श्री त्रिलोक सिंह : किसानों का गला घोटना चाहते हैं....

श्री रामनारायण डूडी : उस वक्त राजस्थान की जनता ने, किसानों ने मांग की, हो हल्ला किया, पांच घंटे बिजली नहीं दी ....

श्री मेघराज तावड़ : रात को बिजली दी, सर्दी में रात को दो बजे किसान ठिठुर गये, किसान मर गये....

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : यह तो कार्यवाहक मंत्री हैं....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की कि 31 मार्च के बाद पूरे 24 घंटे बिजली दी जायगी....

(व्यवधान)

गारंटी देते हैं, मंत्री महोदय, बिजली उपलब्ध होगी। अभी श्री पूरी गारंटी नहीं 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा पायेंगे....

एक माननीय सदस्य : आज एक अप्रेल है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अप्रेल फूल बना रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह। प्रारम्भ कीजिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज बिजली के बजट के बारे में आपके माध्यम से मेरे विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस किसान विरोधी सरकार ने, किसान विरोधी मंत्री ने किसानों के साथ सबसे बड़ा उपहास आज पहली अप्रेल को किया है। उनको क्षमा मांगनी पड़ेगी। क्या किसानों की यही कीमत है ? मार्च के महीने में पूरी बिजली दे देंगे। क्या आपकी दया पर किसान निर्भर है ? क्या करेंगे ? अब हम उसका अचार डालेंगे, जब बिजली की जरूरत थी ही नहीं ? अब कहते हैं बिजली देंगे। क्या आप किसान को निरीह प्राणी समझते हैं ? शर्म नहीं आई। आप किसानों से मजाक कर रहे हैं। आपको हम आगाह कर देते हैं हम किसान इस मजाक को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आगे आने वाला समय बतायेगा इसके क्या नतीजे निकलते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं मूल प्रश्न के ऊपर आता हूं। बिजली विभाग

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

एक ऐसा सोता हुआ विभाग है जिसके पास न तो कोई योजना है, योजना है तो तुगलकशाही योजना है। मैं बिजली विभाग को तीन विभागों में बांटता हूं। उत्पादन, समरण और उपयोग। माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजाना बिजली की कमी चलती है परन्तु उसके उपरान्त भी उत्पादन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, रोजाना ध्यान दिलाया जाता है। आर. ए. पी. पी. की फर्स्ट यूनिट, आर. ए. पी. पी. की सैकिण्ड यूनिट कभी चालू नहीं रहती है क्योंकि पहले रोज से जो उसका कन्स्ट्रक्शन हुआ वह डिफेक्टिव हुआ परन्तु फिर भी उसकी नकेल सेन्ट्रल गवर्नेंट के पास पहुंचा दी गई। जब हमारे प्रदेश की आवाज यहां पर बैठे हुए मंत्री नहीं समझते हैं तो दिल्ली में क्या समझेंगे ? इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस आर. ए. पी. पी के फर्स्ट यूनिट और सैकिण्ड यूनिट को आप अपने हाथ में ले लीजिये ताकि अच्छी तरह से उस पर नियंत्रण कर सकें। अपने हाथ में लेकर अच्छी तरह से चलायें ताकि आपकी बिजली की कमी का कुछ हिस्सा पूरा हो सके।

दूसरा, कोटा थर्मल प्लान की बात होती है। उस योजना की भी आप कहते हैं कि फर्स्ट यूनिट मार्च 82 तक पूरी हो जायगी परन्तु जो बजट प्रावधान किया गया था उसमें से 100 लाख की कटौती करदी है। अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि मार्च 82 तक पूरा कर देंगे और उधर 100 लाख रुपये की कटौती कर दी है इसका मतलब है आपके अनुमान झूठे हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह कटौती और चीजों में करके कोटा थर्मल की फर्स्ट यूनिट और सैकिण्ड यूनिट समय सीमा में पूरी की जाय। 95 पर्सेंट जनता किसान तबके की है जब तक उसकी समस्या को आप पूरा नहीं करेंगे, आप अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना बड़ा मजाक है। कोई भी सरकार हो हम कहते हैं हम किसानों की रैली का आयोजन कर रहे हैं क्योंकि किसानों की रैली करके हम 95 पर्सेंट जनता के भागीदार बनते हैं। आप उनके साथ मजाक मत करिये। क्या आपने उनको बिजली दी ? आपके मुख्य मन्त्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये। मार्च के महीने में बिजली मुहैया कर रहे हैं। हम क्या करेंगे अपने घरों को ले जाओ ...

एक माननीय सदस्य : करेण्ट लगाओ....

श्री वीरेन्द्रप्रताप सिंह : करेण्ट लगाने की क्षमता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आप का ध्यान उत्पादन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक पलाना लिग्नाइट योजना है और एक थर्मल पावर प्लांट की योजना है। इसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कराइये। आपको बाहर की यूनिट्स से बिजली नहीं मिलने वाली है। प्रदेश के अन्दर ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब है प्रदेश स्तर की जो भावना फैल रही है, हरियाणा, पंजाब, और मध्य प्रदेश आपको कतई बिजली नहीं देंगे यह साल आपके लिये इससे ज्यादा चुनौती वाला वर्ष होगा। यह किसान आपके कपड़े फाड़ डालेंगे। आपको इस विधान सभा में नहीं घुसने देंगे। आज फर्स्ट अप्रेल को आप मजाक कर रहे हैं।

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में मैं आपका ध्यान विद्युत ट्रान्समिशन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन के बाद में उसके ट्रान्समिशन की जो समस्या है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। इसके लिये मैं आपका स्पेसिफिक ध्यान मेरे क्षेत्र की उदयपुरवाटी की योजना जो 132 के० वी० लाइन की है जिसको सीकर से जोड़ना था वह योजना आज तक पूरी नहीं हुई है जबकि इसको बजट में प्रावधान करके लाना चाहिये था, वह क्यों नहीं हुई अतः इसको पूरा करवाया जाय। अध्यक्ष महोदय, इनको मालूम ही नहीं है कि किसान की जिन्दगी इस बिजली से जुड़ी हुई है और ये समझते है कि किसान एक ऐसा प्राणी है जिसको जैसा चाहे भुलावे में रख देंगे परन्तु पता नहीं हम यहां बैठे हुए हैं और हम उनको भुलावे में नहीं पड़ने देंगे। हम अपना कर्त्तव्य पूरा करेंगे और आपको कुम्भकरणी नींद से जगा करके मानेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि उदयपुर वाटी के बारे में जो 132 के. वी. की लाइन लाने की योजना है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवायें नहीं तो इसके लिये बहुत बड़ा आन्दोलन चालू होगा और यह आन्दोलन आपकी नींद हराम कर देगा। इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा झुंझूनूं जिले में गुढ़ा गौडजी में इलेक्ट्रिक सब डिवीजन बनाने का जो प्रावधान था और जिसकी सफारिश की गई थी, चीफ इंजीनियर ने भी जिसकी सिफारिश की है लेकिन इस विद्युत मण्डल में चेयरमैन एक ऐसे महान् व्यक्ति को बैठा दिया जो यह नहीं समझता है कि बिजली का किसानों से क्या सम्बन्ध है और उसको कैसे अच्छी तरह चलायें। वे समझते हैं कि यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है परन्तु यह प्रेक्टिकल विषय है। इसका चेयरमैन निश्चित रूप से प्रेक्टिकल आदमी होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खुद किसान हैं और समझते हैं कि बिजली और किसान का चोली-दामन का साथ है। जो टेक्निकल आदमी होगा वह विद्युत मण्डल की चीजों को, उसकी गहराइयों को, उसकी कमियों को अच्छी तरह समझ सकता है। एक आई. ए. एस. आफिसर क्या समझ सकता है ? वह तो ट्रान्सफर कर सकता है या छंटनी करके जो वहां डेली वेजेज के आदमी है उनको निकाल सकता है आप यह समझिये कि जो 7–7 साल से, 3–3 साल से डेली वेजेज में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनको निकालना चाहते हैं। इस तरह कैसे आप ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं, यह कैसे होगा ? मैं आपको इस सदन के माध्यम से आगाह करता हूं कि इस छंटनी की योजना को पूरा होने से पहले ही रोक दें, इस पर पुनः विचार करिये और कड़ा कदम उठायें ताकि प्रदेश में शान्ति भंग न हो, राजस्थान शान्ति पूर्ण प्रदेश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि किसान के साथ होने वाले मजाक को

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

रोकें। आज सिंचित एरिया का किसान 21 या 22 रु० में एक एकड़ फसल को आराम से पका लेता है परन्तु एक बिजली के द्वारा सिंचित करने वाला किसान 50)रु. में फसल नहीं पका पाता है क्योंकि उसको आप 8 घंटे बिजली देने का एश्योरेन्स करते हैं और फ्लेट रेट लेते है 24 घंटे के हिसाब से और 8 घंटे में भी उनको केवल बिजली मिल पाती है चार घंटे ही, 8 घंटे के मज़ाक के बाद भी, अध्यक्ष महोदय, उसको केवल चार घण्टे ही बिजली देते हैं। नाटक तो किया जाता है 8 घण्टे का परन्तु देते हैं चार घण्टे ही बिजली और पैसे लेते हैं 24 घण्टे के फ्लेट रेट के हिसाब से इसलिये यह किसानों को मंहगी पड़ती है। आप देखिये, दिसम्बर और जनवरी के महीने में जब कड़कड़ाती सर्दी होती है तब हमारा किसान आकाश की तरफ देखता है कि पानी बरस जाय परन्तु पानी कैसे बरसे, हमारे मुख्य मंत्री पहाड़िया जी न तो यज्ञ करवाते हैं और न कोई पुण्य का काम करवाते हैं परन्तु, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि दूसरा ध्यान उनका बिजली की तरफ जाता है और बिजली की यह हालत है कि कभी दो फेस आती है, कभी बन्द हो जाती है तो कभी उनका मीटर जल जाता है जब मीटर जल जाता है तो ऐसी हालत में न तो उसको आकाश की खबर रहती है, न बिजली की खबर रहती है उसको मीटर के बनवाने की खबर पड़ने लगती है। यह क्या मजाक है? क्या यह किसानों की सरकार है? या हम किसानों के प्रतिनिधि हैं? नहीं हैं, क्योंकि हम उनकी भलाई बुराई को नहीं समझते हैं, उनके दुख-दर्द को नहीं समझते हैं तो फिर हम उनका भला कैसे कर पायेंगे? इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विद्युत मण्डल का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाय जो उनकी सारी तकलीफों को समझ सके, जिसमें किसानों के तीन प्रतिनिधि भी होने चाहिये जो उनकी भावना को वहां रख सकें और चेयरमैन की निरंकुशता को भी कन्ट्रोल कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा यह जो फ्लेट रेट की योजना है एक बहुत ही विचित्र योजना है इसके द्वारा आप किसानों का एक तरह से शोषण कर रहे हैं। आप उनसे पैसा तो ले लेते हैं पूरे साल का लेकिन बिजली नहीं देते हैं, एक महीने की अतः इस पर भी विचार किया जाना चाहिये। साथ ही यह भी निवेदन करता हूं कि जितनी बिजली मिले और जितना फ्लेट रेट है उसका रेयो निकालकर उसके हिसाब से उसका भुगतान होना चाहिये। आप किसी दुकान पर जायेंगे तो एक क्विन्टल चीनी का भाव पूछेंगे और चीनी लेंगे 10 किलो तो उस हिसाब से चीनी मिल जायगी किन्तु अगर भाव पूछेंगे एक किलो का और और चीनी लेंगे 10 किलो तो वह उस हिसाब से नहीं मिल पायगी परन्तु, अध्यक्ष महोदय, ये बिजली वाले इस हिसाब से नहीं चलते हैं, इसलिये मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि बहुत ही ध्यान पूर्वक विचार करके इसमें संशोधन करके विचार किया जाय।

(श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह)

इसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं यह विद्युत विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग है। इसमें ऐडी से लेकर चोटी तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इसका क्या कारण है? कारण यह है कि इस विभाग का इस तरह का प्रारूप है और प्रोविजन्स हैं कि एक दूसरे का संरक्षण करते हैं। लाइन मैन से लेकर ऊपर तक चले जाइये सब एक दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं। हम विजिलेन्स में शिकायत भी करते हैं परन्तु कोई उसका निराकरण नहीं होता है क्योंकि यह ऐसी टेक्निकल चीज है जिसके लिये हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दूसरा कारण, एक दूसरे को संरक्षण देते रहते हैं इसलिये यह जो भ्रष्टाचार व्याप्त है इसको तुरन्त खतम किया जाय, क्योंकि बिजली के सम्पर्क में आने वाला किसान गरीब और मजदूर तबके का है इसलिये इनके शोषण को रोकिये और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका शोषण करिये हमको कोई एतराज नहीं है, क्योंकि उनका शोषण करेंगे तो उनका जो पैसा है वह सार्वजनिक रूप में बाहर आयेगा, जो आज ब्लैक मनी के रूप में पड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब योजनाएं जो आगे भविष्य में बनानी हैं इसके लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी योजना बनायें उनमें सबसे पहला सवाल यह होना चाहिये किसानों के साथ बिजली का जो विभाग है वह बिलकुल ठीक होना चाहिये उनको किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं होनी चाहिये। विद्युत कनेक्शन या वोल्टेज जो दिया जाता है वह भी नियमित रूप में दिया जाना चाहिये। लाइन मैन या जे० ईएन० जो सम्बन्धित होता है उनको आप पाबन्द करिये कि उनको सूचना मिलते ही उनकी शिकायत को दूर करे और इसके साथ ही शिकायत का एक रजिस्टर भी मेन्टेन करें जैसे पुलिस में रजिस्टर मेन्टेन किया जाता है और बड़े अधिकारियों द्वारा उसकी मन्थली चैकिंग या फोर्टनाइटली चैकिंग होनी चाहिये कि ये निराकरण किये गये। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है। आज जब किसी का कोई केस उलझ जाता है तो उसके लिये भी आपको 10-20 रुपये देने पड़ते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : मैं निवेदन करूंगा कि यह विद्युत विभाग जो एक नकारा के रूप में बैठा है जो अपनी एक कार्मशियल पोजिशन समझता है, वह अपनी पुरानी बकाया नहीं चुका पाया, इसको शर्म होनी चाहिये कि जो विभाग खुद की आय-व्यय में ताल मेल नहीं रख सकता है वह पूरी तरह से एक अक्षम विभाग है। इसके बारे में पुनः विचार करके अपने डिपार्टमेंट के अन्दर इस तरह का तरीका रखना चाहिये कि आय व्यय में वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यही कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारण समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम। सदन का समय माननीय सदस्य का जब तक भाषण समाप्त नहीं हो, तब तक के लिये बढ़ाया जाता है।

राज्य विद्युत मण्डल के आय व्ययक पर विचार

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने दो मिनट का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में जो बिजली की समस्या है....

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : पाइन्ट आफ आर्डर सर.... अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है....

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : किस नियम के तहत ?

श्री तेजपाल यादव : नियम नैतिकता का है, आज किसान बर्बाद हो रहा है....

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : नियम है, अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर.... ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, ये 6 महीने तक समय नहीं आयेगा इसलिए इस पर विचार होना चाहिए और आज कल में होना चाहिए। आखिर अनियमितताएं हैं, उन पर विचार किया जाना बहुत जरूरी है। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। और इस सरकार के लिए ...

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न है, अभी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी व्यवस्था दी थी कि इस विषय पर चर्चा आइन्दा भी चालू रहेगी और उसके बाद मन्त्री महोदय ने कहा था अपना जवाब देंगे चर्चा का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कल चालू रहेगी या आइन्दा के सालों के लिये चालू रहेगी।

श्री अध्यक्ष : कल या परसों तो इस पर विचार नहीं होगा, इस पर विचार आगे ही होगा।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, किसान मर जायेंगे, फिर जनरेशन नहीं होगी, फिर फसल बोने का टाइम आ जायगा, फिर ये बिजली पूरी देंगे ? इसलिए चाहे दिन एक बढ़ाया जाय चाहे रात को चर्चा जारी रखी जाय। आखिर....

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का टाइम दे दीजिए।

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह : यह हमारी दुखती हुई रग है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री तेजपाल यादव : उसमें भी आगे दे रहे हैं और समय बढ़ा दीजिए।

श्री राधेश्याम : माननीय अध्यक्ष महो-

(श्री राधेश्याम)

दय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की कमी सारे राजस्थान में है लेकिन महत्व इस चीज को देना है कि कहां ज्यादा कमी है। श्री गंगानगर जिले में जब से भाखड़ा से राजस्थान को बिजली आती है, जो 21 लाख यूनिट के करीब प्राप्त होती है 26 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिब्यूट होनी चाहिए लेकिन गंगानगर जिले को उससे अलग रखा जाता है। एक ओर गंगानगर जिले को बिजली नहीं दी जाती और 15-15, 20-20 बल्कि एक महीने तक बिजली रात और दिन गंगानगर में नहीं रहती, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां का किसान, वहां का इण्डस्ट्रियलिस्ट, वहां का मजदूर, ये इतने परेशान हैं और कई बार आप भी स्वयं वहां पधारे थे, आपसे भी लोग मिले थे और आपने आश्वासन दिया था कि मैं जयपुर जाऊंगा और जाते ही बिजली की व्यवस्था करूंगा। शायद आपने अपने प्रयास किये, उससे कुछ दिन बिजली मिली, दूसरे दिन यहां पधारे, जब पधारे 2-3 दिन बिजली ठीक रही, उसके बाद फिर गायब हो गयी। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : हमारी तो इतनी ही पावर थी, मन्त्री जी को ले जाते तो ज्यादा दिन चल जाती।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है....

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : रतनगढ़ से राजियासर जो विद्युत लाइन जा रही है यह पदमपुर को 132 के. वी. से जोड़ रहे हैं क्या इसी लाइन को पदमपुर गंगानगर को जोड़ने का प्रोग्राम है मंत्री महोदय अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट करें जिससे गंगानगर की शुगर फैक्ट्री व कपड़ा मिल व वहां लगी इण्डस्ट्रियों का विकास हो सके। राजस्थान से जो गंगानगर जिला है वह बिलकुल अलग है ? उसमें राजस्थान से गंगानगर जिले को जोड़ना चाहिए। अगर कमी सारे राजस्थान में होतो उसका जितने हमारे हिस्से में आये उसके लिए हमारी जनता बिलकुल तैयार है लेकिन ऐसा नहीं कि साल भर तो 2 महीने तक, एक ही जिले में बिजली नहीं हो, बाकी जगह कहीं 4-6-8 घंटे बिजली देते हैं, लेकिन गंगानगर एक ऐसा जिला है जिसमें कई बार हमने माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय मन्त्री जी, मुख्य मन्त्री जी से और ..

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का आठवां प्रतिवेदन

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय एक मिनट। मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है—

"कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक एक अप्रैल, 1981 को मध्यान्होत्तर 3-30 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि सदन द्वारा यथा अनुमोदित समिति के छठे एवं सातवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों में समाविष्ट शासकिय, विधायी कार्य के अन्तर्गत दिनांक 2 व 3 अप्रैल, 1981

(श्री हीरालाल देवपुरा)
को सदन में विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयकों के साथ क्रम संख्या 5 पर "राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1981 को भी विचारार्थ लिया जाकर उसका पारण किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं यह सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के आठवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति है।

एक माननीय सदस्य: जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : सहमति प्रदान की गई। इस पर प्रश्न नहीं होते हैं, माननीय सदस्य। इस पर सहमति है, यह आम तौर पर माना जाता है।

(व्यवधान)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आय-व्ययक 1980-81 व 1981-82 पर विचार

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, किस पर, आपको क्या पता, हममें क्या बात हो रही है या क्या नहीं हो रही है

(व्यवधान)

श्री राधेश्याम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा था कि गंगानगर जिले के साथ जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, सबसे ज्यादा उपजाऊ और राजस्थान के नक्शे में भी सबसे ऊपर गंगानगर है, यह पक्षपात है, गंगानगर जिले सबसे नीचे क्यों है ? बिजली सारे राजस्थान से जुड़ी हुई है। एक गंगानगर जिला ऐसा है जो बिजली उसको अलग से मुक्तसर से मिलनी है और जब चाहते हैं बिजली काट देते हैं हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। बार बार हमारे चेयरमैन साहब और हमारे मुख्य मंत्री जी ने भी कई बार बात की, हमने भी स्वयं ने जाकर गनी मोहम्मद जी से भी निवेदन किया, हमारे सारे 11 विधायक वहां गये। लेकिन इस बात का अभी तक कोई हल नहीं निकला, वे जब चाहते हैं मुक्सर से लाइन काट देते हैं और 10-15 दिन बिजली हमारे यहां नहीं रहती है। इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसकी समुचित व्यवस्था करायी जाय ताकि 20 लाख जनता गंगानगर जिले की राहत की सांस ले सके। उसके साथ साथ में आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि गंगानगर पावर हाउस में जब भी हमारे लोग, कोई किसान लोग जाते हैं, जब कोई बिजली के खम्भे की बात करता है तो हमारे पास खम्भा नहीं, जब लाइन की बात करता है तो तो लाइन लगाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं इतनी तक कहने की बात है, मीटर भी अवेलेबल नहीं है। तो मेरा कहना है कि मैं पक्षपात को कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। गंगानगर जिले से इस तरह का पक्षपात 20 लाख जनता के साथ इस तरह का पक्षपात करना क्या उचित है ? मैं आपके माध्यम से

(श्री राधेश्याम)
निवेदन करूंगा की गंगानगर जिला सबसे राजस्थान में ज्यादा रेवेन्यू देने वाला है और उसके लिये मेरे खयाल से वहां कोई हजारों की तादात में टेलीग्राम आये हैं, बीसों दफा गंगानगर शहर बन्द हुआ, बीसों दफा गंगानगर जिला बन्द हुआ। कई बार कलेक्टर से कहा हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन व संयुक्त व्यापार मण्डल इण्डस्ट्रियल एस्टेट के लोगों ने अपने ज्ञापन दिये लेकिन किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपके माध्यम से उन को खास तौर से अपील करता हूं कि हमारे गंगानगर की 20 लाख जनता को आप राहत दिलवाइये और आम तौर से इस बात का स्टेटमेंट में बिजली मंत्री जिक्र करेंगे कि गंगानगर जिले के लिए उनकी क्या नीति होगी और गंगानगर जिले की जनता को राहत देने के लिए कितना और इन्तजार करवाएंगे। उनके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले में खास तौर गंगानगर शहर में हरिजन बोर्ड और हरिजन बस्तियों में जब भी कोई विद्युतीकरण का सवाल खड़ा होता है तो उस वक्त यह कहा जाता है बजट नहीं। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब हमारा लक्ष्य है, हरिजन बस्तियों और अनुसूचित जाति व जन जातियों के लिये हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा राहत पहुँचायेंगे तो गंगानगर में अलग से बात क्यों की जब कि हरिजन बस्तियों की बात की जाती है तो हमारे पास बजट नहीं। इसी तरह मैं आपके माध्यम से, और भी बहुत सारी बातें हैं, निवेदन करना चाहता हूं अगर आप समय दें, क्योंकि आपने 5 मिनट के लिए हुक्म दिया था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि फलाना का थर्मल प्लान्ट आपके विचाराधीन है गवर्नमेंट के। वह जल्दी से जल्दी अगर हाथ में ले लिया जाय और गवर्नमेंट आश्वासन दिलाये तो मेरे ख्याल से गंगानगर जिला, बीकानेर डिवीजन और सारा राजस्थान इससे लाभान्वित होगा और इससे लोगों को राहत मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं, ज्यादा समय नहीं लेकर।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही कल दिनांक 2 अप्रेल, 1981 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.10 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 2 अप्रेल, 1981 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 627 की सूची सूची "क"

पी. सी. सी. पोल्स निर्माण करने वाली लघु उद्योग इकाइयों की सूची

क्र. स.	इकाई का नाम	आवंटित सीमेंट की मात्रा (मै. टन)
1.	मै. शिवानी प्रेसट्स्ड अलाइड इण्ड., अजमेर	430.5
2.	,, सिंघवी उद्योग (सीमेंट) प्रा. लि., उदयपुर	459.5
3.	,, सुराना सीमेंट वर्क्स, ब्यावर	484.5
4.	,, गणेश इण्ड., ब्यावर	376.5
5.	,, गौतम सीमेंट वर्क्स, ब्यावर	434.5
6.	,, उषा प्रेसट्स अलाइड इण्ड., चित्तौड़गढ़	433.5
7.	,, सिंघवी उद्योग, शिवगंज	396.5
8.	,, विकास सीमेंट वर्क्स, उदयपुर	420.5
9.	,, एम. ए. प्रेसट्स वर्क्स, जोधपुर	283.5
10.	,, सीमको पाइप्स, झूथा	268.0
11.	,, दीपक पोल्स पाइप्स, ब्यावर	212.0
12.	,, राजस्थान पी. सी. सी. पोल इण्ड., भीलवाड़ा	212.0
13.	,, गिरिराज अलाइड इण्ड., विजयनगर	212.0
14.	,, शाखिला उद्योग जोधपुर	165.0
15.	,, विजय लक्ष्मी प्रेसट्स इण्ड., सोजतसिटी	192.0
16.	,, श्री उम्मेद सीमेंट उद्योग., निमज	180.0
17.	,, मेहता उद्योग, जोधपुर	159.0
18.	,, आर. के. प्रेसट्स अलाइड इण्ड., विजयनगर	181.0
19.	,, सिरोया सिमेंट उद्योग उदयपुर	181.0
20.	,, गजानन्द कार्पोरेशन, ब्यावर	173.0
21	,, राहुल अलाइड इण्ड., जोधपुर	97.0
22	,, के० के० सीमेंट वर्क्स, ब्यावर	273.5
23	,, ज्ञान सीमेंट वर्क्स, ब्यावर	152.5
24	,, अशोका टैंक प्रेस्ड, उदयपुर	177.5
25	,, प्रीफैब कनिक्रेट प्रोडक्ट०, जयपुर	302.5
26	,, राजस्थान प्रेसट्स उद्योग, जयपुर	202.5
27	,, नलवाया उद्योग, अलवर	117.5
28	,, राजस्थान प्रेस्टैस, कोन, इण्ड., भिवाड़ी	80.0
29	,, उमा प्रेसटेस इण्ड., भिवाड़ी	60.0
30	,, माहेश्वरी एस्बेस्टेस उद्योग, सीकर	434.5
31	,, नन्द प्रेसटेस उद्योग, जयपुर	396.5
32	,, सनग्लेड इण्ड., जयपुर	380.5

क्र. सं.	इकाई का नाम	आवंटित सीमेंट की मात्रा (मै० टन)
33	मै. रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन पोल इण्ड., सीकर	352.5
34	,, हिजारिया प्रेसटेस पोलस इलाइड प्रो., सवाईमाधोपुर	231.0
35	,, ओबेराई इण्ड०, अलवर	287.5
36	,, अशोका स्टील केमीकल कं०, कोटा	283.0
37	,, न्यू इण्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन, जयपुर	256.0
38	,, सरस्वती प्रेस्टेस उद्योग, जयपुर	212.0
39	,, कमल उद्योग, रींगस	181.0
40	,, माडर्न इन्ड०, जयपुर	173.0
41	,, नेशनल प्रेसटेस इन्ड०, रावत	100.0
42	, अलवर उद्योग, जयपुर	192.0
43	,, मेहता सीमेंट वर्क्स, निवाई	167.0
44	,, जनहित का० कं०, झालरापाटन	144.0
45	,, अनिता प्रेसटेस उद्योग, सेवाड़	151.0
46	,, चम्बल प्रेस्टेस उद्योग, कोटा	126.0
47	,, अग्रवाल सीमेन्ट उद्योग, अलवर	145.0
48	,, अरावली सीमेंट, कोटा	183.0
49	,, मात्रभूमि उद्योग, बागड़	131.0
	योग	11794·00

(154)

परिशिष्ट 2

तारांकित प्रश्न 216 की सूची

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय खनि अभियन्ता बिजोलिया (राज.) वर्ष 1977 में बनाये गये पंचनामों की सूची

क्र.सं.	दिनांक	पार्टी का नाम	क्षेत्र	रकम	विवरण
1.	1–2–77	कन्हैयालाल	बेरीसालसी	30.00	रकम जमा
2.	2–2–77	इस्माईल	बिगोद नदी	15.00	,,
3.	5–1–77	सुन्दर लाल	भाटखरला	39.60	,,
4.	5–1–77	भंवर लाल	कांस्या	83.30	..
5.	15–2–77	मंगला	नया नगर	49.20	,,
6·	22–2–77	इस्माईल	बिगोद नदी	135.00	,,
7.	22–2–77	मिठ्ठानन्द	बिगोद	90.00	,,
8.	17–2–77	रतन लाल यादव	जलेरी 3	69.00	,,
9.	14–3–77	अजीजुर्रहमान	जलेरी 3	45.00	,,
10.	8–4–77	छोगा लाल	जलेरी 1	444.00	,,
11.	28–3–77	सबीर हुसैन	मांडलगढ़ भट्टा	90.00	एल. आर. एक्ट के तहत
12.	6–5–77	छोगा लाल	जलेरी 1	444.00	वसूली रकम जमा
13.	24-5-77	शिवराम	,,	60.00	,,
14.	1-6-77	श्याम लाल	,,	543.70	,,
15.	18-6-77	रमेश चन्द्र	आगोली	20.70	,,
16.	16-8-77	लच्छी राम	शंभूपुरा	216.60	,,
17.	6-8-77	छीतर	,,	499.80	,,
18.	30-7-77	गणपत लाल	,,	499.80	,,
19.	30-7-77	इसब	,,	900.00	कोर्ट कार्यवाही
20.	11-8-77	बलवन्त सिंह	बाकाता	720.00	रकम जमा
21.	9-8-77	किशन लाल	,,	174.90	,,
22.	,,	गोपाल	,,	29.10	,,
23.	,,	कन्हैया लाल	बेरीसाल	443 90	,,
24.	,,	,,	,,	169.80	,,
25.	,,	रामदयाल	,,	216.60	,,
26.	18-8-77	भंवरलाल	कास्या	720.00	,,

क्र. सं.	दिनांक	पार्टी का नाम	क्षेत्र	रकम	विवरण
27.	6-8-77	बाबू लाल	बेरीसाल	195.60	वसूली एल. आर.
28.	22-8-77	हसन बेग	जलेरी 2	231.00	एक्ट के तहत
29.	19-8-77	चुन्नी लाल	कास्या डेर	202.10	,,
30.	,,	गणपत लाल	,,	270.00	,,
31.	,,	पांचू	–	183.30	वसली एल. आर. एक्ट
32.	31-8-77	मादू	कास्या	273.90	के तसत जमा
33.	30-8-77	प्रभूलाल	सखपुरा	16.50	,,
34.	8-9-77	मीठू लाल	बाकाता	240.00	,,
35.	,,	गफूर	,,	1961.70	,,
36.	,,	गुरपू	,,	159.90	,,
37.	8-9-77	केसरिया	सुखपुरा	79.40	,,
38.	21-9-77	गोवर्धनसिह	गुढ़ा	14.70	,,
39.	,,	सीताराम	,,	300.00	वसूली एल. आर. एक्ट
40.	,,	जगदीश चन्द्र भाट	,,	189.90	के तहत रकम जमा
41.	,,	धन्ना लाल भाट	,,	144.00	,,
42.	26-9-77	मदन लाल	जलेरी 2	15.00	,,
43.	21-9-77	अब्दुल रहमान	,,	363.60	,,
44.	,,	रामलाल	,,	69.80	,,
45.	18-10-77	गोकल	भाटकरला	127.50	,,
46.	,,	बेपी राम	,,	1530.00	,,
47.	24-10-77	मदन सिह गौग	सतकुंडिया	330.00	,,
48.	26-10-77	मुकट लाल	नया नगर	83.10	,,
49.	8-11-77	जुगल किशोर	भाटखरला	139.80	,,
50.	,,	सुगन चन्द्र	,,	31.80	,,
51.	,,	सुन्दर लाल	,,	60.00	,,
52.	16-11-77	घीसी लाल	सतकुंडीया	384.00	वसूली एल. आर. एक्ट
53.	17-11-77	छीतर कराड	शंभूपुरा	79.80	के तहत रकम जमा
54.	18-11-77	,,	,,	333.20	,,
55.	,,	लच्छी राम	,,	80.40	,,
56.	19-11-77	नाथू लाल	उदयपुरिया	300.00	,,
57.	17-12-77	अम्बी लाल	जलेरी	160.50	,,
58.	,,	मन्ना लाल	,,	129.90	,,

क्र. सं.	दिनांक	पार्टी का नाम	क्षेत्र	रकम	विवरण
59.	17-12-77	गोमा बंजारा	जलेरी	58.20	,,
60.	,,	जीवा ब ंजारा	जलेरी 4	109.50	,,
61.	8-12-77	लालु लुहार	सुखपुरा	109.40	वसूली एल. श्रार. एक्ट
62.	,,	केसरी लाल	,,	33.30	के तहत रकम जमा
63.	8-12-77	भवानीलाल	गुढापुरा	20.00	जमा रकम
64.	7-11-77	छीतरलाल	बिजोलिया	45.15	,,
65.	23-11-77	ऊंकार दरोगा	बाकात	729.90	,,
66.	8-12-77	छीतरलाल	बिजोलियां	58.20	,,
67.	24-12-77	सुवालाल	भाट खरला	486.00	,,
68.	,,	नवलकान्त	भाट सरला	283.20	,,
69.	20-12-77	गोमा ब ंजारा	जलेरी 4	48.60	,,
70.	,,	मन्नालाल	,,	167.10	,,
71.	,,	श्रम्बालाल	,,	39.90	वसूली एल.श्रार.एक्ट के
72.	22-12-77	छीतर	शम्भुपुरा	519.90	रकम जमा
73.	29-12-77	ऊंकार	सतकुंडीया	90.60	,,

कार्यालय खनिज अभियन्ता बिजोलिया (राज.) वर्ष अनाधिकृत खनन कार्य के बने पंच नामों की सूचि

क्र. सं.	दिनांक	पार्टी का नाम	क्षेत्र	रकम	विवरण
1.	18–1–78	काना हजूरी	बाकाता	30.00	रकम जमा
2.	19–1–78	मांगीलाल धाकड	बेरीसाल	30.00	,,
3.	,,	लालू लुहार	सुखपुरा	124.80	,,
4.	25–1–78	अब्दुल गफूर	बनास नदी	7.50	,,
5.	,,	श्यामलाल	,,	15.00	,,
6.	,,	छोटू	,,	15.00	,,
7.	4–2–78	लालू लुहार	सुखापुरा	953.70	,,
8.	31–1–78	मांगीलाल	उदयपुरीया	26.40	,,
9.	27–1–78	नाथू	,,	444.00	वसूली एल.आर के तहत
10.	5–2–78	गोपी तेली	आरोली	83.10	रकम जमा
11.	18–1–78	देवीलाल	रामपुरिया	49.80	वसूली एल.आर.एक्ट. के
12.	16–3–78	हीरा मेघवाल	जलेरी	87.90	रकम जमा तहत
13.	21–2–78	यूसुफ	शंभुपुरा	519.30	,,
14.	1–3–78	वनवारीलाल	खडीपुर	237.60	,,
15.	2–3–78	चतुर्भुज	तेन्दुआ तलाई	24.60	,,
16.	4–3–78	केसरीलाल	सुखपुरा	27.00	,,
17.	23–3–78	इस्माईल	जैलेरी	33.30	,,
18.	12–4–78	बालूराम कुमावत	बनास नदी	300.00	,,
19.	10–5–78	महफूज	जलेरी	31.12	,,
20.	17–5–78	किशोर खटीक	शंभुपुरा	236.10	,,
21.		कस्तूरचंद	,,	276.00	,,
22.	24–5–78	लालदास	जलेरी	83.40	,,
23.	25–5–78	सुगनचन्द	भाटखरला	56.70	,,
24.	5–7–78	बाबूलाल	शंभुपुरा	45.63	,,
25.	18–7–78	लादू भील	,,	346.50	,,
26.	21-7-78	नारायणसिंह	बेरीसाल	423.90	,,
27.	26-7-78	ओमप्रकाश	जलेरी	91.50	,,
28.	29-7-78	गफूर	बाकाता	215.10	,,
29.	,,	मोहनलाल	चान्दजीकीखेड़ी	125.10	,,
30.	1-8-78	बाबू खटीक	बाकात	73.20	,,
31.	,,	मुन्ना	,,	39.90	,,

1520

क्र. सं.	दिनांक	पार्टी का नाम	क्षेत्र	रकम	विवरण
32.	1-8-78	चिरंजीलाल	बाकात	215.40	वसूली एल.ग्रार.एक्ट के
33.	,,	युवराजसिंह	,,	135.30	रकम जमा तहत
34.	8-8-78	बालू वराड	शंभुपुरा	386.40	,,
35.	10-8-78	बरदा रेगर	जलेरी	255.60	,,
36.	29-4-78	रामप्रसाद	बाकावात	315.90	,,
37.	7-8-78	बालूराम	बनास नदी	3651.10	नोटिस जारी
38.	7-9-78	देवीलाल	शंभुपुरा	105.30	वसूली एल.ग्रार.एक्ट के
39.	,,	लच्छीराम	,,	53.40	,, तहत
40.	,,	मंगाराम	,,	105.30	रकम जमा
41.	26-9-76	महताब ग्रली	जलेरी	39.60	,,
42.	,,	भवाना	शंभुपुरा	154.80	वसूली एल.ग्रार. एक्ट के
43.	29-9-78	लच्छीराम	,,	16.50	,, तहत
44.	30-9-78	जीवा	जलेरी	90.00	रकम जमा
45.	5-10-78	मोकल	भाटखरला	66.60	,,
46.	,,	सुन्दरलाल	,,	354.46	,,
47.	,,	बेणीराम	,,	99.90	,,
48.	,,	नवलकांत	,,	300.00	,,
49.	7-10-78	रामेश्वर लाल	जलेरी	600.00	जमा 500/- बकाया
वसूली					वसूली एल. ग्रार. एक्ट तहत
50.	25-10-78	श्री निवास	बाकाता	288.00	रकम जमा
51.	,,	केसरलाल	,,	300.00	,,
52.	4-11-78	ग्रब्दुल ग्रजीज	ग्रारोली	276 30	,,
53.	,,	कल्याणमल	जलेरी	128.60	,,
54.	17-11-73	बालूराम	बनास यदी	216.00	,,
55.	,,	ग्रमरचन्द	गोपालपुरा	900.00	,,
56.	,,	सेवा कराड	,,	150.00	,,
57.	17-11-78	कालू तेली	,,	150.00	,,
58.	,,	उदा करड़	,,	300.00	,,
59.	15-12-78	बालूराम	बनास नदी	120.00	,,

राजस्थान सरकार

कार्यालय खान अभियन्ता बिजौलिया (राजस्थान)

वर्ष 1979 में बनाये गये अनधिकृत खनन कार्य के पंचनामों की सूची

क्र.सं 1	दिनांक 2	नाम पार्टी 3	क्षेत्र 4	रकम 5	विवरण 6
1.	6-1-79	मूगालाल	शम्भूपुरा	272.40	रकम जमा
2.	,,	राजकुमार	सतकड़िया	1119.90	,,
3.	,,	माछू मीणा	शम्भूपुरा	703.20	,,
4.	,,	रामसिंह	,,	81.60	,,
5.	25-179	मोहनलाल	जलैरी	366.60	,,
6.	,,	हीरातेली	भड़क नदी	105.00	,,
7.	1-2-79	कालूबन्जारा	जलैरी	46.50	वसूली एल.आर. एक्ट के तहत
8.	2-2-79	मुस्ताक	,,	333.30	रकम जमा
9.	12-2-79	उदाभील	,,	103.30	,,
10.	14-2-79	लीला	,,	76.55	,,
11.	,,	कल्लू	सुखपुरा	303.00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
12.	24-2-79	केसरमल	काल्या	639.90	रकम जमा
13.	19-1-79	प्रभूदयाल	जलैरी	342.25	नोटिस जारी
14.	,,	नाथू रेगर	नला का माला	260.10	रकम जमा
15.	17-2-79	गोरधनसिंह	सतकुड़िया	263.10	,,
16.	28-2-79	मोहनलाल	केसरपुरा	319.80	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
17.	,,	माधूधाकड़	,,	129.90	रकम जमा
18.	,,	हीराधाकड़	,,	266.40	,,
19.	25-3-79	नारायण	जलैरी	166.80	,,
20.	22-3-79	चिरंजीलाल	आरोली	741.30	,,
21.	7-3-79	बजरंगलाल	भमानगर	744.00	,,
22.	20-3-79	नन्दलाल	जलैरी	684.20	,,
23.	22-3-79	कालूराम भील	बाकका	1673.70	वसूली एल० आर० एक्ट के तहत
24.	,,	चांदमल	नलाता माला	70.90	रकम जमा
25.	,,	जगदीश	,,	133.50	,,

(160)

1	2	3	4	5	6
26.	23–3–79	मोड़ूमीणा	बाकाता	245.40	रकम जमा
27.	,,	बदीलाल	,,	384.00	,,
28.	23–3–79	भैरूलाल	,,	142.50	,,
29.	,,	रामगोपाल	,,	56.40	,,
30.	,,	कैलाश	,,	200.70	,,
31.	21-3-79	सोभागसिंह	,,	90.00	,,
32.	,,	पीरू	,,	146.70	,,
33.	,,	नारायणसिंह	,,	54.60	वसूली एल. ग्रार. एक्ट के तहत
34.	23-3-79	गफूर	,,	339.90	कोर्ट कार्यवाही
35.	,,	मदनलाल	,,	192.00	रकम जमा
36.	,,	पारसमल	,,	350.10	,,
37,	24-3-79	मन्नालाल	शम्भूपुरा	99.90	,,
38.	,,	चिरन्जीलाल	बकता	213.30	,,
39.	29-1-79	लालदास	जलेरी	710.10	,,
40,	20-2-79	रामसिंह	कास्याडेर	495.90	,,
41.	20-2-79	जयकिशन	कास्याडेर	489.90	रकमजमा
42.	9-3-79	मूगालाल	शम्भूपुरा	120.00	वसूली एल. ग्रार. एक्ट के तहत
43.	16-3-79	नन्दलाल	,,	590.70	रकमजमा
44.	18-3-79	नारायण गूजर	,,	291.60	,,
45.	21-3-39	मूगालाल	बकाता	261.90	वसूली एल ग्रार. एक्ट के तहत
46.	27-3-79	चुन्नीलाल	कास्याडेर	307.80	रकम जमा
47.	,,	उदयलाल	,,	167.10	,,
48.	,,	चुन्नीलाल बन्जारा	,,	00.00	नोटिस जारी
49.	,,	बद्रीलाल	,,	224.70	रकमजमा
50	24-3-79	मूगालाल	शम्भुपुरा	393.30	वसूली एल.ग्रार. एक्ट के तहत
51.	3-4-79	नारायणसिंह	बाकाता	466.80	रकमजमा
52.	12-4-79	इसक	शम्भूपुरा	341.40	वसूली एल ग्रार एक्ट के तहत

161

1	2	3	4	5	6
53.	19-4-79	दयाराम	बाकाता	608.70	वसूली एस.
54.	,,	प्यारादरोगा	,,	656.60	आर. एक्ट के तहत
55.	25-4-79	पीरूमल	शम्भुपुरा	360.80	रकम जमा.
56	,,	राधाकिशन	,,	272.20	,,
57.	,,	सम्पतसिंह	,,	642.00	,,
58.	27-4-79	चन्द्रप्रकाश	भाटखरला	26.70	,,
59.	,,	मान्दीलाल	,,	167.00	,,
60.	,,	चुन्नीलाल	काल्या	207.00	,,
61.	25-4-79	जुगलकिशोर	भाटखारला	265.20	,,
62.	,,	चैनीराम	,,	213.30	,,
63.	,,	योग्यकुमार	,,	122.10	,,
64.	28-4-79	अजीज	आरोली	43.20	वसूल एल. आर. एक्ट के तहत
65.	2-5-79	गफूर	काल्या	382.80	रकम जमा
66.	3-5-79	यशवन्तसिंह	बाकाता	1056.60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
67.	5-5-79	लालू खटिक	वाकाता	303.30	रकम जमा
68.	,,	नारायण	शम्भूपुरा	591.60	,,
69.	,,	भंवरलाल	,,	249.30	,,
70.	,,	बाबूलाल	नलाकामाताजी	83.20	,,
71.	,,	पारसमल	सतकुडिया	220.80	,,
72.	10-5-79	चुन्नीलाल	कास्याडेर	259.20	,,
73.	,,	दोलतराम	बाकता	428.70	वसूली आर. एल. एक्ट के तहत
74.	,,	भीलू	,,	337.80	रकम जमा
75.	,,	काना दरोगा	,,	294.90	,, ,,
76.	11-5-79	भेरूलाल	नलाकामाताजी	193.20	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
77.	18-5-79	जीवाबन्जारा	जलेरी	90.00	रकम जमा
78.	22-5-79	बद्रीलाल	बाकाता	1424.40	,,
79.	,,	मूगालाल	,,	283.20	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
80.	19-5-79	उदयलाल	नला का माताजी	245.10	रकम जमा
81.	"	प्रभूलाल	,,	243.60	,,
82.	18-5-79	अब्दुलरजाक	जलेरी	243.60	,,

162

1	2	3	4	5	6
83.	22-5-79	हरदेव	बाकाता	180.00	रकम जमा
84.	,,	तेजमल	,,	1230.60	,,
85.	,,	सोभागसिंह	,,	286.65	,,
86.	,,	रमणलाल	,,	494.40	,,
87.	,,	नाथूसिंह	,,	202.20	,,
88.	,,	कन्हैयालाल	,,	240.00	,,
89.	,,	गफूर	,,	1077.90	,,
90.	,,	ओमप्रकाश	,,	267.00	,,
91.	,,	शिवनारायण	,,	219.80	,,
92.	,,	दौलतराम	,,	108.00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
93.	,,	मोडूलाल	,,	900.00	रकम जमा
94.	,,	राजेन्द्रप्रसाद	,,	1120.80	,,
95.	,,	नारायणसिंह	,,	216.00	,,
96.	,,	महेन्द्रसिंह	,,	310.80	,,
97.	,,	कालूभील	,,	504.90	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
98.	,,	गोपालसिंह	,,	213.80	रकम जमा
99.	,,	लक्ष्मीनारायण	,,	1212.90	,,
100.	5-5-79	भैरूंलाल	नलाका माताजी	266.70	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
101.	,,	काना	,,	175.20	,,
102.	,,	मोहनबालाई	,,	153.30	रकम जमा
103.	19-6-79	माडूबदीर	कात्या	171.60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
104.	20-6-79	नन्दा	शम्भूपुरा	106.50	रकम जमा
105.	,,	छीतर	,,	394.00	,,
106.	3-7-79	कन्हैयालाल	शंभूपुरा	120.00	रकम जमा
107.	4-7-79	बाबूलाल	आकासा	321.00	,,
108.	12-7-79	अमरसिंह	शंभूपुरा	624.00	,,
109.	19-7-79	रामजीलाल	सुखापुरा	62.10	,,
110.	22-7-79	छीतर	शंभुपुरा	131.70	,,
111.	,,	नारायण सिंह	भेरीलाल	626.10	,,

1	2	3	4	5	6
112.	22-7-79	मांगीलाल	शम्भुपुरा	350·10	रकम जमा
113.	,,	भंवरलाल	,,	198·30	,,
114.	,,	सेवाराम	,,	463·20	,,
115.	31-7-79	छीतरवराठ	,,	1024·20	,,
116.	24 7-79	रामप्रसाद	खाकाता	107·40	,,
117.	23-7-79	जगदीश	,,	125·10	,,
118.	28-7-79	अशोक कुमार	नलेरी	519·00	वसूली एल आर एक्ट के तहत
119.	31-7-79	छीतर	रामीपुरा	225 00	रकम जमा
120.	,,	गणपतलाल	,,	490·20	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
121.	1-8-79	मांगीलाल	,,	604·80	,,
122.	,,	गणपतलाल	,,	458·70	,,
123.	2-8-79	भयाना/उदा	,,	49·80	रकम जमा
124.	,,	मांगीलाल	,,	91·80	,,
125.	5-8-79	गुलाब टांक	,,	187·80	,,
126.	6-8-79	घोरु बन्जारा	,,	561·50	,,
127.	,,	गुलाब टांक	,,	561·50	,,
128.	,,	मांगीलाल	,,	106·80	,,
129.	,,	भंवरलाल	,,	60·00	,,
130.	,,	छीतर	,,	180·60	,,
131.	9-8-79	कालु	बाकाला	499·80	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
132.	17-8-79	किशन माली	शम्भुपुरा	170.70	रकम जमा
133.	,,	मुसली	,,	181·90	,,
134.	,,	तुलसीराम	,,	160·00	,,
135.	18-8-79	लखनलाल	बाकाला	50·70	,,
136.	,,	हीरालाल	लखेरी	93·60	वसूली एल. आर. एक्ट. के तहत

1	2	3	4	5	6
137.	18-8-79	भंवरलाल	बाकात	91·80	रकम जमा
138.	21-8-79	हरीलाल	जलेरी	93·40	,,
139.	,,	चन्द्रप्रकाश	भाट खारला	319·50	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
140.	,,	लक्ष्मी देवी	,,	219·90	रकम जमा
141.	,,	बेनीराम	,,	1530·80	,,
142.	22-8-79	छीतर	शम्भुपुरा	258·60	,,
143.	23-8-79	अमरसिंह	बाकाता	91·50	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
144.	,,	किरन राज	,,	158·40	रकम जमा
145.	31-8-79	बजरंग लाल	नया नगर	708·00	,,
146.	10-9-79	सोहन लाल	गुढा	181.00	वसूली एल. आर. एक्ट. के तहत
147.	11-9-79	रतन लाल	बाकाता	216·50	,,
148.	11-9-79	मांगी लाल	शम्भुपुरा	174·50	,,
149.	12-9-79	गफूर	जमेरी	65·00	रकम जमा
150.	12-9-79	भंवरलाल	शम्भुपुरा	144·50	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
151.	,,	सोंजी	,,	187·50	रकम जमा
152.	9-9-79	उदयलाल	कास्याडेर	1108·20	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
153.	18-9-79	गोरू	बाकाता	434·50	रकम जमा
154.	,,	अमरसिंह	,,	231·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
155.	19-9-79	चुन्नी लाल	कास्या डेर	428·00	रकम जमा
156.	22-9-79	बालू	शम्भुपुरा	282·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
157.	,,	छीतर	,,	239·00	,,
158.	28-9-79	कन्हैयालाल	बेरीलाल	93·00	रकम जमा
159.	29-9-79	भूरेखां	छारोली	124·80	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत

Page No 165

(165)

1	2	3	4	5	6
160.	15-10-79	जुगलकिशोर	भाटकरला	0·00	नोटिस जारी
161.	,,	रघुनाथ	,,	1257·04	रकम जमा
162.	16-10-79	हनुमान प्रसाद	शम्भुपुरा	410·80	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
163.	,,	भंवरलाल	,,	16,000	,,
164.	,,	रामसिंह	,,	628·40	रकम जमा
165.	,,	मोडू मीणा	,,	665·20	,,
166.	15-9-79	गणपत लाल	,,	13333·20	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
167.	24-9-79	कन्हैयालाल	सतकुण्डिया	72·00	,,
168.	24-9-79	भूरा बलाई	,,	199·20	रकम जमा
169.	,,	घीसा लाल	,,	533·20	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
170.	24-9-79	मांगी लाल	,,	3256·00	,,
171.	6-10-79	दौलतराम	बाकाला	266·00	,,
172.	27-10-79	अब्दुलरहमान	जलेरी	433·20	रकम जमा
173.	,,	आनीलाल	,,	937·60	,,
174.	29-10-79	गोर्धनलाल	शम्भुपुरा	253·60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
175.	,,	नंद किशोर	सतकुडियां	151·20	,,
176.	31-10-79	लालू	नर्कामा	469·60	,,
177.	,,	जगदीश	,,	906·80	रकम जमा
178.	2-11-79	जीबा वन्जारा	जलेरी	100·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
179.	3-11-79	भंवरलाल	शम्भुपुरा	468·00	,,
180.	4-11-79	बन्सीलाल	सतकुडियां	178·00	,,
181.	16-11-79	ओमप्रकाश	खाडीपुर	52·80	रकम जमा
182.	,,	भंवरलाल	सुखापुरा	143·20	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
183.	9-11-79	जगदीश	मकानों	148·00	रकम जमा
184.	,,	प्रभुलाल	,,	38·00	,,
185.	13-11-79	चन्द्र प्रकाश	भाटखारला	00·00	नोटिस जारी
186.	8-11-79	जुगलकिशोर	अखेरी	350·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत

1	2	3	4	5	6
187.	14-11-79	बेनीराम	भाटखारला	348·00	रकम जमा
188.	,,	जुगलकिशोर	,,	1268·00	,,
189.	,,	मांगीलाल	शम्भुपुरा	217·60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
190.	8-12-79	मोडू लाल	,,	260·00	रकम जमा
191.	12-12-79	सोहन	गुढा	2435·60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
192.	12-12-79	गणेश	,,	136·00	,,
193.	9-12-79	अमरसिंह	बाकाला	320·00	,,
194.	11-12-79	मुन्ना भाई	,,	71·20	रकम जमा
195.	11-9-79	गणपतलाल	शम्भुपुरा	1396·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
196.	13-9-79	बद्रीदास	सलावटिया	360·00	नोटिस जारी
197.	13-12-79	मुन्सी	शम्भुपुरा	355·60	वसूली एल. आर एक्ट के तहत
198.	6-12-79	भीमा	देसरपुरी	24·00	रकम जमा
199.	13-12-79	भंवरलाल	शम्भुपुरा	455·20	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
200.	14-12-79	मुला	,,	336·00	,,
201.	,,	छीतर बराड	,,	88·80	रकम जमा
202.	20-12-79	रतीराम	,,	49·60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
203.	19-12-79	घीसीलाल	जलेरी	82·40	रकम जमा
204.	20-12-79	कुशाल	शम्भुपुरा	198·00	,,
205.	,,	भीमा	रामपुरिया	168·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
206.	,,	नारायण	केमरपुरा	120·00	रकम जमा
207.	,,	बाकला	शम्भुपुरा	170·80	रकम जमा
208.	,,	सहीराम	,,	81·60	,,
209.	21-12-79	मीठालाल	,,	188·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
210.	20-12-79	रामसिंह	,,	352·00	,,
211.	16-12-79	श्रवण	बाकाला	35·50	नोटिस जारी

167

वर्ष 1980 में बनाये गये अनाधिकृत खनन कार्य के पंच नामों की सूची

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता बिजोलिया (राज.)

1	2	3	4	5	6
1.	11-1-80	ओमप्रकाश	खड़ीपुर	36·00	रकम जमा
2.	15-1-80	शिवलाल	त0 तलाई	20 00	,,
3.	8-1-80	रामचन्द्र	शम्भूपुरा	49·20	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
4.	,,	काशीराम	त0 तलाई	112·00	,,
5.	,,	बाबूलाल	,,	116·40	रकम जमा
6.	,,	मोहनसिंह	बकाता	165·60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
7.	10-1-80	गोसीलाल	सतकडीया	142·40	रकम जमा
8.	,,	नाथू रेगर	जलेरी	265·60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
9.	,,	हीरालाल	,,	356·00	रकम जमा
10.	,,	प्रेमचन्द	,,	578·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
11.	13-1-80	अब्दुल रजाक	,,	752·00	रकम जमा
12.	15-1-80	देवीलाल	शम्भूपुरा	496·00	,,
13.	,,	रामसिंह	,,	495·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
14.	,,	जितेन्द्रसिंह	,,	186·40	रकम जमा
15.	15-1-80	छीतर कराड	,,	305·20	,,
16.	,,	मांगीलाल सठीक	,,	264·00	,,
17.	,,	नन्दलाल	,,	2498·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
18.	,,	सेवकराम	अरोली	96·00	,,
19.	18-1-80	जगदीश शर्मा	नाकामा	29·60	रकम जमा
20.	,,	प्रभुलाल	,,	27·60	,,
21.	,,	प्यारपुरी	आरोली	360 00	,,
22.	,,	मोहम्मद	,,	2942·40	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
23.	22-1-80	गोपालजी	जलेली	327·20	कोर्टकार्यवाही
24.	24-1-80	तेजमल	शम्भूपुरा	154.40	रकम जमा
25.	,,	मोडूलाल	,,	235·20	,,
26.	25-1-80	उदयराम	जलेरी	588·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
27.	1-2-80	अजीज	आरोली	204.00	रकम जमा
28.	2-2-80	नन्दसिंह	शम्भूपुरा	145·20	,,

1	2	3	4	5	6
29.	4-2-80	सोहनलाल	गुढा	200·00	रकम जमा
30.	,,	अर्जुन	,,	42·80	,,
31.	,,	मोती हरिजन	बकाता	1400·80	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
32.	7-2-80	रामा	केसरपुरा	43·32	,,
33.	,,	चिरन्जीलाल	,,	24·88	रकम जमा एल. आर. एक्ट के तहत
34.	8-2-80	रमेशचन्द	सुखपुरा	138·80	रकम जमा
35.	,,	लालु लुहार	,,	15·60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
36.	7-2-80	इस्माईल	त्रिवेणी	247.50	रकम जमा
37.	16-1-80	भेंजराज	शम्भुपुरा	100·00	,,
38.	,,	तेजमल	,,	1156·00	,,
39.	,,	मोडुलाल	,,	731·12	,,
40.	2-2-80	रामचन्द्र	बेरीलाल	229·20	वसूली एल. आर, एक्ट के तहत
41.	,,	मोडुमीणा	शम्भुपुरा	1082·40	रकम जमा
42.	18-1-80	भेरुलाल	नकामा	29·60	,,
43.	22-1-80	रमेश	काश्याडेर	828·00	,,
44.	14-2-80	अजी7	सारोली	266·80	वसूली एल.
45.	17-2-80	बाबु	जलेरो	308·40	आर.एक्टकेतहत
46.	,,	हीरा	केसरपुरा	800·00	रकम जमा
47.	,,	हीरा बंजारा	जलेरी	686·40	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
48.	,,	गोरु	,,	498·00	रकम जमा
49.	,,	लालचन्द	,,	468·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
50.	19-2-80	लालु	,,	1066·80	रकम जमा
51.	14-2-80	चिरन्जीलाल	आरोली	756·00	नोटिस जारी
52.	19-2-80	इन्सान	जलेरी	757·60	वसूली एल. आर एक्ट के तहत
53.	18-2-80	अम्बालाल	,,	840.00	रकम जमा
54.	22-2-80	किसनलाल	पापड बड	000·00	नोटिस जारी
55,	5-2-80	प्यारचन्द	शम्भुपुरा	757·60	वसूली
56.	22-2-80	चुन्नीलाल	काश्याडेर	1964·80	,,
57.	,,	चुन्नीलाल	,,	240·00	रकम जमा

Page No 169

(169)

1	2	3	4	5	6
58.	22-2-80	छीतर	बेरीलाल	110·40	रकम जमा
59.	23-2-80	छगना	केसरपुरा	290·80	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
60.	22-2-80	सेवाराम		338·00	,,
61.	,,	शिवनारायण		232·00	रकम जमा
62.	,,	उदयलाल	काश्याडेर	75·60	,,
63.	23-2-80	जीवाबंजारा	जलेरी	578·00	,,
64.	,,	रतनलाल	,,	488·88	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
65.	,,	रामा	केसरपुरा	472·00	,,
66.	,,	भूरेश्वर	जलेरी	533·60	,,
67.	,,	शोभा	केसरपुरा	756·00	रकम जमा
68.	,,	धीवाबंजारा	जलेरी	220·40	,,
69.	,,	हीरा	केसरपुरा	378·00	,,
70.	22-2-80	जोगेन्द्रसिंह	शम्भुपुरा	463·60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
71.	23-2-80	बलवन्तसिंह	बाकाता	148·00	,,
72.	,,	नारायणसिंह	,,	112·00	रकम जमा
73.	25-2-80	हीरा	केसरपुरा	640·00	वसूली
74.	,,	कजोड़	,,	392·00	,,
75.	26-2-80	सेवाराम	काश्याडेर	566·80	रकम जमा
76.	20-2-80	मोडू मीणा	शम्भुपुरा	576·00	,,
77.	26-2-80	चुन्नीलाल	कांया	208·80	नोटिस जारी
78.	27-2-80	चन्ता	जलेरी	173·60	रकम जमा
79.	,,	जीवा	,,	533·60	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
80.	,,	मांगीलाल	,,	136·00	,,
81.	,,	जीवा	,,	452·80	रकम जमा
82.	,,	श्यामा	,,	816·00	,,
83.	28-2-80	मांगीलाल	देवनिवास	14·40	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
84.	,,	मयुर	बाकाता	218·00	,,
85.	5-3-80	किशोर	शम्भुपुरा	1452·00	,,
86.	,,	घूसा	,,	364·00	,,
87.	,,	तेजमल मांध	,,	680·00	रकम जमा
88.	27-2-80	कालूबंजारा	जलेरी	456·00	,,

(170)

1	2	3	4	5	6
89.	9-3-80	नारायणसिंह	बकाता	48·00	रकम जमा
90.	,,	गफूर	,,	160.00	,,
91.	,,	विजय्बोकर	,,	296·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
92.	8-3-80	ओमप्रकाश	बड़ीपुर	160·00	रकम जमा
93.	9-3-80	मोठूलाल	बाकाता	160·00	,,
03.	,,	चुन्नीलाल	काश्याडेरा	274·00	,,
95.	8-3-80	नारायणसिंह	बड़ीपुर	600·00	रकग जमा
96.	,,	चौथमल	,,	480·00	,,
97.	9-3-80	बोकारलाल	,,	372·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
98.	8-3-80	कालाराम	,,	200·00	रकम जमा
99.	9-3-80	लाल लुहार	शम्भुपुरा	702·00	,,
100.	6-3-80	गफूर	बकाता	892·00	नोटिस जारी
101.	5-3-80	रामकरण	शम्भुपुरा	101·00	,,
102.	9-5-80	भंवरलाल	सुधपुरा	480·00	,,
103.	27-3-80	मोहन	नकामा	178·00	,,
104.	,,	बाबूलाल	,,	151·20	,,
105.	12-3-80	नन्दकिशोर	भाटखरला	500·00	,,
106.	14-2-80	चिरन्जीलाल	आरोली	160·00	,,
107.	5-10-79	कालूबंजारा	अलेरी	210·00	,,
108.	,,	श्यामा	,,	242·60	,,
109.	11-3-80	भोड़सिंह	सतकठीया	60·00	,,
110.	28-12-79	मगनसिंह	बकाता	136·80	,,
111.	14-3-80	रूपा	काछोला	1800·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
112.	,,	बलबीरसिंह	,,	270·00	,,
113.	21-3-80	राजेन्द्रप्रसाद	बाकाता	408·80	रकम जमा
113.	,,	रमणलाल	,,	500·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
115.	27-3-80	भेरुलाल	नकामा	776·00	,,
116.	12-3-80	भंगास्वामी	भाटखरला	309·20	रकम जमा
117.	18-3-80	युसुब	बिगोड़	150·00	,,
118.	21-3-80	रुपलाल	बकाता	180·00	वसूली एल. आर. एक्ट के तहत
119.	23-3-80	नन्द लुहार	भेरोलाल	14 40	रकम जमा

1	2	3	4	5	6
119.	23-3-80	नन्द लुहार	बेरीसाल	14.40	रकम जमा
120.	20 4-80	देवा अहिर	कायाडेर	536.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
121.	19-4-80	रमेशचन्द्र	कांसाडेर	228.00	,,
122.	20-4-80	पारसमल मेहता	बकाता	304.00	,,
123.	,,	मोठूलाल	,,	213.20	रकम जमा
124.	,,	चुन्नीलाल	कास्याडेर	604.80	कोर्ट कार्यवाही
125.	16-4-80	सोहनलाल	गुढ़ा	313.00	रकम जमा
126.	23-4-80	गोरधनसिंह	सकुडीया	133.40	वसूली एल.आर एक्ट के तहत
127.	29-4-80	उदयलाल	कोस्याडोर	89.00	रकम जमा
128.	,,	भंवरलाल	शंभुपुरा	485.20	कोर्ट कार्यवाही
129.	,,	सेवा	कांस्या	133,20	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
130.	,,	कन्हैयालाल	शंभुपुरा	308.00	कोर्ट कार्यवाही
131.	15-4-80	मादाराम	सहापुर	289.00	नोटिस जारी
132.	16-4-80	मांगीलाल	शंभूपुरा	204.40	रकम जमा
133.	,,	मोडूलाल मीणा	,,	3662.00	कोर्ट कार्यवाही
134.	,,	रामकरण	,,	988.00	नोटिस जारी
135.	17-4-80	भैरूसारोली	नकामा	2588.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
136.	,,	प्रभूलाल	,,	904.00	रकम जमा
137.	,,	अब्दुलसत्तार	,,	961.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
138.	,,	मोहनलाल बलाई	,,	873.60	कोर्ट कार्यवाही
139,	,,	बाबूलाल	,,	3276.00	नोटिस जारी
140.	1-5-80	भादीराम	सड़ीपुरा	424.00	,,
141.	17-3-80	बजरंगलाल	नयानगर	1289.00	रकम जमा
142.	21-3-80	मांगीलाल	जलेरी	132.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
143.	30-3-80	मादाराम	खड़ीपुर	93.20	,,
144.	3-4-80	मुन्ना	आरोली	240.80	,,
145.	3-4-80	चांदखां	,,	889.00	नोटिस जारी
146.	10-4-80	मादाराम	सड़पुर	2057.84	,,
147.	20-4-80	उदयलाल	बकाता	800.00	,,
148.	22-4-80	मोड़सिंह	,,	430.00	,,
149.	1-5-80	उंकार	सुखपुरा	266.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
150.	10-5-80	भागीरथ	सड़ीपुर	651.20	नोटिस जारी
151.	22-5-80	ओमप्रकाश	,,	9512.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
152.	10-5-80	चौथूलाल	,,	853.20	,,
153.	15-5-80	राजेन्द्र प्रसाद	बकाता	208.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
154.	,,	रूपा	चम्पापुर	700.00	,,
155.	,,	बजरंगलाल	नयानगर	444.80	,,

1	2	3	4	5	6
156.	,,	कादरबक्ष	बकाता	360.00	नोटिस जारी
157.	,,	रतना	चम्पापुर	116.00	,,
158.	,,	नाथू	,,	902.50	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
159.	,,	सम्पतसिंह	बकाता	172.00	रकम जमा
160.	20-5-80	लक्ष्मीनारायण	गुढ़ा	520.00	एल.आर.एक्ट के तहत वसूली
161.	21-5-80	बजरंगलाल	भाटसरल	1022.40	,,
162.	22-5-80	गोपालसिंह	नकामा	108.00	रकम जमा
163.	,,	प्रभूलाल	,,	162.40	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
164.	,,	कन्हैयालाल	,,	114.40	रकम जमा
165.	,,	बाबूलाल	,,	225.25	,,
166.	23-5-80	रमणलाल	बकाता	1320.00	नोटिस जारी
167.	,,	डूगरसिंह	,,	688.80	रकम जमा
168.	25-4-80	भूरालाल	सतकडोया	896.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
169'	31-5-80	कालू	सुखपुरा	356.00	,,
170.	,,	लालूलुहार	,,	497.60	,,
171.	,,	भोमा	केसरपुरा	756.00	रकम जमा
172.	31-5-80	हीरा	,,	1248.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
173.	,,	लक्ष्मीनारायण	गुढ़ा	108.00	,,
174.	3-6-80	बजरंगलाल	नयानगर	1630.00	,,
175.	5-6-80	हजारी	आरोली	268.00	नोटिस जारी
176.	11-6-80	महेन्द्रसिंह	बकाता	585.80	कोर्ट कार्यवाही
177.	7-6-80	मोडसिंह	बकाता	663.00	,,
178.	12-6-80	बदरीलाल	,,	740.80	,,
179.	11-6-80	मोडसिंह	,,	552.00	,,
180.	17-6-80	मुन्ना	आरोली	312.00	,,
181.	,,	बिहारी	जलेरी	668.20	रकम जमा
182.	20-6-80	लच्छीराम	बकाता	149.00	कोर्ट कार्यवाही
183.	,,	ओमप्रकाश	शंभुपुरा	100.00	,,
184.	17-6-80	किशना	आरोली	512.00	,,
185.	3-6-80	विमलकुमार	जलेरी	364.52	रकम जमा
186.	12-6-80	मोडूमीना	शंभुपुरा	2240.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
187.	6-5-80	जीतू	जलेरी	356.00	,,
188.	15-6-80	बाबूलाल	नकामा	1073.40	वसूली एल आर.एक्ट के तहत
189.	18-6-80	मोडूमीना	शंभुपुरा	000.00	कोर्ट कार्यवाही
190.	15-6-80	पारचन्द	नकामा	276.00	रकम जमा
191.	14-6-80	नारायणसिंह	सडीपुरा	53.20	रकम जमा
192.	,,	बनवारीलाल	,,	80.00	,,

Page No 173

(173)

1	2	3	4	5	6
193.	15-6-80	प्रभूलाल	नकाया	78.00	नोटिस जारी
195.	,,	कालू बंजारा	,,	196.00	,,
195.	,,	भैरू खारोल	,,	292.00	वसूली एल. आर.एक्ट के तहत
196.	,,	प्रभूलाल	,,	92.00	रकम जमा
197.	,,	अब्दुलसत्तार	,,	252.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
198.	15-6-80	भोपालसिंह	नकाया	65.60	रकम जमा
199.	13-6-80	ओंकार	सुखपुरा	196.00	नोटिस जारी
200.	30-6-80	सत्यनारायण	शंभुपुरा	20.00	कोर्ट कार्यवाही
201.	,,	ओमप्रकाश	,,	386 00	,,
202.	5-7-80	रामसिंह	,,	40.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
203.	9-7-80	ओंकार	सुखपुरा	60.10	,,
204.	17-7-80	शोखलाल	बिजोलिया	134.80	रकम जमा
205.	18-7-80	मोती	बाकाता	632.00	,,
206.	,,	डूंगासिंह	,,	20.00	,,
207.	24-7-80	पारसमल	बकाता	711.20	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
208.	26-6-80	गोरधनसिंह	चम्पापुर	440.00	रकम जमा
209.	24-7-80	गफूर	बकाता	436.40	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
210.	,,	जयकिशन	बकाता	158.40	कोर्ट कार्यवाही
211.	24-7-80	जगदीश	कांस्या	238.80	रकम जमा
212.	23-7-80	नन्दलाल	,,	164.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
213.	5-7-80	लच्छीराम	शंभुपुरा	44.80	रकम जमा
214.	25-7-80	गीसा	जलेरी	156.00	,,
215.	,,	गोरु	,,	156.00	कोर्ट कार्यवाही
216.	30-7-80	जोधा	,,	186.40	रकम जमा
217.	,,	गीसा	,,	364.50	,,
218.	3-8-80	गिरधारी	जलेरी	266.80	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
219.	,,	जीतमल	,,	220.80	नोटिस जारी
220.	,,	चन्दा	,,	261.20	रकम जमा
221.	11-8-80	रामलाल	बेरीसाल	88.50	,,
222.	,,	बेणीराम	जलेरी	333.00	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत
223.	7-6-80	युवराज	बकाता	752.80	कोर्ट कार्यवाही
224.	11-6-80	रमणलाल	बकाता	320 00	,,
225.	,,	पीर खां	,,	585.20	,,
226.	12-6-80	शिवनारायण	,,	1500.00	,,
227.	13-6-80	भोपालसिंह	,,	444.60	,,
228.	,,	अमरा बलाई	,,	373.20	,,
229.	,,	पारसमल लसोड	,,	000.00	,,

Page No 174

(174)

1	2	3	4	5	6
230.	16-7-80	किशना	जलेरी	12.00	वसूली एल.ग्रार.एक्ट के तहत
231.	30-7-80	रमेश	बकाता	464.00	,,
232.	,,	मूलचन्द	,,	560 00	,,
233.	2-8-80	बेणीराम	जलेरी	364.50	,,
234.	4-8-80	जयकिशन	कास्या	104.00	वसूली एल.ग्रार.एक्ट के तहत
235.	4-8-80	कालू	बकाता	226.00	,,
236.	5-7-80	बवाना	शंभुपुरा	473.40	नोटिस जारी
237.	5-8-80	बंशीलाल	शंभूपुरा	230.00	,,
238.	5-8-80	मांगीलाल	,,	296.00	वसूली एल.ग्रार एक्ट के तहत
239.	12-8-80	बजरंगलाल	नयानगर	382.40	,,
240.	7-8-80	हीरालाल	केसरपुरा	65.00	,,
241.	,,	कन्हैयालाल	,,	46.50	,,
242.	8-8-80	जीवा	जलेरी	166.00	,,
243.	9-8-80	डूगरसिंह	बकाता	764.80	रकम जमा
244.	8-8-80	घिसा	जलेरी	229.60	वसूली एल.ग्रार.एक्ट के तहत
245.	9-8-80	विभूतिभूषण	बकाता	800.00	,,
246.	11-8-80	मोडूलाल	शंभुपुरा	000.00	नोटिस जारी
247.	13-8-80	मिठूलाल	बकाता	618.80	रकम जमा
248.	14-8-80	भोपालसिंह	जलेरी	692.00	वसूली एल.ग्रार.एक्ट के तहत
249.	16-8-80	बजरंगलाल	नयानगर	229.30	रकम जमा
250.	17-8-80	घासी	जलेरी	516.00	वसूली एल.ग्रार.एक्ट के तहत
251.	18-8-80	मांगीलाल	शंभूपुरा	60.00	,,
252.	,,	गुलाब	जलेरी	1244.48	रकम जमा
253.	20-8-80	घासीलाल	केसरपुरा	89.90	,,
254.	,,	हीरा	,,	288.90	नोटिस जारी
255.	,,	टेकराम	,,	138.00	,,
256.	21-8-80	रुपलाल	शंभूपुरा	122.25	रकम जमा
257.	22-8-80	टेकचन्द	केसरपुरा	144.00	वसूली एल ग्रार.एक्ट के तहत
258.	,,	गुलाब	जलेरी	467.60	नोटिस जारी
259.	,,	राधेश्याम	सुखपुरा	3200,00	,,
260.	,,	उधा	जलेरी	400.00	रकम जमा
261.	,,	बेणीराम	,,	533.60	नोटिस जारी
262.	,,	गोपी	,,	430.40	,,
263.	21-8-80	नन्दकिशोर	सतकडिया	675.60	,,
264.	22-8-80	सोजी	जलेरी	226.80	,,
265.	,,	गोगा	,,	186.80	रकम जमा
266.	,,	कल्याण	गुढ़ा	266.70	वसूली एल.ग्रार.एक्ट के तहत
267.	28-8-80	मोहन	शंभूपुरा	28.40	,,
268.	31-8-80	काना	,,	50.00	,,

(175)

1	2	3		4	5	6
269.	7-9-80	बिशन	नकामा	730·00	वसूली एल.आर. एक्ट के तहत	
270.	,,	सोहनसिंह	गुढ	260·00	रकम जमा	
271.	9-8-80	मोहनलाल	बेंकाता	170·00	नोटिस जारी	
272.	18-9-80	घीसीलाल	भैरूपुरा	293·60	वसूली भू राजस्व अ. के तहत	
273.	22-8-80	मदनलाल	जलेरी	498·00	,,	
274.	28-8-80	भवाना	शम्पुरा	34·00	नोटिस जारी	
275.	25-9-80	टेका	केसरपुरा	76·80	,,	
276.	,,	ऊंकार	सुखपुरा	43·60	,,	
277.	29-9-80	पुना	जेलेरी	489·00	,,	
278.	26-9-80	,,	,,	471·15	,,	
279.	23-9-80	बाबुलाल	,,	475·60	,,	
280.	4-9-80	हिरी	केसुपुरा	493·12	वसूली रकम जमा	
281.	,,	माधव	,,	40·00	,,	
282.	,,	रामा	,,	471·15	नोटिस जारी	
283.	29-8-80	ओमप्रकाश	शम्भुपुरा	475·60	नोटिस जारी	
284.	,,	लछीराम	,,	26·80	,,	
285.	,,	रामसिंह	,,	113·00	,,	
286.	,,	गोरीलाल	,,	80·00	,,	
287.	,,	भवाना	,,	586·80	,,	
288.	25-9-80	मुसा	गुढा	882·70	वसूली एल.आर.एक्ट के तहत जारी	
289.	27-9-80	मुन्ना	सुखपुरा	272·25	नोटिस जारी	
290.	,,	बाबुलाल	,,	106·80	,,	
291.	,,	ऊंकार	,,	240·00	,,	
292.	23-9-80	सोहन	गुढा	800·00	रकम जमा	
293.	15-10-80	शम्भूसिंह	चैम्पापुर	501·60	नोटिस जारी	
294.	30-9-80	मूसा	गुढा	3226·80	,,	
295.	10-10-80	छीतर	शम्भूपुरा	711·20	वसूली एल.आर. एक्ट के तहत	
296.	2-9-80	किशन	बाकोत	149·60	रकम जमा	
297.	,,	मिठुलाल	,,	775·20	नोटिस जारी	
298.	3-9-80	तेजमल	कास्यां	671·15	,,	
299.	18-9-80	ऊंकार	सुखपुरा	49·20	,,	
300.	9-10-80	मांगीलाल	गुढा	348·80	रकम जमा	

1	2	3	4	5	6
301.	9-10-80	अब्दुलसतार	गुढ़ा	94·25	नोटिस जारी
302.	25-10-80	गोपालसिंह	शम्भुपुरा	855·15	,,
303.	,,	लच्छीराम	,,	149·60	,,
304.	,,	भंवरलाल	,,	204·80	,,
305.	8-10-80	नाथुलाल	न कामा	50·00	,,
306.	25-10-80	रामा	केशरपुरा	533·60	,,
307.	30-10-80	टेकाराम	,,	200·00	,,
308.	,,	हीरा	,,	409·20	,,
309.	,,	घीसा	,,	266·80	,,
310.	,,	बाबुलाल	सुखपुरा	129·20	,,
311.	,,	मन्नालाल	,,	249·20	,,
312.	,,	बालुराम	केसरपुरा	284·80	रकम जमा
313.	1-11-80	नन्दकिशोर	भाटखला	291·90	रकम जमा
314.	31-7-80	मोडूलालमीणा	शम्भुपुरा	000·00	नोटिस जारी
325.	,,	चुन्नीलाल	कांस्याडर	000·00	,,
316.	,,	रमेश	,,	510·40	,,
217.	10-7-80	गेन्दा बलाई	जलेरी	163·60	रकम जमा
218.	5-11-80	चुन्नीलाल	गुढ़ा	403·60	नोटिस जारी
319.	26-9-80	ओमप्रकाश	,,	213·60	,,
320.	30-10-80	छीतर	शम्भुपुरा	1200·00	रकम जमा
321.	9-10-80	कस्तूरचन्द	गढ़ा	595·60	नोटिस जारी
322.	22-10-80	पारस मल	बोंकाला	249·20	,,
323·	,,	रामप्रसाद	,,	45·20	रकम जमा
324.	4-11-80	पारसमल	,,	440·00	नोटिस जारी
325.	15-11-80	पारस मल	,,	461·60	,,
326·	,,	मुरलीधर	,,	714·00	रकम जमा
327.	17-11-80	बाबुलाल	सुखापुरा	231·60	,,
328.	24-11-80	नन्दराम	न. का. मा.	395·60	नोटिस जारी
329.	25-11-80	नन्दराम	,,	395·60	,,
330.	20-11-80	नन्दराम	,,	280·00	,,
331.	18-11-80	जयकिशन	कास्या	381·60	रकम जमा
332.	2-11-80	देवीसिंह	भैंरूखेड़ा	186·80	नोटिस जारी
333.	26-11-80	पारसमल	सतकुड़िया	175·60	,,
334.	,,	नाथुलाल	,,	613·60	,,
335.	,,	भूरा	,,	613·60	,,
336.	,,	मांगीलाल	बाकाता	329·20	रकम जमा

1	2	3	4	5	6
337.	16-10-80	काना	गुढा	576·00	नोटिस जारी
338.	27-11-80	बाबुलाल	गुढा	822·00	,,
339.	,,	मांगीलाल	,,	606·80	रकम जमा
340.	,,	राजकुमार	,,	462·40	नोटिस जारी।
341.	4-12-80	बजरंगलाल	नयानगर	604·80	रकम जमा
342.	3-12-80	पारसमल	बाकाता	1204·80	नोटिस जारी
343.	6-12-80	गफुर	,,	1133·60	,,
344,	6-12-80	बाबुलाल	सुखपुरा	160·00	,,
345.	10-12-80	लच्छीराम	न.का. भा.	571·00	नोटिस जारी
346.	29-11-80	लक्ष्मण	गुढ़ा	400·00	रकम जमा
347.	15-11-80	मोड़लाल	गुढा	800·00	रकम जमा
348.	11-12-80	लक्ष्मीराम	न, कामा	571·60	नोटिस जारी
349.	12-12-80	,,	,,	571·60	,,
350.	11-12-80	जयसिंह	बागलोया	165·20	,,
351.	12-12-80	मांगीलाल	गुढा	101018·00	,,
352.	,,	मूलचन्द	,,	160·00	,,
353.	,,	बंशीलाल	सतकुड़िया	434·00	,,
354.	,,	चुन्नीलाल	गुढ़ा	645·60	रकम जमा
355.	11-12-80	गोपाल सिंह	गुढा	1408·00	नोटिस जारी
356.	,,	बफूर	वाकाना	3156·80	,,
357.	17-12-80	लालदास	केसरपुरा	278·00	,,
358.	,,	पन्नाधाकड़	केसरपुरा	386·00	,,
359.	,,	टेकाराम	केसरपुरा	533·60	,,
360.	,,	गोकलधाकड़	,,	113·00	,,
361.	,,	कन्हैयालाल	,,	404·80	,,
362.	12-12-80	गोपीजहिर	कोस्या	249·20	,,
363.	,,	चुन्नीलाल धाकड़	गुढा	359·60	,,
364.	18-12-80	पुरूषोतम	केसरपुरा	35·00	,,
365.	19-12-80	बाबुलाल	न.का मा.	906·80	,,
366.	,,	मोहन बलाई	,,	711·20	,,
367.	18-12-80	गोपालसिंह	गुढ़ा	925·60	,,
368.	19-12-80	मांगीलाल	गुढा	1040 00	,,
369.	17-12-80	मोडसिंह	सतकुडीया	218·80	,,
370.	17-12-80	गफूर	वार्काता	437·60	,,
371.	25-12-80	उदयराम	नकामा	1155·60	,,
372.	,,	श्रवणकुमार	,,	106·80	,,

कार्यालय खनि अभियन्ता बिजोलिया (राज०)
वर्ष 1981 में अनाधिकृत खनन कार्य के बनाये गये
पंचनामों की सूची

क्र०सं०	दिनांक	नाम पार्टी	क्षेत्र	रकम	विवरण
1.	6-12-80	नारायण सिंह	गड़ीपुरा	186·00	नोटस जारी
2.	6-12-80	ऊंकार	सुखापुरी	80·00	,,
3.	6-1-80	आशाराम	शम्भुपुरा	113·00	,,
4.	6-1-81	भंवरलाल	शम्भुपुरा	106·00	,,
5.	8-1-81	जयकिशन जहिर	कास्यां	505·00	,,
6.	17-1-81	मांगीलाल	गुढ़ा	2160 00	,,
7.	13-1-81	मूला	गुढ़ा	2228·00	,,
8.	13-1-81	जयकिशन	कास्यां	199·00	,,
9.	10-1-81	चन्दा	जलेरी	800·00	,,
10.	10-1-81	कालु	जलेरी	768·00	,,
11.	10-1-81	इस्माइल	त्रिनोद	810·00	,,
12.	10-1-81	अब्दुल रहमान	विनोद	450·00	,,
13.	10-1-81	अब्दुल रहमान/करीम	विनोद	1800·00	,,
14.	10-1-81	अ. रहमान/सुलेमान	विनोद	1800·00	,,
15.	10-1-81	रसूद	बिनोद	1800·00	,,
16.	21-1-81	देवीराम	भाटखाला	800·00	रकम जमा
17.	20-1-81	करीमबक्स	डामठीखकर	1990·00	नोटिस जारी
18.	9-1-81	राजकुमार	न, का. मा.	675·60	,,
19.	3-1-81	भैरू खारोल	,,	58·00	,,
20.	3-1-81	राजकुमार	,,	213·60	,,
21.	12-1-81	प्रसन	,,	192·00	,,
22.	21-1-81	घीसा	केसरपुरा	400·00	,,
23.	,,	बालुराम	,,	106·80	,,
24.	,,	लालुराम	,,	410·80	नोटिस जारी
25.	19-1-81	कन्हैयालाल	बांकाता	413·60	,,
26.	18-1-81	उदयराम	न. का मां.	1280·00	,,
27,	20-1-81	लादुलाल	जलेरी	200·00	रकम जमा
28.	22-1-81	मामोराम	खड़ीपुर	222·40	,,
29.	27-1-81	रमेश धाकड़	सुखापुरी	326·80	,,
30.	27-1-81	मुरलीधर	बाकोता	480·00	,,
31.	31-1-81	देवीराम धाकड़	भाटखाला	128·00	,,
32.	5-1-81	मांगीलाल	गुढ़ा	2160·00	,,
33.	3-1-81	उदयराम	न.का.मा.	1120·00	,,

क्र०सं०	दिनांक	नाम पार्टी	क्षेत्र	रकम	विवरण
34.	2-2-81	किशनलाल	बिजोलिया	43·60	रकम जमा
35.	7-1-81	भैरू खारोल	न. का. मा.	403·00	,,
36.	10-2-81	जोरावर सिंह	आरोली	453·60	रकम जमा
37.	7-2-81	योगेश चन्द्र	केसरपुरा	65·00	नोटिस जारी

वर्ष 1980

सर्वे अंकन के हिसाब से अनाधिकृत खनन कार्य किया गया की सूचि

क्र०सं०	नाम पार्टी	क्षेत्र	रकम	विवरण
1.	मोड़ु मि. गंगाराम	शम्भुपुरा	3,37,335 = 60	वसूली एल.आर.एक्ट
2	मांगीलाल वि. हनुमाप्रसाद खटीक	,,	23,833 = 30	के तहत
3.	मुनीर मो./चांद मोहम्मद	तुलाकामाताजी	9,949 = 20	,,
4.	कजोड़/देवीलाल धाकड़	,,	14,000 = 00	,,
5.	बाबूलाल/देवीसहाय	,,	98,000 = 00	,,
6.	मोहन/वरदीचन्द	,,	83,066 = 80	,,
7.	अब्दुल सतार/अ० गफार	,,	54,666 = 80	,,
8.	प्रभुलाल/चीमा धाकड़	,,	36,866 = 80	,,
9.	भैरूलाल/गोकल खारोल	,,	52,266 = 80	,,
10.	लालु/नन्दा भील	,,	1,16,666 = 80	,,
11.	जगदीश/गोरीशंकर	,,	93,333 = 20	,,
12.	डालु/भावसिंह वंजारा	,,	18,660 = 00	,,

Page No 180

(180)

परिशिष्ट ब

खनिज बाउन्ड्री हेतु राजस्व बिला नाम भूमि जो विभाग के नाम दर्ज कराने की कार्यवाही चल रही है उसकी सूची

क्षेत्र का नाम	आराजी नम्बर	रकवा वर्ग मीटर में
चम्पापुर	140,142,143,139,189,330,326,290, 212,311,322,188,318,87,141,132, 138,594/143,593/143,89,95,96	209160
सतकुण्डिया	367,366,365,364,378,369,368,363, 362	83200
तेन्दुआ खलाई	15,16,17,10,11,242,243,66,584	92400
पापड़बड़	180,181,182,188,189,275,355, 356,357,358,728/353,275	123800
कांस्या	510	43650
जलेरी	7	14400
साडीपुर	66,65,64,63,62	72000
सुखपुरा	अराजी नं० प्राप्त नहीं हुये।	121600

181

प्रतिलिपि पत्र क्र० एफ 10/67/राज-ग्रुप/4/80 दिनांक 18-9-80 ओर से उप राजस्व सचिव राजस्व ग्रुप की विभाग जयपुर निमित्त जिलाधीश भीलवाड़ा प्रति प्राप्त खनि अभियन्त बिजौलियां को

विषय:– राजस्व की बिला नाम भूमि खनिज उपयोग हेतु ।

संदर्भ:– आपका पृष्ठांकन एफ/2 12(10)राज/80 दिनांक 18-7-80

महोदय,

संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त पत्रावली संलग्न कर आदेशानुसार लेखा है कि वांछित भूमि राजकीय है, खनि अभियन्ता बिजौलिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 1977(एम एम सी आर 1977 के अन्तर्गत भाटक एवं अधिशुल्क पट्टे (आर. सी. आर. एल.) स्वीकृत कर सकते हैं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत भूमि आरक्षित (सेट एपार्ट) करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

खनि कार्य हेतु न तो राजस्व विभाग का अवाप्ती प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था है और न ही इस प्रयोजन के लिए राजस्थान राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत भूमि को आरक्षित करने का प्रावधान है ।

ह०

उप राजस्व सचिव

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

तहसील सागवाड़ा में राहत कार्यों से लाभान्वित व्यक्ति

635. **श्रीमती कमला** (सांगवाड़ा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर की सागवाड़ा तहसील अकालग्रस्त है ? यदि हां, तो कितने ग्राम अकालग्रस्त हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल से प्रभावित बेरोजगार लोगों की क्रय शक्ति बनाये रखने के लिए सरकार ने अकाल राहत कार्य खोले हैं ? यदि हां, तो सांगवाड़ा तहसील में राहत कार्यों पर कितने लोगों को काम पर लगाया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील अभावग्रस्त है। तहसील सागवाड़ा के 265 ग्राम हैं जो सभी अकालग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं।

(2) जी हां। सांगवाड़ा तहसील में 34 कार्यों पर 9411 श्रमिक वर्तमान में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के 27 कार्य चालू है जिन पर 340 श्रमिक कार्यरत हैं।

करौली क्षेत्र की जलप्रदाय योजना

636. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली क्षेत्र में जलप्रदाय योजना कब प्रारम्भ हुई व उसको पुनः आबादी के अनुपात से कब पुनरीक्षित किया जा रहा है ?

(2) तहसील करौली के गांवों के पेयजल की क्या योजना है व कितने ग्रामों में इस वर्ष पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

उत्तर

(1) करौली शहर की पेयजल योजना वर्ष 1973 में चालू की गई तथा वर्तमान में व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है। योजना का पुनर्गठन धन की उपलब्धि एवं आवश्यकता के अनुसार भविष्य में किया जा सकेगा।

(2) करौली तहसील में 1971 की जनगणना के आधार पर कुल 137 समस्याग्रस्त ग्राम हैं व अब तक कुल 49 ग्रामों हेतु पेयजल योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें से 6 ग्रामों में योजनाएं साधारण में हैं। पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात् 1980-81 में 7 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य था, जिसे पूरा करने की सम्भावना है। शेष 34 योजनाओं को इस वर्ष पूर्ण करने का प्रयत्न किया जायेगा।

बाण गंगा नदी पर पुल निर्माण

637. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिकन्दरा से बांदीकुई सड़क पर पड़ने वाली बाण गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी कुल कितनी लागत होगी तथा कितने समय में यह योजना पूरी होगी ?

(2) कृपया इस पुल के निर्माण की अंतिम तिथि बतायें ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला कृषि अधिकारी, अलवर

638. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर के जिला कृषि अधिकारी, श्री शिवसिंह ने गत बीस वर्षों में जिला अलवर में किन किन पदों पर कितने कितने समय किस किस स्थान पर कार्य किया है ? कृपया पूर्ण विवरण मय पद, तिथि एव स्थान सदन के पटल पर रखें ।

(2) श्री शिवसिंह के जिला अलवर से बाहर किन किन स्थानों पर किन किन पदों पर किस किस तिथि को स्थानान्तरण आदेश सरकार द्वारा प्रसारित किये गये ? कृपया आदेशों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या श्री शिवसिंह द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना की गई ?

(4) यदि नहीं, तो क्या सरकार के आदेशों की अवहेलना के संदर्भ में सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

(5) क्या सरकार एक अधिकारी को एक ही स्थान पर इतने लम्बे समय तक लगातार रखना उचित समझती है, और वह भी उस अधिकारी को जिसने सरकार के आदेशों की पालना नहीं की है ?

(6) यदि नहीं, तो सरकार उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण जिला अलवर से बाहर कब तक कर देगी ?

(7) श्री शिवसिंह के कितने रिश्तेदार जिला अलवर में सरकारी पदों पर कार्यरत हैं ? कृपया सूची मय रिश्ते, नाम एवं पद सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) श्री शिवसिंह के अलवर जिले में पदस्थापन का विवरण तालिका "अ" में सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) श्री शिवसिंह का अलवर जिले से बाहर सहायक पौध संरक्षण अधिकारी, कोटा, सहायक निदेशक, कृपि (आई. ए.ए.)

(कृषि मन्त्री)

मुख्यालय, एवं सहायक कृषि अर्थशास्त्री श्रीगंगानगर के पद पर स्थानान्तरण हुआ था। संबंधित आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई।

(3) जी नहीं

(4) वर्ष 74-75 एवं 80 में स्थानान्तरण अवधि में संबधित अधिकारी के चिकित्सा आधार पर अवकाश पर रहने तथा तदोपरान्त पूर्व आदेशों में संशोधन जारी होने के कारण उनकी अनुपालना की गई। 10-7-79 को जारी किये गये स्थानान्तरण आदेशों के बाद 27-7-79 को आदेश जारी कर श्री शिवसिंह को पूर्व पद पर ही बने रहने का निर्णय लिया गया। बाद में अन्य पदस्थापन आदेश 29-2-80 होने पर उन्होंने उनकी अनुपालना की। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेशों की अवमानना नहीं की गई।

(5) जी नहीं। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

(6) राज्य सरकार माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेगी।

(7) राज्य सरकार को जानकारी नहीं है।

तालिका "अ"

श्री शिवसिंह के अलवर जिले में पदस्थापन का विवरण

1.	कृषि प्रसार अधिकारी, रामगढ़, जिला अलवर	17-1-61 से 27-10-67
2.	विकास अधिकारी, रामगढ़, जिला अलवर	28-10-67 से 1-4-69
3.	जिला भू-संरक्षण अधिकारी, अलवर	2-4-69 से 7-8-74
4.	सहायक परियोजना अधिकारी, लघु कृषक विकास अधिकरण, अलवर	8-8-74 से 18-2-75
5.	सहायक निदेशक, कृषि (तिलहन), अलवर	19-2-75 से 28-7-80
6.	जिला कृषि अधिकारी, अलवर	29-7-80 से निरन्तर

Copy of order for 1 (2) agri /1/74 Dated the 2nd Nov. 1974 from the Dytsecretary to Govt. Agriculture (Gr. I) Department, Jaipur and copy endt. to the Director of Agriculture, Rajasthan Jaipur.

The Governor is pleased to promote the following officers of Group C. 375-850 Section II (Extension of the Rajasthan Agri. Service, to the post of Asstt. Director/Distt. Agriculture Officer the cadre of Asstt Director of Agriculture Section-II Extension Group 'B' of the State Agriculture Service) in the pay Scale of Rs. 500–1000 (Scale No. 20), on temporary besis for a period of one year or till the candidates selected by the Departmental Promotion Committee are available, whichever is earlier from the date they take over charge of the post :—

2. Shri Shiv Singh

It is certified that above officers are qualified to held the post of Asstt, Director of Agriculture/Distt. Agri. Officer, and also Senior enough for regular promotion under the provisions of the Rajasthan Agriculture Services Rules, 1960.

The Governor is further pleased to the transfers and postings of the following officers of the Agriculture Department with immediate effect, in partial modification of this Deptt. order of even number dated the 21th August, 74 and 10th Oct., 74.

Name	From	To
8. Shiv Singh	Asstt. Project Office SFDA, Alwar	Asstt. Plant Protect. Officer, Kota.

by Order,

sd/-

Dy. Secretary to the Govt.

186

DIRECTORATE OF AGRICULTUR
RAJASTHAN, JAIPUR

No. F. 1(1) DAG/ Dated the Feb., 1975

OFFICE ORDER

In partial modification of Govt. Order No. F. 1 (2) Agri/Gr. I, 74 dated 2nd Nov., 1974, Shri Shiv Singh promoted to group 'B' Extension in the Scale of Rs. 500-1000 is posted as Asstt. Director of Agriculture (Oil seeds) Alwar. on return from leave.

Sd/-

Director of Agriculture

No. F. 1(1) DAG/(387)/Gr. 3/2883-89 dated the 22nd Feb., 19/75

Copy forwarded for information and necessary action to :—

1. The Secretary to the Govt. Agriculture (Gr. I) Department with the request that the revised posting orders may kindly be approved.
2. The Jt. Director of Agri. Kota.
3. The Dy. Director of Agri. (Plant Protection) Jaipur.
4. The Dy. Director of Agri. (Oil seeds) Jaipur.
5. Shri Shiv Singh
6. Personal file

Sd/—

DIRECTOR OF AGRICULTURE

राजस्थान सरकार

कृषि ग्रुप–1 विभाग

क्रमांक : प. 1 (9) कृषि–1/79 पी. एफ. जयपुर, दिनांक 10 जुलाई, 79

आज्ञा

कृषि विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन निम्न प्रकार तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :—

क्र.सं. नाम अधिकारी	कहां से	कहां को
1. श्री शिव सिंह	सहायक निदेशक, कृषि	सहायक निदेशक, कृषि आई, ए. ए. (मुख्यालय) जयपुर श्री पी. पी. माथुर के स्थान पर

आज्ञा से,

ह.

(आर. एस. अग्रवाल)

उप शासन सचिव, कृषि–1

राजस्थान सरकार

(कृषि ग्रुप–1 विभाग)

क्रमांक : 1 (8) कृषि/1/79 जयपुर, दिनांक 21–7–79

आज्ञा

कृषि विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 10-7-79 में आंशिक संशोधन करते हुए कृषि विभाग के निम्नलिखित ग्रुप-सी/खण्ड-2 प्रसार के अधिकारी क्रम सं. 1 से 16 तक उनकी स्वयम् की वर्तमान वेतन पर उनके समक्ष उल्लेखित सहायक निदेशक व समकक्ष पदों पर अगले आदेश होने तक पद स्थापित किये जाते हैं :—

17. श्री शिव सिंह — श्री एम. एम. भटनागर के कार्यरत होने तक श्री शिवसिंह अलवर में ही कार्यरत रहेंगे।

आज्ञा से,

ह.

(धरम सिंह जैन)

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1 (8) कृषि/ग्रुप-1/79 जयपुर, दिनांक : 3-4-80

आज्ञा

कृषि विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :

क्र. सं.	नाम	कहां से	कहां को
1.	श्री शिव सिंह	जिला कृषि अधिकारी, अलवर	असिस्टेन्ट एग्रीकल्चर इकानामिस्ट, श्री गंगानगर (रिक्त पद पर)

आज्ञा से,
ह०
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कृषि ग्रुप-1

प. सं. 1(8) कृषि/ग्रुप-1/79 जयपुर, दिनांक : 26-7-80

आदेश

इस विभाग के सम संख्यक आदेश दिनांक 3-4-80 में आंशिक संशोधन कर श्री शिवसिंह के स्थानान्तरण आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

आज्ञा से,
ह०
(धर्मसिह जैन)
उप शासन सचिव

गजेटियर्स विभाग में बाहरी व्यक्तियों के एब्जोर्बेशन व प्रतिनियुक्ति विषयक प्रकरण

639. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य के प्रवृत्त सेवा नियमों में केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को उनके द्वारा ऑप्शन देने पर एब्जोर्ब करने का प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 29 जून, 1980 को राज्य गजेटियर विभाग के लिये श्रीमती पुष्पा सिंह को दिल्ली से दूरभाष पर स्क्रीनिंग के लिये बुलाया गया जबकि उनका ऑप्शन उनके पैतृक विभाग से प्राप्त ही नहीं हुआ था ?

(3) क्या श्री सुरेश कुमार अरोड़ा, व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, दौसा गत 10 वर्ष से गजेटियर्स विभाग में प्रतिनियुक्त हैं और उनके विरुद्ध काफी शिकायत हैं ? क्या यह भी सही है कि उन्होने नियम विरुद्ध गजेटियर्स विभाग में एब्जोर्वेशन हेतु ऑप्शन दिया है और उनके नाम पर स्क्रीनिंग कमेटी ने विचार कर उन्हें अयोग्य माना है ?

(4) क्या उनके हित में नियमों में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है ? सरकार विभाग के स्टाफ के हित में इन बाहरी व्यक्तियों के बारे में क्या निर्णय लेने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स सर्विस रूल्स, 1980 के नियम 5 (सी) के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों हेतु ऐसा प्रविधान है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। लगभग 9 वर्ष से कार्यरत हैं। उनके खिलाफ दो शिकायतें प्राप्त हुई जो कि निराधार थीं। उनका ऑप्शन नियमों के अन्तर्गत है।

(4) नियम के 6 (सी) में एजूकेशन सर्विस (कालीजिएट ब्रांच) लिखा है किन्तु 5 (सी) में एजूकेशन सर्विस के आगे कालीजिएट ब्रांच लिखना रह गया था, उसके संशोधन हेतु कार्यवाही की जा रही है।

समाज कल्याण विभाग में विभिन्न रिक्त पद

640. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, परीवीक्षा अधिकारी, कारागार कल्याण अधिकारी एवं अनुसंधाता के कितने पद, कितने कितने समय से रिक्त हैं और उन पर अब तक नियुक्तियां नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) उक्त पदों के लिए क्या क्या

Page No 190

(190)

(श्री यदुनाथ सिंह)
योग्यताएं निर्धारित हैं एवं नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है ?

(3) उक्त रिक्त पदों पर सरकार कब नियुक्तियां करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी, कारागार कल्याण अधिकारी, अनुसंधाता के रिक्त पदों की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है। सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों पर हाई कोर्ट का स्टे लगाये जाने के कारण नहीं की जा सकी है।

(2) निर्धारित योग्यता एवं नियुक्ति की प्रक्रिया की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) रिक्त पदों पर नियुक्तियां अथवा पदोन्नतियां नई नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध तथा पदोन्नतियों पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लगाये गये स्टे आर्डर की समाप्ति पर ही की जा सकेगी।

क्र०सं०	नाम पद	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त हैं
1.	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी	2	25-9-80
2.	परिवीक्षा अधिकारी	-	-
3.	कारागृह कल्याण अधिकारी	3	25-9-80 (एक पद पूर्व से रिक्त है)
4.	अनुसंधाता	3	जनवरी 1980 से

191

SCHEDULED

Rajasthan Social Welfare Subordinate Service Rules.

S. No.	Name of the post	Source of recruitment with percentage	alification for direct recruitment	Post from which appointment by promotion is to be made	Minimum experience qualification required for promotion.	Remarks.
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Publicity Officer/Research Officer/Area project Officer	100% by promotion.	Groups 'A' Atleast Second class M. A. in Anthropology/Sociology/ Social Work from a univer-sity established by law in India or an Institution recognised by Government with Post-Graduate Diploma (two years course) in Social Welfare/Social Work from a	Holder of posts at S. No. 2	5 Years experience on any post in Column. 5	

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			University established by law in India or an Institution recognised by Government.			
2.	Distt. Probation-cum-Social Welfare Officer/Asstt. Research Officer/4 Project Officer (Survey) Supdt. Rescue Home. After Care Home, (Sewa Sadan), Probation Home, Home for Aged & Infirm,	75% by Promotion 25% by direct recruitment	1. (a) Atleast Second Class M. A. in Sociology or Social work from a University established by law in India or an Institution recognised by Government,	Holder of posts in Group 'B'	5. Years' experience or any post in coulmn. 5.	
	Rehabilitation Centre, Obser — vation Centre, Children Home, for mentally retarded children/ women, Foundling Home/Spl. School/Distt. Children Officer. Begger Home.		(b) Atleast Second Class Graduatewith Diploma (with two years course) in Social Science/Social Welfare/ Correctional Administration from a University established			

1	2	3	4	5	6	7
			by law in India or an Institution racognised by Govt.			
1.	Probation officer (Classification)/ Probation Officer/Cultural Officer.		2. Degree in will be prererred.			
			Group 'B'			
1.	Social welfare Officer/Case Worker/ Probation & Prison Welfare Officer/ Asstt. Supdt. After Care Home/ Rescue Home, Mentally Retarded Home for Women, Beggers Home (Sewa Sandan), Distt. Shelter, Orphange (Bal & Balika Grah), Foundling Home/Reception Centre Hostel Supdts. (Grade–II Research Asstt./ Welfare Officer (Prisons).		1. (a) M. A. in Sociology Social work from a University established by law in India or Institution recognised by Government. 2. (b) Graduate from a (i) University established by law in India.: (ii) With post–gradate Diploma in Sociology/ Social or work Correctional Administration ;	Group (C) and (D) Investigators of Group 'E' appointed on regular basis and who are holding a post in Group 'B' or a higher post from a date not later than 30.9.1973.	5 Years' experience on any post in Col. No. 5	"Interse Seniority for promotion shall be arranged in the following order :— 1. Group 'C' 2. Group 'D' 3. Group 'E'

1	2	3	4	5	6	7
			or			
			With certificate (one year course) in Correctional Administration from a University established by law in India or an Institution recognised by Government.			
		Group 'C'				
1.	Field Social Worker Industrial Inspector/Investigator (Beggary survey)/Reception Centre, Social Case Worker (Probation Home) * Field Social worker.	50% by Promotion 50% by direct recruitment.	M. A. in Socioiogy/ Group (D) Social Work from a University established by law in India or an Institution recognised by Govt.	5 Years Experience on any post in Coulmn No. 5		

1.	2.	3.	4.	5	6	7
Note :—I Add·d vide notificatiou No. F. 1 (11) (1) SW/76 dt. 12-7-76 Notification dated 12-7-76 brought into force w. e. f. 31-1-76,				Z. Added/Inserted Vide notification no. F f. 1 (12) Spl. Cell/SW/76 dated 21, March, 1977		
			GROUP 'B'			
1.	Welfare Inspector/Nutrition Inspector Manager, Orphange/Social Worker, Orphange.	50% by Promotion 50% by direct recuritment.	Graduate in Arts/Science or Commerce from a University established by law in India.	Group (E)	3 Years experience on any post in column No. 5	
			GROUP 'E'			
1.	Investigator (Home/Investigator (Cell) Investigator Bhangi Kast Mukti)/Investigator (Beggar Home).	50% dy Promotion 50% by direct recruitment.	Graduate in Arts. Science or Commerce from a University established by law in India· Preference will be given to those having offered Sociology as one of the subject).	Holders of posts in Group (F)	5 Years experience on posts in column ·No 5	
			GROUP 'F'			
1.	Investigator (Distt. Shelter) /Beggar Home, Sewa Sadan, Mentally retarded Home for Women).	50% by Promotion 50% by direct recruitment.	1. Graduate from a University established by law in India. 2. Preference will be given to those having offered sociology as one of the subject.	Holders of posts in Group (G)	5 Years experience on any post mentioned in column No. 5	
			GROUP 'G'			
1.	Welfare Workers	100% by direct recruitment $12\frac{1}{2}\%$ will be reserved for for Class IV servants of Social Walfare Deptt.,	Higher Secondary or equivalent from a recognised Board.	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
2.	i) Hostel Supdt.	100% by direct recruitment.	Higher Secondary or equivalent from a recognised Board.	—	—	—
	ii) Teacher	100% by direct recruitment.	Secondary or equivalent from a recognised Board and trained in B.S.T.C.	—	—	—

By Order the Governor,
Sd/-
Secretary to Government.

Substituted vide Notification No. F. 1 (11) (1) SW/69 dt. 31-1-1976 published in Rajasthan Nazette Extra Ordinary dt. 3-2-1976.

ग्राम पंचायत बिहारीपुर के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करना

642. **श्री मालाराम (खेतड़ी) एवं**

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर की पंचायत समिति नीम का थाना के ग्राम गांवली में बिहारीपुर तक सड़क एवं खुर्रों व पंचायत घर का निर्माण किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत बिहारीपुर के सरपंच द्वारा स्वयं के ट्रेक्टर आदि से सारा सामान लाने का उपयोग किया है और अन्य बेरोजगार अकालग्रस्त ग्रामीण लोगों की उपेक्षा की है ?

(3) इस निर्माण कार्य में कुल कितना व्यय हुआ और कितना गेहूं दिया गया और किस प्रकार किस किस मद पर व्यय किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि बिहारीपुर के सरपंच ने लाखों रुपयों का घोटाला किया है जिसमें पंचायत समिति के विकास अधिकारी की भी सहमति थी ?

(5) क्या इस सम्बन्ध में कोई शिकायत पंचायत समिति में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो सरकार इन पर कब तक क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ! सीकर जिले की पंचायत समिति नीम का थाना के ग्राम पंचायत बिहारीपुर में जिलाधीश की सूचना के अनुसार गांवली से बिहारीपुर तक सड़क एवं 5 खुर व एक पंचायत घर का निर्माण किया गया है।

(2) जी हां ! जिलाधीश की सूचना के अनुसार सरपंच बिहारीपुर द्वारा निर्माण कार्यों के लिये सामान लाने का कार्य स्वयं के व अन्य के ट्रेक्टरों द्वारा किया गया है।

(3) जिलाधीश की सूचना के अनुसार इस निर्माण कार्य में कुल व्यय 1,74,951.62 हुआ तथा 1592 क्विन्टल 68 किलो 700 ग्राम गेहूं दिया गया ! यह व्यय काम के बदले अनाज योजना मद के अन्तर्गत किया गया !

(4) इस संबंध में जिला स्तर पर जांच की कार्यवाही की जा रही है ! जांच पूर्ण नहीं होने एवं राज्य सरकार को जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने तक यह नहीं कहा जा सकता कि सरपंच ने लाखों रुपयों का घोटाला किया है जिसमें पंचायत समिति के बी. डी. ओ. की भी सहमति थी।

(5) जी हां ! पंचायत समिति में इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है उसकी कार्यवाही चल रही है। जांच कार्यवाही जिला स्तर पर पूर्ण होने एवं सरपंच एवं अन्य के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने तक दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधीश को तार भेज कर शीघ्र जांच पूर्ण करा जांच प्रतिवेदन राज्य सरकार को भेजने हेतु कहा गया है !

मान सरोवर बांध की दीवार को ऊंचा करना

643. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाईमाधोपुर सब-डिवीजन में स्थित मानसरोवर बांध की दीवार को ऊंचा करने का सरकार का विचार था ? यदि हां, तो इसके लिये कितना पैसा सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया तथा किस सन् में ?

(2) मान सरोवर बांध की दीवार को ऊंचा करने का काम कब चालू हुआ तथा कब समाप्त हुआ तथा कितना पैसा खर्च हुआ ? बांध की दीवार के ऊंचा होने के पहले कितनी भूमि की पिलाई होती थी तथा बाद में कितनी भूमि की पिलाई होती है ?

(3) उक्त बांध की दीवार को ऊंचा करने हेतु क्या सामान किस किस अधिकारी द्वारा खरीदा गया ?

(4) क्या समस्त सामान काम में आ चुका है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन सा सामान कहां-कहां पर कब से पड़ा है ?

(5) सरकार उपरोक्त खरीद करने के कारणों की जांच करने का विचार रखती है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक तथा किसके द्वारा ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1971-72 में रु. 2.00 लाख, वर्ष 1972-73 में रु. 8 हजार वर्ष 1973-74 में पचास हजार तथा वर्ष 1980-81 मे रु. एक लाख उनसठ हजार का वित्तीय प्रावधान इसके लिए रखा गया था।

(2) दीवार को ऊचा करने का काम अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जी नहीं। खरीद किये हुए गेट्स में से 15 वर्तमान में बांध स्थल पर व 15 लिफ्टिंग अरेन्जमेन्ट्स सवाईमाधोपुर कार्यालय में पड़े हैं। शेष 5 गेट्स एवं लिफ्टिंग अरेन्जमेंट्स अन्य को स्थानान्तरण कर दिये गये हैं।

(5) जी हां। खरीद में अनियमितता के लिए जांच की जा रही है। आरोप-पत्र तैयार कर लिए गये हैं। तथा अग्रिम कार्यवाही चालू है।

Page No 199

(199)

सूची

बांध की दीवार को ऊंचा करने हेतु जो सामान खरीदा गया उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

सामान खरीदा गया	मात्रा	धनराशि	अधिकारी जिसके द्वारा सामान खरीदा
गेट्स 10"× 10"	20 नग	रु. 1,23,071·40	अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई वृत जयपुर
लिफ्टिंग अरेंजमेंट	20 नग	रु. 83,672.00	,,

Page No 200

(200)

जिला अजमेर में विद्युतीकृत ट्यूबवेल्स

644. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला जैसलमेर में कितने ट्यूब वेल्स का विद्युतीकरण हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि जिन जल प्रदाय योजनाओं पर बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है वहां से विद्युतीकरण के पश्चात् डीजल जनरेटिंग सैट्स हटा लिये गये हैं ?

(3) क्या इस कारण ग्राम जनता एवं पशुधन को पीने के पानी की घोर कठिनाई उठानी पड़ती है चूंकि कई बार 3-4 दिन तक निरन्तर बिजली उपलब्ध नहीं होती ?

(4) क्या व्याप्त विद्युत संकट की दृष्टि में सरकार नीति के बतौर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में डीजल जनरेटिंग सैट्स की व्यवस्था चालू रखने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) अब तक जिले में जल प्रदाय से से सम्बन्धित 26 नलकूपों का विद्युतीकरण हो चुका है।

(2) जी हां। जहां विद्युतीकरण हुए छः माह से अधिक समय हो गया है वहां लगभग सभी जगह से डीजल जनरेटिंग सैट्स हटा लिये गये हैं।

(3) जी नहीं। कुछ समय के लिए प्रायः सभी जगह विद्युत रोजाना उपलब्ध हो रही है।

(4) वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जनरेटिंग सैट्स लगाये रखने की व्यवस्था सीमित वित्तीय साधनों को देखते हुए संभव नहीं है।

पचपदरा-थोब-आगोलाई सड़क का डामरीकरण

645. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पचपदरा पाटोदी डामर सड़क का पूर्ण निर्माण होने के बावजूद सरकार ने 14 लाख रुपये पचपदरा पाटोदी डामर सड़क बनाने हेतु पुनः स्वीकृत किये ? यदि हां, तो इस रकम का क्या किया तथा इसमें अभी तक संशोधन क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या सरकार इस 14 लाख रुपये की राशि को पचपदरा तहसील की सन् 1942 में बनी ग्रेवल सड़क पचपदरा थोब-आगोलाई पर डामर सड़क बनाने में लगाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

इस रकम का अभी उपयोग नहीं किया गया है तथा इस स्वीकृति को संशोधित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(2) पचपदरा से थोब सड़क का कार्य दुग्ध मार्गों के अन्तर्गत 22.50 लाख की लागत से स्वीकृत हो चुका है। अभी आगोलाई तक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उदयपुर नगर विकास न्यास का आय-व्यय

646. **श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)** : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1980-81 का उदयपुर नगर विकास न्यास का वार्षिक बजट कितने का बना एवं इसमें से कितना खर्च किया जा चुका है ?

(2) उदयपुर नगर विकास न्यास से अधिक का बजट राज्य में किन-किन नगर विकास न्यासों का है ? कृपया सूची मय बजट राशि के सदन के पटल पर रखें।

(3) राज्य के किन-किन नगर विकास न्यासों में अधिशासी अभियन्ता के पद रिक्त हैं एवं कब से ?

(4) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर विकास न्यास में अधिशासी अभियन्ता का पद दबाव के कारण नहीं भरा गया ? यदि नहीं, तो क्या इतने लम्बे समय से पद के रिक्त रहने के कारण विकास की गति अवरुद्ध नहीं हुई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 का उदयपुर नगर विकास न्यास का वार्षिक बजट रु० 80 लाख का बनाया गया है और दिनांक 15/2/81 तक 30.88 रु० लाख खर्च किया गया है।

(2) उदयपुर नगर विकास न्यास से अधिक का बजट जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा अलवर के नगर विकास न्यासों का है। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) नगर विकास न्यास कोटा में 20/3/81 से और नगर विकास न्यास उदयपुर में दिनांक 23/4/80 से अधिशासी अभियन्ता का पद रिक्त है।

(4) जी नहीं।

सूची

बीकानेर	204.24
कोटा	168.30
जोधपुर	180.88
अलवर	175.43
उदयपुर	080.05
अजमेर	075.23
जयपुर	407.28

ग्राम चिड़ावा की वृद्धावस्था पेन्शन की बकाया

647. **श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1980 में ग्राम चिड़ावा, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू में कितने लोगों की वृद्धावस्था पेन्शन बकाया है और किन कारणों से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि श्रीमती जमना बेवा गोकुल नायक (हरिजन) को गत वर्ष सात माह की वृद्धावस्था पेन्शन का भुगतान नहीं किया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 में चिड़ावा तहसील जिला झुन्झुनू में केवल एक ही व्यक्ति की वृद्धावस्था पेन्शन का भुगतान शेष है। जिन्हें माह अप्रैल 80, की पेन्शन का मनीआर्डर भेजा गया था जो पेन्शनर के घर पर नहीं मिलने से वापस लौट आया।

(2) जी हां। श्रीमती जमना बेवा गोकुल नायक के विषय में शिकायत प्राप्त होने पर पेन्शन रोक दी गई थी किन्तु दिनांक 20-12-80 को पुनः आदेश प्रसारित कर रोकी गई पेन्शन का भुगतान कर दिया गया और अब नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। 8 .701

तहसील पिंडवाडा की लघु सिंचाई योजनायें

648. **श्री भूराराम (पिंडवाडा)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सिरोही जिलान्तर्गत तहसील पिंडवाड़ा में निम्न लघु सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य किया गया था ?

1. आरासना (नांदिया)

2. ढंडी बेरी

3. लौटाना का नावना

(2) यदि हां, तो कब-कब तथा सर्वेक्षण पर कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त परियोजनाओं का निर्माण कार्य सरकार के विचाराधीन है ? इनकी अनुमानित लागत क्या है तथा कितनी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी ? सरकार कब तक इस परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की इच्छा रखती है ?

(3) यदि नहीं, तो क्यों ? ऐसी परिस्थिति में सर्वेक्षण पर बार-बार अनावश्यक व्यय क्यों किया जा रहा है ?

(4) इन परियोजनाओं पर वर्ष 1981-82 में कुल कितनी राशि के व्यय का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 203

करवाड़ा बांध (रानीवाड़ा) की मरम्मत कराना

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।–

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के करवाड़ा नामक गांव में सिचाई हेतु बांध का निर्माण कार्य करवाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध अतिवृष्टि के कारण तीन साल पूर्व टूट गया था जिसे आज दिन तक भी ठीक नहीं करवाया गया है ?

(3) करवाड़ा बांध की मरम्मत करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या उक्त बांध की मरम्मत योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितनी लागत से कब कार्य शुरू करवाया जाकर कब तक पूर्ण होगा ?

उत्तर

(1) यह एक छोटा गांव का तालाब है जिसकी मरम्मत का कार्य वर्ष 1979–80 के अकाल सहायता कार्य के रूप में प्रारम्भ किया गया । अकाल सहायता कार्य बन्द हो जाने के कारण यह कार्य अधूरा रह गया ।

(2) जी हां । वर्ष 1976 में अतिवृष्टि के कारण यह बांध क्षतिग्रस्त हो गया था एवं अभी तक इसकी मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं करवाया गया है।

(3) इस बांध की मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने का कारण लाभ लागत अनुपात निर्धारित मापदण्डों से कम है ।

(4) यह कार्य संवत 2038 के अकाल सहायता कार्यों में विचाराधीन है । इस बांध के पुनः निर्माण की अनुमानित लागत रु० 5.61 लाख है । कार्य की स्वीकृति के पश्चात् ही यह बताना संभव होगा कि कार्य कब पूर्ण होगा ।

ठेकेदारों से किये जाने वाले संविद प्रावधान में संशोधन

650. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य अभियन्ता (सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ) ने ठेकेदारों के संविद प्रावधान में संशोधन किये हैं ? यदि हां, तो कृपया संविद की प्रति सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त संविद से लाखों रुपयों का फायदा केवल बड़े ठेकेदारों को होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । परन्तु राज्य सरकार ने विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत राजस्थान नहर स्टेज-1 फेज-1 एवं चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों के लिए जिनकी कि कार्य समाप्ति अवधि 12 माह से अधिक है उसके लिए अपनी पत्र संख्या सी-19(ए)

Page No 204

(204)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
डी-217/एस-2/76 दिनांक 15-7-76 के द्वारा संशोधन निकाला है। प्रतिलिपि सदन के पटल पर प्रस्तुत है। इसके अलावा विश्व बैंक परियोजना के राजस्थान नहर स्टेज-I पेज-II के कार्यों के लिए विश्व बैंक द्वारा बताये संविद को काम में लाया जा रहा है। प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) ऐसा नहीं है, चूंकि उपरोक्त संशोधन विश्व बैंक के बड़े व छोटे कार्यों बड़े व छोटे ठेकेदारोंकेलिए है।

(संविद प्रतिलिपि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

From :

The Addl. Secy. to Government,
Public Works Department,
Rajasthan, Jaipur :

To

The Chief Engineer,
Public Works Department,
Rajasthan, Jaipur

No. C. 19 (A)/D. 217/S. II/76 Dated 15th July, 1976.

Sub : Inclusion of escalation clause as a special condition in the tender documents.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor for inclusion of escalation clause as a special condition in the tender documents in respect of Rajasthan Canal Project and Chambal Command Area Works (World Bank). The clause as follows shall be inserted only in respect of contracts exceeding 12 months period :

Escalation Clause

(Escalation should be linked with the whole sale and/or Retail price Index as published by Reserve Bank of India for Jaipur).

The compensation for rise in prices will be given to the contractors according to the following formula.

(a) No escalation/de-escalation will be calculated for ± 5% rise or fall.

(b) The figures will be taken for Jaipur as published by Reserve Bank of India.

$$V = \frac{60}{100} \quad H \quad \frac{1-10}{10}$$

Where :—V = Compensation payable in Rupees as extra.

R = Value of work done during month under consideration.

208

1 = All India Consumer Price Index Number for industrial worker in month under consideration.

10 = All India Consumer Price Index Number for Industrial worker on the date of opening of tender.

The figures given in Indian Labour Journal will apply for this formula and payment will be done monthly.

This issues with the concurrence of Finance Deptt. vide their I. D. No. 1693/FC/76 dated 12-7-76

Copy forwarded to the :— Sd/ADDL. SECY. To Govt.

1. Comr. & Secy. to Govt. CAD & Deptt. Rajasthan, Jaipur.
2. Area Dev. Comr. RCP Bikaner/Chambal Command Area, Kota.
3. Supdtg. Engineer, PWD/B&R/RCP Circle, Bikaner Kota.

For information and necessary action.

Sd/ADDL. SECY.To GOVT.

Government of Rajasthan
Public Works Department

From :

The Addl. Secy. to Government,
Public Works Department,
Rajasthan, Jaipur

To

The Chief Engineer,
Public works Department,
Rajasthan, Jaipur

No. F. 2 (223) PW/AS/80. Dated 25th Oct., 1980

Sub:- Inclusion of Escalation Clause as a special condition in the tender documents.

Sir,

In supersession to this department letter No. F. C-1, 19(A)/Sec. II/76 dated 15.7.1976 I am directed to convey sanction of the Governor for inclusion of revised Escalation Clause as a special condition in the tender documents in respect of Rajasthan Canal Project and Chambal Command Area Works(World Bank assisted). The clause as follows shall be inserted only in respect of contracts exceeding 12 months period:—

Escalation Clause:

(Escalation should be linked with the Consumer Price Index Number for Industrial workers for Jaipur appearing in Indian Labour Journal).

The Escalation/de-escalation will be payable to/recoverable from the Contractors according to the following formula:-

(a) No escalation/de-escalation will be calculated for ± 5% rise or fall.

(b) The figures will be taken for Jaipur as published in the Indian Labour Journal.

Formula:— $V = \frac{60}{100} \times R \frac{(I - Io)}{}$

208

where:- V = Compensation payable in Rupees as extra.

R = Value of work done during month under consideration (exclusive of the cost of material & hire charges of T&P supplied by the department at rates specified in the contract).

I = Consumer Price Index(Number) for Industrial Worker in month under consideration.

Io = Consumer Price Index (Number) for Industrial Worker for Jaipur on the date of opening of tender.

NOTE:-(1) Payment will be due monthly after receipt of Price Index.

(2) When some of the materials T&P etc. are issued by the department at rates specified in the contract no price adjustment will be permissible on the cost of such materials and hire charges.

(3) All the cost indices in the Price adjustment formula shall freeze on the last day of the contract. However, if the contractor is not at fault price adjustment will be made up to the extended period.

This issues with the concurrence of State Finance Department vide their ID No. 1879 (FD. Exp. III) dated 7-7-1980.

Your faithfully,

(K.K. SARIN)
ADDL. SECY. TO GOVT. P.W.D.

Copy forwarded to the following :—

1. Secy. to Govt. Agriculture (CAD & WU) Deptt. Rajasthan Jaipur.

2. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.

3. Dy. Secy. to Govt. Finance (Exp. III) Deptt. Rajasthan, Jaipur.

4. Dy. Secy. to Govt. Agriculture (CAD & WU Gr-10) Deptt. Raj., Jaipur,

5. Area Development Commissioner, RCP, Bikaner.

6. Area Development Commissioner, Chambal Command, Kota.

(L.N. Maheshwari)
Dy. SECY. To Government PWD

No. F. 2 (Gen–16) Sec. II/80. Dated 25-10-1980.

Copy forwarded to the following for information in continuation of this office endorsement No. F. C–19 (A) D–217 /Sec. II/76 dated 17-7-1976 —

1. Superintending Engineer, PWD(B&R) RCP Circle, Bikaner.
2. Superintending Engineer, PWD(B&R) Circle, Sriganganagar.
3. Superindenting Engineer, PWD(B&R) Circle, Kota.
4. Executive Engineer, PWD(B&R) RCP Works Dn. Bikaner Suratgarh/Anupgarh/Hanumangarh.
5. Executive Engineer, PWD(B&R) Chambal command Road Works Dn. I/II, Kota.
6. P.A. to C.F./Steno to ACE (R)/ACE(B)/C.A.O./S.E. (P&M)/T.A. (R)/E.E. (P&M)/A.A./G.S.II/III/Budget Clerk/ Compilation clerk, C E. 'S office, PWD. Rajasthan, Jaipur.

(M. C. JAIN)
ADMINISTRATIVE ASSISTANT

नगर परिषद् सीकर में कनिष्ठ लिपिक पदोन्नत

651. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् सीकर द्वारा अपने आदेश संख्या 84 दिनांक 31 अगस्त, 1967 द्वारा परिषद् के कुछ कर्मचारियों को दिनांक 1 सितम्बर, 1967 से कनिष्ठ लिपिक पदों पर पदोन्नति दी गई ? कृपया उनके नाम सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि एक कर्मचारी को छोड़ कर सभी कर्मचारियों की पदोन्नति की पुष्टि पदोन्नति मण्डल से हो गई ? क्या यह भी सही है कि जिस कर्मचारी की पदोन्नति की मण्डल से पुष्टि नहीं हुई उस कर्मचारी की पत्रावली में से चार महत्वपूर्ण पत्र गायब करने, वर्ष 1961 से ही कनिष्ठ लिपिक मानकर, 15 वर्ष का एरियर एक ही दिन में भुगतान कर दिया गया तथा साथ ही वरिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति भी दी गई ?

(3) पत्रावली गायब करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति पर इसका क्या असर पड़ा ? कृपया कनिष्ठ लिपिकों की वरीयता सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । आदेश संख्या 84 दिनांक 21-8-67 द्वारा पदोन्नति दी गई थी । नामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । पदोन्नति मण्डल ने श्री इकबाल हुसेन व श्री सलीमुद्दीन को पदोन्नति की पुष्टि कर दी तथा श्री उस्मान गनी की पदोन्नति की पुष्टि नहीं हुई, परन्तु उक्त पदोन्नति की पुष्टि नहीं होने वाले कर्मचारी की पत्रावली से कोई कागज गायब नहीं है एवम् उन्हें एरियर का भुगतान भी नहीं किया गया है, न ही वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति ही दी गई है ।

(3) प्रश्न के भाग (2) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । अभी तक कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

कर्मचारियों की सूची जिन्हें दिनांक 1-9-67 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद जिस पर 1-9-67 से पूर्व कार्यरत थे	पद जिस पर पदोन्नत किया गया
1.	श्री सलीमुद्दीन	सब नाकेदार	कनिष्ठ लिपिक
2.	श्री इकबाल हुसैन	नाकेदार	कनिष्ठ लिपिक
3.	श्री उस्मान गनी	सब नाकेदार	कनिष्ठ लिपिक

कानोता ढूंढ नदी पर बांध निर्माण

652. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की पेयजल समस्या के निवारण एवं बस्सी तहसील के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कानोता-ढूंढ नदी पर बांध बनाये जाने की योजना लम्बी अवधि से विचाराधीन है ? यदि हां, तो कानोता प्रोजेक्ट का सर्वेक्षण कब प्रारम्भ हुआ और इस सन्दर्भ में अब तक क्या प्रगति रही ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बांध के बनने से बस्सी तहसील में सिंचाई कुओं में जो निरन्तर पानी का स्तर गिरता जा रहा है वह रुकेगा और कुओं में पानी का स्तर ऊंचा आने से किसानों को लाभ मिलेगा ?

(3) इस महत्वपूर्ण व जन उपयोगी बंध का निर्माण कब शुरू किया जायगा ?

उत्तर

(1) बस्सी तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कानोता बांध का सर्वेक्षण कार्य 1969 में प्रारम्भ किया गया था जिसके आकलन की स्वीकृति योजना आयोग के पत्रांक द्वितीय 2(13)/77 सिंचाई तथा नि० दो दिनांक 17-1-78 के द्वारा प्राप्त हो चुकी है। अब यह योजना जलदाय विभाग के विचाराधीन है।

(2) जी हां, इस बांध के निर्माण से बस्सी तहसील के कुओं में पानी का स्तर ऊंचा उठने की सम्भावना है, जिससे किसानों को लाभ हो सकेगा।

(3) इस विषय पर जलदाय विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है।

केलसाइट एवं वूलस्टोनाइट खनिज पर रायल्टी

653. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सिरोही में केलसाइट एवं वूलस्टोनाइट खनिज की लीज मैसर्स वोलकम प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो यह कब स्वीकृत की गयी और कितने वर्ष के लिये की गयी है ?

(2) केलसाइट एवं वूलस्टोनाइट खनिज पर वर्तमान में रायल्टी किस आधार पर कितनी ली जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि यह रॉयल्टी दर बहुत कम होने से रायल्टी बढ़ाने की

(श्री महावीर प्रसाद जैन)
कार्यवाही चली थी और उस कार्यवाही में विभाग द्वारा रायल्टी 400 रुपये प्रति टन के भाव से वसूल करने की सिफारिश की गयी थी ? यदि हां, तो यह कब की गयी थी और उसमें वसूली की कार्यवाही आगे क्यों नही हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि यह खनिज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 500 रु. प्रति टन बिकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तुरन्त इस दर से रायल्टी निर्धारण का निर्णय लेगी और राज्य कोष को लाखों रुपयों की हानि से बचायेगी ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में केल्साइट एवं वूलास्टोनाइट खनिज का पट्टा मूलतः श्री एच. वी. आर. चौधरी को निदेशालय के आदेश दिनांक 20/5/64 से स्वीकृत किया गया था। इस पट्टे का पंजीयन दिनांक 21-12-68 को किया गया। पट्टे की अवधि 20 वर्ष है। बाद में खनन पट्टे को शासन के आदेश दिनांक 20-9-73 से मैसर्स. वोलकेम प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में हस्तान्तरित किया गया है।

(2) वर्तमान में एम. एम. आर. डी. एक्ट 1957 की अनुसूची के अनुसार केल्साइट खनिज पर रुपये 3/– प्रति टन की दर से रायल्टी वसूल की जा रही है। वोलोस्टोनाइट खनिज के लिए अनुसूची में विशिष्ट रूप से अलग दर नहीं दी है, इसलिए अनुसूची के क्रमांक 43 पर अन्य खनिजों की श्रेणी में माना जाकर पिट माउथ सेल वेल्यू के 10% की दर से रायल्टी वसूल की जा रही है।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह खनिज 500/–रु. प्रति टन की दर से बिकता है क्योंकि इसके भाव समय समय बदलते रहते हैं। पिछले पांच सालों के औसतन भाव जो बम्बई बन्दरगाह पर प्राप्त किये थे, वह निम्न प्रकार हैं :—

1976	522·58	रु. प्रति टन
1977	547·88	,, ,,
1978	544·84	,, ,,
1979	559·41	,, ,,
1980	543·71	,, ,,

जिस दर से निर्यात किया जाता है उस पर वर्तमान में नियमों के अन्तर्गत रायल्टी नहीं आंकी जा सकती है तथा निर्यात की दर में से इस खनिज को प्रोसिस किये जाने तथा खान से उठा ले जाने एवं बन्दरगाह तक पहुंचाने तक जो भी खर्चा है उसको काटने के पश्चात् जो पिट सेल वेल्यू है उसके आधार पर 10% की दर से रायल्टी ली जाती है। जहां तक निर्यात की दर पर रायल्टी की गणना का प्रश्न है नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है। अतः वर्तमान नियमों के अन्तर्गत कोई हानि नहीं हो रही है।

भीलवाड़ा नगर में बने अनधिकृत भवनों का नियमन

664. श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भीलवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र में अनधिकृत मकान बने हुए हैं ?

(श्री देवेन्द्रसिंह)

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इनका नियमन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) दिनांक 21-8-71 से पूर्व के कब्जों को भूखण्डों को नियमन करने की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्व अपीलेट अधिकारी के न्यायालय

665. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में राजस्व अपीलेट अधिकारी के न्यायालय कहां कहां पर किस किस जिले के लिए हैं ?

(2) क्या सरकार जिला सीकर व झुंझुनू के लिये अलग से राजस्व अपीलेट अधिकारी का न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्व अपीलेट अधिकारी के न्यायालय जहां जहां स्थापित हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। जिला सीकर व झुंझुनू के लिए अलग से राजस्व अपीलेट अधिकारी का न्यायालय स्थापित करने का कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

214

राज्य में अपीलेट अधिकारी के मुख्यालय व कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार स्थापित हैं :—

क्र० स०	नाम अधिकारी	मुख्यालय	कार्य क्षेत्र
1.	राजस्व अपीलेट अधिकारी, अलवर	अलवर	जिला अलवर
2.	राजस्व अपीलेट अधिकारी, उदयपुर	उदयपुर	जिला उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़
3.	राजस्व अपीलेट अधिकारी, कोटा	कोटा	जिला कोटा, बूंदी, झालावाड़
4.	राजस्व अपीलेट अधिकारी जयपुर	जयपुर	जिला जयपुर, टोंक, सीकर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर
5.	राजस्व अपीलेट अधिकारी, अजमेर	अजमेर	जिला अजमेर, नागौर, पाली, सिरोही
6.	राजस्व अपीलेट अधिकारी, जोधपुर	जोधपुर	जिला जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर।
7.	राजस्व अपीलेट अधिकारी, भरतपुर	भरतपुर	जिला भरतपुर
8.	राजस्व अपीलेट अधिकारी, बीकानेर	बीकानेर	जिला बीकानेर, चूरू, गंगानगर।

Page No 215

215

ग्राम रानीपुरा और दूधल्या में पेयजल उपलब्ध कराना

656 **श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मनोहर थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-रानीपुरा और दूधल्या में सदैव से ही पीने के पानी का अभाव है ? क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों ग्रामों के ग्राम वासियों को एक किलोमीटर दूरी से पीने का पानी लाना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों ग्रामों के ग्रामवासियों को पीने के पानी की सुविधा दिलाई जाने हेतु ल्हास ग्राम की नल योजना को बड़ा रूप दिया जाकर पाइप लाइन द्वारा पानी दिये जाने की योजना का झालावाड़ जिला सलाहकार समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रस्ताव पर सम्बन्धित विभाग में निर्णय विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों के पीने के पानी की कठिनाइयों के निराकरण हेतु सरकार क्या विचार रखती है और जल संकट को कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा किये प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम रानीपुरा समस्या-ग्रस्त ग्रामों की श्रेणी में सम्मिलित हैं व ग्राम दूधल्या समस्या रहित ग्रामों की श्रेणी में सम्मिलित हैं ।

(2) जी हां ।

(3) ग्राम रानीपुरा हेतु हैण्डपम्प योजना स्वीकृत की जा चुकी है व हैण्ड पम्प विफल हो जाने के कारण ग्राम रानीपुरा में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है । ग्राम दूधल्या हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही हैं । राज्य सरकार सभी समस्याग्रस्त ग्रामों की छठी पंचवर्षीय योजना में पेयजल व्यवस्था कराने का लक्ष्य रखती है ।

जिला बीकानेर में वृक्षारोपण कार्य

657. **श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर में वन विभाग द्वारा गत वर्ष 1980-81 में कितने पेड़ लगाये गये ? उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई ? वृक्षारोपण किये जाने के बाद कितने वृक्ष अभी तक जिंदा हैं ?

(2) जिला बीकानेर में चालू सत्र में कितने वृक्ष लगाये जायेंगे ?

(3) बीकानेर, चूरू, गंगानगर में वृक्षारोपण हेतु कितनी राशि का प्रावधान गत वर्ष था एवं उसमें से कितना उपयोग में आया ? बचत के क्या कारण रहे ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वन विभाग, द्वारा वर्ष 1980-81 में माह जनवरी तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्न प्रकार पौधारोपण किया जा चुका है ।

(अ) विभाग द्वारा किया गया वृक्षारोपण । 35.96 लाख

(ब) किसानों एवं अन्य संस्थाओं को

(वनमंत्री)

वितरित किये गये पौधों द्वारा वृक्षारोपण। 4.80 लाख

योग:— 40.76 लाख

उक्त 40.76 लाख पौधारोपण के लिए माह जनवरी, 81 तक निम्न प्रकार व्यय हो चुका है :—

(अ) विभाग द्वारा किया गया 35.96 वृक्षारोपण पर व्यय 121.21 लाख रु.

(ब) किसानों एवम् अन्य संस्थाओं को वितरित किए गए 4.80 लाख पौधों द्वारा किये गए वृक्षारोपण पर व्यय 3.12 लाख रुपया

योग:— 124.33 लाख रुपया।

(2) बीकानेर जिले में विभाग द्वारा लगाये गये 35.96 लाख पौधों में से 27.58 लाख पौधे जीवित हैं जो लगाये गये पौधों का 76.70 प्रतिशत है।

चालू सत्र 1980-81 में बीकानेर जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्न प्रकार पौधारोपण किये जाने के लक्ष्य हैं :

(अ) विभाग द्वारा किया जाने वाला वृक्षारोपण 34.75 लाख

(ब) किसानों एवम् अन्य संस्थाओं को वितरित किये जाने वाले पौधों द्वारा वृक्षारोपण 7.50 लाख

योग :— 42.25 लाख

वर्ष 1979-80 में बीकानेर, चूरू तथा गंगानगर जिलों में वृक्षारोपण हेतु निम्नानुसार, राशि का प्रावधान एवम् उपयोग रहा :—

जिला	बजट प्रावधान लाख रु. में	व्यय लाख रु. में	बचत लाख रु. में
बीकानेर	159.75	153.11	6.64
गंगानगर	150.78	140.57	10.21
चूरू	31.94	17.92	14.02
योग :—	342.47	311.60	30.87

बचत रहने का कारण मुख्यतः सामान उपलब्ध नहीं होना है। मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रावधानों में बचत के उपभोग हेतु मार्च, 81 तक की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अतः इसका उपयोग कर लिये जाने की सम्भावना है।

जमुवा रामगढ़ क्षेत्र में खनिज पर आधारित उद्योग स्थापित करना

658 **श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा-रामगढ़)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जमुवारामगढ़ क्षेत्र में लाइम-स्टोन, डोलोमाइट, सिलीका सोप-स्टोन आदि के प्रचुर भंडार की दृष्टि से क्या सरकार का वहां इन खनिजों पर आधारित कोई सार्वजनिक उद्योग स्थपित करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक कहां कहां पर ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। जमुवा रामगढ़ क्षेत्र में लाइम स्टोन में उपलब्ध लाईम स्टोन व डोलोमाइट आदि की मात्रा किसी बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित होने के लिये उपयुक्त नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ग्रामों के चयन का आधार

659. श्री घनश्याम (बेगू) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गांवों के चयन का आधार क्या है ?

(2) जिला चितौड़गढ़ की पंचायत समिति बेगू के कितने गांवों का इस योजना के तहत चयन किया गया है एवं शेष चयन कब तक किये जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में गांवों का चयन निम्न आधारों पर निर्भर करता है :—

1. क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु उपयुक्त भूजल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि ।
2. विद्यमान एवं प्रस्तावित उच्च तथा उपप्रसारण प्रणाली की क्षमता ।
3. निर्धारित मान दण्डों के आधार पर योजना की साध्यता ।

(2) पंचायत समिति बेगू की एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत स्वीकृत की गई थी, जिसमें 101 ग्राम सम्मिलित हैं । योजना में सम्मिलित सभी ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । शेष ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु चयन करने के बारे में इस क्षेत्र में विद्यमान उच्च एव उपप्रसारण लाइनें सक्षम नहीं होने के कारण अभी कुछ भी कहना सम्भव नहीं है ।

माही जल के बंटवारा सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय विवाद

660. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माही जल के बंटवारे के मामले में मुख्य मंत्री जी ने गुजरात के मुख्य मंत्री जी से बातचीत की है ? यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष रहे ?

(2) अब तक कितनी बार गुजरात के साथ राजस्थान की वार्ताएं हो चुकी हैं ? वार्ता में क्या-क्या मुद्दे उठाये गये व क्या कठिनाइयां हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने माही जल के सम्बन्ध में जो 1966 में समझौता हुआ था उसको शीघ्र क्रियान्वित कराने हेतु गुजरात के मुख्य मंत्री से, केन्द्रीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री के द्वारा बुलाई गई बैठक में दिनांक 24-12-80 को बात चीत की है ।

उपरोक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों राज्य अपने केसेज बनाकर अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के पास भेज देंगे । तदुपरान्त दोनों मुख्य अभियन्ता अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष मतभेदों के मुद्दे तय करेंगे । इसके पश्चात दोनों मुख्य मंत्रियों की मीटिंग केन्द्रीय मंत्री बुलायेंगे, तथा मामले को सुलझायेंगे ।

(2) अब तक माही जल के सम्बन्ध में गुजरात के साथ राजस्थान की मंत्री स्तर

(सिंचाई मंत्री) :

पर दो बार वार्ताएं हो चुकी हैं। प्रथम वार्ता राजस्थान के सिंचाई मंत्री की गुजरात के कृषि मंत्री के साथ अहमदाबाद में हुई थी एवं दूसरी वार्ता राजस्थान के मुख्य मंत्री के साथ, केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा दिनांक 24-12-80 को बुलाई गई बैठक में हुई थी। इन वार्ताओं का मुख्य मुद्दा राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र के लिये 1966 के समझौते को क्रियान्वयन करने हेतु माही जल प्राप्त कराने के सम्बन्ध में था।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 25 मार्च, 1981)

तहसील लूनकरणसर उपनिवेशन क्षेत्र में आवंटित कृषि भूमि

482. **श्री मालूराम लेघा (लूणकरणसर) :** क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपायुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर ने लूणकरणसर उपनिवेशन तहसील के सैंकड़ों काश्तकारों को आवंटित कृषि भूमि को, बकाया किश्तों की वसूली नहीं होने के कारण गत वर्ष खारिज कर दी है ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष नहरों में पानी के अभाव एवं लिफ्ट क्षेत्र में पानी बिजली दोनों के अभाव के कारण वर्ष भर किसान को समय पर पानी उपलब्ध नहीं होने से वह अपनी फसल नहीं ले सके– इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त अधिकारी ने संबंधित काश्तकारों की कृषि भूमि खारिज करने से पूर्व क्या उपरोक्त तथ्य सरकार के ध्यान में ला दिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त काश्तकार जिनकी भूमि की किश्तें चुकाने के अभाव में खारिज की गई हैं वे भूमिहीन एवं कमजोर आर्थिक वर्गों से हैं तथा वे अपनी कृषि भूमि की बहाली के लिये अपील आदि में होने वाले खर्चे को वहन करने की स्थिति में भी नहीं हैं ?

(4) क्या सरकार उपरोक्त श्रेणी के काश्तकारों की बकाया किश्तें चुकाने हेतु एक माह की मोहलत देने का विचार रखती है, ताकि इन काश्तकारों को आन्दोलन की राह नहीं लेनी पड़े ?

(5) क्या यह सही है कि सरकार ने पिछले वर्ष एवं इस वर्ष नहरों में पूरा व समय पर पानी न मिल पा सकने की हालत मद्देनजर रखते हुए बकाया किश्तों की वसूली में राहत देने हेतु 3 दिसम्बर, 1980 व 8 दिसम्बर, 1980 को उपनिवेशन आयुक्त बीकानेर को आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेशों के पालन में उक्त विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत वर्ष केवल 76 काश्तकारों का भू-आवंटन बकाया किश्तों की वसूली नहीं होने के कारण खारिज किया गया था।

(2) पानी के अभाव की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने किश्तों की अदायगी में सहूलियत से दी हैं। जिनके किश्तों की वसूली नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त किये गये थे उन्हें भी दिनांक 31-3-81 तक भुगतान करने की छूट दे दी गई है।

(4) किश्तें चुकाने की अवधि 31-3-81 तक बढ़ायी जा चुकी है।

(5) जी हां। इन आदेशों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 639 की सूची

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, बगरु (राज०)

सूचना-पत्र

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 203 के अन्तर्गत)

क्रमांक 206

पत्रावली संख्या.............................. दिनांक 11–11–80

विरुद्ध

श्री नारायण........................पुत्र बीज्या..............जाति रेगर

मोहल्ला वार्ड रेगरान्......................... रास्ता..................................

प्लाट संख्या.................................निवासी बगरू कलां ....

आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपने इस नगरपालिका क्षेत्र में निम्न विवरण की राजकीय/नजूल नगरपालिका भूमि पर :—

(1) अतिक्रमण कर लिया है.

(2) अतिक्रमण कर अनधिकृत निर्माण प्रारम्भ कर दिया है/कर लिया है।

अतिक्रमित भूमि का विवरण :—

पूर्व

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

अतिक्रमित भूमि की नाप..

....

अनाधिकृत निर्माण का विवरण—नगरपालिका के बिना इजाजत आपने पालिका भूमि पर निर्माण किया है, और कब्जा भी किया है अतः आप शीघ्र ही कार्य को रोक देवे तथा अतिक्रमण जमीन खाली करें, तथा कार्यालय को सूचित करें।

आप की उपरोक्त कार्यवाही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38), को धारा 203/170 के अन्तर्गत अपराध है।

(220)

अतः आपको इस सूचना पत्र के द्वारा आदेश/निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस सूचना पत्र की प्राप्ति से 24 घण्टे में उक्त अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटा दें व उस पर किये गये निर्माण को विध्वंस करवा लें अन्यथा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 203/170 सपठित धारा 250, 251 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरपालिका मण्डल द्वारा उक्त वर्णित अतिक्रमण हटा दिया जायेगा/निर्माण को विध्वंस कर दिया जायेगा एवं एतदर्थ मण्डल को जो भी हानि/व्यय होगी उसके लिये आप उत्तरदायी होंगे एवं आपसे वसूली योग्य होगा।

सत्य–प्रतिलिपि

S.d

श्री महेन्द्रसिंह

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका बगरू (राज०)

मोहर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल बगरू (राज०)

सूचना-पत्र

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 203 के अन्तर्गत)

क्रमांक 211

पत्रावली संख्या.......................... दिनांक 13-11-80

विरुद्ध

श्री किशना .... पुत्र बीज्या .... जाति रेगर

मोहल्ला वार्ड रेगरान् .... रास्ता ....

प्लाट संख्या .... निवासी बगरु कलां ....

आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपने इस नगरपालिका क्षेत्र में निम्न विवरण की राजकीय/नजूल नगरपालिका भूमि पर :—

(1) अतिक्रमण कर लिया है,

(2) अतिक्रमण कर अनधिकृत निर्माण प्रारम्भ कर दिया है/कर लिया है।

अतिक्रमित भूमि का विवरण :—

पूर्व

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

अतिक्रमित भूमि की नाप—नगरपालिका के बिना इजाजत आपने भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है उसे तुरन्त हटा देवें और बिना इजाजत ही अनाधिकृत निर्माण किया है उसे तुरन्त बन्द कर देवें एवं कार्यालय को सूचित करें अन्यथा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी, जिससे सूचित रहें।

अनाधिकृत निर्माण का विवरण ....

....

आप की उपरोक्त कार्यवाही राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959, (अधिनियम संख्या 38), की धारा 203/170 के अन्तर्गत अपराध है।

Page No 222

(222)

अतः आपको इस सूचना पत्र के द्वारा आदेश/निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस सूचना पत्र की प्राप्ति से 24 घण्टे में उक्त अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमण हटा दें व उस पर किये गये निर्माण को विध्वंस करवा लें अन्यथा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 203/170 सपठित धारा 250, 251 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरपालिका मण्डल द्वारा उक्त वर्णित अतिक्रमण हटा दिया जायेगा/निर्माण को विध्वंस कर दिया जायेगा एवं एतदर्थ मण्डल को जो भी हानि/व्यय होगी उसके लिये आप उत्तरदायी होंगे एवं आपसे वसूली योग्य होगा।

सत्य-प्रतिलिपि

Sd श्री महेन्द्रसिंह
11-11-80
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका..............(राज०)
मोहर

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न 645 के पत्र की प्रति

सेवा में,

1. माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. श्रीमान् उप विकास आयुक्त महोदय, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, राज० जयपुर।
3. श्रीमान् जिलाधीश महोदय बीकानेर।
4. श्रीमान् उप जिला विकास अधिकारी, बीकानेर।

विषय :—ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान के सरपंच व ग्राम सेवक पदेन ग्रुप सचिव द्वारा पंचायतों की बैठकों ना करने व ना. नोटिस पंचायत बैठकों के देने की बाबत।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि प्रार्थीगण ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान के पंचान हैं। ग्राम पंचायत केसरदेसर जाटान का सरपंच श्री पूरबाराम है तथा ग्राम सेवक पदेन ग्रुप सचिव श्री होशियारसिंह है जिसकी बावत उनके खिलाफ मुकदमे व शिकायत चल रही है। श्री पूरबाराम सरपंच करीबन 6 माह से पंचायतों की बैठकें नहीं कर रहा है और ना ही करीबन 6 माह से हम प्रार्थीगण पंचान को पंचायत की बैठकों का कोई नोटिस दिया है। इस 6 माह के अरसे में पंचायत भवन पर कभी भी बैठक नहीं हुई और ना ही श्री पूरबाराम सरपंच ने पंचायत भवन पर इस अरसे में कोई बैठक की। यदि सरपंच व ग्राम सेवक पदेन ग्रुप सचिव ने चुपचाप पंचायत की बैठक यदि कार्यवाही रजिस्टर में बताई है तो वह गलत व फरजी है तथा अपने घर पर बैठकर फरजी बैठकें पंचायत की अपने निजी फायदे की गर्ज से बताई हैं। हम प्रार्थीगण पंचान को करीबन 6 माह से किसी भी बैठक का कोई नोटिस नहीं दिया है। यदि किसी नोटिस पर हम पंचान की कोई जानकारी बताई है तो वह गलत व फरजी है हम पंचान को हटाने की नीयत से यदि सरपच व ग्राम सेवक पदेन ग्रुप सचिव ने कोई फर्जी कार्यवाही की है तो कानून की नजरों में प्रभावहीन है तथा सरासर अपने पद का दुरुपयोग है। पंचायत की बैठकें ना करने की बावत पहले भी उच्च अधिकारियों को निवेदन किया जा चुका है तथा उच्च अधिकारियों ने अपनी ओर से पंचायत की बैठक दिनांक 15-5-80 में शिक्षा प्रसार अधिकारी, पचायत समिति, बीकानेर को बतौर अपना प्रतिनिधि भेजा। इस बैठक में ना तो सरपंच आया और ना ही ग्राम सेवक पदेन ग्रुप सचिव मय रेकार्डस पंचायत भवन पर उपस्थित हुआ। इस पर शिक्षा प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति बीकानेर की उपस्थिति में पंचायत की बैठक श्री हरिराम पंच की अध्यक्षता में की गई। जिस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। इसके बाद निर्धारित तिथि व स्थान व समय पर पंचायत की बैठकें सरपंच व ग्राम सेवक पदेन ग्रुप सचिव की अनुपस्थिति में नियमानुसार होती रही हैं जिसकी कार्यवाही नियमानुसार संबंधित अधिकारियों को वास्ते सूचनार्थ भेजी जाती रही है।

श्री पूरबाराम सरपंच व उसके अन्य सहयोगी पंचान ग्राम सेवक पदेन ग्रुप सचिव आपस में साज किये हुए हैं तथा हम पंचान को नाजायज तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो भी कार्य कराया जाता रहा है जो ना तो पंचायत की बैठकों में कभी रखा गयी और ना ही इस संबंध में पंचायत का कोई प्रस्ताव पारित किया और ना ही हम पंचान के समक्ष ऐसा कोई मसला आया। यदि सरपंच उसके सहयोगी पंचाना व ग्राम सेवक पदेन ग्रुप सचिव ने आपस में साजिश करके चुपचाप अपने घर पर पंचायत की कोई बैठक होना कार्यवाही रजिस्टर में बता कर कोई कार्य काम के बदले अनाज योजना के तहत करने का कोई प्रस्ताव पारित किया है तो वह सरासर गलत व फर्जी है तथा अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु ऐसा कार्य चालू कराया है ताकि उसमें अधिक से अधिक सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा सके।

अतः निवेदन है कि उपरोत तथ्यों की फौरन जांच की जाये तथा पंचायत कार्यवाही रजिस्टर व अन्य संबंधित रेकार्ड फौरन अपने कब्जे में लिया जावे ताकि गलत व फर्जी कार्यवाही की सारी तस्वीर सामने आ सके। मामला अत्यावश्यक है। शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक 21-6-80

प्रार्थीगन
हम पंचान ग्राम पंचायत
केसर देसर जाटान (बीकानेर)

परिशिष्ट 6

तारांकित प्रश्न 654 का विवरण

परिशिष्ट "क"

सोजत तहसील में चल रहे

राहत कार्य एवं उन पर कार्यरत श्रमिकों का विवरण

क.सं.	नाम अभिकरण	कार्य का नाम	कार्यरत श्रमिक सं०
1.	सिंचाई विभाग	नया गांव (मरम्मत कार्य)	20
2.	,,	मालपुरिया कानावास	60
3.	,,	टूटिया चन्डावल	35
4.	,,	मामावास बांध	115
5.	,,	लाखोलाव	300
6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	सोजत से राजोला सड़क	742
7.	,,	सोजत रोड बडागुडा	912
8.	,,	बागावास घाकड़ी, सुरायता, शिवपुरी सड़क	107
9.	,,	सोजत सिटी क्टलिया बघाण सडक	786
10.	,,	घूंकला, मेलावास, बोरनड़ी हरियामाली सड़क	837
11.	,,	गजनई खोड़िया सड़क	494
12.	पंचायत समिति सोजत	हरियामाली चिकित्सालय कुआ	6
13.	,,	बिजपुर में कूप निर्माण	5
			4419

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न 657 की सूची

वर्ष 1977-78

कार्य	चौड़ाई	लम्बाई	किया गया व्यय
1. डामर रीकारपेंटिंग	4 से 6-50 मीटर तक	1-50 कि. मी.	3,35,000/- रु०
2. पेच वर्क	–	–	3,60,000/- ,,
3. सीमेंट सड़क	3 से 4 मीटर तक	0-35 कि. मी.	92,790/- ,,
4. नयी सड़कें	4 से 6-50 मीटर तक	1-20 कि. मी.	4,50,000/- ,,
वर्ष 1978-79			
1. डामर रीकारपेंटिंग	4 से 6-50 मीटर तक	1-75 कि. मी.	3.00,000/- ,,
2. पेंच वर्क	–	–	3,80,500/- ,,
3. नयी सड़कें	4 से 6-50 मीटर तक	0-80 कि. मी.	3,75,000/-
4. सीमेंट सड़क	3 से 4 मीटर तक	0-40 कि. मी.	1,02,810/- ,,
वर्ष 1979-80			
1. डामर रीकारपेंटिंग	4 से 6-50 मीटर तक	1-60 कि. मी.	3,75,000/- ,,
2. पेच वर्क	–	–	3,10,600/- ,,
3. सीमेंट सड़क	3 से 4 मीटर तक	0-25 कि. मी.	65,510/- ,,
4. नयी सड़कें	4 से 6-50 मीटर तक	0-50 कि. मी.	2,50,000/-
वर्ष 1980-81 (दिसम्बर, 80 तक)			
1. डामर रीकारपेंटिंग	4 से 6-50 मीटर तक	2-15 कि. मी.	5,90,000/-
2. पेच वर्क	–	–	4,82,800/-
3. सीमेंट सड़क	3 से 4 मीटर तक	0-25 कि. मी.	64,000/-
4. नयी सड़कें	4 से 6-50 मीटर तक	2-50 कि. मी.	7,75,000/- ,,

कार्यालय नगर परिषद, उदयपुर राज०

नगर परिषद, उदयपुर द्वारा डामर व सीमेन्ट वर्षवार निम्न प्रकार क्रय किया गया :—

वर्ष	डामर मे०टन	मूल्य (रु०)	सीमेन्ट मे०टन	मूल्य (रु०)
1977-78	330-36	377181-71	434-7	176135-16
1979-80	267-70	377960-06	330-00	169542-85
1980-81 (दिस० 80 तक)	189-07	451166-52	241-00	124840-00

आयुक्त,
नगर परिषद, उदयपुर

227

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 658 का विवरण

दिनांक 27-3-80 को नवज्योति दैनिक में 7 दिन की निविदा सूचना दी जाकर दिनांक 2-4-80 के लिये दरें ग्रामन्त्रित की गईं। दिनांक 2-4-80 को केवल दो ही दरें प्राप्त होने के कारण पुनः अवधि दिनांक 4-4-80 के दैनिक नवज्योति में विज्ञापन सूचना छपवाई गई। दिनांक 4-4-80 को 3 दरें प्राप्त हुईं जिसमें न्यूनतम दर रु० 80 प्रति ट्रिप प्राप्त हुई। न्यूनतम दर वाली फर्म से एक ट्रक प्राप्त हुआ जो कि फर्म ने कुछ दिन चलाकर बन्द कर दिया। शर्तों के उल्लंघन किये जाने पर फर्म का ठेका रद्द किया गया। फर्म की सुरक्षित राशि जब्त कर ली गई।

निविदायें में भाग लेने वाली दूसरी फर्म जिसकी दर 100 रु० प्रति ट्रिप थी उनके द्वारा स्वेच्छा से अपनी दर 100 रु० से घटाकर 75 रु० प्रति ट्रिप में एक वाहन परिषद को देना इकरार किया इस पर परिषद ने एक वाहन तदुपरान्त लेकर दिनांक 30-6-80 तक चलाया।

परिशिष्ट 9

तारांकित प्रश्न सं० 662 की सूची

वर्ष 1979-80 में स्वीकृत होने वाली हैण्ड पम्प योजनाऐ

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	स्वीकृत हैण्ड पम्पों की सं०
1	2	3	4	5
	हैण्ड पम्प योजना 4 गांव (एम. एन. पी.) लागत 0.675 लाख			
1.	गावड़ी	166	झालरापाटन	3
2.	जीतपुरा	156	,,	2
3.	महेश्वर	167	,,	2
4.	मोरी	158	,,	2
	हैण्ड पम्प योजना 36 गांव (एम. एन. पी.) लागत 8 लाख			
1.	लडानिया	99	खानपुर	3
2.	विशनखेड़ी	65	,,	4
3.	लालावता	36	,,	2
4.	ओडपुर	22	,,	2
5.	उमेदपुरा	29	,,	3
6.	पदम्या	39	,,	2
7.	बाली	140	झालरापाटन	3
8.	गुराडखेड़ा	259	,,	3
9.	खोखन्दा	3	,,	2
10.	दुर्गापुरा	18	,,	5
11.	मण्डावर	31	,,	9
12.	नगन्यारखेड़ी	260	अकलेरा	2
13.	उचावाड़ा	132	,,	2
14.	वारखेड़ी गूजरान	232	,,	3
15.	लाडपुरा	420	,,	3
16.	कुन्डोवेह	428	,,	2
17.	मोन्यावेह	439	,,	2
18.	मिनोडी	450	,,	2
19.	आसलपुर	236	,,	4

(229)

1	2	3	4	5
20.	देवरी चंचल	198	अकलेरा	3
21:	अर्जुनपुरा	167	,,	4
22.	पचेड़ा	267	,,	3
23.	चारोलिया	433	,,	3
24.	मेठन	52	,,	5
25.	देवरीकला	153	,,	4
26.	कोटराजीतमल	88	पिड़ावा	2
27.	आलनिया	84	,,	2
28.	बन्जारी	139	,,	2
29.	देवली	187	,,	2
30.	सालरिया	99	,,	3
31.	खेरखेड़ा	98	,,	2
32.	विलावली	60	,,	3
33.	रामपुरिया	96	,,	2
34.	डावला	84	,,	3
35.	कोलवागूजर	12	,,	2
36.	हूंसामण्डी	22	,,	2
	हैण्ड पम्प योजना 80 गांव (ए. पी. ए.) लागत 10.80 लाख			
1.	मेन्दरी	3	खानपुर	2
2.	बागकरी	17	,,	2
3.	गुलखेड़ी	20	,,	2
4.	कोलूखेड़ी	21	,,	2
5.	लालायता	36	,,	2
6.	पदमिया	39	,,	2
7.	गुरहा	42	,,	2
8.	महिरा	64	,,	2
9.	पीतमपुरा	82	,,	2
10.	जिठाना	89	,,	2
11.	गुरजेगी	91	,,	2
12.	हालीहेड़ा	93	,,	2
13.	भेरपुरा	102	,,	2
14.	छतरपुरा	108	,,	2
15.	अतरबाज	109	,,	2
26.	सीमलखोडी	136	,,	2

(230)

1	2	3	4	5
17.	चन्दरपुर चपलास	150	खानपुर	3
18.	अबवद कलां	173	,,	2
19.	कोडक्या	175	,,	2
20.	समरोल	190	,,	2
21.	बुधमण्डावर	29	झालरापाटन	2
22.	बास गड्डी	32	,,	2
23.	सोहनखेड़ी	67	,,	2
24.	पृथ्वीपुरा	96	,,	3
25.	श्योपुर	121	,,	2
26.	खेडला	175	,,	2
27.	भगवाड़ा	217	,,	2
28.	सेमल	246	,,	2
29.	देवडंगरी	266	,,	3
30.	चारडूंगरी	301	,,	2
31.	मांगटा	20	,,	2
32.	सेमला बेह	178	,,	2
33.	गुराडली	237	,,	2
34.	खारी	250	,,	2
35.	पहाड़पुरा	392	,,	2
35.	काल्याखेड़ी	6	पचपहाड़	2
37.	सांण्डीया खेड़ी	24	,,	2
38.	रामनिवास	26	,,	3
39.	चोरखेडी	32	,,	3
40.	डालिया खेड़ी	87	,,	2
41.	भेसानी	88	,,	2
42.	निपानिया हाड़ा	91	,,	2
43.	बुधवा	109	,,	2
44.	नाथखेड़ी	124	,,	2
45.	डाबला	12	पिड़ावा	2
46.	घाटरा	13	,,	2
47.	कलोतिया	15	,,	3
48.	डाबल	29	,,	3
49.	पाउखेडो	48	,,	2
50.	चछलाई	49	,,	2
51	रुपाखेडी	58	,,	2

1	2	3	4	5
52.	मेरी	75	पिड़ावा	3
53.	यशवन्त पुरा	83	,,	2
54.	नूरपूरा	93	,,	2
55.	श्यामपुरा	91	,,	2
56.	स्रूपदखेडी	96	,,	2
57.	कालियाखेड़ी	104	,,	2
58.	कतराखेड़ी	107	,,	3
59.	पोथखेड़ी	119	,,	2
60.	कोलवी	129	,,	3
61.	कोलीखेड़ा	130	,,	3
82.	सीलारी	133	,,	2
63.	तामरियाखेड़ी	135	,,	2
64.	खाजरी	166	,,	2
65.	खरपाखुर्द	174	,,	2
66.	घाराखेड़ी	177	,,	2
67.	खेजरिया	178	,,	3
68.	रामपुरिया	190	,,	3
69.	बालदा	194	,,	2
70.	पिपलिया	202	,,	2
71.	निपानिया झाला	37	गंगधार	2
72.	राठोखेड़ों	46	,,	2
73.	डोकर खेड़ी	47	,,	2
74.	अरणिया	52	,,	2
75.	लूनाखेड़ी	64	,,	2
76.	खुरचन्या	70	,,	3
77.	गुराडिया ईसर	75	,,	3
78.	बेठेखेड़ी	78	,,	2
79.	चान्दखेड़ी	91	,,	2
80.	भड़का	124	,,	2

(232)

वर्ष 1979-80 में स्वीकृत पारम्परिक स्रोत योजनाओं की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील
1	2	3	4
	ट्रेडीशनल सोर्स स्कीम 18 गांव (एम. एन. पी.) लागत 1,80 लाख		
1.	हेमड़ा	118	पिड़ावा
2.	करोड़िया	53	,,
3.	कोटरी	154	,,
4.	उन्हेल	52	,,
5.	ठावला खींची	91	,,
6.	साथरी	26	,,
7.	आवर	127	पचपहाड़
8.	पगारिया	129	,,
9.	घाटोली	203	अकलेरा
10.	अमीन	37	,,
11.	जावर	257	,,
12.	लाहरा	65	,,
13.	अकतासा	160	झालरापाटन
14.	मोरी	370	,,
15.	वराम	355	,,
16.	रीछवा	228	,,
17.	नानौर	253	,,
18.	भालता	259	अकलेरा
	पारम्परिक स्रोत योजना 40 गांव (एम. पी. ए) लागत 6.00 लाख		
1.	सूमर	10	खानपुरा
2.	झोबरा	12	,,
3.	डूहो	53	,,
4.	जरगा	90	,,
5.	वनिन्या	103	,,
6.	पिपलाज	128	,,
7.	भोजपुर	135	,,
8.	मन्डावर	31	झालरापाटन
9.	भीलवाड़ा	50	,,
10.	कनवाड़ा	65	,,
11.	भंवरासा	115	,,
12.	रूडलान	124	,,
13.	झूमकी	138	,,
14.	डोन्डा	141	,,

(235)

1	2	3	4
15.	पिपलोद	148	झालरापाटन
16.	देवनगर	317	"
17.	पुठनपुर	2	पचापहाड़
18.	श्री छत्रपुरा	5	"
19.	राजपुरा	8	"
20.	भीलवाड़ी	11	"
21.	पिपालिया	13	"
22.	श्यामिया	14	"
23.	खोंद	15	"
24.	सूलिया	35	"
25.	कोटड़ा	41	"
26.	मोजाखेड़ा	42	"
27.	मानुवी	44	"
28.	नारायणखेड़ा	56	"
29.	गुराडिया माना	60	"
30.	सरकन्धा	61	"
31.	मुरहा	64	"
32.	मुराडिया जोगा	70	"
33.	मुराडिया	19	"
34.	सादिया	21	"
35.	आलमपुरा	40	"
36.	रोशनवाड़ी	46	"
37.	धपालाव	47	"
38.	सेमला	92	"
39.	भगीसपुर	97	"
40.	सागरिया	124	"

सन् 1979-80 में स्वीकृत होने वाली ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	गांवों की संख्या	कोड नं.	(लाखों में) अनु० ला०
1.	पम्प एवं टैंक योजना	हरिगढ़	—	रु. 4.05
2.	पम्प एवं टैंक योजना रटलाई	रटलाई	—	रु. 4.00
3.	पम्प एवं टैंक योजना कोलवी (चौमेहला)	कोलवी	—	रु. 5.00
4.	एनरूट गांव कोटराघटा	कोटराघटा	—	रु. 0.30
5.	एक्सटेन्शन जल योजना सागरिया	सागरिया कुण्डीखेडा सरोनिया	—	रु. 1.00
6.	एक्सटेन्शन जल योजना भवरासा गिन्दौर	भवरासा गिन्दौर	—	रु. 0.80

237

परिशिष्ट 10

तारांकित प्रश्न सं० 664 की सूची

तहसील जैतारण के 28. 2. 81--सम्भावित गांवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार	कोड नं.	जनसंख्या (1971)
1.	आनन्दपुर कालू	पाइप	13	6575
2.	बलूंदा	,,	14	4856
3.	एर्जीवा	,,	49	2216
4.	आलारा	,,	62	2503
5.	रास	,,	85	6050
6.	ठाकरवास	,,	31	809
7.	जैतारण	क्षेत्रीय	54	7892
8.	निम्बाज	,,	90	9056
9.	लाबिया	,,	67	2786
10.	खारन्दिया	,,	10	650
11.	कानवालिया	,,	12	1266
12.	मोर	,,	39	1547
13.	पृथ्वीपुरा	,,	40	600
14.	जजानवास	,,	43	899
15.	पीवा	,,	45	2023
16.	राजदंड	,,	44	901
17.	लकसानी	,,	42	82
18.	रानावास कलां	,,	22	567
19.	रानावास खुर्द	,,	21	656
20.	लोटोई	,,	20	1606
21.	गकरवास	परम्परागत स्रोत	47	1596
22.	किनोन	,,	59	909
23.	दीरल	,,	33	1251
24.	भीखनाई	,,	23	761
25.	कांचा	,,	16	1074
26.	भालपुरियाकलां	,,	24	477
27.	भागरावास	,,	58	519
28.	रानवाल	,,	76	758
29.	लूनावास कालन	,,	51	357
30.	खेरा महाराजपुरा	,,	89	689

Page No 237

तहसील जैतारण जिला पाली के ग्रामों की सूची जहां पेयजल योजनाएं नहीं हैं

क्र. सं.	कोड नं.	गांव का नाम	जन संख्या
1.	6	सेवरी	327
2.	11	खोरामोलावास	
3.	15	कानावास	211
4.	17	लोटारिया	324
5.	25	बंजाकूरे	1423
6.	26	गोरावास	963
7.	27	मूंडावा	430
8.	29	तेलकिया	898
9.	30	पाडसवियचक	220
10.	31	ठाकरावास	529
11.	32	कोरालिया	358
12.	34	सोमावास	
13.	35	काठीखेरा	53
14.	38	चरखुर्द	
15.	41	बाखरावासनी	
16.	46	लूमवारावास	
17.	50	जोधावास	322
18.	52	रतनपुरा	
19.	55	जूजाड़ा	942
20.	56	जनासानी	181
21.	87	मगावास	1230
22.	60	कूलुमल	789
23.	61	लखनी	584
24.	65	हिंगोनिया	
25.	64	ग्यास	396
26.	68	भंवालिया	651
27.	70	केकिडरा	1084
28.	71	मुवालिया	1569
29.	72	श्रोडावास	280
30.	73	जमरापुरा	1602

1	2	3	4
31.	74	बालूपुरा	268
32,	75	कटमूर दयालपुरा	849
33.	78	खेण्डेवास	323
34	80	सौवारिया	2100
35.	81	साली चैनपुरा	604
36.	82	डियोरिया राजपूतन	
37.	83	खोरानेमपुरा	
38.	84	मोजियावास	463
39.	86	टूनकारा	769
40.	87	नीबराकूर्द	688
41.	91	खामोखामी	517
42.	93	मोरीराई	1198
43.	94	डागला	314

वर्ष 1981-82 में ली जाने वाली सम्भावित योजनाएं

1. पम्प एवं टैंक तथा पाइंड जलप्रदाय योजनायें:—

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	आबादी
1.	चावडीया	48	जैतारण	1816

2. क्षेत्रीय एवं विस्तार जलप्रदाय योजनायें:—

क्र. सं.	योजना का नाम	तहसील	गांव का नाम	कोड नं.	आबादी
1.	विस्तार योजना भेड लाटोली	जेतारण	रानीवाल	36	758
2.	पम्प एवं टैंक योजना गरनिया	जेतारण	गरनिया	37	1721
3.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना डीगराना	जेतारण	डीगराना	1	1556
4.	बाकास		खारडी	3	1441
			बालका	4	1832
			पीपरा	5	245
			बाकास	9	293
			टीगरा	8	72
			भ्रोकोडिया	7	244

3. हैण्ड पम्प योजनाएं :—

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	तहसील	आबादी
1.	वागासनी	19	जैतारण	133
2.	बिरमपुरी	92	,,	373
3.	कोटारिया	79	,,	746
4.	पीपलिया	28	,,	965
5.	प्रतापपुरा	65	,,	360
6.	रावड़ीमातास	66	,,	1610
7.	सीनला	2	,,	770
8.	हुनावा सूय्यद	53	,,	304

4. विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जल प्रदाय योजनायें :—

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	कोड नं.	जनसंख्या	योजना का प्रकार
1.	निम्बोल	जैतारण	18	2050	पम्प एवं टैंक
2.	देवरिया	,,	47	2456	,,
3.	कुर्की	,,	77	2145	,,
4.	भासरलाई	,,	88	2111	,,

239

परिशिष्ठ 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 666 का आदश

कार्यालय उप जिलाधीश, नवलगढ़

क्रमांक 1003/राजस्व/80 दिनांक 3-9-80

सहायक अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,
उप खण्ड नवलगढ़ ।

विषय :—नबोड़ा कुंआ ग्रामीण जल योजना ढाणियां के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 23-8-80 प्राप्त होने पर मैंने श्री पृथ्वी सिंह गिरदावर हलका नवलगढ़ एवं श्री करण सिंह पटवारी हलका नवलगढ़ को मौके पर भेजकर तथ्यों की जाँच करवाई है, मौके की जांच से निम्न स्थिति प्रकट हुई है:—

1. ढाणी चिमनराम वाली तन नवलगढ़ के पास जो सार्वजनिक कुंआ जल प्रदाय योजना हेतु जलदाय विभाग को उक्त ढाणी के व्यक्तियों व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया है वह सार्वजनिक रास्ते में बना हुआ है न कि खसरा न. 1275 के किसी भाग पर। यह सार्वजनिक चाह है और इस ढाणी के निवासियों के पीने के पानी निकालने के काम आता है और अब भी आ रहा है। इस चाह पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं है। आप इस चाह पर बोरिंग का कार्य चालू रखें। यदि कोई व्यक्ति इस चाह पर अपने किसी प्रकार के अधिकार बताता है तो वह अपने अधिकार सक्षम न्यायालय में तय कराये।

ह.
उप-जिलाधीश नवलगढ़

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न सं. 676 की सूची

अनुबन्ध के मुख्य तत्वों के विवरण की सूची

मैसर्स स्टा प्रोडक्टस लि० (जे.के ग्रुपवाले) को सिरोही में सीमेंन्ट फैक्ट्री के निर्माण और उनके अन्य व्यवसायो के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु ग्राम वसन्तगढ,डूंगा रामपुरा एवं वनास, जिला सिरोही से 425 बीघा 7 बिसवा निजी भूमि (आबादी भूमि सहित) अवाप्त करने के लिए राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1953 की धारा 41 के अनुसरण में राज्य सरकार व कम्पनी के मध्य दिनांक 31-3-1980 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया है। अनुबन्ध के मुख्य तत्वों का विवरण निम्नानुसार है:—

1 इस भूमि का अवाप्त करने पर समस्त मुआवजे, नुकसान, मूल्य तथा अन्य व्यय का भुगतान कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को देय होगा। कम्पनी द्वारा मुवावजे की देय राशि भूमि जिलाधीश अधिकारी, आबूपर्वत, (जिला सीरोही), जो भूमि आवप्ति के मामलों में जिलाधीश कहलायेंगे, दुवारा मांग करने पर, भुगतान करना होगा।

2 कम्पनी द्वारा समस्त बकाया के पश्चात राज्य सरकार के समस्त अधिकार कम्पनी को हस्तान्तरित किये जायेंगे परन्तु इस भूमि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किराया और न्यायोचित किराया कम्पनी द्वारा देय होगा तथा प्रत्येक 30 वर्ष के अन्त में राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया गया किराया देय होगा परन्तु बढ़ा हुआ किराया पूर्व किराये के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3 भूमि की एजेन्सी में अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि का कब्जा अवार्ड घोषित करने के पूर्व में लेने की स्थिति में मुआवजों की अनुमानित राशि का दो तिहाई भाग जिलाधीश द्वारा निश्चित अवधि में जमा कराना होगा।

4 जमा कराई गई मुआवजों की राशि, यदि कोई वैधानिक अड़चन नहीं हो तो, पात्र व्यक्तियों को कन्टीजेन्सी में से भुगतान की जावेगी।

5 कम्पनी द्वारा जमा कराई गई राशि अथवा उसके किस भाग का भुगतान नहीं किया जाता है तो यह राशि जिलाधीश द्वारा कम्पनी को जैसे ही सम्भव हो लौटानी होगी।

6 राज्य सरकार की पूर्वानुमति के विना कम्पनी द्वारा भूमि अन्य प्रयोजन हेतु काम में नहीं ली जायेगी।

7 भूमि के हस्तानान्तरित होने की कार्यवाही पूर्ण होने के तीन वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई अवधि में कम्पनी द्वारा अंकित कार्य को तुरन्त प्रारंभ करना होगा।

8 वंचित भूमि अथवा उसका कोई भाग अंकित कार्यों के लिए अपेक्षित नहीं होगी तो राज्य सरकार उस भूमि को, उपयोग में नहीं लिया गया क्षेत्र घोषित कर देगी और उसके लिए जमा कराई गई मुआवजे की राशि का

(54)

चौथाई भाग तक की राशि नुकसान के रूप में जब्त कर ली जायेगी और शेष राशि कम्पनी को लौटाई जायेगी तथा ऐसे आदेश अन्तिम और मान्य होंगे।

9 जनता और कम्पनी के साथ होने वाले व्यवसाय के लेन-देन के सम्बन्ध में कम्पनी के भूमि एवं प्रांगण मे आने जाने हेतु उपयोग का अधिकार होगा।

10 कम्पनी द्वारा अनुबन्ध को उक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर भूमि के हस्तान्तरण को निरस्त कर दिया जायेगा और भूमि वापस राज्य सरकार को हो जायेगी तथा इस तरह के नुकसान के लिए कम्पनी द्वारा जमा कराई गई संपत्ति के मूल्य की राशि में से, जो जमा कराई गई राशि के चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी जब्त कर ली जावेगी तथा शेष राशि कम्पनी को लौटा दी जावेगी और ऐसे आदेश अन्तिम तथा बाध्य होंगे। कम्पनी द्वारा इस अनुबन्ध की किसी भी शर्त के स्वीकारने पर उपयुक्त आदेश जारी करने के पूर्व कम्पनी को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

11 उपयुक्त उपबन्ध के अन्तर्गत राज्य सरकार के पुनः आदेश की दशा में कम्पनी को उक्त भूमि पर 6 माह की अवधि में भूमि पर निर्मित निर्माण कार्य आदि को हटाना होगा।

12 कम्पनी उक्त भूमि और उसके किसी भाग को राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना बेचने, गिरवी रखना, गिफ्ट में देने, किराये पर देने के लिए अधिकृत नहीं होगी। लेकिन सीमेंन्ट फैक्ट्री के निर्माण या स्थापित करने या विकास या आधुनिकरण अथवा अन्य फैक्ट्री से संबन्धित प्रयोजन हेतु मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋण, ओवरड्राफ्ट, गारन्टी आदि की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिकृत होगी।

13 उक्त अनुबन्ध से संबन्धित विषयों अथवा उपबन्धों के संबन्ध में किसी प्रकार का विवाद या मतान्तर होने पर संदर्भित मामला राज्य के विधि सचिव को प्रसांगित किया जायेगा जिनके निर्णय से दोनों पक्ष वान्धित होंगे।

परिशिष्ट–13

तारांकित प्रश्न संख्या 679 का विवरण

राजस्थान पुलिस विभाग में दिये जा रहे परिवहन भत्ते (वाहन भत्ते) का विस्तृत विवरण

1. ऊंट भत्ता रेगिस्तान थाने/चौकियों के लिये	निरीक्षक	उप निरीक्षक	सहायक उप निरीक्षक	हैड कानिस्टेबल	कानिस्टेबल
इसकी सीमा यह है कि यह 892 कानि. को देय होगा	–	–	–	–	80/प्रति माह
2. मोटर साइकल भत्ता (अ) ग्रामीण पुलिस थानों पर नियुक्त अपराध अन्वेषण अधिकारियों को जिसकी सीमा निम्न प्रकार है — निरीक्षक 14, उप निरीक्षक 461	75/–	नोट : दिनांक 5-4-58 से 30/– प्रति माह दिनांक 1-4-66 से 40/– प्रति माह दिनांक 1-6-78 से 80/– प्रति माह 75/– नोट : दिनांक 6-3-79 से लागू	—	—	—
व शहरी थानों में नियुक्त कर्मचारियों को जिसकी सीमा निम्न प्रकार है :— निरीक्षक 6, उप निरीक्षक 51, सहायक उप निरीक्षक 51	75/–	75/– नोट : दिनांक 14-6-65 से 25/ प्रति माह दिनांक 1-4-78 से 50/ प्रति माह दिनांक 1-4-79 से 75/ प्रति माह	75–	—	—
3. साइकल भत्ता विभिन्न थाने/चौकियों पर नियुक्त कानिस्टेबल को इसकी सीमा यह है कि 5019 कनि. को ही देय होगा।	–	– नोट : दिनांक 12-6-79 से लागू।	–	–	12/– प्रति माह

परिशिष्ट–14

तारांकित प्रश्न सं. 682 की सूची

एकीकृत शहरी विकास योजना केन्द्रीय प्रवतित योजना-"नाथद्वारा"

क्र.सं.	प्रोजेक्ट कम्पोनेन्ट	क्षेत्रफल	कुल लागत	प्रावधान 19.लाख
1.	**रिहायशी प्रगति**			
	1. एन. एच. 8 की योजना	25.20	19.65	9.50
	2. लोढा घाटी योजना	6.63	3.37	0.50
	3. तेलियों का तालाब योजना	15.15	9.98	2.00
2.	**वाणिज्य विकास**			
	1. क्रय-विक्रय केन्द्र एन. एच. 8	1.00	8.59	0.50
3.	**यातायात एवं परिवहन**			
	सड़क निर्माण एवं विकास कार्यक्रम			
	1. सड़क बस स्टेण्ड से तेलियों के तालाब तक	--	3.68	1.00
	2. सड़क बस स्टेण्ड से मन्दिर तक	--	1.75	0.50
	3. सम्पर्क सड़क यादव वस्ती	--	2.10	0.50
	योग		49.03	14.50

परिशिष्ट–15

तारांकित प्रश्न से 480 की सूची

राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 21 (1) एम. पी. एच./ग्रुप 4/80 दिनांक 28 2.81 द्वारा निम्न सहायक अभियन्ता सिविल एवं यांत्रिकी को अधिपासी अभियन्ता सिविल एवं यांत्रिकी के पद पर पदोन्नति दी गई ।

1.	श्री एम. के. एम. जोशी	(सिविल)
2.	श्री जे. एन. गोलानी	,,
3.	श्री ए. के. गुप्ता	,,
4.	श्री के. एम. माथुर	,,
5.	श्री डी. सी. भारद्वाज	,,
6.	श्री एन. एस. शेखावत	,,
7.	श्री के. एम.लाल जे. माथुर	,,
8.	श्री एस. आर. मेहन्दीरत्ता	,,
9.	श्री वी. डी. मीणा	,,
10.	श्री एल. एन. मीणा	,,
11.	श्री मालीराम	,,
12.	श्री ए. एन. तनेजा	(यांत्रिक)
13.	श्री एन एम. मंगलानी	,,
14.	श्री हफीजुर्रहमान	,,
15.	श्री गोकुलसिंह	,,
16.	श्री हीरो के. धनवानी	,,
17.	श्री अर्जुन देव	,,

(245)

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण
जयपुर

अपील क्रमांक 707/80 श्री अर्जुनदेव बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 7.10.80 को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा दिये गये आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि :—

समक्ष : माननीय श्री भीमसिंह, अध्यक्ष
माननीय श्री आर. एन. श्री वास्तव, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी की ओर से उनके एडवोकेट उपस्थित । प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से स्थाई राजकीय अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री मगराज कल्ला एडवोकेट उपस्थित ।

दोनों पक्षों को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया । स्थाई राजकीय अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रभाराधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु समय चाहते हैं।

अत: अन्तरिम स्थगन आदेश दिया जाता है कि दिनांक 23.7.80 के आदेश के क्रियान्न (Operation) को अधिकरण के अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है।

अधिकरण के आदेश दिनांक 30.9.80 इस आशह का कि अधिकरण के अग्रिम आदेश तक कोई पदोन्नति नहीं की जावे को निरस्त किया जाता है।

प्रत्यर्थी राज्य सरकार को दिनांक 4.11.80 का स्थगन प्रार्थना पत्र का नोटिस इस आशय का जारी हो कि यदि उनको उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो वे उपरोक्त दिवस को उपस्थित होकर कारण बतायें कि उपरोक्त आदेश तासिफया अपील क्यों नहीं पुख्ता कर दिये जावे।

पत्रावली दिनांक 4.11.80 वास्ते जवाब अपील स्थगन प्रार्थना पत्र एवं बहस स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

ह.	ह.
(भीमसिंह)	(आर. एन. श्री वास्तव)
अध्यक्ष	सदस्य

सील

प्रमाणित प्रतिलिपि — अक्षर प्रतिलिपि/लिपिक जांचकर्ता ह.

ह. 8.10.80

रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण राज. जयपुर।

1. संख्या प्रार्थना पत्र—
2. दिनांक प्रस्तुत 7.10.80
3. दिनांक देने प्रतिलिपि 8.10.80
8. प्रतिलिपि शुल्क 2/-
9. प्रयोजन रेकार्ड के लिए
10. प्रतिलिपिकार ह.

दिनांक 28-2-81 को अधिशासी अभियन्तायांत्रिक एवं सिविल की पदोन्नति निम्न अनुसार सृजन एवं रिक्त हुए पदों के विरुद्ध की गई है :—

क्र.सं.	सृजन संख्या एवं दिनांक	अधीक्षण अभियन्ता		अधिशासी अभियन्ता	
		सिविल	यांत्रिक	सिविल	यांत्रिक
1.	श्री एस. एस. पामेचा अधिशासी अभियन्ता की आवासन मण्डल में प्रतिनियुक्ति से रिक्त	—	—	1	—
2.	एफ० 11 (9/एम.पी.एच./79 दिनांक 30.1.80	2	—	—	1
3.	श्री एस.के.वैश्य अधिशासी अभियन्ता की विदेश में प्रतिनियुक्ति के कारण रिक्त पद	—	—	1	—
4.	श्री ए.के.सेन गुप्ता अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति दिल्ली में होने के कारण रिक्त पद	—	—	1	—
5.	श्री वैद्य प्रकाश अधिशासी अभियन्ता द्वारा एम.ई.पी.एच. के. अध्ययन हेतु लम्बे अवकाश के कारण रिक्त पद	—	—	1	—
6.	एफ.12/28/सचिव/आर. डब्लू. एस. एस. एम. बी./80 दिनांक 1.8.80	1	—	4	1
7.	एफ. 2/5/सचिव/आर. डब्ल्यू/एस.एस. एम. बी./80 दिनांक 3.9.80	1	1	—	—
8.	एफ, 11/5/एम.पी.एच./80 दिनांक 29.12.80	—	—	—	2
9.	एफ. 1/11/आर. डब्लू./एस. एस. एम. बी./80 दिनांक 26.12.80	1	—	5	—
10.	एफ.2(11/आर. डब्ल्यू/एस. एस. एम. बी./80 दिनांक 26.12.80	—	—	(-) 2	2
	योग :—	3	1	11	6

उक्त तालिका अनुसार तीन पद अधीक्षण अभियन्ता सिविल के उपलब्ध हुए जिनके विरुद्ध एक वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता सिविल श्री वी.एन.भूतड़ा की पदोन्नति माह फरवरी, 80 में की गई एवं इसी प्रकार 11 अधिशासी अभियन्ता सिविल पदों के विरुद्ध दो वरिष्ठ सहायक अभियन्ता सिविल श्री एम.के.दीपक एवं श्री अगम माथुर की पदोन्नति फरवरी, 80 में की गई तथा एक पद अधीक्षण अभियन्ता यांत्रिक एवं 6 पद अधिशासी अभियन्ता यांत्रिक के विरुद्ध नही की गई तथा श्री एस.के.सक्सेना अधिशासी अभियन्ता सिविल एवं श्री आर.के.जैन अधिशासी अभियन्ता यांत्रिक जो विदेश/दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर थे वापस विभाग में कार्यभार सभालने के फलस्वरुप एक-एक पद सिविल एवं यांत्रिक अधिशासी अभियन्ता के भर गये इस प्रकार कुल रिक्त पद निम्न प्रकार से रहे :—

अधीक्षण अभियन्ता		अधिशासी अभियन्ता	
सिविल	यांत्रिक	सिविल	यांत्रिक
3	1	11	6
(—) 1 श्री भूतडा की पदोन्नति होने के कारण		(—) 2 श्री दीपक एवं श्री अगम माथुर की पदोन्नति के कारण 1 श्री भूतडा की उच्च पद पर पदोन्नति के कारण (—) 1 श्री सक्सेना द्वारा वापस विभाग में उपस्थित देने के कारण	(—) 1 श्री आर.के.जैन द्वारा वापस विभाग में उपस्थिति होने के कारण
2	1	9	5

इस प्रकार 2 अधीक्षण अभियन्ता/सिविल के पदों के विरुद्ध सर्व श्री एस.के. सक्सेना एवं श्री के. वी. एल. माथुर की पदोन्नति से हुए दो रिक्त पद एवं 9 अधिशासी अभियन्ता के पद कुल 11 पद अधिशासी अभियन्ता सिविल के पदों पर दिनांक 28.2 81 को पदोन्नति की गई एवं एक पद अधीक्षण अभियन्ता यांत्रिक के पद पर श्री ओ.पी.गोयल की पदोन्नति होने के फलस्वरुप रिक्त पद पर एवं + 5 पद अधिशासी अभियन्ता यांत्रिक इस प्रकार 6 पदों के विरुद्ध दिनांक 28 2.81 को पदोन्नति की गई।

2 पद अधिक्षण अभियन्ता सिविल के एवं एक पद अधीक्षण अभियनन्ता यांत्रिक के पद पर पदोन्नति हो जाती है तो दो पद अधिशासी अभियनन्ता सिविल और एक पद अधिशासी अभियन्ता यांत्रिक के और मिल जाने के फलस्वरुप 11 पद अधिशासी अभियनन्ता सिविल एवं 6 पद अधिशासी अभियन्ता यांत्रिक के उपलब्ध होते हैं तथा इसी अनुसार राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गये हैं।